लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 50 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

6 अगस्त, 1984/15 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 7, पृष्ठ वाले स्तम्भ में "1—2," का लोप कीजिये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 8, पृष्ठ वाले स्तम्भ में "310" के स्थान पर "305 पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iv), पंक्ति 12 तथा 22, "बसन्त साठे" के स्थान पर "वसन्त साठे" पढ़िये।

पृष्ठ 1, पंक्ति 9, "हिरोशिया" के स्थान पर "हिरोशिमा" पढ़िये।

पृष्ठ 2, नीचे से पंक्ति 5, "122·" के स्थान पर "122·5 पढ़िये।

पृष्ठ 3, पंक्ति 13, पृष्ठ 4, पंक्ति नीचे से 6, "नावार्ड" के स्थान पर "नाबार्ड" पढ़िये

पृष्ठ 4, पंक्ति 5, "कनक्सन" के स्थान पर "कनेक्शन" पढ़िये।

पृष्ठ 7, पंक्ति 7, "सुनिश्चित" के स्थान पर 'सुनिश्चित" पढ़िये।

पृष्ठ 9, पंक्ति 5 ता० प्र० संख्या "309" के स्थान पर "209" पढ़िये।

पृष्ठ 9, पंक्ति 19, "तमिलनाठु" के स्थान पर "तमिलनाडु पढ़िये।

पृष्ठ 10, पंक्ति 8, "लेजिस्लेर्क्स" के स्थान पर "लेजिस्लेचर्स" पढ़िये।

पृष्ठ 10, पंक्ति 7, 21 तथा 25, "बैल" के स्थान पर "बेल" पढ़िये।

पृष्ठ 11, पंक्ति 2, "बर" के स्थान पर "बध" पढ़िये।

पृष्ठ 21 पंक्ति 20, "राबत साहब" के स्थान पर "राब साहब पढ़िये।

पृष्ठ 13, पंक्ति 18, "राज-सहायत" के स्थान पर "राज-सहायता" पढ़िये।

पृष्ठ 14, पंक्ति 18 तथा 19, "31 रुपए" के स्थान पर "3 रुपए" पढ़िये।

पृष्ठ 14, पंक्ति 18, "21 रुपए" के स्थान पर "5 रुपए" पढ़िये।

पृष्ठ 14, पंक्ति 21, "1,74,00" के स्थान पर "1,74,000" पढ़िये।

पृष्ठ 15, नीचे से पंक्ति 7, "तहस" के स्थान पर "बहस" पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 5, "श्री ए० के० नालन" के स्थान पर "श्री ए० के० बालन" पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 10, 'लनुपूरक" के स्थान पर "अनुपूरक" पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 15, "देश को" के स्थान पर "देश की" पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 27, "तत्सम्बन्धो" के स्थान पर "तत्सम्बन्धी" पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 3, "अनारक्ष" के स्थान पर "अनारक्षण" पढ़िये।

पृष्ठ 18, पंक्ति 5, "त्रिपुर" के स्थान पर "त्रिपुरा" पढ़िये।

पृष्ठ 18, अन्तिम पंक्ति, आवश्वकना" के स्थान पर "आवश्यकता" पढ़िये।

पृष्ठ 19, पंक्ति 8, "सकारिर्ण" के स्थान पर "सिफारिशें" पढ़िये।

पृष्ठ 19, पंक्ति 22, "1 = 4 मील" के स्थान पर "उपबंध नहीं हो तो 1 इंच = 1 मील अथवा 1 इंच = 4 मील" पढ़िये।

पृष्ठ 20, पंक्ति 18, "अने" के स्थान पर "आने" पढ़िये।

पृष्ठ 23, पंक्ति 3, तोढ़" के स्थान पर 'तोड़" पढ़िये।

पृष्ठ 24, पंक्ति 9, "पर्यावरज" के स्थान पर "पर्यावरण" पढ़िये।

पृष्ठ 24, पंक्ति 12, "बनरोषण" के स्थान पर "वनरोपण" पढ़िये।

पृष्ठ 24, पंक्ति 18, "के" का लोप कीजिए।

पृष्ठ 25, पंक्ति 3, "वही" के स्थान पर "वहां" पढ़िये।

पृष्ठ 25, नीचे से पंक्ति 5, "मारी" के स्थान पर "हमारी" पढ़िये।

पृष्ठ 26, पंक्ति 7, 'श्री चित्रबसु" के स्थान पर "श्री चित्त बसु पढ़िये।

पृष्ठ 26, पंक्ति 15, "अपेक्षा" के स्थान पर "उपेक्षा" पढ़िये।

पृष्ठ 26, पंक्ति 18, "विरोष" के स्थान पर "विशेष" पढ़ियें।

पृष्ठ 27, पंक्ति 2, "नियुक्त" के स्थान पर "नियुक्ति" पढ़िये।

पृष्ठ 27, पंक्ति 7, "बाजार में" के स्थान पर "बाजार से" पढ़िये।

पृष्ठ 28, नीचे से पंक्ति 9, "भगवत" के स्थान पर "भागवत" पढ़िये।

पृष्ठ 28, अंतिम पंक्ति, "आप" के स्थान पर "अब" पढ़िये।

पृष्ठ 28, अंतिम पंक्ति, "हमाने" के स्थान पर "हमने" पढ़िये।

पृष्ठ 29, पंक्ति 3, "10 से 19" के स्थान पर "18 से 19" पढ़िये।

पृष्ठ 29, पंक्ति 13, "श्री नारायन चौबे" के स्थान पर "श्री नारायण चौबे" पढ़िये।

पृष्ठ 29, पंक्ति 13, "बर्शों" के स्थान पर "वर्षों" पढ़िये।

पृष्ठ 30, नीचे से पंक्ति 5, "संबधिता" के स्थान पर "संबंधितों" पढ़िये।

पृष्ठ, 31, पंक्ति 9, "परिचोजनाओं" के स्थान पर "परियोजनाओं" पढ़िये।

पृष्ठ 36 पंक्ति 10, "1672" के स्थान पर "1972" पढ़िये।

पृष्ठ 41, पंक्ति 4, पृष्ठ 136, पंक्ति 8, पृष्ठ 167, नीचे से पंक्ति 9, पृष्ठ 238 नीचे से पंक्ति 7, "श्रीमती मोहसिना किदवाई" के स्थान पर "श्रीमती मोहसिना किदवई" पढ़िये।

पृष्ठ 42, पंक्ति 2, "राघ बिरेन्द्र सिह" के स्थान पर "राव बीरेन्द्र सिह" पढ़िये।

पृष्ठ 48, नीचे से पंक्ति 3, पृष्ठ 49, पंक्ति 2, "स्वास्थ" के स्थान पर "स्वास्थ्य" पढ़िये।

पृष्ठ 51, पंक्ति नीचे से 2, "डा० एम० एस० संजीबी राव" के स्थान पर "डा० एम० एस० संजीवीराव" पढ़िये।

पृष्ठ 52, पंक्ति 12, "घीकी" के स्थान पर "घीमी" पढ़िये।

पृष्ठ 52, पंक्ति नीचे से 7, "डा० आर० रोधुआमा" के स्थान पर "डा० आर रोथुआमा" पढ़िये।

पृष्ठ 53, पंक्ति 4, "प्रयोजना" के स्थान पर "परियोजना" पढ़िये।

पृष्ठ 53, पंक्ति 8 तथा 12, "बाओगैस" के स्थान पर "बायोगैस" पढ़िये।

पृष्ठ 53, पंक्ति 12, "अपविष्टों" के स्थान पर "अपशिष्टों" पढ़िये।

पृष्ठ 55; पंक्ति 5, "श्री सन्त कुमार मंडल" के स्थान पर "श्री सनत कुमार मंडल पढ़िये

पृष्ठ 56, नीचे से पंक्ति 2, "पनल" के स्थान पर "पेनल" पढ़िये।

पृष्ठ 59, पंक्ति 4, अ० प्र० संख्या "2046" के स्थान पर 2056" पढ़िये।

पृष्ठ 59, पंक्ति 11, श्री योगेन्द्र मकबाना" के स्थान पर "श्री योगेन्द्र मकवाना" पढ़िये।

पृष्ठ 59, पंक्ति 14, "नूल्य" के स्थान पर "मूल्य" पढ़िये।

पृष्ठ 59, अंतिम पंक्ति, "पंचर्षीय" के स्थान पर "पंचवर्षीय" पढ़िये।

पृष्ठ 60, पंक्ति 9, "1982-82" के स्थान पर "1981-82" पढ़िये।

पृष्ठ 61, पंक्ति 1, "कमी के कृषि" के स्थान पर "कमी के कारण कृषि" पढ़िये।

पृष्ठ 61, पंक्ति नीचे से 5, "बंचित रख रखने" के स्थान पर "बंचित रखने" पढ़िये।

पृष्ठ 63, पंक्ति 8, "श्री अशोक गहलौन" के स्थान पर श्री अशोक गहलोत" पढ़िये।

पृष्ठ 65, नीचे से पंक्ति 13, "ईरान" के स्थान पर "ईराक" पढ़िये।

पृष्ठ 67, नीचे से पंक्ति 8, "18-1-33" के स्थान पर "18-1-83" पढ़िये।

पृष्ठ 69, नीचे से पंक्ति 7, "श्री एस० ए० दोराई सेबिस्तियन" के स्थान पर "श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन" पढ़िये।

पृष्ठ 73, नीचे से पंक्ति 7, "श्री मोहम्मद उस्मान आफिर के स्थान पर "श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ" पढ़िये।

पृष्ठ 74, नीचे से पंक्ति 2, "28,3/2" के स्थान पर "28372" पढ़िये।

पृष्ठ 80, नीचे से पंक्ति 15, "श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाश" के स्थान पर "श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम" पढ़िये।

पृष्ठ 88, पंक्ति 8, "अर्पाप्त" के स्थान पर "अपर्याप्त" पढ़िये।

पृष्ठ 96, नीचे से पंक्ति 2, "श्री विरदाराम कुलबारिया" के स्थान पर "श्री विरदाराम फुलवारिया" पढ़िये।

पृष्ठ 99, प्रथम पंक्ति, "दोषपूत" के स्थान पर "दोषपूर्ण" पढ़िये।

पृष्ठ 101, पंक्ति 8 अ० प्र० संख्या "2086" के स्थान पर "2089" पढ़िये।

पृष्ठ 124, पंक्ति 12, "(डिजरेशन)" के स्थान पर "(डिजेनरेशन)" पढ़िये।

पृष्ठ 134, नीचे से पंक्ति 5, "डा० कृपासिन्धु भोई" के स्थान पर "डा० कृपा सिंधु भोई" पढ़िये।

पृष्ठ 135, पंक्ति 5, "श्री अखबार अहमद" के स्थान पर "श्री अनवार अहमद" पढ़िये।

पृष्ठ 141, नीचे से पंक्ति 4, "श्री जी० एम० पुत्तेगौड़ा" के स्थान पर "श्री डी० एम० पुत्तेगौड़ा" पढ़िये।

पृष्ठ 150, पंक्ति 8, "श्री संतकुमार मन्डल" के स्थान पर 'श्री सनत कुमार मंडल" पढ़िये।

पृष्ठ 173, पंक्ति 5, "श्री के० टी० कौशल राम" के स्थान पर "श्री के० टी० कोसलराम" पढ़िये।

पृष्ठ 186, नीचे से पंक्ति 5, "प्रो० पी० जे० कुरिन" के स्थान पर "प्रो० पी० जे० कुरियन" पढ़िये।

पृष्ठ 192, पंक्ति नीचे से 6, अ० प्र० संख्या "2363" **के स्थान पर** "2163" पढ़िये ।

पृष्ठ 202, पंक्ति 5, "श्री मोहम्मद उस्मान आफिर" **के स्थान पर** "श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ" पढ़िये ।

पृष्ठ 215, पंक्ति 3, "सक्कार" **के स्थान पर** "सरकार" पढ़िये ।

पृष्ठ 248, पंक्ति 10, अ० प्र० संख्या "2195" **के स्थान पर** "2196" पढ़िये ।

पृष्ठ 266, पंक्ति 2, "श्रीमती जयन्ति पटनायक" **के स्थान पर** "श्रीमती जयन्ती पटनायक" पढ़िये ।

पृष्ठ 297, नीचे से पंक्ति 13, "श्री मोगेंद्र झा" **के स्थान पर** "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये ।

पृष्ठ 307, पंक्ति 10, श्री रामप्यारे धनिका" **के स्थान पर** "श्री राम प्यारे पनिका" पढ़िये ।

पृष्ठ 309, पंक्ति 2, "श्री राम विलास पावान" **के स्थान पर** "श्री रामविलास पासवान" पढ़िये ।

पृष्ठ 310, प्रथम पंक्ति, "श्री मगन भाई मरोट" **के स्थान पर** "श्री मगन भाई बरोट" पढ़िये ।

पृष्ठ 314, पंक्ति 3, संख्या एल० टी "8526/84" **के स्थान पर** "8529/84" पढ़िये ।

पृष्ठ 316, प्रथम पंक्ति, "विकय संबधन कर्मचारी सेवा शर्तें संशोधन विधेयक" **के स्थान पर** "विक्रय संवधन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक" पढ़िये ।

पृष्ठ 323, पंक्ति 10, "अध्यक्ष महोदय:" **के स्थान पर** "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 350, नीचे से पंक्ति 6, "आतंवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) **के स्थान पर** "आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक" पढ़िये ।

पृष्ठ 353, पंक्ति 4 और पृष्ठ 354, नीचे से पंक्ति 8, "श्री इन्द्रजीत सिंह" **के स्थान पर** "श्री इन्द्रजीत गुप्त" पढ़िये ।

पृष्ठ 373, पंक्ति 5, "प्रो० निमला कुमारी शक्तावत" **के स्थान पर** "प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत" पढ़िये ।

पृष्ठ 373, पंक्ति 23, "दालकोटा" **के स्थान पर** "दालकोला" पढ़िये ।

पृष्ठ 373, पंक्ति 26, "(अटारिया) **के स्थान पर** "(अररिया)" पढ़िये ।

पृष्ठ 382, पंक्ति 8, "श्री पट्टाभि राम राम" **के स्थान पर** "श्री पट्टाभि राम राव" पढ़िये ।

पृष्ठ 391, पंक्ति 16, पृष्ठ 393, पंक्ति 18, "श्री रामप्यारे पानिका" **के स्थान पर** "श्री राम प्यारे पनिका" पढ़िये ।

पृष्ठ 393, नीचे से पंक्ति 1, पृष्ठ 394, पंक्ति 17, "श्री पट्टाभिरामराव" **के स्थान पर** "श्री पट्टाभि राम राव" पढ़िये ।

पृष्ठ 405, नीचे से पंक्ति 6, पृष्ठ 417, पंक्ति 9 व 20, पृष्ठ 419 नीचे से पंक्ति 9 व पृष्ठ 420, पंक्ति 14, "बसन्त साठे" **के स्थान पर** "वसन्त साठे" पढ़िये ।

पृष्ठ 421, पंक्ति 2 तथा 6, " उपसभाध्यक्ष महोदय" **के स्थान पर** "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 50, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 11 सोमवार, 6 अगस्त, 1984/15 श्रावण, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—29
* तारांकित प्रश्न संख्या	208, 209 और 211 से 213	1—27
प्रश्नों के लिखित उत्तर		30—44
तारांकित प्रश्न संख्या	210, 214 से 227	30—43
अतारांकित प्रश्न संख्या	2044 से 2126, 2128 से 2166, 2168 से 2181, 2183 से 2228 और 2230 से 2241	44—304
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		311—314
राज्य सभा से संदेश		315
विकय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक		316
राज्य सभा द्वारा यथापारित		316
2 अगस्त, 1984 को मद्रास हवाई अड्डे के अन्तर्राष्ट्रीय यात्री-आगमन कक्ष में हुई बम विस्फोट की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य		316—319
श्री खुर्शीद आलम खान		316
समिति के लिए निर्वाचन		320
राजभाषा समिति		320
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित		321—326
पुर:स्थापित किये जाने का प्रस्ताव		
श्री दिगम्बर सिंह		321
श्री सतीश अग्रवाल		325
विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक —पुर:स्थापित		327
श्री जनार्दन पुजारी		327
विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण		328
श्री जनार्दन पुजारी		328

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुर:स्थापित	329—349
पुर:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव	
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	329
श्री चित्त बसु	329
श्री इन्द्रजीत गुप्त	332
प्रो० रूप चन्द पाल	334
श्री राम विलास पासवान	334
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	335
श्री हरिकेश बहादुर	336
श्री सतीश अग्रवाल	339
श्री सोमनाथ चटर्जी	340
प्रो० मधु दंडवते	343
श्री एन० के० शेजवलकर	346
श्री पी० वी० नरसिंह राव	347
राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	350
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा	350
आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक—पुर:स्थापित	350—371
पुर:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव	
श्री पी० वी० नरसिंह राव	350
श्री चित्त बसु	350
श्री इन्द्रजीत गुप्त	352
श्री राम विलास पासवान	357
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	359
प्रो० मधु दंडवते	360
श्री हरिकेश बहादुर	364
प्रो० रूप चन्द पाल	365
श्री सोमनाथ चटर्जी	366
श्री सुनील मैत्रा	369
श्री सतीश अग्रवाल	370

विषय	पृष्ठ
आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश के बारे में विवरण	372
श्री पी० वी० नरसिंह राव	372
नियम 377 के अधीन मामले	373—376
(एक) चेतक एक्सप्रेस में डीजल इंजन लगाकर उसकी गति बढ़ाने तथा दिल्ली और उदयपुर के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चालू करने की आवश्यकता	373
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	373
(दो) पूर्णिया, किशनगंज और दालकोला (बिहार) स्थित एन० एच० पी० सी० के तीन उप-केन्द्रों/उप-एककों का नियंत्रण मालदा एकक के प्रबन्धक के नियन्त्रणाधीन रखने के निर्णय पर पुन-विचार करने की आवश्यकता	373
श्री डूमर लाल बैठा	373
(तीन) मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में राष्ट्रीय-कृत बैंकों की ओर शाखाएं खोलने की आवश्यकता	374
श्री प्रताप भानु शर्मा	374
(चार) भेषजी अधिनियम की धारा 42 को लागू करने के प्रस्ताव पर देश भर में हुई औषध विक्रेताओं की हड़ताल	375
श्री रतन सिंह राजदा	375
(पांच) डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स के प्रबन्धकों द्वारा संविदागत श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन	376
श्री जगदीश टाईटलर	376
(छः) जौनपुर से बम्बई और कलकत्ता तक यात्रा के लिए सीधे जाने वाले डिब्बे जोड़ने और लखनऊ से फैजाबाद और जौनपुर होकर वाराणसी तक और अधिक रेल गाड़ियां चलाने की आवश्यकता	376
डा० ए० यू० आजमी	376
हुगली डाकिंग एंड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में संविधिक संकल्प	377
तथा	
हुगली डाकिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक	377—400
विचार किए जाने का प्रस्ताव	
श्री एन० के० शेजवलकर	378

विषय	पृष्ठ
श्री पट्टाभिराम राव	382
श्री नारायण चौबे	382
श्री गिरधारी लाल व्यास	383
श्री जेवियर अराकल	387
प्रो० रूप चन्द पाल	389
श्री राम प्यारे पनिका	391
खण्ड 2 से 33 तथा ।	
पारित किए जाने का प्रस्ताव	
श्री पट्टाभिराम राव	394
बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक	401—420
विचार किए जाने का प्रस्ताव	
श्री बसन्त साठे	401
श्री सुनील मैत्रा	403
श्री गिरधारी लाल व्यास	407
श्री राजेश कुमार सिंह	410
श्री मूलचन्द डागा	411
श्री नारायण चौबे	413
श्री सत्यनारायण जटिया	415
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	416
खण्ड 2 से 32 तथा ।	
पारित किए जाने का प्रस्ताव	
श्री बसन्त साठे	417
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक	421—422
विचार किए जाने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	421
प्रो० रूप चन्द पाल	423
सदस्य की गिरफ्तारी और उसे जेल में रखा जाना	423
श्री कृष्ण कुमार गोयल	424
कार्य मंत्रणा समिति	424
पैंसठवां प्रतिवेदन	424

लोक सभा

सोमवार, 6 अगस्त, 1984/15 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा म० प० 11.05 पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : आज तो बड़ी मुश्किल हो गई।

श्री रामविलास पासवान : हम लोग ही तो कोरम पूरा करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : सत्तारूढ़ दल ने चुनाव महीना घोषित कर दिया है, इसलिए वे सब अपने निर्वाचन क्षेत्रों को चले गये हैं···

(व्यवधान)

श्री एम० एम० लारेंस : अध्यक्ष महोदय, 39 वर्ष पूर्व आज के दिन हिरोशिमा और नागासाकी संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा छोड़े गए परमाणु बम के शिकार हुए थे और उसके कारण लाखों लोगों की जानें गई थी। मेरा अनुरोध है कि उनकी याद में सभा दो मिनट का मौन धारण करे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। ऐसा केवल कार्य मंत्रणा समिति ही कर सकती है। सारी सभा उसका निर्णय लेगी। सभी दल और ग्रुप इसका निर्णय करें तभी ऐसा किया जा सकता है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंजाब में कृषि कार्यों का निष्पादन

*208. **प्रो० मधु दंडवते**† :

श्री आर० एन० राकेश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में हाल के संकट से राज्य में कृषि कार्यों के निष्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में किसानों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है; और

(ग) पंजाब में कृषि कार्यों के निष्पादन में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) अशांत स्थितियों के कारण पंजाब के किसानों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों के बावजूद राज्य में वर्ष 1983-84 के दौरान आम रूप से कृषि निष्पादन पहले की अपेक्षा बेहतर रहा है।

(ग) इस वर्ष खरीफ की अच्छी फसल लेने के लिए पंजाब के किसानों की सहायता करने की दृष्टि से राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा विवरण में दिए गए कदम उठाए गए हैं। यह विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1984 के दौरान खरीफ कार्यकलापों में पंजाब के किसानों की सहायता करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) भारत सरकार और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक दीर्घावधि ऋण की वसूली अवधि को 31 दिसम्बर, 1984 तक तथा अल्पावधि ऋण की वसूली अवधि को 30 सितम्बर, 1984 तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। इसको, अगर आवश्यक हुआ, और अधिक बढ़ाया जा सकता है। इससे सहकारी बैंकों को बकाया राशि के कारण अयोग्य घोषित किये बिना चालू मौसम के लिए ऋण देने में सहायता मिलेगी।

(2) भारत सरकार और नाबार्ड ने इस बात पर सहमति दी है कि दोषी किसानों जो अशांत स्थितियों के कारण पूर्व ऋण का भुगतान नहीं कर सके, को उनके लिए निश्चित की गई अधिकतम ऋण सीमा के अन्दर खरीफ के लिए और अधिक ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा ऋण जिन्स के रूप में दिया जाएगा।

(3) नाबार्ड ने राज्य सरकार द्वारा मांगे गए 122.5 करोड़ रु० की पूर्ण ऋण सीमा को मन्जूर करने की सहमति दी है और अधिक ऋण की आवश्यकता होती है, तो उसके मांगे जाने पर, इस पर भी विचार किया जाएगा।

(4) उनकी विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से सीमावर्ती जिलों—फिरोजपुर, अमृतसर, गुरुदासपुर के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को केन्द्र सरकार द्वारा 'गैर वकाया संरक्षण'

सहायता दी जाएगी, जो सामान्य रूप से गरीब राज्यों तथा विशेष क्षेत्रों के सहकारी बैंकों को दी जाती है ।

(5) उन किसानों, जिनकी कपास की फसल को गत वर्ष क्षति हुई थी, के संबंध में अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में बदलने के लिए पंजाब सरकार को 1.93 करोड़ रुपए की राहत सम्बन्धी सहायता दी गई है । इससे राज्य सहकारी बैंक की नकदी में सुधार होगा ।

(6) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब में कार्य कर रहे वाणिज्यिक बैंकों को सुझाव दिया जा रहा है कि वे अल्पावधि कृषि ऋण के रूप में अपने अग्रिमों को बढ़ाएं ।

(7) राज्य भूमि बन्धक बैंक से ऋण के प्रवाह वसूली में सुधार करने के लिए 30 जून, 1983 को दर्शाने वाली उनकी वसूलियों को ध्यान में रखा जायेगा, जब कि वसूली 90 प्रतिशत थी, न कि 30 जून, 1984 को दर्शाने वाली वसूलियों को ध्यान में रखा जायेगा ।

(8) नाबार्ड पंजाब भूमि बन्धक बैंक के अगले 3 महीनों के लिए ऋण देने के कार्यक्रम में सहायता करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का अन्तरिम वित्त प्रदान करेगा ।

(9) चूंकि राज्य सरकार के पास पंजाब भूमि बन्धक बैंक के लिए ऋण पत्र अंशदान हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं है इसलिए नाबार्ड और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के 5 प्रतिशत अन्शदान के लिये बिना इन्तजार किये हुए अपने-अपने अन्शदान के शेयर देने के लिये सहमत हो गए हैं । ये शेयर भूमि विकास बैंक के कुल अन्शदान का 95 प्रतिशत है ।

(10) नाबार्ड अन्श पूंजी के माध्यम से बैंक को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से पंजाब भूमि बन्धक बैंक के पक्ष में 75 प्रतिशत बसूली की शर्त में ढील देने के लिए भी राजी हो गया है ।

(इस भारी ऋण सहायता के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि इस वर्ष खरीफ के लिए अल्पावधि सहकारी ऋण सहायता 160 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जबकि पिछले वर्ष यह 143 करोड़ रुपए थी । और पिछले वर्ष 44 करोड़ रुपए के दीर्घावधि ऋणों की तुलना में इस वर्ष यह बढ़कर 56 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी) ।

(11) पंजाब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1984-85 के दौरान टैरिफ

(दर सूची) के स्तर में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी और यहां तक की कोयले की कीमतों में 25 प्रतिशत की वृद्धि जिसे फरवरी, 1984 से ईंधन में 12 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार लगाकर अन्य क्षेत्रों पर डाल दिया गया है, को भी कृषि क्षेत्र पर नहीं डाला जायेगा ।

(12) सेवा करानुसान व्ययों के सम्बन्ध में पंजाब सरकार ने तय किया है कि इसे घटा कर केन्द्रीय क्षेत्रों में 2000 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए तथा सामान्य क्षेत्रों में 3000 के स्थान पर 2000 रुपये कर दिया जायेगा ।

(13) पंजाब सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि भारत सरकार द्वारा घोषित धान के खरीद मूल्यों में हुई वृद्धि के अतिरिक्त वे 1984 खरीफ मौसम में सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली धान की सभी किस्मों के सम्बन्ध में पंजाब के किसानों को विशेष मामले के रूप में प्रति क्विंटल 3 रुपए की दर से अतिरिक्त राशि प्रदान करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आशा यह की जाती है कि मंत्री महोदय जब प्रश्न के विभिन्न भागों का उत्तर देते हैं, तब विभिन्न भागों के उत्तरों में आपस में विरोधाभास नहीं होना चाहिए । सर्व प्रथम, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि प्रश्न के भाग (क) और भाग (ख) के उनके उत्तर में जो विवरण सभा पटल पर रखा गया उनमें स्पष्ट रूप से आपस में विरोध नहीं है । आपके सूचनार्थ, मैं कह सकता हूं कि भाग (क) में उन्होंने कहा है कि वर्ष 1983-84 के दौरान पंजाब में आमतौर पर कृषि निष्पादन पहले की अपेक्षा बेहतर रहा है । महोदय, आप सन्तुष्ट हो सकते हैं, किन्तु मैं नहीं । तदन्तर प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उन्होंने सभा पटल पर एक विवरण रखा है और विवरण के अनेक अन्शों से यह संकेत मिलता है कि पंजाब में स्थिति पूर्णत: ठीक नहीं रही है, वास्तव में, आर्थिक स्थिति खराब है और कृषि की स्थिति बहुत ही खराब है, और यही कारण है कि किसानों की कठिनाइयां दूर करने के लिए उन लोगों से कुछ उपाय करने को कहा गया है । उदाहरण के तौर पर विवरण में कहा गया है :

> भारत सरकार और नाबार्ड ने इस बात पर सहमति दी है कि दोषी किसानों जो अशांत स्थितियों के कारण पूर्व ऋण का भुगतान नहीं कर सके, को उनके लिए निश्चित की गई अधिकतम ऋण सीमा के अन्दर खरीफ के लिए और अधिक ऋण लेने की अनुमति दी जायेगी । ऐसा ऋण जिन्स के रूप में दिया जायेगा ।"

निश्चित रूप से मैं इससे सहमत हूं कि दोषी किसानों की स्थिति इतनी खराब होने के कारण ही, यह सुविधा दी जा रही है । तदन्तर पैरा 5 में यह उल्लिखित है :

"उन किसानों, जिनकी कपास की फसल की गत वर्ष क्षति हुई थी, के संबंध में अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में बदलने के लिए पंजाब सरकार को 1·93 करोड़ रुपये की राहत संबंधी सहायता दी गई है। इससे राज्य सहकारी-बैंक की नकदी में सुधार होगा।"

यहां, पुन: इस बात का उल्लेख किया गया है "चूंकि कृषि को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ये सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

तदन्तर पैरा सं० 10 में कहा गया है कि :

"नाबार्ड अंश के माध्यम से बैंक को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से पंजाब भूमि बन्धक बैंक के पक्ष में 75 प्रतिशत वसूली की शर्त में ढील देने के लिए भी राजी हो गया है।"

इससे पुन: पता चलता है कि स्थिति खराब है।

इसके बाद पैरा 11 में कहा गया है कि :

"पंजाब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1984-85 के दौरान टैरिफ (दर सूची) के स्तर में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी और यहां तक कि कोयले की कीमतों में 25 प्रतिशत की वृद्धि जिसे फरवरी, 1984 से ईंधन में 12 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार लगाकर अन्य क्षेत्रों पर डाल दिया गया है, को भी कृषि क्षेत्र पर नहीं डाला जाएगा।"

इसका कारण यह है कि स्थिति खराब है। अन्त में पैरा 13 में यह कहा गया है :

"पंजाब सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि भारत सरकार द्वारा घोषित धान के खरीद मूल्यों में हुई वृद्धि के अतिरिक्त वे 1984 खरीफ मौसम में सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली धान की सभी किस्मों के सम्बन्ध में पंजाब के किसानों को विशेष मामले के रूप में प्रति क्विंटल 3 रुपये की दर से अतिरिक्त राशि प्रदान करेंगे :

चूंकि खरीद कम हुई है, इसलिए आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं। कोई हर्ज नहीं है। आपने ठीक कदम उठाया है। किन्तु इन सब बातों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्थिति खराब है। भाग्यवश आप केवल अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि एक किसान भी हैं और इसीलिए, आप यह महसूस करेंगे कि सभा पटल पर रखे गए उनके विवरण में दिए गए इन उत्तरों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्थिति अच्छी नहीं है। सम्भवत: आंकड़ों में कुछ हेरा-फेरी करके

आप यह दर्शा सकते हैं कि उत्पादन गत वर्ष की उपेक्षा कुछ बेहतर है किन्तु महोदय, कृषि अर्थ व्यवस्था के विशेषज्ञ होने के नाते आप जानते हैं कि मौसम विशेष के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और निष्पादन इस बात से आंका जा सकता है कि वे लक्ष्य पूरे हुए हैं अथवा नहीं, न कि इस बात से तुलना की जाती है कि गत समय में क्या हुआ था ; इसलिए क्या यह सच नहीं है कि उपद्रवों के कारण कृषि निष्पादन वास्तव में खराब रहा है और किसानों की कठिनाइयां अधिक बढ़ गई हैं ?

किसानों की स्थिति सुधारने के लिए आपने जो ठीक कदम उठाए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और इसलिए क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि भाग (क) में आपने जिस बात को वास्तव में छिपाया है वह विवरण में प्रकट हो गई है ? अतः विवरण त्रुटिपूर्ण है और निष्पादन खराब ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नही हुई हूं । निष्पादन का निर्णय केवल उत्पादन के आधार पर ही नहीं किया जा सकता है, और हमने किसानों को जो कुछ भी दिया है उसका कारण यह है कि आन्दोलन परिवहन तथा अन्य बातों के कारण पंजाब के किसान परेशान थे । माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वह उत्पादन आंकड़ों पर ध्यान दें । 1983-84 के लिए 1478·2 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि उत्पादन 1477 लाख टन हुआ था । इससे पहले वर्ष में उत्पादन 1417 लाख टन था, अतः उत्पादन बढ़ा है, न कि घटा है । उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ा ही है, गिरा नहीं है ।

जहां तक खरीद का प्रश्न है, 28-7-1984 तक 82.01 लाख टन खरीद हो चुकी है जबकि गत वर्ष 83.96 लाख टन की खरीद हुई थी । इसमें अच्छी प्रगति है और खरीद ठीक है ।

बात केवल इतनी सी है कि उपद्रव होने के कारण हम लोगों ने किसानों को कुछ रियायतें दी है जिससे कि आगामी फसल में वे लोग उत्पादन की रफ्तार बनाये रखें ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न केरल और पंजाब सरकार के बीच कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के व्यापार के सम्बन्ध में है । केरल सरकार ने बार-बार यह घोषणा की है कि पंजाब से प्राप्त होने वाली रुई पर आश्रित उनका हथकरघा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उसका कारण केरल सरकार ने यह बताया है कि पंजाब में स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए उनको पंजाब से पर्याप्त मात्रा में रुई नहीं मिल रही है । उनका कथन अभिलिखित है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यही स्थिति है और क्या केरल सरकार ने स्थिति के बारे में ठीक ही कहा है अथवा नहीं ? इसका मतलब यह है कि पंजाब में रुई की स्थिति खराब है और उसके परिणामस्वरूप केरल को पर्याप्त रुई नहीं प्राप्त हो रही है और हथकरघा उद्योग संकट में है।

इसके अलावा क्या यह सच नहीं कि बिजली की सप्लाई की कमी के कारण किसानों को भारी कष्ट हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हाल ही में भाखड़ा नहर में दरार पड़ जाने के कारण परेशानी और बढ़ी है और क्या आप इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः सचेत हैं कि कृषि उत्पादन को और अधिक क्षति न हो और कृषकों की जरूरतों की अन्य सुविधाओं पर बुरा असर न पड़े।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे यह नहीं मालूम कि केरल सरकार ने पंजाब सरकार को क्या लिखा है। किन्तु यह सच है कि गोल कृषि के कारण रुई को नुकसान हुआ है और रुई का उत्पादन कम हुआ है। आंदोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक बिजली सम्बन्ध है, देश भर में बिजली की कमी है। और हमने राज्य सरकारों को बार-बार इस बात के लिए सलाह दी है कि किसानों को पर्याप्त बिजली दी जानी चाहिए।

हाल ही में हमने जो निवेश (इनपुट) पखवाड़ा मनाया है, उसमें भी हमने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाए और यदि आवश्यक हो तो वे उद्योगों से बिजली काटकर उन्हें दे सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : भाखड़ा के बारे में आप क्या कहते हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जहां तक मुख्य भाखड़ा नहर को काटे जाने से हुई क्षति का सम्बन्ध है, सर्वाधिक नुकसान हरियाणा क्षेत्रों को हुआ है और हमने हरियाणा सरकार को क्षति का अनुमान लगाने और विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। हम यह भी देखेंगे कि पंजाब के किसानों की सहायता करने के लिए क्या किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उसमें लगभग 70-80 गांव पंजाब के भी आते है।

राव वीरेन्द्र सिंह : नहर कटने से पंजाब के क्षेत्रों को भी नुकसान उठाना पड़ा है।

श्री सतीश अग्रवाल : राजस्थान की क्या स्थिति है ?

श्री भीम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ इलाके राजस्थान के भी आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : राजस्थान के भी आते हैं।

श्री भीम सिंह : राजस्थान को तो ये भूल गए।

अध्यक्ष महोदय : हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों एक लड़ी सी जुड़ी हुई है।

आपने कौटन ग्रोअर्स को कुछ मुआवजा दिलवाया था, जिसमें से कुछ बाकी रह गया था, मुझे कल कह रहे थे कि वह भी दिलवाया जाए।

स्पैरो जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री आर० एस० स्पैरो : माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है वह दरार के कारण हुई क्षति के बारे में है, जिसका कुछ देर पहले माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी उल्लेख किया था दूसरा मुद्दा यह है कि (1) बाढ़ आ जाने तथा (2) सिंचाई के कारण काफी क्षति हुई है।

मैं विशेष रूप से पंजाब के बारे में जानना चाहता हूं कि कितनी क्षति हुई है। 28 जुलाई, 1984 के 'ट्रिब्यून' में कुछ समाचार आया था। क्षति कितनी हुई है और उत्तेजित किसानों तथा उनके फसल के आधार पर साझे पर काम करने वाले कृषि श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : पंजाब में नहर कटने से हुई क्षति के सम्बन्ध में हमें कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

एक माननीय सदस्य : सैंकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : वे कुछ समय के लिए बाढ़ आ जाने के कारण प्रभावित होंगे। जहां कहीं भी दरार पड़ीं, अधिकतर पानी बहकर नदियों में चला गया, तथा गांवों में भी कुछ बाढ़ आई थी।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या आपको राजस्थान से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : राजस्थान के क्षेत्रों को भी भाखड़ा से कुछ सिंचाई का पानी मिलता है, राजस्थान के क्षेत्रों में भाखड़ा मुख्य नहर से बहुत कम सिंचाई होती हैं, और इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा क्षति हुई है ।

गोवध पर प्रतिबंध

*309. **श्री सत्यनारायण जटिया** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौ और गोवंश-वध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) किन-किन राज्यों में उक्त प्रतिबंध लगा दिया गया है और किन-किन राज्यों में यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में यह प्रतिबन्ध लगाया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पशुओं की सुरक्षा का विषय एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य के विधान मंडलों को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है । तदनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों ने गाय तथा इसकी संतति के वध के रोकने के संबंध में उपयुक्त कानून बनाए हुए हैं ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल में गाय तथा इसकी संतति के वध को रोकने के सम्बन्ध में कानून बने हुए हैं। मेघालय, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा में ऐसे कानून नहीं हैं।

(ग) पांच संघ राज्य क्षेत्रों में गाय तथा इसकी संतति के वध को रोकने के लिए कानून बने हुए हैं। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित आहार प्रवृत्ति तथा लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं की वजह से ऐसे कोई कानून नहीं है ।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कहा गया है गांवों पातर: सर्वभूतानाम् । गोपाल कृष्ण की संस्कृति का यह देश गांवों का है, गांवों का आर्थिक विकास कृषि पर निर्भर है और कृषि गोवंश संरक्षण और संवर्धन पर निर्भर करती है। हमारे देश की विकास गति कहने के लिए तो मैकेनाइज्ड हो गईहै किंतु गांवों का विकास मुख्यत: कृषि पर

निर्भर होता है। वहां पर गौवंश संरक्षण और संवर्धन महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए महात्मा गांधी आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा है कि वह गांवों का देश है और इस आधार पर उन्होंने गौवध को निषिद्ध करने के लिए बार-बार कहा है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बताया गया है जिन-जिन प्रदेशों में इसको प्रतिबन्धित किया गया है इस सारी बात को लेकर इस विषय को संविधान समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को क्या आपत्ति है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष जी, मेरे साथी ने बताया कि किन-किन राज्यों में कानून बना दिए गए हैं। हमारे संविधान में यह स्टेट सबजेक्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर्स ही इसके सम्बन्ध में कानून बना सकती हैं। लेकिन उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता होगा कि जनता सरकार जब यहां थी तो कोशिश हुई इसकी कानकरेंट लिस्ट में लाने के लिए, और लोक सभा में अपेंडिंग बिल भी पेश हुआ 1979 में, और जनता सरकार ने कई साल राज किया लेकिन इस कानून को पास नहीं कर सके, संविधान में तबदीली नहीं करा सके। आप अब कहते हैं हमसे कि क्यों नहीं तबदीली कराई जा रही है.....

प्रो० मधु दण्डवते : गऊ स्लाटर से पहले हमारा स्लाटर हो गया।

राव वीरेन्द्र सिंह : हम अपना स्लाटर उसी तरह नहीं कराना चाहते।

श्री सत्यनारायण जटिया : गौ, यह कैसी विडम्बना है हत्या होती रहे लेकिन इनकी सरकार जिन्दा रहे।

राव वीरेन्द्र सिंह : हमने बार-बार जोर दिया है कि जो कानून बने हुए हैं उनको पूरी तरह से लागू किया जाए। प्रधानमंत्री इस बारे में चिट्ठी लिख चुकी हैं, मैंने भी 3 बार चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठियां लिखी हैं और मुख्य मंत्रियों ने तवज्जह भी दी है। लेकिन ज्यादातर जितने कानून बने हैं उनमें कुछ छूट है कि 14, 15 साल की उम्र का कोई इनवैलिड बैल हो तो उसको काटा जा सकता है। हो सकता है कि कहीं-कहीं इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा हो। लेकिन गौ मांस के एक्सपोर्ट पर पूरा बैन है। यहां कंजम्पशन के लिए कहीं-कहीं वध होता है। ज्यादातर स्टेट्सने जो कानून बनाया है उसमें गऊ के काटने पर पाबन्दी है, लेकिन बुल को काटने के लिए उम्र के लिहाज से 14, 15 साल के बाद बूढ़े, इनवैलिड बैल के लिए परमीशन है। उसमें जो गलत फायदा उठाया जाता है काटने के लिए, कानून में कुछ रास्ता निकाल कर उसको हम बन्द करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं।

कुछ राज्यों ने बहुत ही इफेक्टिव कदम उठाए हैं, आपको ताज्जुब होगा जान कर कि सब से अच्छा कानून इस मामले में जम्मू-कश्मीर का है जहां कतई पाबन्दी है गौवंश के वध पर। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में पूरी-पूरी पाबंदी है। यह पुराना जम्मू-कश्मीर का रनबीर पीनल कोड है जिसके तहत पाबंदी लगा दी गई थी जम्मू-कश्मीर में....

इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ने जो कानून बनाया है, उसमें पूरा पाबन्दी है, सिवाय इसके कि मर्सीफिलिंग की जाए या रिसर्च के लिए कोई दूसरी चीज हो। इन तीन स्टेट्स ने तो बहुत ही मुकम्मिल पाबन्दी लगाई है और वहां पर अमल भी हो रहा है। सारी स्टेट्स को हम कहते रहते हैं कि जहां तक हो सके जो कानून बनाया हुआ है, उस पर अमल करा जाए।

श्री सत्य नारायण जटिया : पहले वाली सरकार ने प्रतिबन्ध नहीं लगाया तो यह सरकार भी नहीं लगायेगी, यह सरकार लगायेगी तो उसका भी कोई ठिकाना रहेगा, यह तो विचारणीय प्रश्न है।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह तो मैंने श्री मधु दंडवते जी के जवाब में मजाक में कहा था, आप सीरियसली न समझें।

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं केवल इस बात पर सीरियस हूं कि गौवंश का संवर्धन और रक्षण हो सके। बाकी अन्य बात जो आपने कही है, उसे जिस प्रकार आपने कहा है, उसी प्रकार समझ लिया है।

श्री सतीश अग्रवाल : 6 महीने बाद टिकट कटेंगे तो वह भी स्लौटर ही हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए पहले ही कानून बना लें।

श्री सतीश अग्रवाल : हम उसमें आते नहीं, बड़े-बूढ़ों की बात है। राबत साहब ने बूढ़ों-बूढ़ों की बात कही है।

श्री सत्य नारायण जटिया : मंत्री महोदय ने जो कहा है कि कुछ प्रदेशों ने पाबन्दी लगाई है, यह ठीक है, किन्तु समूचे देश में यह बात कैसे हो सकेगी ? इसके लिए प्रभावी उपाय करें, केवल कहा है तो कहने में और उपाय करने में अन्तर होता है। मैं समझता हूं कि सरकार इसके बारे में निर्णय करेगी ?

(व्यवधान)

यह विषय जितना गम्भीर है, इसको सब जानते हैं। इसके बारे में जो चिन्ता व्यक्त की है, निश्चित रूप से सरकार मन से करना चाहे तो यह हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछिये कि इन तीनों स्टेट्स का अनुकरण क्यों नहीं करते ? यह हो जाये तो सवाल मुक जाए ।

श्री सत्य नारायण जटिया : जो तीन प्रदेश ने किया है, यह हमारे लिए गौरव की बात है । जम्मू-काश्मीर स्टेट ने इस मसले को गम्भीरता से लिया है तो सारा देश क्यों नहीं ले सकता है ? लागू क्यों नहीं हो सकता है ? यह कानून के माध्यम से लागू होगा । यदि सरकार कानून नहीं बना सकती है तो मैं समझता हूं कि इसके पालन में कठिनाई होगी । सारी बात मनवाने के लिए और प्रधान मंत्री से मिलने के लिए गोरक्षा समिति ने समय मांगा था, मैं जानना चाहता हूं कि वह मिला है या नहीं ? इसके बारे में जानकारी दें और बतायें कि कितने लोगों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने तीन स्टेट्स का नाम लेकर उनकी तारीफ की है, उसका मकसद यही था कि दूसरी स्टेट्स का भी उत्साह बढ़े, कुछ एजूकेशन हो, लोगों की समझ में बात आए । इसलिए सरकार की मंशा तो साफ जाहिर हो गई है कि हम चाहते हैं, जो बात आप चाहते हैं, लेकिन समझने और समझाने की बात है ।

श्री सत्य नारायण जटिया : यहां नीति और नियत में फर्क है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह कांस्टीट्यूशन अमैंडमैंट की बात है, इसको अमैंड करना कोई सहज बात नहीं है, इसका तजुर्बा आप अपने राज्य के समय कर चुके हैं ।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : मेरे परिवार का नाम इसलिए आया कि मेरे एक पूर्वज ने एक गाय का वध होने से बचाया था । इसलिए, मैं सोचता हूं कि मुझे एक प्रश्न पूछने का वैध अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : हम उस अधिकार को स्वीकार करते हैं ।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : देखिए, मैं गोवध के पूर्णतया विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जनता की भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकारें अपना कर्त्तव्य ठीक से नहीं निभा रही हैं और परिणामस्वरूप अच्छे, स्वस्थ पशुओं का वध किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही तो उत्तर दिया है ।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : इस कारण से पशुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं । क्या मांस के लिए पशुओं के प्रजनन की कोई परियोजना सरकार चला रही है या विचाराधीन है ताकि अच्छे पशुओं का वध न हो ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, इसका उत्तर वह पहले ही पहले ही दे चुके हैं ।

श्री भीम सिंह : अभी माननीय मन्त्री ने अपने जवाब में बताया कि गाय का कोई मांस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अपने कंट्री में सबसे बड़ा बूचड़खाना देवनार का है, वहां जो बैल और गाय काटते हैं, उनके मांस का आप क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया में तो खाते नहीं, फिर आप उसका क्या करते हैं ?

दूसरे आपने कहा कि स्टेट्स का कन्ट्रोल है, हमारा कंट्रोल नहीं है। पिछली बार बजट के पहले मैंने अमैंडमैंट दी थी कि देवनार के बूचड़खाने के लिए बहुत बड़ी धनराशि आपने बजट में प्रोवाइड की है। मैंने कहा था कि आप अगर यह एश्योरेंस दें कि वहां गाय नहीं कटेगी तो मैं अपना कटमोशन बिद-ड्रा करता हूं। आप जो फाइनेन्स वहां दे रहे हैं, उस पर तो कोई चैक लगाइये, सैंटर से और पैसा तो मत दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महाराष्ट्र में गाय के काटने पर बैन है, इसलिए देवनार में गायों को काटने का प्रश्न नहीं उठता है। भैंस के मांस को भी बीफ कहते हैं।

श्री भीम सिंह : मैं गाय की बात कह रहा हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : गाय का मांस एक्सपोर्ट नहीं होता है, जैसा कि मेरे सीनियर साथी ने कहा है। एक्सपोर्ट-इमपोर्ट के मामलों को कामर्स मिनिस्ट्री तय करती है। उसने बताया है कि गाय के मांस को एक्सपोर्ट करने पर टोटल बैन है। इसलिए उसको एक्सपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता है। यह सही है कि भैंस के मीट का एक्सपोर्ट होता है, जिसको कार्न्ड बीफ कहा जाता है। (**व्यवधान**)

नारियल की फसल के लिए राज-सहायता

*211. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तिलहनों की फसलों के लिए उदारतापूर्वक राज सहायता देती है ;

(ख) क्या नारियल बागानों के लिए यह राज-सहायता नहीं दी जाती है ;

(ग) क्या नारियल को तिलहनों की श्रेणी में शामिल किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो नारियल के बागानों के लिए राज-सहायता न देने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) नारियल के बागानों के लिए राज-सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) तिलहन और नारियल विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तिलहन फसलों और नारियल फसलों के लिए उदार राज सहायता उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) नारियल विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की गई नारियल विकास योजनाओं के अन्तर्गत नारियल बागानों हेतु राज सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय मंत्री बड़ी चतुराई से मेरे प्रश्न को टाल गए हैं। मेरे प्रश्न का प्रथम भाग यह था कि जब नारियल एक तिलहन है तो सरकार इसे अन्य तिलहनों को क्यों दी जा रही उदार राज-सहायता क्यों नहीं देती ? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि तिलहनी फसलों तथा नारियल फसलों को उदार राज-सहायता उपलब्ध है।

इसी सदन में कुछ समय पहले मंत्री ने एक उत्तर दिया है कि छठी योजना अवधि में नारियल विकास पर, जिसमें नए क्षेत्रों में कृषि, शोध कार्य, बिपणन शामिल है, कुल खर्च केवल 456 लाख रुपया किया गया है। इसी सामान्य सदन में कृषि मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह आंकड़ा दिया था, जबकि यह नोट करने की बात है कि एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वयं कहा है कि नारियल के गोलों की कुल वार्षिक हानि 50 करोड़ गोले हैं। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात भी इसी सदन में कही गई थी। एक नारियल की औसत कीमत 31 रुपए है। दिल्ली में यह 51 रुपए है। मैं वह कीमत बता रहा हूं जो किसान को मिल रही है। यदि मैं 31 रुपए कीमत भी लूं तो इस हिसाब से क्षति 150 करोड़ रुपए बैठती है। इसी सदन में आपने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा है कि नारियल का उत्पादन 1980-81 में 1,74,00 टन से घटकर 1982-83 में 1,6,7,000 टन रह गया है। दो वर्ष के भीतर इतना उत्पादन गिरा है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं आपने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा है कि कुल खर्च 456 लाख रुपए है। यदि उदार राज-सहायता दी जाए तो खर्च इतना कम कैसे हो सकता है ? तिलहन विकास प्रधानमंत्री के बीस-सूत्रीय कार्यक्रम की एक मद है। इसके लिए हमारा आयात बिल एक हजार करोड़ रुपए से अधिक है। पैट्रोलियम पदार्थों के बाद अधिक मात्रा में आयात खाद्य तेलों का होता है और उस पर हम विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम की एक मद है, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को देखकर मुझे निराशा हुई है। क्या आपको तेल का उत्पादन,

विशेषकर नारियल उत्पादन बढ़ाने की विशेष आवश्यकता और महत्व का एहसास है ? यदि हां, क्या आपके मंत्रालय के पास इस बारे में कोई विशेष योजनाएं हैं ? यह आपने नारियल बोर्ड को आवंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि की है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब मैं यह कहता हूं कि उदार राज-सहायता दी जा रही है। तो इसका अर्थ है कि वास्तव में उदारता से राज-सहायता दी जा रही है। उनके सन्देहों को दूर करने के लिए मैं सभी ब्यौरे देना चाहूंगा।

ऐसी कई स्कीमें हैं जिनके अन्तर्गत नारियल उत्पादकों को राज-सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि केरल में मूल मुरझान से ग्रस्त नारियल के पौधों को उखाड़ना नारियल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार तथा प्रदर्शन पौधे आदि। छठी योजना में 1457.33 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस राशि में से 49 लाख रुपए 1983-84 में सूखे के लिए दिए गए हैं।

(व्यवधान)

इसके अतिरिक्त, एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अन्तर्गय, 420 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आपके पास नारियल की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोई योजना है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमारे पास आठ स्कीमें हैं। धन राशि आवंटन का ब्यौरा में दे चुका हूं। यदि आप चाहें तो मैं सभी स्कीमों का ब्यौरा दे सकता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपने 23 जुलाई को इस सदन में ऐसे ही एक प्रश्न का उत्तर दिया था और उसकी एक प्रति मेरे पास है। इसलिए, हमें उस पर तहस नहीं करनी चाहिए। क्या केरल सरकार ने नारियल के उत्पादन को बढ़ाने से सम्बन्धित कोई स्कीम आपके पास भेजी है ?

जहां तक मुझे जानकारी है, उन्होंने दो स्कीमें भेजी हैं—एक है वृहत्त नारियल विकास कार्यक्रम जिसमें 50 प्रतिशत राज-सहायता मांगी गई है, और दूसरी है 50 प्रतिशत राज-सहायता के लिए पैकेज कार्यक्रम जिसे आपने 1982-83 तक के लिए मंजूरी दी थी। क्या आपका मालूम है कि ये दोनों स्कीमें आपके पास स्वीकृति के लिए लम्बित हैं ?

यदि हां, तो इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ? क्या आप इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा है कि एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अन्तर्गत चालू वर्ष के लिए 45·41 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

श्री ए० के० नालन : विषाणु रोग के फैलने के कारण बड़े पैमाने पर नारियल के पेड़ों को काटा जा रहा है और उनके स्थान पर नये पौधे लगाए जा रहे हैं। लेकिन, पुराने पेड़ों को हटाने तथा नए पेड़ों को पुनः आरोपित करने के लिए दी गई धन-राशि बहुत थोड़ी है। क्या इस सम्बन्ध में केरल सरकार ने कोई अनुरोध भेजा है ? यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य को पिछले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि इस स्कीम के लिए भी धन-राशि आवंटित की गई है।

सिंचाई परियोजनाओं के फलस्वरूप जलमग्न होने वाली वन भूमि

*212. **श्री ए० के० राय** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि देश को विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के फलस्वरूप अब तक जलमग्न हो गई वन भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यो का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वन भूमि को बचाने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) व (ख) देश में 1950-51 से लगभग 0·505 मिलियन हेक्टार वन भूमि सिंचाई और पन बिजली परियोजनाओं से प्रभावित हुई है। राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) व (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि के अनारक्षित तथा उसे गैर-वानिकी प्रयोजनो के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव भेजने की पद्धति का उल्लेख है। उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के

संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सार का विवरण-2 सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1951-52 से 1983-84 के दौरान सिंचाई और पन बिजली परियोजनाओं से राज्य वार वन क्षेत्र की क्षति ।

राज्य संघ शासित क्षेत्र	(हजार हैक्टार में)
1. आन्ध्र प्रदेश	35·9
2. असम	19.7
3. बिहार	1·8
4. गुजरात	37·6
5. हरियाणा	—
6. हिमाचल प्रदेश	7·7
7. जम्मू व कश्मीर	,1
8. कर्नाटक	84·9
9. केरल	7·8
10. मध्य प्रदेश	76·1
11. महाराष्ट्र	13.1
12. मणिपुर	—
13, मेघालय	—
14, नागालैण्ड	—
15. उड़ीसा	49·5
16. पंजाब	—

1	2
17. राजस्थान	14·5
18. सिक्किम	—
19. तमिलनाडु	48·3
20. त्रिपुरा	7·9
21. उत्तर प्रदेश	98·6
22. पश्चिम बंगाल	1·8
23. अन्दमान और निकोवार दीपसमूह	—
24. अरुणाचल प्रदेश	—
25. चंडीगढ़	—
26. दादर व नगर हवेली	—
27. दिल्ली	—
28. गोवा, दमन व दीव	—
29. मिजोरम	—
30. लक्ष्यदीप	—
31. पांडिचेरी	—
जोड़	505·30

विवरण-2

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का सार नीचे दिया गया है :

वन (संरक्षण) नियम, 1981 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) की मद संख्या 1 के अनुसार एक संक्षिप्त टिप्पणी दी जानी चाहिऐ, जिसमें परियोजना का आवश्यक ब्यौरा दिया जाए जिसके लिए वन भूमि की आवश्यकता है। इसमें ये शामिल होने चाहिएं—(क)

लागत और परिव्यय (ख) वन क्षेत्रों में परियोजना स्थल निर्धारित करने का औचित्य जिसमें वे वैकल्पिक स्थान भी दिए जाएं जिनकी जांच की गई थी और उन्हें रद्द करने के कारण (ग) वित्तीय और सामाजिक लाभ (घ) लाभ प्राप्त करने वाली कुल जनसंख्या (ङ) सृजित रोजगार आदि। यदि भूमि एक से अधिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो तो अपेक्षित क्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना संलग्न की जानी चाहिए। यदि क्षेत्र की आवश्यकता विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए हो तो भवन निर्माण योजना को निश्चित रूप से नत्थी किया जाए।

यदि प्रपत्र अथवा प्रपत्र के साथ नत्थी किए गए दस्तावेजों में अधीनस्थ अधिकारियों ने प्रतिकूल सिफारिशें की हों तो उस पर महा वनपाल द्वारा निश्चित रूप से टिप्पणी की जानी चाहिए। इसी प्रकार महावनपाल की प्रतिकूल टिप्पणी पर राज्य सरकार द्वारा टिप्पणी दी जाए, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि मामले में सजग निर्णय लिया गया है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत किसी ऐसी परियोजना के लिए वन भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने से पूर्व सभी पन-बिजली परियोजनाएं और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरण विभाग से मंजूरी लेना आवश्यक है। वे सिंचाई परियोजनाएं, जिनका कमान क्षेत्र लगभग 10,000 हैक्टार है, बड़ी परियोजना कहलाती हैं। अतः सभी पन बिजली परियोजनाओं और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने से पूर्व, सर्व प्रथम पर्यावरण विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाए।

मिट्रीक यूनिटों में क्षेत्र, लम्बाई, चौड़ाई और अन्य परिमाप दिए जायें तथा एकड़, बीघा, कनाल, मुट्ठी, गज आदि जैसी विभिन्न यूनिटें प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। सभी परिमाप आवश्यक रूप से मिट्रीक यूनिटों में दिए जाएं।

वन रहित किए जाने वाले क्षेत्र को दर्शाने वाले स्थान का नक्शा, अर्थात् इर्द-गिर्द के वन-ब्लाक के अहाते का नक्शा देना अनिवार्य है। यदि 1:50,000 माप के नक्शे 1 = 4 मील अथवा किसी अन्य उपयुक्त माप के आधार पर मांगे गए क्षेत्र के आकार के अनुसार नक्शे तैयार करके दिए जा सकते हैं। यदि क्षेत्र बहुत छोटा है, तो एक सूचक नक्शा दिया जा सकता है, जिसमें वन सीमा दिखाई जाए और बड़े परिमाप पर स्थान का नक्शा भी दिया जाए जिसमें अपेक्षित क्षेत्र के भूमि उपयोग को दर्शाया जाए।

काटे जाने वाले प्रजाति-वार और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की सूची देना प्रस्ताव के सार्थक विचार के लिए एक आवश्यक बात है। यह दलील दी जाती रही है कि बड़े क्षेत्रों में इसके लिए काफी समय लग जाता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि केवल 10.0 हैक्टार

तक कुल गिनती की जाए। बड़े क्षेत्रों के लिए प्रजाति-वार और परिधि श्रेणी-वार सूची या तो कार्यकारी योजनाओं अथवा मानक नमूना पद्धतियों से तैयार की जाए। इसके अलावा, यह सूचना केवल प्रपत्र की मद संख्या 3 के अनुसार मांगे गए क्षेत्र के बारे में दी जाती है, न कि सिंचाई परियोजनाओं के मामलों में विभिन्न स्तरों के लिए, जो कि आनुपातिक आधार पर आंकलित की जा सकती है।

आरक्षित वनों के अनारक्षण के प्रस्ताव अपरिहार्य मामलों में ही भेजे जाएं।

सिंचाई और पन बिजली परियोजनाएं

जब वन भूमि की आवश्यकता सिंचाई और पन-बिजली परियोजनाओं के लिए हो तो निम्नलिखित ब्यौरा देने की जरूरत है :—

क) कुल स्रवण क्षेत्र

ख) कुल कमान क्षेत्र

ग) बाढ़ का उच्च स्तर

घ) पूर्ण जलाशय स्तर

ङ) न्यूनतम जल विकास स्तर

च) बांध की ऊंचाई

छ) बांध का कुल स्रवण क्षेत्र (हैक्टार में) और इसका वर्गीकरण वानिकी क्षेत्र, काश्त भूमि व अन्य भूमियां

ज) ऊपर मद (छ) के अनुसार जल-प्लावन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए ब्यौरा

झ) परिवारों की कुल संख्या और प्रभावित जनसंख्या

ण) प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्वास के लिए प्रस्ताव

त) जल-प्लावन क्षेत्र के बाहर अपेक्षित क्षेत्र के लिए पूर्ण भूमि उपयोग योजना अर्थात् भवन, सड़कें तथा अन्य गौण सुविधाएं।

यह देखा गया है कि पानी पूरा का पूरा वर्ष पूर्ण जलाशय स्तर तक नहीं रहता। वृक्ष एक से तीन महीने तक पानी में निश्चित रूप से खड़े रह सकते हैं, तथा इसलिए सम्मिलित वन क्षेत्र के लिए जल-प्लावन क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए :

1) बाढ़ के उच्च स्तर तक जल-प्लावन क्षेत्र

2) पूर्ण जलाशय स्तर तक जल-प्लावन क्षेत्र

3) पूर्ण जलाशय स्तर के 2 मीटर नीचे जल-प्लावन क्षेत्र

4) पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जल-प्लावन क्षेत्र
(केवल मध्यम और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए)

5) न्यूनतम निकास स्तर पर जल प्लावन क्षेत्र ।

वन (संरक्षण) नियम, 1981 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र

आरक्षित वनों के अनारक्षण या गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के प्रयोग के बारे में राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण ।

1. प्रस्ताव और परियोजना/योजना, जिसके लिए नक्शों और खाकों सहित वन भूमि की आवश्यकता है, का संक्षिप्त वर्णन ।

2. परियोजना/योजना का स्थान ।

1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;

2) जिला ;

3) वन प्रभाग, बन ब्लाक, कम्पार्टमेन्ट इत्यादि ।

3. वर्तमान भू उपयोग सहित परियोजना/योजना के लिए वांछित कुल मूल्य ।

4. सम्बन्धित वन भूमि के ब्यौरा :—

1) वनों का वैधानिक स्तर (नामशः आरक्षित, अनवर्गीकृत इत्यादि)

2) पनस्पति की सघनता सहित क्षेत्र में विद्यमान वनस्पति का ब्यौरा;

3) प्रवणता, पहलू, ऊंचाई इत्यादि दर्शाने वाले क्षेत्र की स्थलाकृति ;

4) भू कटाव के प्रति उसकी क्षमता, क्या यह बुरी तरह से अपरदित क्षेत्र का एक भाग है या नहीं ;

5) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, बन्यप्राणि आश्रयस्थल, प्रकृति रिजर्व, जीत मंडल रिजर्व इत्यादि का एक भाग है, यदि हां, तो इसके तहत क्षेत्र का ब्यौरा;

6) इस क्षेत्र में वनस्पति और जीवजन्तु की दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियां;

7) क्या यह प्रवासी जीव-जन्तुओं के लिए निवास है या उनके लिए प्रजनन स्थल बनाता है ;

8) प्रस्ताव से सम्बन्धित क्षेत्र की कोई अन्य विशेषता

5. परियोजना, जिसके लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है, में लोगों का स्थानान्तरण होता है या किसी वन क्षेत्र से कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उनके पुनर्वास और कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए क्रमशः प्रस्तावों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए।

6. वन क्षेत्र, वनस्पति और वन्यप्राणि की क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित कदम ।

7. महा वनपाल/सम्बंधित वन विभागाध्यक्ष के विस्तृत विचार में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं, अर्थात् :—

1) सम्बन्धित वन भूमि से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और अन्य वन उपज का निष्पादन ;

2) क्या जिला इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी में आत्मनिर्भर है; और

3) निम्नलिखित पर प्रस्ताव का प्रभाव :—

(क) ग्रामीण जनता को ईंधन की लकड़ी की आपूर्ति ;

(ख) अर्थव्यवस्था और आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के समुदायों की आजीविका ।

4) कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए महा वनपाल/वन विभागाध्यक्ष की विशेष सिफारिशें ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रयोजन के लिए सभी अन्य विकल्पों का पता लगाया गया है और वांछित क्षेत्र की मांग वन भूमि के लिए न्यूनतम मांग है ।

राज्य सरकार/प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर।

नोट : वनस्पति और जीव-जन्तुओं का ब्यौरा देते समय उनकी प्रजातियों का वर्णन उनके वैज्ञानिक नामों से किया जाए ।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, इतना विस्तृत विवरण दिए जाने के बाद भी, जो कुछ कहा गया है वह बहुत कम है। वृक्ष बोल नहीं सकते हैं और न ही जंगली जानवर वोट क्लब पर इकट्ठे होकर धारा 144 तोड़ सकते हैं। इसी कारण सिंचाई विभाग ने केवल घने जंगलों में ही सिंचाई परियोजनाएं बनाने का निर्णय लिया है। आज तक 43 लाख हैक्टेयर वन भूमि नष्ट की जा चुकी है और उसमें से 5 लाख भूमि सिंचाई विभाग द्वारा नष्ट किए जाने का दावा है। जंगल फेफड़ों के समान है जिनके माध्यम से प्रकृति सांस लेती है। सर्वप्र म मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में वह आश्वस्त हैं ? आपके आंकड़ों के अनुसार 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आपके पास कोई सूचना नहीं है और भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वनों का केवल 1/10 वें भाग का सर्वेक्षण कर सका था।

अत: मेरा पहला प्रश्न है कि क्या आपको विश्वास है कि सिंचाई विभाग द्वारा 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वनों की कटाई नहीं की गई जिसके संबंध में आप सूचना नहीं दे सके? दूसरा प्रश्न है कि क्या वन संरक्षण अधिनियम में लागू होने के बाद भी सिंचाई विभाग द्वारा किसी गैर-वन उद्देश्य के लिए किसी भूमि का उपयोग या दुरुपयोग किया गया है ? मैं पहले ये दो प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 इस उद्देश्य से लागू किया गया था कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके। हर मामला, चाहे यह सिंचाई का है या निर्माण का या किसी अन्य प्रयोजनार्थ सरकार के पास भेजना पड़ता है और पर्याप्त जांच के बाद ही भारत सरकार अनुमति देती है। अनुमति देने के मामले में हम बड़ी कड़ाई बरतते हैं। सर्वप्रथम मामले की जांच पर्यावरण विभाग द्वारा की जाती है फिर एक समिति इसकी जांच करती है और अन्त म हम इस पर विचार करते हैं। यदि यह किसी अति आवश्यक उद्देश्य के लिए हो, तो इसका मूल्यांकन करने के बाद ही हम इसकी अनुमति दे रहे हैं।

माननीय सदस्य जो दूसरा प्रश्न जानना चाहते हैं वह अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में है। जी हां, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अधिनियम का उल्लंघन किया है, जिन्होंने भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने से पूर्व ही कुछ परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई की है,

श्री ए० के० राय : बिहार के रांची जिले में वन विभाग ने सिंचाई विभाग के विरुद्ध एक अपराधिक मामला दर्ज किया है वह सारा मामला अब पटना उच्च न्यायालय के पास है। अत: इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो लेखों की ओर दिलाना चाहता है। इनमें से एक लेख दिनांक 1 जून के इकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली' में प्रकाशित

हुआ है जिसका शीर्षक है 'विकास या विनाश'। यह लेख नर्मदा घाटी परियोजना के सम्बन्ध में है जो कि आपकी बड़ी परियोजनाओं में से एक है। दूसरा लेख जनवरी के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक वानिकी निदेशक, द्वारा लिखा गया है। इन लेखों में दी गई सूचना के अनुसार, केवल नर्मदा घाटी परियोजना में 3.5 लाख हैक्टेयर वन भूमि जलमग्न हो जाएगी। बिहार के रांची जिले में कोयल कारो परीयोजना में जंगली पशुओं और कुछ बनस्पति तथा जीव-जन्तुओं के विनाश के अतिरिक्त 1,200 एकड़ वन भूमि भी जलमग्न हो जाएगी। मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि विभाग इस संबंध में कदम उठाएगा ताकि इन वन भूमियों और जंगली पशुओं पर कोई प्रभाव न पड़े और पर्यावरण संतुलन न बिगड़े। यदि ऐसा संभव नहीं है तो क्या उन क्षेत्रों को बचाने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया जाएगा? क्या उस वन क्षेत्र की क्षति पूर्ति के लिए आपने कोई समयवद्ध कार्यक्रम बनाया है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने वन रोपण का कार्यक्रम बनाया है और सामाजिक वानिकी का एक व्यापक कार्यक्रम है जो कि भारत सरकार द्वारा समूचे देश में राज्य सरकारों के माध्यम से आरम्भ किया गया है। इसे विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है, वन रोपण कार्यक्रम अधिकांशत: सभी राज्यों में चल रहा है। हमने 157 ऐसे जिलों का पता लगाया है जहां ईंधन की कमी है। उन क्षेत्रों में आग जलाने की लकड़ी वाले वृक्ष लगाने का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अन्य प्रश्न क्या था?

श्री ए० के० राय : मैंने दो मुख्य परियोजनाओं के का जिक्र किया था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का संबंध है, हम इसकी बात का ध्यान रखते हैं और रखेंगे कि कम से कम वृक्ष गिराए जाएं और जहां संभव हो, हम राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि परियोजना किसी अन्य स्थानों पर शुरू की जाये अथवा उस परियोजना के लिए जितने भी वृक्ष गिराए जाएं उतने ही वृक्ष और लगाकर वनों की क्षतिपूर्ति की जाए।

श्री माधव राव सिंधिया : वन संरक्षण अधिनियम एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था, यह देश में वनों को बड़ी तीव्रता से हो रहे ह्रास को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिससे कि भविष्य में बहुत गंभीर संकट पैदा होने जा रहा है। लेकिन वास्तव में समस्या विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आए वनों में हुए भूमि क्षरण की नहीं है। वास्तव में यह राज्य सरकारों के विभागों ने उत्पन्न की है, जो कि वन संरक्षक हैं। यह बिलकुल मिथ्या नामकरण है, उन्हें वन संरक्षक नहीं वन विनाशक कहा जाना चाहिए क्योंकि वनभूमि मुख्यत: तथा कथित वन संरक्षक के माध्यम से राज्म सरकारों द्वारा अंधा धुंध शोषण के कारण ही नष्ट की जा

रही है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर सख्ती से नियंत्रण किया जाना चाहिए। यद्यपि, यह मामला इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता। सैंकड़ों एकड़ बल्कि हजारों एकड़ भूमि ऐसी है, जहां एक भी वृक्ष नहीं है और न ही वहीं वृक्षरोपण की कोई संभावना है। फिर भी यह वन भूमि कहलाती है यदि पुनः मूल्यांकन किया जाए और देश में सभी वन क्षेत्रों का दूसरा सर्वेक्षण किया जाता है और ऐसे क्षेत्रों को वन भूमि के लेवल से अलग कर दिया जाता है, तो वे विकास परियोजनाओं में नहीं बनेंगे अतः क्या केन्द्र सरकार वन क्षेत्रों का एक नया सर्वेक्षण कराने के आदेश देने पर विचार कर रही है ?

दूसरे मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि विकास परियोजनाएं बनाने की अनुमति देने के लिए आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाए जाने का आश्वासन दें मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बांध है जिसकी आधारशिला 1980 में रखी गई थी। कृषि मंत्री ने हमें कहा था कि काम शुरू करो और उसकी अनुमति शीघ्र दी जाएगी। अब 1984 वर्ष चल रहा है : बांध पूरा हो गया है, नहर प्रणाली पूरी हो गई है। अतः अंतिम अनुमति मांगी गई थी। सारा बांध पूरा हो जाने के बाद और जबकि केवल नहर में पानी छोड़ने की अनुमति मिलने की आवश्यकता है, हमें कृषि मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि वे हमारा प्रस्ताव अस्वीकार कर रहे हैं। महोदय, उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है जबकि इस पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि समन्वय नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह देखें कि क्या ऐसे आवेदन पत्रों को निपटाने का कोई शीघ्रकारी तरीका निकाला जा सकता है।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकता कि नष्ट की गई वन भूमि को वन क्षेत्र से निकाल दिया जाना चाहिए। वन संरक्षण तथा संसद द्वारा पारित किए गए इस अधिनियम का उद्देश्य केवल वन क्षेत्र को बढ़ाना ही नहीं किंतु कम से कम उस क्षेत्र को बनाए रखना है जो कि पहले से ही वन विभाग में है। जो वन नष्ट कर दिए गए हैं हम उन्हें पुन-जीवित करना चाहते हैं। अतः माननीय सदस्य के इस सुझाव को मानने का अर्थ होगा कि पहले से ही कम क्षेत्र, जो कि हमारी कुल भूमि का केवल 22% और वन क्षेत्र कहलाता है, और कम हो जायेगा। हम बन क्षेत्र 30% तक करना चाहते हैं यही वह योजना है।

माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग यह है—

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं उस वन भूमि की बात कर रहा हूं, जहां वन नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : परन्तु, यहां तक कि हम उस भूमि को भी वन भूमि के अंतर्गत लोग

चाहते हैं । उद्देश्य यही है । हम किसी भी वन भूमि को अन्य कार्य के लिए यहां तक कि कृषि कार्य के लिए भी उपयोग में नहीं लाना चाहते हैं ।

महोदय, उन्होंने एक विशिष्ट परियोजना का उल्लेख किया है जैसा कि मेरे सहयोगी ने पहले कहा था कि अगर कानून का कोई उल्लंघन होता है तो हमें किसी प्रकार का अनुशासन लागू करना होगा । अगर राज्य सरकार ने संसद के कानून के विरुद्ध कार्यवाही की है तो...

श्री चित्र बसु : यह पहले क्यों नहीं बताया गया था ?

राव वीरेन्द्र सिंह : प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कुछ मुख्य मंत्रियों को लिखा है मैं भी उन्हें अकसर कानून का उल्लंघन न करने के लिये मनाने की कोशिश करता रहा हूं, परन्तु जब जब राज्य सरकारों अथवा इसके अधिकारियों द्वारा उल्लंघन करने का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है...

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, रखने के अवसर पर कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : खैर, जो कुछ भी है, मंत्रालय के सदस्य की उपस्थिति से कानून की अपेक्षा नहीं हो सकती है । इसलिए महोदय, अतः जब कभी भी प्रस्ताव आते हैं अगर यह पूर्णतयः आवश्यक है कि विकास परियोजनाएं होनी चाहिये तो हम अपने नियमों में भी ढील देने की कोशिश करते हैं । किसानों के कल्याण की कीमत पर, अत्यधिक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की लागत पर थोक रूप में पिछड़े एवं आवासी इलाकों के लिये हम नियमों को सख्ती से लागू नहीं करना चाहते । विकास परियोजनाओं को भी मंजूर करना होता है ।

परन्तु जहां हम यह महसूस करते हैं कि राज्य सरकारें कुछ ऐसा कर रही हैं, जिसे टाला जा सकता है, तो वहां पर हम कठोर रवैया अपनाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हमारा क्या बंदोबस्त होगा ? क्या उसको तोड़ना पड़ेगा ?

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : महोदय, आंध्र प्रदेश इन परियोजनाओं के अंतर्गत 70 लाख एकड़ से अधिक भूमि जलमग्न हो गई हैं और बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं । राज्य के मुख्य मंत्री वृक्षों के महत्व को नहीं जानते हैं । वह यह कहते हुए केन्द्र सरकार को यह कहते हुए निंदा करते आये हैं कि यहां तक कि वृक्षों को काटने के लिए भी उन्हें केन्द्र सरकार की

इजाजत लेनी पड़ेगी ? महोदय, मैं जानना चाहूंगा क्या यह मंत्रालय इस तरह के मुख्य मंत्रियों को समझाने जा रहा है, यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी किसी, अध्यापक की नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो क्या वे मुझे इस उद्देश्य के लिए अध्यापक नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा विश्व बाजार में चीनी की खरीद

***213. श्री नारायण चौबे** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम का विश्व बाजार से तीन लाख टन चीनी खरीदने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत को चीनी सप्लाई कर रहे हैं और उनके द्वारा किस मूल्य पर चीनी सप्लाई की जा रही है ; और

(घ) क्या उक्त आयात का देश में चीनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) सरकार की ओर से राज्य व्यापार निगम ने विक्रेताओं द्वारा अक्तूबर 1984 तक जहाज द्वारा लदान करने के आधार पर लगभग 3.54 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए ठेकों को अन्तिम रूप दिया है ।

(ख) यद्यपि चालू मौसम, 1983-84 के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है, लेकिन आगामी चीनी मौसम, 1984-85 की प्रारम्भिक अवधि, जिस समय कई एक महत्वपूर्ण त्यौहार भी आते हैं, के दौरान आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए चीनी का आयात किया गया है ।

(ग) यह खरीदारी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों से की गई है । इसलिए देशवार ब्यौरा ज्ञात नहीं हैं । सुपुर्दगी के महीनों पर निर्भर करते हुए, प्रतिमीटरी टन लागत भिन्न-भिन्न

होती है। तथापि, औसत मूल्य लगभग 190 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन सी० एण्ड एफ० एफ० ओ० बैठता है।

(घ) जी, नहीं। दूसरी ओर चीनी के आयात से उपलब्धता में वृद्धि होगी और खुले बाजार में मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर रखने में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे इसी मामले के संबंध में हम इसी प्रश्न पर पिछले हफ्ते कार्यवाही कर चुके हैं।

श्री नारायण चौबे : यह आया ही नहीं हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : चूंकि आपने इसको मंजूर कर लिया है इसलिए उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें सिर्फ बता रहा हूं। अगर वह दूसरी बार पूछना चाहते हैं तो यह एक ही चीज की पुनरावृत्ति होगी। अगर श्री चौबे इसे पसन्द करते हैं तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा।

श्री नारायण चौबे : ठीक है। मैं एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं।

महोदय हम चीनी का आयात और निर्यात दोनों ही कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसके आयात के लिए हमें कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा और वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान हमने कितनी चीनी का निर्यात किया, इस निर्यात के संबंध में लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : महोदय, जैसा कि हमने प्रश्न के मुख्य भाग में कहा है हम 3.54 लाख टन चीनी का आयात कर रहे हैं।

हमने औसत मूल्य दिया है जोकि 190 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन सी० एण्ड एफ० एफ० ओ० है। इसी क्षण हम एकदम सही आंकड़े नहीं दे सकते परन्तु यह मूल्य हमने प्रति टन के औसत के हिसाब से दिया है और हमने 3.54 लाख टन चीनी का ठेका लिया है। ऐसा कुछ व्यक्तियों द्वारा जमा खोरी करने के विरुद्ध सावधानी बरतने के रूप में किया गया है।

क्योंकि आप हमारा चीनी का भण्डार और तौर पर 96.87 लाख टन है हमने

59 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, और हमारी आंतरिक खपत लगभग 78 लाख टन है। अभी तक निर्यात के लिए हमारा वायदा 3.5 लाख टन का है और 1-10-84 से शुरू होने वाले नये चीनी वर्ष में 10 से 19 लाख टन चीनी निर्यात करना है।

प्रश्न के दूसरे भाग जो निर्यात के बारे में है, जैसा कि हमने बताया कि वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में चीनी का अत्यधिक उत्पादन हुआ।

अतर्राष्ट्रीय चीनी के अंतर्गत हमारा कोटा 6.5 लाख टन था। उस कोटे के तहत हम निर्यात कर रहे हैं। तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार चीनी का भाव हमारे उत्पादन लागत से कम था। इसलिए हमें राज सहायता देनी पड़ी। इस समय मैं निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि कुल आंकड़े क्या होंगे।

इस मामले में नुकसान अथवा फायदा वस्तुत: नहीं हो सकता क्योंकि जब कोई देश किसी चीज का निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाती है तो उस मूल्य और विदेशी मुद्रा को भी ध्यान में रखना होता है।

श्री नरायन चौबे : इसलिए सरकार को यह आशंका है कि आने वाले वर्षों में चीनी की कमी होगी और इस कारण से संसाधनों में वृद्धि करने के लिए वह बाहर से चीनी मंगवा रहे हैं और यह इस तथ्य के बावजूद भी कि सरकार का यह दावा है कि हम काफी बड़ी मात्रा में चोरी का उत्पादन कर रहे हैं जोकि हम इस देश में पर्याप्त रूप से खफा सकते हैं। सरकार ने उत्तर दिया है कि चीनी के आयात से उपलब्धता में वृद्धि होगी और खुले बाजार में मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर रखने में मदद मिलेगी। महोदय प्रत्येक चीज के आयात से मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर रखा जा सकता है। तो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने का लाभ क्या है ? मैं आपसे जानना चाहूंगा वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के लिए हमारी चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता कितनी है और उन दो वर्षों मे वास्तविक उत्पादन कितना था।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय सबसे पहले मैं माननीय सदस्य द्वारा अधिकतम आशंका का जोरदार खण्डन करना चाहता हूं जब उन्होंने कहा कि सरकार को आशंका है कि चीनी की कमी होगी मैंने आंकड़े दे दिए हैं। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि हमारे पास लगभग 46 लाख टन चीनी का भण्डार शेष है। इस वर्ष हमारा उत्पादन 59 लाख टन होने की संभावना है। देश में खपत के लिए हमारी आवश्यकता 78 लाख टन हो सकती है। निर्यात के लिए हमने 6.50 लाख टन का वायदा किया है। अत: अभी भी 1-10-84 को हमारे पास 15.65 लाख टन चीनी का भण्डार शेष होगा।

कृपया इस तरह मत कहिए, अन्यथा बाजार में कुछ लोग अनावश्यक रूप से कमी की

धारणा बनेगी और फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि हो जाएगी । मैं किसी भी प्रकार की कमी का खण्डन करना चाहता हूं । इस प्रकार की कोई संभावना है ।

अब मैं वर्ष 1984-85 में उत्पादन में कमी आने के प्रश्न पर आता हूं । ऐसा दक्षिण में सूखा पड़ने के कारण हुआ है । अकेले महाराष्ट्र में ही काफी कम उत्पादन हुआ है ।

श्री सतीश अग्रवाल : अत: देश में कोई कमी नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : यह ठीक है ।

श्री सतीश अग्रवाल : देश में कोई भी कमी नहीं होगी और आयात अनावश्यक है ।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे आपके समय के निष्पादन और आंकड़े देखकर ताज्जुब होता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय दाल विकास परिषद की सिफारिशें

*210. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दाल विकास परिषद द्वारा भुवनेश्वर में 29 और 30 मई, 1984 को आयोजित अपनी सांतवीं बैठक में की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस सामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) दलहन विकास परिषद की बैठक 28 तथा 29 मई, 1984 को हुई थी और उसकी सिफारिशें आवश्यक कार्यवाही के लिए सभी संबंधितों को परिचालित कर दी गई हैं ।

राज्यों को बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

214. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक वर्ष-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य ने इन परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार कितनी सहायता की मांग की थी;

(ग) इस अवधि में पश्चिम बंगाल को वर्ष-वार वास्तव में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(घ) सातवीं योजना में प्रत्येक राज्य के लिए कितना आबंटन किया गया है ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों एवं ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी एक परियोजना अथवा विकास के सेक्टर से जुड़ी नहीं होती। तथापि, इस अवधि के दौरान कुछ राज्यों ने कतिपय बृहद और माध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के वास्ते अनुरोध किया था। राज्यों द्वारा विशेष सहायता के लिए किए गए अनुरोध तथा चार वर्षों के दौरान अनुमोदित बृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता के बारे में सूचना विवरण में दी गई है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा विशेष सहायता के लिए किए गए अनुरोध तथा अनुमोदित बृहद सिंचाई स्कीमों के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता को दिखाने वाला विवरण

विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1.	आंध्र प्रदेश	7·30	35·00	14·00	—
2.	असम	—	—	3·20	6·00
3.	बिहार	3·50	—	—	—

1	2	3	4	5	7
4.	गुजरात	—	—	36·23	46·14
5.	हरियाणा	—	—	25·00	—
6.	कर्णाटक	15·82	—	6·00	75·00 (चार वर्षों के लिए)
7.	केरल	4·91	3·00	15·80	14185
8.	मध्य प्रदेश	30·00	25·00	35·00	39·00
9.	महाराष्ट्र	32·00	20·70	22·00	47·06
10.	मणिपुर	—	—	—	3·70
11.	उड़ीसा	4·00	10·00	—	—
12.	पंजाब	—	18·00	—	—
13.	राजस्थान	—	17·00	21·10	—
14.	उत्तर प्रदेश	—	25·00	55·00	—
15.	पश्चिम बंगाल	3·72	10·00	10·00	20·00
	दी गई विशेष सहायता				
	राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान	—	—	15·00	15·00
	तीस्ता बराज परियोजना, पश्चिम बंगाल	—	—	—	5·00

चीनी उत्पादकों द्वारा चीनी के लिए अधिक मूल्य की मांग

*215. **श्रीमती प्रमिला बंडवते** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उत्पादक चीनी उद्योग को संकट से बचाने के लिए लेवी चीनी के लिए अधिक मूल्य की मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख) चालू मौसम, 1983-84 के लिए निर्धारित किए गए लेवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कुछ व्यक्तिगत चीनी फैक्ट्रियों तथा निर्माताओं की एसोसियेशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे अभ्यावेदनों की आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (3 सी) के उपबन्धों के अनुसार जांच की जाती है।

निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण

*216. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तोल और माप सम्मेलन ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक प्रथाओं तथा बेईमान निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा शोषण से बचाने के लिए कानूनी उपबन्धों को लागू करने की जोरदार सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) एक **विवरण** सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) सरकार उन सिफारिशों से आमतौर पर सहमत है। ये सिफारिशें राज्यों के सम्बन्धित प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

विवरण

उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कानूनी उपबन्धों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में बाट तथा माप सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें।

(1) सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि प्रवर्तन से संबंधित गतिविधियों में तेजी लाने की जरूरत है, ताकि व्यापार में लगे बेईमान तत्वों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुचित व्यापार पद्धतियों से उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया जा सके।

(2) बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक, 1984, जिसमें न केवल वाणिज्यिक बीजों के लिए, बल्कि औद्योगिक उत्पादन तथा मानव, जीव-जन्तु और वनस्पति जीवन के संरक्षण से सम्बन्धित कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी बाटों तथा मापकों पर कानूनी नियंत्रण तथा साथ ही उपभोक्ताओं को सीधे प्रभावित

करने वाले अपराधों के लिए कठोर दण्ड देने का प्रावधान हो, को अधिनियमित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए।

(3) जिन राज्यों में इस समय अलग से पूर्णकालिक बाट तथा माप विभाग नहीं हैं, वे स्वतन्त्र संगठनों की स्थापना के लिए तत्काल कार्रवाई करें। राज्यों तथा केन्द्र में बाट तथा माप संगठन एक ही मंत्रालय के अधीन हों, ताकि उनमें तालमेल सुनिश्चित किया जा सके।

(4) नए प्रवर्तन विधेयक के फलस्वरूप बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के प्रवर्तन संगठनों को मजबूत किया जाए।

(5) उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित, बाट तथा माप अधिनियम जैसे कानूनों के बारे में होने वाले अपराधों के लिए मुकदमें चलाने हेतु सभी राज्यों में विशेष अदालतें स्थापित की जायें।

(6) राज्यों के प्रवर्तन प्राधिकारियों को चाहिए कि वे पैकेज में रखी वस्तुओं की विनिर्माण स्थलों पर नियमित अन्तराल से जांच करें।

खाद्य तेलों का आयात

*217. **श्री माधव राव सिंधिया :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 में पाम आयल का आयात, बजट में किए गए 824 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 1000 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गया, तथा उसे पहिले वर्ष 834 करोड़ रुपए के पाम आयल का आयात किया गया था ;

(ख) क्या आगामी वर्षों में भारत द्वारा खाद्य तेलों के आयात में कमी की संभावना आशाजनक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान केवल 334 करोड़ रुपए मूल्य का ताड़ का तेल आयात किया गया था।

(ख) तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद देशी

खाद्य तेलों की मांग और उनकी उपलब्धता के बीच का अन्तर आगामी वर्षों में बना रह सकता है। इस अन्तर को आयात के माध्यम से पूरा करना आवश्यक है।

(ग) इस स्थिति के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है : तिलहनों का अपर्याप्त उत्पादन, जनसंख्या में वृद्धि, खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि, आदि।

कर्नाटक के अनेक भागों में वर्षा न होना

*218 **श्री टी० आर० शमन्ना :**
श्री के० मालन्ना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि यद्यपि देश के कई भागों में भारी वर्षा हुई है, किन्तु कर्नाटक के अनेक भागों में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है ;

(ख) क्या बुआई का समय समाप्ति पर है और अभी तक काफी भूमि नहीं जोती गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए शीघ्र एक अध्ययन दल भेजने और पर्याप्त सहायता देने का है ?

कृषि मंत्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार दो जिलों अर्थात् चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग को छोड़कर समूचे कर्नाटक राज्य में 25 जुलाई, 1984 तक अधिक अथवा सामान्य वर्षा हुई है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ भागों में जुलाई के मध्य तक वर्षा कम हुई। उस समय तक अगेती फसलो, अर्थात् ज्वार, तिल मूँगफली और मूंग की बुवाई का मौसम समाप्त हो गया था। जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताह में हुई वर्षा को ध्यान में रखते हुए जुताई कार्य चल रहा है। छोटे कदन्नों, दलहनों, अर्थात् कुलथी लोबिया आदि और सूरजमुखी तथा कुछ हद तक रागी की बुवाई अगस्त के अन्त तक जारी रखी जाएगी।

(ग) राहत के संबंध में केन्द्रीय दल भेजने के प्रश्न पर राज्य सरकार से ज्ञापन के रूप में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

स्वदेशी गायों और सांडों की संख्या में कमी

*219. **श्री कुंवर भूषण :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य भागों में स्वदेशी गायों और सांडों की संख्या और कम हो गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पशुओं की संख्या कम होने के कारण छोटे किसानों की कृषि उत्पादन क्षमता कम हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं अखिल भारत पशुधन संगणना, 1972 और 1977 के अनुसार गायों और सांडों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

किसानों को नकली उर्वरकों की बिक्री

*220. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1984 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब के किसानों को नकली उर्वरकों की बिक्री की गई है ;

(ख) क्या नकली उर्वरकों की बिक्री कुछ अन्य राज्यों में भी की गई है ?

(ग) इससे फसलों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) व (ग) कुछ अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी छुट-पुट शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन में से कुछ के सबूत नहीं मिल सके हैं ।

उर्वरकों को वितरित की जा रही भारी मात्रा और नकली घटिया मिलावटी उर्वरकों की बिक्री । वितरण सम्बन्धी बनाए गए बहुत ही कम मामलों को देखते हुए फसलों पर इनका कुल मिलाकर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(घ) समाचार पत्र में उल्लिखित आरोपों की छानबीन करने के लिए एक केन्द्रीय दल पंजाब भेजा गया था । केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पंजाब सरकार की टिप्पणी से ऐसा प्रतीत होता है कि समाचार पत्र की रिपोर्ट वास्तविक रूप से सही नहीं है । पंजाब सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि उर्वरकों की क्वालिटी की जांच करने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई की जाती हैं ।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनेक बार जोर देकर कहा है कि वे अपने प्रवर्तन तंत्र में जान डाले और उसे मजबूत बनाएं तथा उर्वरकों की क्वालिटी की जांच करने के लिए विशेष अभियान चलाएं । क्षेत्र स्तर पर उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए समय-समय पर केन्द्रीय दल भी भेजे जाते हैं । केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर गुण नियंत्रण व्यवस्था को भी मजबूत बना रही है ।

नए मास्टर प्लान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सिफारिशें

*221. **श्री कमलनाथ** :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संघशासी क्षेत्र के नए मास्टर प्लान के लिए अपनी सिफारिशें अन्तिम रूप से सरकार को दे दी हैं ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सिफारिश की है कि इस मास्टर प्लान को पहले मास्टर प्लान के विस्तार के रूप में समझा ह्जाएगा ; और

(ग) इसे दूसरे मास्टर प्लान के रूप में न मानने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भवनों में भारतीय संस्कृति की झलक न होना

*222. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और निजी कम्पनियों द्वारा राजधानी और देश के अन्य भागों में निर्मित भवनों में भारतीय संस्कृति, व्यक्तित्व और भारतीय जीवन शैली की झलक नहीं मिलती तथा उनमें भारतीय वास्तुकला के सौंदर्य का भी अभाव है; और

(ख) क्या सरकार संबंधित लोगों को भवनों की योजना बनाते समय स्वदेशी वास्तु-कला को महत्व देने के लिए सलाह देगी ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं ।

ये भवन वास्तुकीय परिकल्पना की आधुनिक संकल्पना पर आधारित होने पर भी स्थानीय वातावरण के समन्वय सहित भारतीय सांस्कृतिक परम्परा को भी प्रतिबिम्बित करते हैं और हर सम्भव सीमा तक इस प्रकार की परम्परा की प्रमुख विशेषताओं को अपनाते हैं ।

(ख) सरकार सभी वास्तुकीय प्रयासों को उत्साहित करने के लिए सजग है जिससे भवन निर्माण गतिविधि में सुधार होगा और भारतीय विरासत की वास्तुकीय परम्परा तथा संकल्पना का समावेश होगा ।

वनरोपण लक्ष्य

*223. **श्री बृज मोहन महन्ती :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1983-84 के लिए पेड लगाने (वनरोपण कार्यक्रम) के वार्षिक योजना लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम क्या है जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं ;

(ग) क्या वनों को काटने तथा नष्ट करने और प्राकृतिक स्वरूप को विकृत करने के अपराधों के लिए कानूनों को कठोर बनाने हेतु सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1983-84 के दौरान देश में कुल मिलाकर वनरोपण कार्य अपने लक्ष्यों से आगे निकाल चुका है। तथापि, निम्नलिखित राज्य संघ राज्य क्षेत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों से कुछ पीछे रहे हैं

क-राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. कर्नाटक
4. मध्य प्रदेश
5. मणिपुर
6. मेघालय
7. नागालैंड
8. पंजाब
9. पश्चिम बंगाल

ख-संघ राज्य क्षेत्र

1. अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. चंडीगढ़
4. गोवा, दमन और दीव
5. पांडिचेरी

(ग) और (घ) भारतीय वन अधिनियम 1927 में वन अपराधों से निपटने के लिए दंड देने के प्रावधान भी शामिल हैं। वनों के लिए एक समेकित कानून, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक कठोर दण्ड देने के प्रावधान भी शामिल है, के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सुपर बाजार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण

*224. **श्री चित्त महाटा :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य खुले बाजार मूल्य प्रणाली के आधार पर दिन प्रति दिन निर्धारित किए जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने के लिए क्या कदम उठाने का है ताकि उपभोक्ता प्रतिदिन प्रभावित न हों ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तथा (ख) सुपर बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य, खुले बाजार की मूल्य निर्धारण प्रणाली के आधार पर रोजाना नियत नहीं किए जाते हैं। सुपर बाजार ने एक सक्रिय मूल्य नीति अपना रखी है। इसलिए इसका यह प्रयास रहता है कि इसके मूल्य खुले बाजार के मूल्यों के साथ प्रतियोगी रहें। किसी वस्तु के थोक मूल्य में वृद्धियां होने की स्थिति में, सुपर बाजार अपने मूल्यों में वृद्धि तब तक नहीं करता, जब तक कम मूल्यों पर खरीदा गया स्टाक उपलब्ध रहता है। बाजार मूल्यों में कमी आने के मामले में सुपर बाजार अपने मूल्यों में कमी कर देता है' चाहे उसके पास पड़ा माल ऊंची दर पर खरीदा गया हो। मूल्यों में बार-बार संशोधन करने की स्थिति से बचने के लिए, सुपर बाजार सामान्यतया सप्ताह में एक बार अपने मूल्यों की समीक्षा करता है। सुपर बाजार तेंतीस आवश्यक वस्तुएं "न लाभ हानि" आधार पर भी बेच रहा है।

छोटे और सीमान्त किसानों के लिए भण्डारण सुविधाएं

* 225. **श्री रामप्यारे पनिका**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार छोटे और सीमान्त किसानों के उत्पादों के भंडारण के लिए निकटतम स्थान पर ही भण्डारण सुविधाएं प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को प्रदान करने पर कुल कितना खर्च होने की सम्भावना है और यह सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इससे कितने किसान लाभान्वित होंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) यह मंत्रालय पहले से ही ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की स्कीम को लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि उत्पादकों विशेष रूप से लघु और सीमान्त कृषकों को भण्डारण की सुविधाएं प्रदान करना है ।

(ख) सितम्बर, 1979 में ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की स्कीम के आरम्भ से लेकर 31 मार्च, 1984 तक 2956 गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं जिनसे 14.42 लाख मीटरी टन अतिरिक्त भण्डारण की क्षमता बढ़ेगी और इस कार्य के लिए 973.22 लाख रु० की केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जा चुकी है । वर्ष 1984-85 के लिए इस योजना का बजट आबंटन 500 लाख रु० का है और 4 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस योजना से कितने किसानों को लाभ होने की सम्भावना है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है ।

विश्व बैंक की सहायता से कार्य करने वाली मछली पालन विकास ऐजेंसियां

* 226. **श्री टी० एस० नेगी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से तथा जलजीव विकास योजना के अन्तर्गत कितनी मछली पालन विकास एजेन्सियां कार्य कर रही हैं और वे कब से कार्य कर रही हैं;

(ख) इन एजेंसियों से मछली पालन का काम करने वाले कितने आदमियों को अब तक लाभ हुआ है और उनकी राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मछली पालन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कोई उपाय किए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव बिरेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से 1973-74 में पहली बार मछुवा विकास ऐजेंसियों की स्थापना की गई थी । तत्पश्चात् 1980-81 में विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना आरम्भ की थी जिसके तहत अभी तक 82 मछुआ विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है । केन्द्रीय प्रायोजित जलकृषि विकास योजना के तहत भी 65 मछुआ विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है । इस प्रकार कुल 147 एजेंसियों को मंजूरी दी गई हैं ।

वैज्ञानिक मछली-पालन में प्रशिक्षित किए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या निम्न प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश	...	802
असम	...	1259
बिहार	...	8447
गुजरात	...	441
हरियाणा	...	1069
कर्नाटक	...	671
केरल	...	525
महाराष्ट्र	...	658
मध्य प्रदेश	...	3897
मणिपुर	...	225
राजस्थान	...	694
नागालैण्ड	...	46
उड़ीसा	...	6764
पंजाब	...	1050
तमिलनाडु	...	1236
त्रिपुरा	...	1437
उत्तर प्रदेश	...	10,227
पश्चिमी बंगाल	...	6020

यह प्रशिक्षण दिए जाने के अलावा प्रशिक्षित किए गए इन मछुओं में से कुछ को तालाब तथा टैंक आबंटित किए गए हैं और मछली पालन की आधुनिक विधियों को अपनाने के लिए उन्हें ऋण तथा राज सहायता दी गई है।

मछली पालन का आधुनिकीकरण करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ नीचे दिए गए हैं :—

(1) टैंक तथा तालाबों को दीर्घावधि आधार पर पट्टे दिया जाना ;

(2) मछुओं को परिक्षण देना ;

(3) टैंक तथा तालाबों के सुधार के लिए और पहले वर्ष आदानों के लिए राज-सहायता ;

(4) संस्थागत वित्तीय सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजनाओं को तैयार करने में सहयोग का दिया जाना ;

(5) मछुओं को निरन्तर रूप से तकनीकी तथा विस्तार संबंधी सहायता का दिया जाना ;

(6) अधिक उत्पादन देने वाली मत्स्य पालन की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन ; तथा

(7) भारी मात्रा में उत्पादन बढ़ाया जाना तथा बेहतर किस्म के डिम्पोना का वितरण।

राजस्थान नहर का गढरा रोड तक विस्तार

*227. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने लीलवा शाखा अर्थात् सागरमल गोपा शाखा को गढरा रोड तक विस्तार करने की फन्लों कैनाल स्कीम का व्यापक सर्वेक्षण कर परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्तृत सर्वेक्षण सबंधी परियोजना प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) इस योजना को वित्तीय स्वीकृत्ति दिये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस योजना को कब तक वित्तीय स्वीकृति दे दी जाएगी और उस पर कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना के लिए विशेष सहायता देकर इसके कार्यान्वयन में सहायता करेगी और यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ?

योजना और सिंचाई मंत्री (**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी**) : (क) राजस्थान नहर की सागरमल गोपा (लिलवा) शाखा का गढ़रा रोड तक विस्तार करने हेतु परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) सिंचाई राज्य विषय होने के कारण इस इस परियोजना की वित्त-व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से की जानी है ।

केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय

2044. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं तथा इस बोर्ड द्वारा अपनी पिछली तीन बैठकों में लिए गए निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण समिति के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं तथा समिति द्वारा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अपनी पिछली तीनों बैठकों में से प्रत्येक बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये; और

(ग) उन संस्थाओं के नाम तथा अन्य ब्यौरे कीटनाशी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला का कार्य कर रहे संस्थानों के नाम एवं अन्य ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री योगेन्द्र मकवाना**) : (क) केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के वर्तमान पदेन/नामजद सदस्यों की एक सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

गत तीन बैठकों के दौरान बोर्ड ने पंजीकरण समिति के कार्यों, केन्द्रीय कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है । बोर्ड ने कीटनाशी अधिनियम की अनुसूची में कुछ रसायनों का समावेश करने की सिफारिश भी की है । इसके

अतिरिक्त बोर्ड ने किसी औषधि की प्रभावकारिता समाप्त होने की तारीख बीत जाने पर उसका निपटारा कैसे किया जाना चाहिए इसके तरीके की सिफारिश भी की है।

(ख) पंजीकरण समिति का वर्तमान ढांचा विवरण-2 में दिया गया है।

पंजीकरण समिति ने अपनी सभी बैठकों के दौरान, जिसमें पिछली तीन बैठकें भी शामिल हैं, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 के तहत पंजीकरण प्रदान करने से संबंधित आवेदन पत्रों पर विचार किया है।

(ग) इस समय केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, फरीदाबाद और इसके दो स्कंध, केन्द्रीय बनस्पति संरक्षण संस्थान, हैदराबाद और वनस्पति संगरोध तथा धूमीकरण केन्द्र बम्बई, ही ऐसी प्रयोगशालाएं हैं, जो कीटनाशी अधिनियम की धारा 16 के तहत केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला का कार्य कर रही हैं।

विवरण-1

केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड में पदेन/नामजद सदस्यों की सूची

1 डा० डी० बी० विष्ट महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा निर्माण भवन, नई दिल्ली,	अध्यक्ष,	पदेन
2. दवा नियंत्रक (भारत) निर्माण भवन, नई दिल्ली,	सदस्य,	पदेन
3. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार वनस्पति संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय फरीदाबाद	,,	,,
4. गुण नियंत्रण अधिकारी (संचयन तथा निरीक्षण	,,	,,

1	2	3
निदेशालय के कार्यों का कार्यान्वियन खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, (खाद्य विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।		
5. महानिदेशक, फैक्टरी सलाह संबंधी सेवा तथा श्रम संस्थान (फैक्टरियों के मुख्य सलाहकार कार्य निष्पादन) श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सायोन, बम्बई-400022	सदस्य,	पदेन
6. महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि भवन, नई दिल्ली	,,	,,
7. निदेशक, संक्रामक रोग राष्ट्रीय संस्थान, अलीपुर रोड़ नई दिल्ली	,,	,,
8. महा निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् अंसारी नगर, नई दिल्ली	,,	,,

1	2	3
9. निदेशक, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण 34, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता	सदस्य,	पदेन
10. महानिदेशक भारतीय मानक संस्थान, मानक भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	,,	,,
11. महानिदेशक, (स्थानापन्नो/उप-महानिदेशक) जहाजरानी महानिदेशालय, जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय बम्बई	,,	,,
12. संयुक्त निदेशक व्यापार (सामान्य) रेल मंत्रालय रेल बोर्ड नई दिल्ली	,,	,,
13. सचिव, खाद्य मानक संबंधी केन्द्रीय समिति स्वास्थ सेवा महानिदेशालय निर्माण भवन, नई दिल्ली	,,	,,
14. पशुपालन आयुक्त कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	,,	,,

1	2	3
15. संयुक्त/आयुक्त (मात्स्यिकी) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारित विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य	पदेन
16. उप महानिरीक्षक, बेत्र (वन्य प्राणि) कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली	,,	,,
17. औद्योगिक सलाहकार (रसायन) तकनीकी विकास महानिदेशालय उद्योग भवन, नई दिल्ली	,,	,,
18. सलाहकार (रसायन) रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली	,,	,,
19. औषध-विज्ञान विभाग के प्रोफेसर तथा मुख्य अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली	सदस्य	नामजद
20. उपनिदेशक, 1, राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान मेंटल होस्पीटल के पीछे अहमदाबाद-300016	सदस्य	नामजद

1	2	3
21. निदेशक स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक स्वास्थ प्रभारी हरियाणा, चंडीगढ़	सदस्य	नामजद
22. कृषि निदेशक, महाराष्ट्र, केन्द्रीय भवन, पूणे-411001	,,	,,
23. कृषि निदेशक कर्नाटक, शेशाद्री रोड़, बंगलौर-56000 में	,,	,,
24. कृषि आयुक्त, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली	,,	,,
25. निदेशक, केन्द्रीय (न्यायिक) विज्ञान प्रयोगशाला रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली	,,	,,
26. विशेषज्ञ औद्योगिक स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक जोखिम, औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ (उ० प्र०)	,,	,,
27. राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला पुणे (महाराष्ट्र)	,,	,,

1	2	3
28. वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी पर्यावरण विभाग बीकानेर हाउस, नई दिल्ली	सदस्य	नामजद
सदस्य सचिव नामजद		
29. सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति, वनस्पति संरक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय एन० एच० 4, फरीदाबाद- 21001	"	"

विवरण-2

पंजीकरण समिति के सदस्यों की सूची

1. डा० एम० वी० राव उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन, नई दिल्ली		अध्यक्ष
2. डा० एस० एस० गोठोसकर भारत के दवा नियंत्रक, नई दिल्ली	—	सदस्य
3. डा० के० डी० पहाड़िया भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार वनस्पति संरक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय, फरीदाबाद	—	सदस्य
4. डा० एस० के० कश्यप उपनिदेशक	—	सदस्य

1	2	3
राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद	—	सदस्य
5. डा० पी० वी० कृष्ण सलाहकार (रसायन) रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय नई दिल्ली		
6. श्री के० राजेन्द्रन नायर सचिव, सी० आई० बी० एण्ड आर० सी० वनस्पति संरक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय, फरीदाबाद	—	सदस्य सचिव

भारतीय खाद्य निगम में गत्यावरोध को दूर करने के लिए कदम

2045. **श्री भोखा भाई :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च/ मई, 1984 के दौरान भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के साथ हुई बातचीत में भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध मण्डल ने विभिन्न संवर्गों में सहायक प्रबन्धकों के रिक्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरने के स्थान पर उनको गत्यावरोध वाले कर्मचारियों की पदोन्नति से भरने हेतु नियमों में ढील देने के लिए निदेशक मण्डल से अनुरोध करने का वायदा किया था ।

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ को 4 मई, 1984 को दिए गए आश्वासन के अनुसार उत्तर-पश्चिमी/दक्षिण क्षेत्र के डिपुओं में कर्मचारियों की मंजूर शुदा संख्या की पुनरीक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) यह जांच करने का निर्णय किया गया था कि क्या भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीगण) विनियम, 1971 के उपबंधों के अन्तर्गत सीधी भर्ती

द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रति सहायक प्रबन्धक के पद पर कर्मचारियों की पदोन्नति करने के लिए नियमों में छूट दी जा सकती है।

इस मामले की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि निदेशक मण्डल द्वारा इन उपबंधों में छूट नहीं दी जा सकती है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के उत्तरी/पश्चिमी/दक्षिणी जोनों में रिक्त डिपुओं के लिए कर्मचारियों की वर्तमान आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाने के लिए निगम द्वारा संबंधित जोनल प्रबन्धकों के परामर्श से पुनरीक्षा की जा रही है।

समेकित कपास विकास परियोजनाओं पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

2046. **श्री वे० टी० कोसलराम :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित कपास विकास परियोजनाओं' पर अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने बताया है कि भारत में ओटाई और कपास प्रेसिंग की सुविधाएं धीमी एवं अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो ओटाई और प्रेसिंग सुविधाओं को नया रूप देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने समेकित कपास परियोजना सम्बन्धी अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया है कि भारत में ओटाई और प्रेसिंग सुविधायें धीमी हैं तथा कारगर नहीं है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त समेकित कपास विकास परियोजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य विपणन संघ ने कुशल परिसंस्करण के लिए तीन अधिक क्षमता वाले आधुनिक ओटाई और प्रेसिंग कारखाने निजी क्षेत्र में हैं। कृषि मंत्रालय के पास ओटाई और प्रेसिंग सुविधाओं के नवीकरण की कोई योजना नहीं है।

मिजोरम में तकनीकी कालेजों की स्थापना

2047. **डा० आर० रोंघुआमा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मिजोरम में कृषि पशु चिकित्सा यांत्रिकी जैसे किसी तकनीकी कालेज की स्थापना की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनके मंत्रालय को मिजोरम सरकार से मिजोरम में इस प्रकार के कालेज तत्काल खोलने की आवश्यकता के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान् तथापि सरकार के पास उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि विश्व विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रायोजना तैयार करने से पहले इस क्षेत्र के कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान आवश्यकताओं की समीक्षा हाल ही में पूरी की गई थी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपशिष्टों को बायोगैस के रूप में परिवर्तित करके आर्थिक संसाधनों के रूप में विकास करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान

2048. श्री के० प्रधानी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, अपशिष्टों को बायोगैस के रूप में परिवर्तित करके नए आर्थिक संसाधनों के रूप में निकास करने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु कोई कदम उठाए हैं जिससे कि खुमी की खेती के माध्यम से भोजन, चारे उर्वरकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उससे क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) देश भर में, खासतौर पर ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में खुमी की खेती के माध्यम से अपशिष्टों के पुन: उपयोग की तकनीक का प्रसार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) वर्ष 1961 से खुम्बी की खेती से संबंधित योजनाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वित्तीय सहायता दे रही है। खुम्बी की विभिन्न किस्मों को उगाने के उद्देश्य से खोल (आवरण) सामग्री (सबस्ट्रेट्स) जुटाने के लिए कृषि छीजनों की कई किस्मों जैसे--मेहूं, धानमक्का, घास फूस, केले के पत्ते या कूड़ा, जलकुम्भी तथा कपास स्टीक्स एवं अन्य सामग्रियों सहित, पेड़ों के सूखे लठ्ठे को सफलतापूर्वक उपयोग में लाया गया है। इस तरह कम्पोस्ट को बाद में खाद के रूप में इस्तेमाल करते समय खाद्य सामग्री के उत्पादन हेतु उपलब्ध छीजनों का पुनचक्रण किया गया है।

(ग) प्रौद्यागिकी के अन्तरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर तथा चयनित केन्द्रों में प्रदर्शन आयोजित करके खुम्बी की खेती के माध्यम से पुनर्चक्र छीजनों की तकनीक को ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया गया है।

खुम्बी उद्योग की उन्नति के लिए गहन अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की तथा अखिल भारतीय समन्वित खुम्बी सुधार प्रायोजना को भी छः क्षेत्रीय केन्द्रों यानी कल्याणी (पश्चिम बंगाल) कानपुर तथा पन्तनगर (उत्तर प्रदेश), कोयम्बटूर (तमिलनाडु), (लुधियाना) पंजाब तथा पुणे (महाराष्ट्र) में शुरू किया है।

खुम्बी उत्पादन तथा फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं पर राष्ट्रीय केन्द्र अनुसंधान चलायेगा तथा भूमिहीन कार्यकर्त्ताओं तथा होम गार्डनर्स सहित वैज्ञानिकों, अध्यापकों, विद्यार्थियों, विस्तार कार्यकर्त्ताओं तथा किसानों को भी प्रशिक्षण देगा। केन्द्र भी खुम्बी की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास तथा इसको उगाने के लिए कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त देश में स्वभाविक रूप से हो रही खुम्बी को एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण भी करेगा। सम्बन्धित प्रायोजना में ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपनाये जाने से पूर्व विकसित प्रौद्योगिकियों को बहु स्थानीय परीक्षण किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय स्तर पर कृषि शिक्षा

2049. **श्री अमर सिंह राठवा :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय स्तर पर कृषि शिक्षा प्रदान करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य में सक्षम किसानों की कोई कमी न हो ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का कार्यक्रम तैयार करने का सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय देश में कक्षा 1 10 तक के स्कूल पाठ्यक्रम के कार्यकलापों में कृषि एक है। शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर कृषि व्यावसायिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है जिसमें कई पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और भारत में 9 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं। शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इसे लागू करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भी सुझाव दिया है कि 'पर्यावरण संबंधी अध्ययन' विषय जिसमें कई कृषि संबंधी विषय शामिल हैं, प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में लागू किया जाय।

(ख) उच्च माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की योजना के तहत सम्पूर्ण देश में अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के रूप में कृषि संबंधित पाठ्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संचालन में खामियां

2050. **श्री सन्ते कुमार मंडल :**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी पर कोई प्रभाव डालने में असफल रहा है और ग्रामीण निर्धनों के जीवन में इससे जो परिवर्तन आए हैं वे केवल सीमांत तथा अल्पकालिक हैं जैसा कि बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्र द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है (स्टेट्समैन, नई दिल्ली दिनांक 12 जुलाई, 1984) ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस कार्यक्रम के संचालन में पाई गई विभिन्न खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) व (ख) बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्र द्वारा किए गए एक अध्ययन के बारे में 12 जुलाई, 1984 के स्टेट्समैन, नई दिल्ली में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट को सरकार ने देखा है। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, इस अध्ययन में एक जिले के तीन खण्डों को शामिल किए जाने की सूचना मिली है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभाव का कोई विशेष निष्कर्ष निकालने के लिए यह नमूना बहुत ही छोटा है।

छठी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति से यह पता चलता है कि प्रति व्यक्ति निवेश, जो परिवारों को दी गई सहायता का एक महत्वपूर्ण सूचक है, में वर्षानुवर्ष वृद्धि हो रही है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मार्ग दर्शिकाएं दी गई हैं। जब भी कोई कमी पाई जाती है, उसे दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए जाते हैं।

बिहार में सिंचाई के लिए गंगा के पानी का उपयोग

2051. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के सूखा प्रणव इलाकों की जानकारी है जो लगातार सूखे से प्रभावित होते हैं ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने 1967-69 के दौरान ऐसे इलाके में गंगा के पानी से सिंचाई करने का एक प्रस्ताव भेजा था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त इलाकों में सिंचाई के लिए गंगा के पानी का उपयोग करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) बिहार के सात जिलों का सूखा-प्रणव होने का अभि-निर्धारण किया गया है ।

(ख) ऐसी कोई परियोजना रिपोर्ट विचारार्थ प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती है और कार्यान्वित की जाती हैं ।

कृषि आदान खरीदने के लिए छोटें किसानों की सहायता

2052. **श्री एन० डेनिस** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों को कृषि आदानों की खरीद के लिए अल्पावधि वित्तीय सहायता प्रदान करने की सुविधायें दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनायी गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तमिलनाडु को कितनी राशि दी गई है तथा लघु और सीमांत किसानों को ऋण के बितरण के लिए क्या मार्ग निर्देश दिए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) आदानों की खरीद तथा वितरण के लिए छोटे और सीमांत किसानों को अलग से अल्पावधि ऋण सहायता देने की कोई योजना नहीं है तथापि केन्द्र सरकार कृषि आदानों अर्थात उर्वरक, बीज तथा कीटनाशी, की खरीद और वितरण के लिए राज्यों को मौसम वार अल्पावधि ऋण की सहायता प्रदान करती है । राज्यों द्वारा इस ऋण का पुनर्भुगतान ऋण लेने की तारीख से 6 माह के पश्चात विनिर्दिष्ट 6 1/4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त के रूप में करना होता है जिस पर तत्काल पुनर्भुगतान/ब्याज की अदायगी किए जाने पर 1/4 प्रतिशत की छूट दी जाती है तथा भुगतान/ब्याज की अदायगी न करने पर आठ दशमलव तीन बटे पांच प्रतिशत वार्षिक पनल ब्याज दर लिया जाता है । तमिलनाडु को खरीफ 1984 मौसम के लिए चार दशमलव पैंतीस करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण मंजूर किया गया है ।

तथापि चालू खरीफ 1984 मौसम के दौरान चावल का उत्पादन करने वाले छः राज्यों अर्थात असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, को इन राज्यों में निशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के तहत लाए गए अभिक्षात प्रखंडों में कृषि आदानों के वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में अलग से 5.00 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है।

खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म निर्भरता

2053. **श्री नवीन रावणी :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म निर्भर नहीं हैं और जिन्हें अन्य राज्यों और केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है ; और

(ख) इन राज्यों को खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता की अवधारणा मुख्य रूप से समूचे देश से सम्बन्धित है। जहां तक संघटक राज्यों का सम्बन्ध है, वे खाद्यान्नों की विपणन के लिए उपलब्ध अतिरिक्त मात्रा की खरीद करके केंद्रीय पूल में अंशदान करते हैं। केंद्रीय पूल से राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन अनेक सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकतानुसार किया जाता है। पूल से आपूर्ति की जाने वाली मात्रा विभिन्न राज्यों, अलग-अलग जिलों तथा अलग वर्षों के लिए भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में ये शामिल हैं— सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार करना, अच्छे किस्म के बीजों के वितरण में वृद्धि, उर्वरकों का अधिक और उचित प्रयोग, पर्याप्त वनस्पति रक्षण उपाय, मृदा और जल संरक्षण, उन्नत बारानी खेती पद्धतियों, प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली के माध्यम से प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण, अनुसंधान कार्य को तेज करना तथा उचित मूल्य निर्धारण नीतियों को अपनाना। खाद्यान्नों

के उत्पादन और उपज में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी, हां।

विशिष्ट मछली नौकाओं की खरीद के लिए फ्रांस द्वारा उदार शर्तों पर ऋण दिया जाना

2054. **श्री छोटूभाई वासवा** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि फ्रांस ने भारत को दो विशिष्ट मछली नौकाओं की खरीद के लिए 8 करोड़ फ्रैंक का ऋण उदार शर्तों पर देने की पेशकश की है जिसमें देश में मछली पकड़ने की बड़ी क्षमता का पता लग सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) फरवरी 1984 में वित्तीय नयाचार पर आयोजित भारत-फ्रांस वार्ता के दौरान यह फैसला किया गया था कि भारत द्वारा यदि फ्रांस की फ़र्मों को ठेका दिया जाता है तो "टयूना" जलयानों की खरीद के लिए 400 लाख फ्रैंच फ्रैंक का उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त धनराशि पारस्परिक करार द्वारा ठेके की अन्तिम धनराशि को पूरा करने के लिए समायोजित की जा सकती है।

आवासीय समितियों के लिए एक बन्धक बीमा निगम बनाने का प्रस्ताव

2055. **श्री ए० नीलालोहितदासन नाडार** :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवासीय समितियों के लिए एक बन्धक बीमा निगम बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाई की गई है ;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ग) आवास वित्त पद्धति के अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान को दिया गया है। इस अध्ययन का एक विचारार्थ विषय

आवास के क्षेत्र में रेहन बीमा चालू करने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन अभी चल रहा है।

धान और कपास के मूल्यों का निर्धारण

(2046) **श्री एन० के० शेजवलकर** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग ने धान और कपास के कितने समर्थन मूल्य का सुझाव दिया है ; और

(ख) क्या समर्थन मूल्य अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य सूचकांक के अनुरूप है, यदि नहीं, तो धान का मूल्य उत्पादन लागत तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि मूल्य आयोग ने 1984-85 विपणन मौसम के लिए धान की "सामान्य वर्ग" की किस्मों के लिए 127 रुपये प्रति क्विंटल अधिप्राप्ति मूल्य की सिफारिश की और उक्त सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। कपास के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गए मूल्य पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) 1984-85 मौसम के लिए धान की मूल्य नीति की सिफारिश करते समय आयोग ने सप्लाई और मांग की उभरती हुई स्थिति, आदान मूल्यों का रुख, उत्पादन लागत, प्रतियोगी फसलों की आनुपातिक मूल्य संरचना, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों में होने वाले परिवर्तन और चावल उत्पादन को बढ़ाने तथा इसकी अधिकतम अधिप्राप्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखा है।

कृषि उत्पादन की वृद्धि दर

2057. **श्री अजित बाग** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और खाद्यान्नों में 1980-81 से 1983-84 के दौरान वर्ष-वार वृद्धि की दर कितने प्रतिशत रही ;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 1967-68 को आधार वर्ष मानते हुये प्रमुख कृषि फसलों के संबंध में 1980-81 से 1983-84 के दौरान वर्षवार दीर्घावधि मिश्रित विकास दर को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) छठी योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 1984-85 के दौरान विभिन्न फसलों के उत्पादन के सम्भावित स्तरों का मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है।

विवरण

उत्पादन की अखिल भारतीय मिश्रित विकास दर

फसलें	1967-68 के आधार पर निम्न के दौरान			
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अस्थायी)
चावल	2·20	2·31	1·99	2·23
गेहूं	5·65	5·59	5·67	5·75
मोटे अनाज	2·62	2·77	0 61	0·88
कुल अनाज	2·69	2·77	2·63	2·84
कुल अदलहन	—0·28	—0·16	0·01	0·31
कुल खाद्यान्न	2·39	2·47	2·36	2·59
गन्ना	2·53	2·88	3·11	3·02
7 तिलहन	1·48	0·92	1·55	1·88
कपास	2·83	2·67	2·62	2·21
पटसन सा मेस्ता	2·42	2·53	2·21	2·00
कुल गैर खाद्यान्न	2·34	2·51	2·54	2·49
सभी फसलें	2·37	2·48	2·42	2·56

*7 तिलहनों में मूंगफली, तिल, एरंड, तोरिया तथा सरसों, अलसी, कुसुम और रामतिल के बीज शामिल हैं।

बिहार में यूरिया की कमी के कृषि उत्पादन की हानि

2058. **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष खरीफ मौसम के दौरान बिहार में यूरिया उर्वरक की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप फसलों का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस वर्ष बिहार में खरीफ की फसलों के लिए यूरिया उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :(क) पिछले खरीफ मौसम के दौरान बिहार में यूरिया की कुल उपलब्ध पर्याप्त थी ।

(ख) बिहार में उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति पर नजर रखकर राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

सामान्य पूल में टाइप-III सरकारी क्वार्टरों का आबंटन

2059. **श्री उमाकांत मिश्र :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य पूल में टाइप-III के सरकारी क्वार्टरों का आबंटन किस प्राथमिकता तारीख तक हो चुका है ;

(ख) क्या 1960-82 की प्राथमिकता वाले कर्मचारियों के अभी तक सरकारी क्वार्टर एलाट नहीं किए गए हैं ;

(ग) इन कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के आबंटन से वंचित रख रखने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें क्वार्टर कब तक एलाट किए जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली में सामान्य पूल में 31-12-63

(ख) जिन कर्मचारियों ने सामान्य पूल में टाइप-सी (टाइप-III) वार्टरों के आबंटन के लिए आवेदन किया था उन्हें घास का आवंटन कर दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भूमिहीनों को भूमि के आवंटन के लिए नया कानून

2060. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री भूमिहीनों को भूमि के आवंटन के मामले में स्थगन आदेश देने में कानूनी कमी के बारे में 19 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3601 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आबंटितियों को राहत देने की दृष्टि से भूमिहीनों को भूमि के आबंटन का मामला दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से पूर्णत: बाहर रखने हेतु कोई नया कानून बनाने का है ताकि वे भू-स्वामियों प्रभावित पक्षों के जिनका लक्ष्य उन्हें उनके हक से वंचित रखना है, किसी भी प्रयास से प्रभावित न हो सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार का नया कानून बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आबंटितियों को न्यायालयों में न घसीटा जा सके और मुकदमेबाजी का समस्त भार स्वयं वहन करेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) (क) से (ग) भूमि, विधान की सातवीं अनुसूची 2 के अन्तर्गत राज्य का विषय है। इस विषय पर राज्य विधान मंडलों द्वारा कानून बनाया जाता है। संवैधानिक उपबन्धों की सीमा के अन्तर्गत राज्य कानून में भूमि प्राप्त करने वालों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाए किए गए हैं कि कहीं भू-स्वामी और अन्य लोग उन्हें उनकी भूमि से वंचित न कर दें। आबंटन के पश्चात् हित-बद्ध पक्षकार समय-समय पर भूमि प्राप्तकर्ताओं को मुकदमे में फंसा देते हैं। कुछ राज्यों ने भूमि-प्राप्तकर्ताओं को उनकी भूमि का कब्जा वापस दिलाने की व्यवस्था है, जब कभी उन्हें हित-बद्ध पक्षकारों द्वारा बेदखल किया गया है। भारत सरकार ने सभी राज्यों के कानूनों में ऐसे उपबन्ध को स्वीकार करने की सिफारिश की है जहां अधिकतम सीमा से फालतू भूमि वितरित की जाती है।

एशियाई खेल-गांव का फर्नीशिंग किया जाना

2061. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या **खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेल-गांव कम्पलेक्स में 37 लाख रुपये मूल्य की फर्नीशिंग अप्रयुक्त रही तथा स्थल पर की गई जांच में 18 लाख रुपये से अधिक मूल्य का फर्नीचर और फर्नीशिंग गायब पाई गई ; और

(ख) इस समय ये वस्तुएं हैं ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) संबंधित प्राधिकरणों से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विदेशों में निर्माण कार्य

2062. **श्री चिंतामणि जैना :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विदेशों में किए जा रहे निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन परियोजनाओं में कितने भारतीय कार्य करते हैं ;

(ग) उन ऐजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से श्रमिकों को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की परियोजना के लिए विदेशों में भेजा जाता है ; और

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने विदेशों में कितनी परियोजनाएं पूरी की हैं और उनका ब्यौरा है तथा यदि उसके द्वारा कुछ धन का अर्जन किया गया है, तो वह कितना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण-I में दी गई हैं ।

(ख) इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा भर्ती किए गये भारतीयों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

(1) ईराक	914
(2) लीबिया	1893
(3) नेपाल	9
(4) यमन अरब गणराज्य	9

(ग) विदेशों में चल रही परियोजनाओं के लिये श्रमिकों की भर्ती करने में कोई अभिकरण शामिल नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा सीधी भर्ती की जाती है।

(घ) विदेशों में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा पूर्ण की गई परियोजनाओं की सूची विवरण-2 में दी गई है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने सूचित किया है कि उसने 1982-83 तक विदेशी परियोजनाओं से 1098.67 लाख रुपये का लाभ कमाया है। 1983-84 के लिये प्राप्त लाभ के आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं।

विवरण-1

विदेशों में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के निष्पादनाधीन कार्यों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य	ठेके की लागत (लाख रुपयों में)
	(लीबिया)	
1.	वेनीवालिद में स्कूल के 10 भवनों का निर्माण	999.00
2.	घाट में 120 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	2188.00
3.	घाट-अल-बरकत-अलसियोन तथा घाट-अल-फेवत में सड़कों का निर्माण	2093.40
4.	घाट में नर्सों का प्रशिक्षण केन्द्र, होस्टेल तथा डाक्टरों के लिए 60 मकानों का निर्माण	1910.00

1	2	3
5.	15 ठेकों वाले 8 स्कूल भवन तथा स्टोर, मकान औषधालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य सार्वजनिक भवन का निर्माण	4997.40
6.	बरक के समीप (अल-शाती) में सड़कों और गलियों में रोशनी की व्यवस्था	695.70
7.	अल-ओरवन गांव में 2000 मकानों की योजना तथा डिजाइन और संबंधित सेवाएं	195.00
	मशूल में चार तारा अन्तर्राष्ट्रीय होटल का निर्माण	2275.00
	दोकन में 100 विस्तर वाले पर्यटक होटल का निर्माण	689.00
	बगदार में मंत्री भवन परिषद के लिए सड़क कार्य की व्यवस्था	1,72.00
	बगदार विश्वविद्यालय की फिनीसिंग भदें	88.00
	किरकुक में बराइन भण्डारण जलाशय का निर्माण	459.32
	किरकुक में जलशोधन संयंत्र का निर्माण	524.10

2	3
बगदाद अल-क्याम-अंकशात रेल परियोजना के लिए भवन की फिनिशिंग मदें	6258·60
यमन अरब गणराज्य	
घमार प्रदेश, उत्तरी यमन में एक मंजिले 774 मकानों का निर्माण	1365·00
	1365·00
नेपाल	
1. काठमण्डू नेपाल, में बीर हास्पीटल का विस्तार, ओपीडी ब्लाक का निर्माण	341·00

विवरण-2

विदेश में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा पूर्ण की गई परियोजनाओं का ब्यौरा ।

क्रम सं० भौ परियोजना का नाम	ठेके की लागत (लाख रुपयों में)	पूर्णता की तारीख
लीबिया		
1. न्यू घाट हवाई हड्डा तथा संबंधित कार्यों का निर्माण		
(क) रनवे, टैक्सी तथा अप्रोन	3200·00	अगस्त 83
(ख) न्यू घाट हवाई अड्डे से घाट टाउन तक 22 कि० मी० तक पहुंच मार्ग	691·91	अगस्त 83

1	2	3
(ग) गौण रनवे में अस्थाई सुविधायें	49·50	अगस्त, 83
(घ) टू-निंग पैडस, तीन मितस्रवाता आवास तथा वायुसेना कैम्प	920·00	31-10-82
(ङ) ट्रमिनल भवन	307·00	23-1-83
बराक में हवाई अड्डे का निर्माण	2080·00	31-8-82
निर्माण कार्य		
(क) वेनीवालिद में 1000 मकान	6715·00	30-9-93
(ख) घाट में 432 मकान	387·00	31-3-83
वेनीधालिद मैं समाज सुरक्षा केन्द्र का निर्माण	396·50	30-8-83
5. घाट में समाज सुरक्षा केन्द्र निर्माण	322·90	18-1-83
6. वेनीवालिद में अनोपयोगी सेवाओं का निर्माण	954·50	30-9-83
7. घाट में 2 स्कूल भवन, तथा हास्टिल का निर्माण	554·20	16-11-83
8. घाट में मस्जिद का निर्माण	69·00	13-4-81
9. बेनीवालिद में रोड पर विद्युत का कार्य	445.00	10-5-84

1	2	3
10. त्वारघा में रोड पर बिद्युत का कार्य	1050.00	22-4-84
11. घाट टाउन के लिए सड़कों की योजना तथा डिजाइन	12.00	2-10-78
12. घाट में 304 मकानों के लिए जनोपयोगी सेवाओं की योजना तथा डिजाइन	7.50	15-2-79
ईराक		
1. सर्वेड सीवरेज परियोजना बगदाद स्वस्थान की पूर्वलित कंकरीट का निर्माण तथा डि जाइन	420.00	13-1-79
2. बगदार विश्वद्यिालय, के लिए ढांचात्मक कंकरीट कार्य का निर्माण	655.50	1-5-82
3. बगदाद में हवाई अड्डे के पार 2 ऊपरी पुलों का निर्माण	600.00	26-11-82
4. किरकुक में नियंत्रण भवन	79.48	30-983

"ग्रेन ट्रक्स लांग वेट टू अनलोड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2063. **श्री विगम्बर सिंह** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली में "ग्रेन ट्रक्स लांग वेट टू अनलोड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने, अव्यवस्था की इस स्थिति की जांच की है, जिसके कारण मायापुरी में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज उतारने के लिए अनाज से लदे ट्रकों की बहुत लम्बी लाइन लग गई और वर्षा के दौरान अनाजों को हो रहे नुकसान को बचाने के लिए कोई जांच की है ;

(ग) ऐसी अव्यवस्था की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां । तथापि, केवल 389 ट्रक खड़े हुए पाए गए थे जिनसे अभी माल उतारा जाना था जबकि समाचार में 1,000 की संख्या दी गई थी । उतरान को तेज कर दिया गया था और 8-7-84 को ही 139 ट्रकों से माल उतार लिया गया था । ट्रकों में पड़े हुए स्टाक को तिरपालों से भली-भांति ढक दिया गया था और उन्हें रस्सों से बांध दिया गया था और किसी स्टाक के क्षतिग्रस्त होने की सूचना नहीं मिली है । ट्रकों को भली-भांति खड़ा किया था ।

प्रेषण केन्द्रों को टेलीफोन/तार द्वारा कहा गया था कि जब तक स्थिति सुगम नहीं हो जाती है तब तक वे दिल्ली में और ट्रक भेजना बन्द कर दें । भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनर्रावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से प्रेषण केन्द्रों को संचलन संबंधी कार्यक्रम का ही अनुपालन करने के लिए कहा गया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1976 की सामान्य योजना की एम० आई० जी० / एल० आई० जी०/जनता श्रेणियों में फ्लैटों का आबंटन

2064. **श्री एस० ए० दोराई सेबिस्तियन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976 की सामान्य योजना में एम० आई० जी०, एल० आई० जी० और जनता श्रेणियों में फ्लैटों के आबंटन हेतु कुल कितने व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराया;

(ख) अब तक प्रत्येक श्रेणी में उनमें से कितने व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित कर दिए गए हैं ;

(ग) कितने व्यक्तियों को योजना की प्रत्येक श्रेणी में किराया खरीद आधार पर फ्लैट आबंटित किए गए ;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी में किराया खरीद आधार पर आबंटन के कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं ;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कुल व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

(1) मध्यम आय वर्ग	10332
(2) निम्न आय वर्ग	9135
(3) जनता	8212
योग :	27679

(ख) केवल 607 व्यक्तियों, (मध्यम आय वर्ग 52, निम्न आय वर्ग 424 तथा 101) जिन्होंने जब कभी भी आवेदन मांगे गए अपनी रुचि की विशिष्ट कालोनियों में आबंटन के लिए आवेदन नहीं किया तथा सितम्बर, 1983 में दिए गए अन्तिम अवसर का भी लाभ नहीं उठाया, को छोड़कर पंजीकृत व्यक्तियों को जिन्होंने आबंटन के लिए जब कभी भी आवेदन मांगे गए आवेदन प्रस्तुत किए, आबंटन दे दिया गया है। यह निर्णय लिया गया कि इन सभी मामलों में धरोहर राशि वापस कर दी जाय क्योंकि 1976 की योजना बन्द की जा चुकी है।

(ग) समय-समय पर आवेदन आमंत्रित करते समय जारी की गई विवरणिका में दिए गए सामान्य आदेशों के अनुसार 50 प्रतिशत आबंटन नकद भुगतान आधार पर किया गया जबकि अन्य 50 प्रतिशत किराया खरीद आधार पर किया गया ।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कोई आवेदन निलम्बित नहीं पड़ा है क्योंकि सभी मामले निपटा दिए गए हैं तथा योजना बन्द की जा चुकी है।

राज्यों को तोल और माप कानून का परिचालन

2065. **श्री के० राममूर्ति :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तोल और माप के समान रूप से लागू किए जाने वाला कानून राज्यों को कब परिचलित किया गया था ;

(ख) किन-किन राज्यों ने ऐसे अधिनियमन विधेयक को लागू किया है ;

(ग) उपभोक्ताओं को व्यापारिक कदाचारों से बचाने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं;

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) 1976 में एक एक समान बाट तथा माप प्रवर्तन विधेयक राज्यों को परिचालित किया गया था।

(ख) जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विधेयक को अधिनियमित किया है वे हैं :—

हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ओर लक्षद्वीप।

(ग) सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न मौजूदा कानूनों को लागू कर रही है। इसके अलावा क्योंकि एक रूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बाट तथा माप के प्रवर्तन से संबंधित पहलू अब समवर्ती सूची में आ गया है, अतः राज्यों के मौजूदा वाट तथा माप प्रवर्तन कानूनों के स्थान पर संसद के चालू सत्र में बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

उचित दर की दुकानों से गेहूं की खरीद की अनिवार्यता

2066. **श्री विलास मुत्तेमवार** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आजकल दिल्ली में उचित दर की दुकानों को बढ़िया किस्म का गेहूं नहीं दिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर करता है कि यदि उन्हें केवल चीनी की जरूरत है तो वे चीनी ही लें और इसके साथ उन्हें गेंहूं या अन्य कोई सामान लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उचित दर की दुकानों के उन दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो उपभोक्ताओं को चीनी के साथ गेहूं आदि लेने के लिए बाध्य करते हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली में उचित दर की दुकानों को अच्छी किस्म का गेहूं सप्लाई नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी हां,

(ग) व (घ) दिल्ली प्रशासन को इस तरह की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दिल्ली में वनस्पति परियोजना आरम्भ करना

2067. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तथा देश के अन्य स्थानों में राष्ट्रीय विकास बोर्ड द्वारा "आनन्द पैटर्न" पर वनस्पति परियोजना आरम्भ किये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का विचार दिल्ली में ऐसी प्रणाली कब आरम्भ करने का है ;

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने दिल्ली में सब्जी और फल के बाजार में प्रवेश के लिए अब तक क्या तयारियां की हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने फलों और सब्जियों के उत्पादन और दिल्ली में उनके विपणन हेतु एक परियोजना का प्रस्ताव किया है।

(ख) विभिन्न स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय वितरण सुविधा और खुदरा केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराते ही परियोजना कार्य करना शुरू कर देगी।

(ग) परियोजना के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाया गया है और अब क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) परियोजना रिपोर्ट में निम्न कार्यक्रम शामिल हैं :

(1) फल और सब्जी की आपूर्ति की व्यवस्था उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण फल और सब्जी उत्पादक जिलों द्वारा की जाएगी। अन्य क्षेत्रों में उत्पादक सहकारी समिति गौण स्रोत होगी।

(2) एक केन्द्रीय वितरण सुविधा होगी जिसमें शीत भण्डार, ग्रेड होंगे और प्रति वर्ष लगभग 120,000 मीटरी टन उत्पाद वितरित करेगी।

(3) प्रति दिन 1·6 से 2·2 मीटरी टन उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए खुदरा बिक्री हेतु लगभग 150-200 केन्द्र होंगे।

(4) आवश्यकतानुसार प्रशीतन एकक में लगभग 4000 मीटरी टन का उत्पादन का भण्डारण किया जाएगा।

भारत सरकार मुद्रणालय के मुद्रण स्टेशनरी और प्रकाशन विभागों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

2068. श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय के मुद्रण, स्टेशनरी और प्रकाशन विभागों के कर्मचारियों को अभी तक उत्पादकता संबद्ध बोनस नहीं दिया गया है ;

(ग) उनको बोनस का भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों को उत्पादकता सम्बद्ध बोनस का भुगतान करने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आफिर) : (क) से (ग) उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजना मुद्रण निदेशालय के अन्तर्गत भारत सरकार मुद्रणालय, बाह्य मुद्रण तथा भार्म स्टोर के कर्मचारियों को लागू की गई है। इन कर्मचारियों को वर्ष 1980-81, 81-82 तथा 82-83 के लिए 13-7-84 को उत्पादता सम्बद्ध बोनस स्वीकृत कर दिया गया है। पहले इन्हें वर्ष 80-81, 81-82 के लिए 15 दिन के वेतन/मजूरी के बराबर उत्पादकया सम्बद्ध बोनस का तदर्थ भुगतान क्रमशः 2-11-82 तथा 9-9-83 को स्वीकृत किया गया था।

खुले में रखे जाने के कारण गेहूं की क्षति

2069. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्षा ऋतु में सरकार द्वारा देश में लोखों की बोरी गेहूं खुले में रखा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार रखे गये गेहूं का राज्य वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में अब तक का अनुभव क्या है ; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां ।

(ख) 30-6-1984 को ऐसे स्टाक की अलग-अलग राज्यवार स्थिति नीचे दी जाती है :—

क्रम सं०	राज्य	कैप में भण्डारित गेहूं की मात्रा (आंकड़े मीटरी टन में)
1.	दिल्ली	12,422
2.	हरियाणा	2,529
3.	पंजाब	37
4.	राजस्थान	22,658
5.	उ० प्र०	5,08,949
6.	गुजरात	12,906
7.	कांडला	28,372
8.	महाराष्ट्र	1,10,490

1	2	3
9.	मध्य प्रदेश	42,724
10.	आन्ध्र प्रदेश	1,37,175
11.	कर्नाटक	717
12.	तमिलनाडु	15,572
	जोड़ :	8,94,551

(ग) अतीत में कई बार खाद्यान्नों के कुछ स्टाक कैप में रखे गए थे। एक अथवा दो मामलों जबकि तूफानों और बाढ़ों जैसी दैवी विपत्तियों के कारण कुछ क्षति हुई थी, को छोड़ कर स्टाक को अच्छी हालत में रखा गया था।

(घ) कैप भण्डारण में रखे गए स्टाक को क्षति ग्रस्त होने से बचाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जाते हैं :—

(1) तल से क्षति को रोकने के लिए भूमि-स्तर से काफी ऊपर बनाई गई निभार सामग्री के ऊपर खाद्यानों के स्टाक रखे जाते हैं।

(2) गुम्मद के आकार के चट्टे लगाए जाते हैं ताकि शिखर पर पानी के जमाव अथवा साइडों से टपकन को रोका जा सके।

(3) स्टाक को पोलीथीन की चादरों से उचित ढंग से ढका जाता है ताकि स्टाक को वर्षा से बचाया जा सके ; पोलीथीन की चादरों पर पोलीथीन के जाल अथवा कवरटाप्स बिछाए जाते हैं अथवा और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उन्हें ठीक ढंक से बांधा जाता है।

(4) धूपदार दिनों में स्टाक कों उचित वातन दिया जाता है।

(5) योग्य तकनीकी स्टाफ द्वारा स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

पटसन का उत्पादन

2070. **श्री रेणुपद दास :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पटसन की वस्तुओं की हुई वृद्धि को देखते हुए कच्चे पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : कच्चे पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पटसन/मेस्ता उगाने वाले 8 प्रमुख राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय तथा आंध्र प्रदेश के चुनिंदा सम्भाव्य जिलों में संघन पटसन मेस्ता विकास कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना चल रही है। इस योजना के तहत उन्नत/प्रमाणीकृत बीज खरपतवार नाशक, बीज ड्रिल तथा पहियेदार हो, प्रदर्शनों पटसन गलाने के निजी तालाबों पटसन के श्रेणीकर तथा स्टाफ के लिए प्रशिक्षण संबंधी स्टेपेंड हेतु राज सहायता के रूप में सहायता की व्यवस्था की गई है। छठी योजना अवधि के लिए 422.41 लाख रुपए के केन्द्रीय शेयर का प्रावधान किया गया है। 1984-85 के लिए 85 लाख गांठों का लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए 93.17 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

खाद्य और कृषि संगठन का मात्स्यिकी संबंधी सम्मेलन

2071. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्मूरी :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मात्स्यिकी के विषय में अभी हाल ही में हुए खाद्य और संगठन के सम्मेलन में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया है ;

(ख) क्या अल्प-विकसित देशों के आर्थिक सीमा क्षेत्र में मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं के प्रयोग के बारे में उन देशों ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ;

(ग) विदेशों द्वारा नाम मात्र की लाइसेंस फीस देकर अल्प विकसित देशों के समुद्री संसाधनों का विदोहन करने के बारे में भारत सरकार का रुख क्या था; और

(घ) इस मुद्दे पर तृतीय विश्व के देशों के बीच हुए अन्तिम समझौते का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय पर मात्स्यकी प्रबन्ध तथा विकास की नीति के एक भाग के रूप में विचार-विमर्श किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी महसूस किया गया था कि 1982 को समुद्री कानून के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में समाविष्ट की गई नई व्यवस्थाओं तथा राष्ट्रों द्वारा इन पर की जा रही कार्यवाही और अपनाई जा रही पद्धतियों विशेषकर 1970 के बाद वाले मध्य-दशक से, के अनुसार विश्व के महासागरों के संसाधनों से सम्बन्धित नई व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप अपने-अपने जलक्षेत्र में मात्स्यकी के प्रबन्ध के लिए तटवर्ती राज्य प्राधिकरण के विस्तार किए जाने को विश्व भर में स्वीकारा गया है। यह भी महसूस किया गया कि इस अंतरण से तटवर्ती देशों को नए अवसर तथा उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं और दूरस्थ क्षेत्रों तक जलयानों के बेड़े को चलाने वाले देशों को समायोजन की समस्याओ का सामना करना पड़ता है। खाद्य और कृषि संगठन से सम्मेलन की रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) भारत ने यह आधार लिया है कि एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यकी के संसाधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय क्षमता तैयार करना विकासशील देशों की उचित महत्वकांक्षा है। तथापि अन्तरिम अवस्था में अधिशेष बेड़े वाले देशों तथा एकमात्र आर्थिक क्षेत्र के उपयोग करने के इच्छुक देशों के बीच सहयोग स्थानीय कानूनों तथा आपसी हितों के आधार पर किया जाता है।

(घ) मात्स्यकी के सम्बन्ध में हुए विश्व सम्मेलन के दौरान अधिकसित देशों के बीच अलग से कोई करार नहीं हुआ था।

कर्नाटक में जलाने की लकड़ी के लिए वन लगाने हेतु विश्व बैंक से ऋण

2072. **श्री संतोष मोहन देव :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कर्नाटक में जलाने की लकड़ी के लिए वन लगाने हेतु भारत को ऋण देने को सहमत हो गया था ;

(ख) क्या इस बारे में अन्य समुद्र पार एजेंसियों ने भी योगदान दिया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) जलावन लकड़ी, चारा पत्ती, खाद पत्ती और जंगली फल का उत्पादन बढ़ाने हेतु विश्व बैंक और समुद्र पार विकास प्रशासन यूनाईटिड किंगडम 566 लाख अमरीकन डालर की अनुमानित लागत से कर्नाटक सामाजिक वानिकी परियोजना के लिए क्रमश: 210 लाख अमरीकी डालर तथा 230 लाख अमरीकी डालर का ऋण दे रहे हैं। कर्नाटक सरकार शेष 66 लाख अमरीकी डालर का योगदान देगी।

विश्व बैंक की सहायता से काजू की खेती

2073. **श्री जगन्नाथ पाटिल :**

क्या **कृषि** मन्त्री विश्व बैंक की सहायता से काजू की खेती के बारे में 7 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10269 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की प्रस्तावित काजू विकास परियोजना को विश्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, परियोजना के विकास का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके अस्वीकार कर दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) विश्व बैंक की सहायता से महाराष्ट्र में प्रस्तावित काजू विकास परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए हाल ही में अर्थ कार्य विभाग को भेजी गई है। अर्थ कार्य विभाग से आगे पत्र-व्यवहार की प्रतीक्षा हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कला केन्द्र और गन्धर्व महाविद्यालय पर किया गया जुर्माना

2074. **श्री डी० पी० यादव :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री भारतीय कला केन्द्र और गन्धर्व महाविद्यालय पर किए गए जुर्माने के बारे में 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2373 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कला केन्द्र और गन्धर्व महाविद्यालय पर लगाए जाने वाले दुरुपयोग सम्बन्धी आरोपों को इस बीच तैयार करा लिया गया है और उन्हें सूचित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और यह धनराशि कितनी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन संगठनों का विवरण क्या है जिन्हें किराए पर भी जगह दी गई थी और कितना क्षेत्र किराए पर दिया गया है और भारतीय कला केन्द्र तथा गन्धर्व महाविद्यालय ने जगह किन तारीखों से किन तारीखों तक किराए पर दी थी ?

खेल विभाग के निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारतीय कला केन्द्र के सम्बन्ध में शर्तों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है। गान्धर्व महाविद्यालय के सम्बन्ध में दुरुपयोग तथा अनधिकृत निर्माण के अस्थाई नियमितीकरण के लिए 109103 रुपए की राशि की सूचना 5-6-1984 को पहले ही दी जा चुकी है।

(घ) सूचना इस प्रकार है :

क्रम सं०	संगठन का नाम	क्षेत्र	जिस तारीख से किराये पर दिया गया
1.	**भारतीय कला केन्द्र**		
	(1) कथा केन्द्र संगीत अकादमी	4307.20 वर्ग फुट	1-1-70 से 31-5-75 तक
	(2) पर्यटन मंत्रालय (टी० एफ० जैट० एस एकक)	4307.20 वर्ग फुट	अवधि का पता नहीं
	(3) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4307.20	1-5-70 से

1	2	3	4
		वर्ग फुट	28-2 78 तक
2.	**गान्धर्व महाविद्यालय**		
	(1) मैसर्ज रोमफ्रे एण्ड सन्स	3680 वर्ग फुट	12-1-78 से अद्यतन
	(2) टी० आर० टाकूलिया	338 वर्ग फुट	3-2-82 से अद्यतन
	(3) अनधिकृत निर्माण का क्षेत्र	3680 वर्ग फुट	20-12-74 से अद्यतन

वेलाकोट बांध तथा पोन्नारु नदी के बीच के वन को नष्ट करने के लिए आन्ध्र प्रदेश द्वारा मांगी गई अनुमति

2075. **श्री डी० एस० ए० (शिवप्रकाश)** शिव प्रकाश

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलगू-गंगा-नहर की खुदाई के लिए वेलाकोट बांध तथा पोन्नारु नदी के बीच फैले सरकारी धन को नष्ट करने के लिए अनुमति मांगी है ;

(ख) यह निवेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ था ; और

(ग) क्या अनुमति दी गई थी; यदि हां, तो किस तारीख को और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) आंध्र-प्रदेश सरकार से तेलगू-गंगा परियोजना के लिए 9937 हैक्टार बन भूमि निमुंक्त किए जाने का एक प्रस्ताव 3 मार्च, 1984 को प्राप्त हुआ था।

(ग) चूंकि यह एक बड़ी परियोजना है जिसके लिए पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुमति लिया जाना जरूरी है, अत: राज्य सरकार को केन्द्रीय पर्यावरण विभाग से ऐसी अनुमति लेने की सलाह दी गई है। इसके अलावा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत राज्य सरकार का प्रस्ताव अधूरा होने की वजह से राज्य सरकार से और जानकारी मांगी गई है।

वनस्पति की खपत

2076. **श्री अमृत पटेल :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से तथा जब उद्योग को कम मूल्य के आयातित खाद्य तेल की बड़े पैमाने पर सप्लाई शुरू की गई थी तब से वनस्पति निर्माताओं द्वारा विभिन्न राज्यों को वनस्पति भेजे जाने के आंकड़ों से वनस्पति की खपत की क्या प्रवृत्ति दिखाई देती है; और

(ख) क्या राज सहायता प्राप्त वनस्पति की खपत अधिकतर उत्तर भारत के छोटे से भाग में ही हो जाती है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जैसाकि संलग्न विवरण से स्पष्ट होगा, वनस्पति की खपत देश भर में होती है।

विवरण

पिछले छः वर्षों के दौरान वनस्पति की राज्य-वार खपत (प्रेषण)

(वित्तीय वर्ष-वार)

राज्य	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	50,278	52,102	54739	57464	69211	73,081
हरियाणा	30,645	31,756	33427	39819	41073	47,052
जम्मू और कश्मीर	2,198	2,278	2398	4666	9704	13,215
पंजाब	73,596	76,162	80171	96383	107330	1,06,817
राजस्थान	31,666	32,814	34436	37666	50857	51,312
उत्तर प्रदेश	1,12573	1,16,603	122740	160374	181072	1,82,980

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	6,436	6,669	7020	9520	7426	7,797
चंडीगढ़	6,136	6,358	6690	7394	8715	11,107
आन्ध्र प्रदेश	17,122	17,743	18677	23045	26309	25,312
कनर्टाक	9,490	10,145	10679	16415	21646	22,103
केरल	3,310	3,430	3611	4171	3004	5,109
तमिल नाडू	16499	17,098	17998	18966	21657	24,427
पांडिचरी	394	408	424	293	187	388
असम	6,613	6852	7213	8695	10670	13,089
बिहार	37,333	38,687	40717	51305	60298	56·976
उड़ीसा	7,619	7,8 5	8311	9901	11920	11,757
पश्चिम बंगाल	37,174	38,522	40549	42098	48925	48,912

पिछले छः वर्षों के दौरान वनस्पति की राज्य-वार खपत (प्रेषण)

(वित्तीय वर्ष-वार)

1	2	3	4	5	6	7
मनीपुर	276	286	701	157	235	201
त्रिपुरा	90	93	98	150	42	155
नागालैंड	556	579	910	452	631	9,187
मेघालय	64	66	70	204	325	130
अंडमान निकोबार द्वारा	23	24	25	2	22	15
मध्य प्रदेश	21,656	22,442	23623	30253	43217	44,102
गुजरात	30,051	31,141	32780	37403	48185	44,109

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	50,278	52,102	54841	67550	71683	87,506
गोवा	741	798	809	863	940	1,101
रक्षा	16,455	17,052	17950	2229	—	18,022
निर्यात	1,429	1481	1559	1001	968	227
अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	18	30	52
मिजोरम	—	—	—	—	—	—
सिक्किम	—	—	—	—	—	—
दादरा	—	—	—	—	44	107
योग :	5,71,004	5,91,556	622469	745464	846986	8,98,348

अशोक विहार में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का निर्माण

2077. **श्री जुल्फिकार अली खां :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक विहार चरण-1 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के (मध्यम आय वर्ग के) फ्लैटों के निर्माण का कार्यक्रम क्या है ; और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण में उपरोक्त क्षेत्र के लिए पंजीकृत आवेदकों को कितने फ्लैट दिए जाने की आशा है ;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अशोक विहार में मध्यम आय वर्ग के 144 मकान निर्माणाधीन हैं और उनके दिसम्बर, 1984 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

(ख) फ्लैटों के पूर्ण हो जाने तथा आबंटन के लिए उपलब्ध होने के बाद ही विशिष्ट ड्रा निकाला जायेगा ।

खाद्य और पोषाहार बोर्ड के पास चलते-फिरते विस्तार एकक (मोबाइल एक्सटेंशन यूनिट)

2078. **श्री धर्मदास शास्त्री :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य और पोषाहार बोर्ड के पास कितने चलते-फिरते विस्तार एकक उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार खाद्य और पोषाहार बोर्ड की गतिविधियां अधिक से अधिक क्षेत्रों में बढ़ाने में असमर्थ रही है ;

(ग) क्या खाद्य और पोषाहार बोर्ड की गतिविधियों को बढ़ाने और अधिक चलते-फिरते विस्तार एकक स्थापित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि आदि की सहायता प्राप्त करने के कोई प्रयास किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) मोबाइल खाद्य तथा पोषाहार विस्तार यूनिटों की संख्या 31 है।

(ख) पिछले कई वर्षों में खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड के कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र अन्तरांष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता प्राप्त हुई है। खाद्य और कृषि संगठन ने वाहन, दृश्य प्रचार और अन्य उपकरण, जिनका मूल्य लगभग 1,25,000 अमरीकी डालर बैठता है, देकर 17 मोबाइल खाद्य तथा पोषाहार यूनिटों को स्थापित करने में सहायता की है। यूनिसेफ ने मिलटोन (दूध जैसा पेय), तुरन्त खाए जाने वाले आहारों, शक्ति देने वाले आहारों तथा बाल अमूल का उत्पादन करने के लिए मशीनरी, उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जे दिए हैं। इसने पोषाहार विस्तार संबंधी कार्यक्रमों में इस्तेमाल करने के लिए दृश्य-प्रचार का उपकरण भी दिया है। यूनिसेफ की कुल सहायता लगभग 27,82,000 अमरीकी डालर बैठती।

खाद्य और पोषाहार बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

2079. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य और पोषाहार बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या खाद्य और पोषाहार बोर्ड में पदोन्नतियों के अवसर बहुत ही सीमित हैं और कर्मचारियों में भारी असन्तोष है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) खाद्य और पोषाहार बोर्ड के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है :—

समूह	क	48
समूह	ख	78

समूह	ग	233
समूह	घ	153
जोड़		512

(ख) से (घ) खाद्य और पोषाहार बोर्ड के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर, कुल मिलाकर, अपर्याप्त नहीं है। तथापि, हाल ही में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

सरोजनी नगर में पेयजल की कमी

2080. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि सरोजनी नगर, नई दिल्ली के आई ब्लाक में पीने के पानी की कमी है।

(ख) क्या यहां के निवासियों को पीने का पानी पास के ब्लाकों से लेना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस ब्लाक के निवासियों के लिए पीने के पानी सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

खेल विभाग निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में मंत्री उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका का प्रभावित क्षेत्रों के लिए बूस्टिंग पम्प का प्रबन्ध करके एक और भूमिगत टैंक बनाने का प्रस्ताव है।

स्किम्ड मिल्क पाउडर की उपहार स्वरूप सप्लाई के लिए विदेशी स्रोतों का करार

2081. **श्री बी० डी० सिंह :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आपरेशन फलड दो कार्यक्रम के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा पाउडर तथा बटर आयल की उपहार स्वरूप सप्लाई के लिए किन-किन देशों के साथ करार किये

थे और प्रत्येक देश ने कितना स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर आयल देने का वचन दिया और 1 अगस्त 1984 तक वर्षवार कितनी मात्रा सप्लाई की गई और उनमें यदि कोई कमी रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) क्या सी० एल० यू० एस० ए० द्वारा उपहार स्वरूप दिये गये स्किम्ड मिल्क पाउडर का प्रति टन का मूल्य वही था जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त पाउडर का है; और

(ग) सी० एल० यू० एस० ए० ने कुल कितना स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर आयल उपहार स्वरूप देने का वचन दिया है और यह करार किस तारीख को किया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय आपरेशन फ्लड 11 परियोजना हेतु 6 वर्षों की अवधि में 1,86,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और 76,200 मीटरी टन बटर आयल/बटर का दान देने के लिए सहमत हो गया था। खाद्य सहायता संबंधी करारों पर भारत सरकार और आर्थिक समुदाय के बीच हस्ताक्षर किये गये हैं जिसमें 1978 से 1983 के 6 वर्षों के लिए जिन्सों की उपहार स्वरूप सप्लाई की व्यवस्था है।

1978-79 से 1983-84 तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय से जिन्सों की उपहार स्वरूप वर्षवार प्राप्त की गई मात्रा नीचे दी गई है :—

(मात्रा मीटरी टन में)

वर्ष	स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	बटर
1978-79	6956·274	349·153	—
1979-80	28216·250	9712·730	1282·000
1980-81	13531·025	9372·780	850·000
1981-82	73643·712	14035·170	3968·250
1982-83	37572·528	9331·050	3456·750
1983-84	7694·700	599·260	600·000
जोड़ :	167614·542	46542·143	10156·000

1 अप्रैल से 1 अगस्त, 1984 तक जिन्सों की उपहार स्वरूप प्राप्त की गई मात्रा के सही आंकड़े भारतीय डेरी निगम से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) भारतीय बन्दरगाहों पर सी० एल० यू० एस० ए० और यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा जिन्सों की उपहार स्वरूप सप्लाई निशुल्क की जा रही है अतः प्रति टन मूल्य का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) 3·5·84 को भारतीय डेरी निगम और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहकारी संघ (सी० एल० यू० एस० ए०) के बीच हुए करार के अनुसार सी० एल० यू० एस० ए० बफर स्टाक का सृजन करने के लिए अमेरिका से 20,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण का दान देगा।

जनेवा में संयुक्त राष्ट्र चीनी सम्मेलन वार्ता असफल

2082· **श्री बी० वी० देसाई :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चीनी समझौता करने के उद्देश्य से जनेवा वार्ता के असफल होने से भारत के चीनी बाजार पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी निर्यात कोटा निर्धारित करने संबंधी नया समझौता करने में जनेवा में संयुक्त राष्ट्र चीनी सम्मेलम वार्ता कुछ प्रमुख चीनी निर्यातक देशों के कड़े रवैये के कारण असफल हो गई ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए भारत को इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कमी का सामना करना पड़ेगा ;

(घ) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णय का भारत की स्थिति पर किस सीमा तक क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र चीनी सम्मेलन के विफल हो जाने के परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1977 दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार 1-1-1985 से चीनी के निर्यात/आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) संयुक्त राष्ट्र चीनी सम्मेलन के कोई नया करार करने में विफल होने से चीनी के निर्यात/आयात पर लगे सभी प्रतिबन्ध समाप्त हो जाते हैं। इसमें भारत पर कोई कुप्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि उत्पादित चीनी के अधिकांश भाग की देश में ही खपत हो जाती है और चीनी की केवल थोड़ी सी मात्रा निर्यात की जाती है। भावी निर्यात के लिए हमारी आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति के संदर्भ में, समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी पर कातिलाना हमला

2083. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी पर कातिलाना हमला किया गया था जिससे वह अर्ध विकलांग हो गए क्योंकि उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की सांठ गांठ से कुछ ठेकेदारों द्वारा कराए गए घटिया निर्माण कार्य का भण्डाफोड़ किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में तथा भ्रष्टाचार में संलग्न लोगों का भण्डाफोड़ करने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कोटि नियन्त्रण कक्ष के एक वरिष्ठ कार्यपालक इन्जीनियर पर घातक आक्रमण किया गया था जिसे कोटि नियंत्रण जांच तथा सतर्कता मामलों की जांच का कार्य सौंपा गया था।

(ख) मामला पुलिस की जांचाधीन है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली से अपराधियों का पता लगाने की दृष्टि से इस मामले की जांच पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कोटि नियन्त्रण के कार्यपालक इन्जीनियरों तथा सतर्कता कक्ष के अधिकारियों द्वारा सरकारी ड्यूटी अदा करने के लिए सरकारी गाड़िया देने का निर्णय लिया है।

उर्वरकों के मूल्य

2084. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के वर्तमान मूल्य बहुत पहले नाइट्रोजनयीय उर्वरकों के नवम्बर, 1977 में और फास्फेटिक उर्वरकों के फरवरी, 197 में निर्धारित किए गए थे और उनमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार को कितना घाटा हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नाइट्रोजन एवं फासफेट युक्त दोनों प्रकार के उर्वरकों की कीमतों में नवम्बर, 1977 से चार बार संशोधन किया गया है अर्थात् 10-3-79, 8-6-80, 11-7-81 और 29-6-83 को । गत 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उर्वरकों पर दी गई राज सहायता निम्नलिखित है :

वर्ष	राज सहायता की राशि (करोड़ रुपये में)
1979-80	602·58
1980-81	505·26
198 -82	375·22
1982-83	605·36
1983-84	1041·83

बूचड़खानों में स्वस्थ पशुओं के वध के संबंध में राज्यों को निर्देश

2085. **डा० वसन्त कुमार पंडित** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से कहा था कि वे बूचड़खानों में स्वस्थ गोजातीय पशुओं के वध के प्रति अधिक सतर्क रहें और कठोरता बरतें ;

(ख) प्रधान मंत्री के सुझावों पर प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ;

(ग) कितनी राज्य सरकारों ने सामान्य औपचारिक स्वीकृति देने से पहले पशुओं के निरीक्षण के लिए" प्राधिकृत समिति" नियुक्त की है ;

(घ) ऐसा न करने वाले राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ;

(ङ) क्या जनता ने शिकायत की है कि राज्यों के प्राधिकारी गोजातीय पशुओं की रक्षा के बारे में, विशेषकर उन स्थानों पर जहां विशाल आधुनिक बूचड़खाने हैं, संवैधानिक उपबंधों को सख्ती से कार्यान्वित करने में असफल रहे हैं ; और

(च) यदि हां, तो आचार्य विनोबा भावे को इस संबंध में दिए गए आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां । प्रधान मन्त्री ने फरवरी, 1982 में 14 राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बैलों के कथित बध के बारे में एक पत्र लिखा था ।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों का सारांश विवरण में दिया गया है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) ऐसी समिति की नियुक्ति करना राज्य सरकार की मरजी पर निर्भर है ।

(ङ) स्वस्थ मवेशियों का अंधाधुंध वध किये जाने के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं । महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गोवा के आधुनिक बूचड़खानों के कार्य का सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ।

(च) गायों और बछड़ों आदि के वध पर निषेध को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए संविधान करने के प्रयोजन से लोक सभा में 18-5-1979 को एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था । तत्कालीन लोक सभा भंग हो जाने के कारण, विधेयक रद्द हो गया ।

विवरण

राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों के सारांश

आन्ध्र-प्रदेश : यह निर्णय लिया गया है कि अधिनियम को लागू करने के लिए दिये गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए ।

असम : असम सरकार ने सूचितकिया है कि गो-हत्या पर प्रतिबन्ध को अधिक कारगर बनाने के लिए 1976 में पशु संरक्षण अधिनियम का संशोधन किया गया था। विद्यमान कानून के अनुसार, किसी अर्हता प्राप्त पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा भली भांति निरीक्षण किए बिना किसी मवेशी का वध नहीं किया जा सकता। क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे कानूनी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिक सतर्कत बरतें। कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समितियों के गठन संबंधी मामले पर सरकार विचार कर रही है।

बिहार : 1956 में, जब 1956 का बिहार अधिनियम-2 बनाया गया थ,गादयों और बछड़ों, सांड़ों और बैलों तथा भैंसों के वध पर सांधिधिक रोक लगा दी गई थी। स्वस्थ दुधारु मवेशियों की संरक्षा के लिए बिहार विधानसभा में 1982 में गायों बैलों और भैंसों के राज्य से बाहर निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में एक कानून बनाया गया था। इन प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। जिलाधीशों को निर्देश दिये गये हैं कि वे गो-हत्या पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध अनुपालन का परिक्षण करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों तरह के सदस्यों (जहां भी बूचड़खाने मौजूद हैं) की समितियां बनाएं।

गुजरात : बम्बई पशु संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गायों और उनकी मादा सन्तति के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम के एक संशोधन द्वारा 16 साल से कम आयु के नर सन्तति का भी वध नहीं किया जा सकता। राज्य में 32 बूचखाने हैं जिनमें से केवल चार में 16 साल की उम्र के सांड़ों/ बैलों का वध किया जाता है। मुख्य मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि समितियां नियुक्त करने के सुझाव पर विचार किया जाएगा।

हरियाणा : हरियाणा में गो-हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और राज्य ऐसा कोई बूचड़खाना नहीं है, जहां गायों का वध किये जाने की अनुमति हो। इसलिए, मवेशियों के निरीक्षण के लिए समितियां नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं गायों का निर्यात करने की अनुमति दी जाती है, जो प्रजनन के काम में आती हैं और वह निर्यात भी अनुज्ञापत्र जारी किये जाने पर होता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक को एक हलफनामा देना पड़ता है, जिसमें यह लिखा होता है कि गाय का केवल प्रजनन के काम प्रयोग किया जाएगा। जिला प्राधिकारियों को कानून के उचित ढंग से लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश गो-हत्या प्रतिबंध अधिनियम, 1979 बना लिया है। इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उन्होंने गायों और बैलों के किसी दुर्भावनापूर्ण वध के खिलाफ काफी सुरक्षा की व्यवस्था की है।

कर्नाटक : कर्नाटक गो-हत्या निवारण और पशु संरक्षल अधिनियम, 1994 पूरे राज्य में लगा हुआ है। सरकारी अधिकारियों और राज्य, जिला और तालुका स्तर पर संबंधित सामाजिक संगठनों और मंचों के प्रतिनिधियों को शामिल करके निरीक्षक समितियों का गठन किया गया है।

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत गायों तथा इसकी सन्तति के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है। वध करने के लिए राज्य से मवेशियों को ले जाने पर भी पाबन्दी है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत, गो हत्या पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) अधिनियम के लागू किये जाने की संवीक्षा करने के लिए पशुपालन और डेरी विकास के मन्त्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर की समिति स्थापित की गई है ;

(2) पर्यवेक्षक समितियां भी गठित की गई हैं और इन्होंने राज्य के सभी मुख्य बूचड़खानों में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। ये समितियां बध किए जाने के लिए लाये गए पशुओं की प्रमाण-पत्र देने के कार्य पर निगरानी रखती हैं।

(3) सभी मुख्य बूचड़खानों पर पशु चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है, ताकि पशु चिकित्सा कर्मचारियों को पशुओं की समुचित जांच तरने के लिए यथेष्ट समय मिल सके।

उड़ीसा : उड़ी राज्य ने उड़ीसा गो-हत्या निवारण अधिनियम, 1960 बनाया है। व्यापक नियम तैयार किए गए हैं और कार्यकारी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने के संबंध में कार्यपद्धति का भी उल्लेख है। पशुओं के बध करने का कारण बताकर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

पंजाब : राज्य सरकार ने राज्य में गायों और उनकी सन्तति के वध पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में वध करने के लिए गाय के निर्यात पर पूरी तरह से रोक है और वध करने के अलावा अन्य किसी काम के लिए गायों के निर्यात के लिए परमिट देने हेतु एक विस्तृत कार्यपद्धति तैयार की गई है और ऐसे अनुज्ञा पत्र जारी करने की शक्ति राज्य के पशु चिकित्सा अधिकारियों को दी गई।

किसी व्यक्ति/पार्टी को गाय के निर्यात की आज्ञा प्रदान करने से पहले पशु चिकित्सा अधिकारियों को सलाह देने और उनकी सहायता के लिए जिला सलाहकार समितियां गठित की गई हैं और इस समिति को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कारगर अमल के बारे में भी सलाह देनी होती है।

उत्तर प्रदेश : जिलाधीशों और राज्य पुलिस विभाग को गो-हत्य अधिनियम को लागू करने के बारे में अधिक सतर्कता बरतने और उन खामियों को, जिनसे बेईमान लोग फायदा उठाते हैं, दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय समितियों से कहा गया है कि वे किसी न किसी बहाने गायों और इनकी सन्तति के अलैध रूप से वध करने पर निगरानी रखें और कानून को लागू करने वाली एजेंसियों को इसकी रिपोर्ट करें। मंडलायुक्तों को भी इस मामले में पर्यवेक्षणात्मक निगरानी रखने के लिए कहा गया है।

जम्मू और कश्मीर : जम्मू और कश्मीर में गो-हत्या एक दण्डनीय अपराध है। गो-हत्या के अपराध पर सजा दी जा सकती है जिसके लिए दस साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।

राजस्थान : राज्य सरकार ने प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से गो-हत्या पर पूर्ण रोक लगा दी है और इसके राज्य से बाहर ले जाने पर भी प्रतिबंध है। समाहर्त्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि हत्या करने के उद्देश्य से किसी भी मवेशी को राज्य से बाहर नहीं ले जाया जाता है।

राजस्थान में तेल उद्योगों को बिजली के लिए राज सहायता

2086. **श्री विरदाराम फुलवारिया** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में तेल उद्योगों को बिजली के लिए 20 प्रतिशत की राजसहायता नहीं मिलती हैं जबकि शेष उद्योगों को बिजली के लिए राजसहायता मिल रही है ;

(ख) क्या चार वर्ष पूर्व तेल उद्योगों को बिजली के लिए राज सहायता प्राप्त थी;

(ग) राजस्थान में इन उद्योगों को बिजली के लिए राज सहायता मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य राज्यों में ऐसे उद्योगों को यह राज सहायता प्राप्त है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) व (ख) जिन स्थानों में जनसंख्या 25000 से कम हैं, वहां 1-4-1979 से 31-3-1984 तक की अवधि के दौरान लगाए गए खाद्य उत्पाद उद्योगों को, जिनमें तेल उद्योग शामिल है, बिजली के लिए 25 प्रतिशत की दर से राजसहायता दी जाती है। 19-9-78 से 31-3-1979 की अवधि के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में लगाए गए खाद्य उत्पाद उद्योग, जिनमें तेल उद्योग शामिल हैं, बिजली के लिए राजसहायता के पात्र थे।

(क) से (घ) ग्रामीणक्षेत्रों में खाद्य उद्योगों, जिनमें तेल मिलें, आटा मिलें दाल मिलें आदि शामिल हैं, को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय किया गया था कि उन्हें बिजली के लिए 25 प्रतिशत राजसहायता दी जाए, जो कि 25000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उत्पाद उद्योग लगाने पर लागू उद्योग एककों को दी जाती है।

छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा सहकारी संमितियों से लिए गए ऋणों को बट्टे-खाते

2087. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित छोटे और सीमांत किसानों द्वारा विभिन्न सहकारी निकायों से लिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालने का निणंय लिया था ;

(ख) क्या कुछ राज्यों में भी इस प्रकार ऋणों को बट्टे खाते में डाला है ;

(च) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं तथा मध्य प्रदेश सहित उन राज्य द्वारा कितनी धनराशि बट्टे खाते डाली गई है ;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध व्यक्तियों सहित छोटे और सीमांत किसानों को सहकारी निकायों से लिए गए ऋण के बंधन से मुक्त करने के हेतु वही रुख अपनाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो इस राज्य द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) मध्य प्रदेश सरकार ने अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के अन्तर्गत 10 एकड़ तक भूमि जोत वाले किसानों से वसूल न की जा सकने वाली राशि की वसूली को छोड़ देने के लिए हाल ही में निर्णय किया है ।

(ख) और (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों ने कमजोर वर्ग के सहकारी ऋण लेने वालों को इसी तरह की समान रियायतें प्रदान की थी । ये इस प्रकार हैं :—

1.	महाराष्ट्र	45.03 करोड़ रुपये	1980-81 एवं 1981-82
2.	तमिलनाडु	98.90 करोड़ रुपये	1979-80 1982-83
3.	कर्नाटक	0.77 करोड़ रुपये	1980-81
4.	मध्य प्रदेश	8.00 करोड़ रुपये	(अनुमान)

चूंकि सहकारी ऋण संस्थाये वित्तीय भार को वहन करने में असमर्थ हैं, इसलिए संबंधित राज्य सरकार बट्टे खाते में डाली गयी ऋण की राशि से सहकारी समितियों की प्रतिपूर्ति करती है ।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है ।

गोदामों में दोषपूर्ण भंडारण के कारण हानि

2088. **श्री आर० आर० भोले :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न भंडारण के लिए कितने सरकारी गोदाम हैं और उन गोदामों की भंडारण क्षमता कितनी है ; और वो किस प्रकार के गोदाम हैं ;

(ख) वर्ष 1981-82, 2982-83 और 1983-84 के लिए कितना रक्षित भंडार रखा गया था और 1984-35 में कितना भंडारण किए जाने का अनुमान है ; और

(ग) गोदामों में दोषपूर्ण भंडारण केकारण कितनी हानि हुई और क्या उक्त दोषों की समस्याओं का पता लकाया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी, विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) 30-6-1984 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास काफी अधिक भण्डारण करने के लिए अपने 456 गोदाम-439 रूढ़िगत और 17 साइलो हैं। खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए इन गोदामों की कुल भण्डारण क्षमता 87 लाख मीटरी टन है। राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सनकारी एजेन्सियों के पास खाद्यान्नों का कुल में स्टाक 1-7-1982, 1-7-1983 तथा 1-7-1984 को क्रमश: 154-9 लाख मीटरी टन, 169-6 लाख मीटरी टन और 215.5 लाख मीटरी टन था। इस समय यह बता पाना संभव नहीं है कि 1-7-1985 को कितना प्रत्याशित स्टाक होगा।

(ग) भारतीय खाद्य निगम को दोषपूर्ण गोदामों के कारण कोई हानि नहीं हुई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	गोदामों की संख्या	भण्डारण क्षमता हजार मीटरी टन में
1.	असम	17	201·54
2.	आंध्र प्रदेश (विजाग पत्तन की क्षमता सहित)	25	552·07

1	2	3	4
3.	बिहार	18	337.95
4.	दिल्ली	3	168·64
5.	गुजरात	6	157·97
6.	हरियाणा	28	418·17
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—
8.	जम्मू तथा कश्मीर	5	24·00
9.	केरल	19	385·77
10.	कर्नाटक	8	94·89
11.	मध्य प्रदेश	42	674·53
12.	महाराष्ट्र	12	951·90
13.	मणिपुर	1	5·25
14.	मेघालय	2	10·00
15.	मिजोरम	1	5·00
16.	नागालैंड	1	0·50
17.	उड़ीसा	19	213·00
18.	पंजाब	110	1742·72
19.	राजस्थान	34	436·00
20.	तमिलनाडु (मद्रास पत्तन की क्षमता सहित)	41	513·67
21.	त्रिपुरा	1	5·84

1	2	3	4
22.	उत्तर प्रदेश	39	1100·11
23.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता पत्तन की क्षमता सहित)	24	705·21
	जोड़—	456	8704-83

वन अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना

2086. **श्री रामलाल राही :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन सेवा को अधिक आकर्षक बनाने के लिए वन अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतन्त्र क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र का दर्जा देने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वन अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने तथा उनकी श्रेणी को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई क्षमता की उपलब्धि

2090. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से 1985 तक की योजनावधि के दौरान 137.4 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता बनाने के लक्ष्य की तुलना में अब तक की उपलब्धि क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : छठी योजना अवधि में 13·74 मिलियन हैक्टेयर को सिंचाई क्षमता के सृजन करने के लक्ष्य के मुकाबले 1983-84 के अन्त तक 9·1 मिलियन हैक्टेयर तक की प्रत्याशित उपलब्धि की सम्भावना है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत संघ शासित प्रदेशों और राज्यों को धनराशि का आबंटन

2091. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारेन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत संघ शासित प्रदेशों/राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): 1984-85 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को अब तक 19,062,875 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। बंटित निधियों की राज्यवार/केन्द्र शासित क्षेत्रवार स्थिति **विवरण-1** में दर्शाई गई है। इसके अलवा, वर्ष 1984-85 की पहली दो तिमाहियों हेतु आबंटित खाद्यान्नों पर आर्थिक सहायता के रूप में 598·397 लाख रुपए की धनराशि बंटित की गयी है। इस प्रायोजन के लिए बंटित निधियों की राज्यवार केन्द्र शासित क्षेत्रवार स्थिति **विवरण-2** में दर्शाई गई है।

विवरण-1

वर्ष 1984-85 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निधियों के बंटन को दर्शाने वाला विवरण

(1-8-84 तक की स्थिति)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	बंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	1977·50
2.	असम	197·69
3.	बिहार	2846·00
4.	गुजरात	501·88

1	2	3
5.	हिमाचल प्रदेश	120·00
6.	जम्मू व कश्मीर	150·00
7.	कर्नाटक	938·50
8.	केरल	938·50
9.	मध्य प्रदेश	1536·375
10.	महाराष्ट्र	1578·00
11.	उड़ीसा	898·50
12.	पंजाब	75.32
13.	राजस्थान	476·00
14.	तमिलनाडु	1777·50
15.	त्रिपुरा	12·49
16.	उत्तर प्रदेश	3405·50
17.	पश्चिम बंगाल	1538·30
18.	गोवा दमन व दीव	27·00
19.	मिजोरम	24·00
20.	पांडिचेरी	20·00
21.	चण्डीगढ़	2·80
22.	दिल्ली	12·00
23.	लक्षद्वीप	6.00
	कुल : रु०	19,062·875 लाख

विवरण-2

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के बारे में खाद्यान्नों के लिए अग्रिम आर्थिक सहायता के बंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	बंटित धनराशि (रुपये में) (1-8-84 तक की स्थिति)
1.	आंध्र प्रदेश	47,02,500
2.	असम	12,82,500
3.	बिहार	77,53,350
4.	गुजरात	16,44,650
5.	हरियाणा	2,99,700
6.	हिमाचल प्रदेश	3,36,700
7.	कर्नाटक	34,35·200
8.	केरल	22,32,500
9.	मध्य प्रदेश	52,00,600
10.	महाराष्ट्र	60,90,200
11.	मणिपुर	53,200
12.	मेघालय	09,300
13.	नागालैंड	47,500
14.	उड़ीसा	35,62,500
15.	राजस्थान	12,33,950
16.	तमिलनाडु	60,40,100
17.	त्रिपुरा	1,95,700

1	2	3
18.	उत्तर प्रदेश	90,11,350
19.	पश्चिम बंगाल	59,34,800
20.	जम्मू ब कश्मीर	3,57,200
21.	सिक्किम	41,800
22.	अरुणाचल प्रदेश	41,800
23.	गोवा, दमन व दीव	49,950
24.	मिजोरम	38.000
25.	पांडीचेरी	38.000
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	50,900
27.	चण्डीगढ़	7,400
28.	दादरा नगर हवेली	34,200
29.	लक्षद्वीप	9,500
30.	दिल्ली	16,650
	कुल : रु०	590,39,700

दालों की खेती को लोकप्रिय बनाने की नीति

2092. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न भागों में दालों की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए एक नीति तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रवर्धन उन्नत बीजों के उपयोग फास्फेटी उर्वरकों तथा रिजोबियम खेती, पौधा संरक्षण उपायों को अपनाने समर्थन मूल्य तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रचार की आवश्यकता पर विचार किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) दालों की खेती को लोकप्रिय बनाने की नीति के सम्बन्ध में ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(1) सिंचित क्षेत्रों में दालों का विस्तार करना ;

(2) रबी मौसम में बची हुई दमी का उपयोग करके चावल की परती भूमि में दालों की अल्पकालिक किस्मों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना।

(3) तिलहन, गन्ना, आलू, गेहूं के पश्चात् सिंचाई करके अंतर्वती फसल के रूप में ग्रीष्म मूंग की अल्पकालिक किस्मों की खेती करना ;

(4) सिंचित और असिंचित दोनों स्थितियों में सोयाबीन बाजरा, कपास, गन्ना और मूंगफली में अरहर की अन्त: फसल उगाना ; और

(5) उन्नत दलहन बीज में वृद्धि तथा उपयोग, फास्फेटयुक्त उर्वरकों रिजोबियम कल्चर का उपयोग, वनस्पति रक्षण उपाय अपनाना, मूल्य समर्थन तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रचार करना।

(ग) जी, हां।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

2093. **श्री जी० भूपति** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सिंगनूर, जुराला, इलरु तथा बंसधारा द्वितीय चरण सिंचाई परियोजनाओं तथा कुछ अन्य मध्यम परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाय मिश्र) : (क) जिन 4 बृहद्ध परियोजनाओं

का उल्लेख किया गया है, वह अभी योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं तथा इस समय केन्द्रीय जल आयोग में राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से तकनीकी जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश ने 5 नई मध्यम परियोजाएं रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी जांच तथा योजना को स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजी हैं जिस पर राज्य से भी पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

(ख) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण राज्यों द्वारा स्वयं किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है और किसी विकास के क्षेत्र अथवा किसी परियोजना से जुड़ी नहीं होती है।

बाढ़ से हुआ नुकसान

2094. **श्री एन० ई० होरो :**

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाढ़ से पिछले वर्ष राज्य-वार हुए नुकसान का ब्यौरा प्राप्त कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य-वार प्रभावित इलाकों, क्षतिग्रस्त फसल और क्षतिग्रस्त जल-उपयोगी वस्तुओं के मूल्य का भी कोई अध्ययन करवाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) किए गए मूल्यांकन तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, वर्ष 1983 के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान तथा इससे प्रभावित क्षेत्रों की राज्यवार सूचना सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	फसलें (मूल्य लाख रुपए में)	अनुमानित हानि मूल्य (मूल्य लाख रुपए में)	जनसुविधाएं (मूल्य लाख रुपए में)	फसलों, मकानों तथा जन-सुविधाओं की कुल हानी (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	25·33	31290·01	4567·57	26453·04	62310·62
2.	असम	7·26	1474·34	115·67	4027·85	5617·86
3.	बिहार	14·68	2343·36	118·17	166·85	2628·38
4.	गुजरात	30·42	3751·58	8825·93	9211·60	21799·11
5.	हरियाणा	4·80	3228·00	161·26	1707·30	5096·56

1	2	3	4	5	6	7
6.	हिमाचल प्रदेश	1·11	2730·71	482·57	503·31	3716·59
7.	जम्मू व कश्मीम	0·02	22·90	6·63	2·00	31·53
8.	कर्नाटक	0·50	263·49	28·58	383·15	675·22
9.	केरल	5·22	70·70	23·38	0·70	94·78
10.	मध्य प्रदेश	0·71	711·20	391·00	988·25	2009·25
11.	महाराष्ट्र	11·27	5375·06	2043.22	3261·90	10680.18
12.	मणिपुर	शून्य	2·25	शून्य	25·00	27·25
13.	मेघालय	4.01	48·00	22·00	235·00	305·00
14.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	उड़ीसा	2·20	326·00	23·00	798·00	1147·00

1	2	3	4	5	6	7
16.	पंजाब	0·39	735·09	78·48	21·23	834.60
17.	राजस्थान	0·21	272·14	247·35	2697·26	3216.75
18.	सिक्किम	0·20	647·32	183·39	1957·10	2787.81
19.	तमिलनाडु	2·17	10254·40	2588·28	8754.90	21597.58
20.	त्रिपुरा	0·83	1543·12	सू० न०	503·10	2046·22
21.	उत्तर प्रदेश	38,34	61910·00	10342.00	25551·00	97803·00
22.	पश्चिम बंगाल	3·79	956·11	392·72	94·14	1442·97
23.	अण्डमान व निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	दादरा नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
27.	दिल्ली	0·15	35·19	शून्य	शून्य	35·19
28.	गोवा, दमन व दीव	सू०न०	1·22	10·38	0·26	11·86
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	पाण्डिचेरी	0·006	सू०न०	सू०न०	सू०न०	सू०न०
	कुल	153·676	127991·69	30661·68	87342·94	245996·61

नोट : सू० न० = सूचित नहीं

बारानी खेती अपनाना

2095. श्री हरिहर सोरन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करग ाक :

(क) उनके मंत्रालय में जिन राज्यों में बारानी खेती बहुत आवश्यक है, उन राज्यों में इसको अपनाने के लिए बहुत जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा को बारानी खेती अपनाने के लिए भेजे गए मार्गदर्शी सिद्धांत और वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर बारानी खेती अपनायी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा के कोरापुट जिले में दो केन्द्रीय योजनाए शुरू की गई हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :—

(1) "बारानी खेती के क्षेत्रों के लिए संरक्षण/कटाई प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए मार्गदर्शी परियोजना" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र योजना समेकित पनधारा विकास के लिए वृहत मार्गदर्शी सिद्धान्त भेज दिए हैं। 1983-84 और 1984-85 के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ।

(2) बारानी खेती के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना-बीज तथा उर्वरक डिल, फसल की उन्नत किस्मों का उगाना तथा उर्वरकों के प्रयोग आदि को लोकप्रिय बनाना।

उपकरणों तथा आदानों तथा बीज तथा उर्वरक ड्रिलों की रियायती दर पर सप्लाई की व्यवस्था करके उन्नत सस्य पद्धति के प्रदर्शन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत भेज दिए हैं। 1983-84 और 1984-85 के लिए 24.88 लाख रुपये का आबंटन किया गया है । राज्य सरकार बराबर बराबर अंश उपलब्ध कराएगी।

(ग) बारानी खेती विकास कार्यक्रम राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा के सभी जिलों में शुरू किये गये हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम पंचायतों को जारी किया गया परिपत्र

2096. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों के बीच परिचालित करने के लिए हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिपत्र की विस्तृत विषय वस्तु क्या है ;

(ग) उक्त परिपत्र किस प्रयोजन के लिए जारी किया गया है ; और

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों से इस संबंध में क्या प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) परिपत्र वितरित किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) इसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण हेतु शुरू किए गये विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है तथा इसमें इन कार्यक्रमों के कार्यान्यन में जनता के पूर्ण रूप से शामिल होने का अनुरोध किया गया है । इसमें पंचायती राज की उस महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया है जिसकी उससे सहयोग तथा स्वावलंबन का वातारण तैयार करने तथा आत्मनिर्भता की भावना पैदा करने में भूमिका अदा करने की जाती है । इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि पंचायत गांव की सभी प्रकार की क्षमताओं का मूल रूप है तथा इसमें इस बात का आग्रह किया गया है कि इस संस्थान को जातियता व गुटबन्दी, किसी प्रकार के पक्षपात, द्वेष, प्रत्यारोप अथवा झगड़ों से दूर रखा जाए । इसमें पंचायतों को वर्तमान चुनौती का निर्भीकता तथा ईमानदारी के साथ सामना करने के लिए कहा गया है ।

(घ) राज्यों से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

मोटे अनाज के बीजों की प्रमाणित किस्में

2097. **श्री बोलत राम सारण :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के मोटे अनाज के बीजों की भिन्न भिन्न प्रमाणित किस्मों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चालू फसल के लिए राष्ट्रीय बीज निगम या राज्यों के बीज निगमों के पास मोटे अनाज के बीजों की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है ;

(ग) मोटे अनाज के बीजों की बिभिन्न किस्मों की प्रति किलोग्रम दर क्या है ; और

(घ) किसानों को बीज सप्लाई करने का क्या तरीका है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में कदन्न के बीजों की प्रमाणिकृत/अधिसूचित किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगमों ने खरीफ 1984 के लिए लगभभ 2,19,412 क्विंटल कदन्न के बीज उपलब्ध कराए हैं।

(ग) कदन्न के बीजों की विभिन्न किस्मों की प्रति किलोग्राम बिक्री की दरें एक राज्य से दूसरे राज्य व एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण में भिन्न-भिन्न हैं। तथापि राष्ट्रीय बीज निगम की बिक्री की दरें निम्न प्रकार हैं :—

बाजरे की सभी प्रकार की किस्में	...	8.00 प्रति किलोग्राम
सोरघम की सभी प्रकार की किस्में	...	7 रु० से 11 रु० प्रति किलोग्राम
मक्का की सभी प्रकार की किस्में	...	4.50 रु० - 5.50 रु० प्रति किलोग्राम

(घ) बीज उत्पादक अभिकरणों के बीज किसानों को उनके बिक्री काउन्टरों, विक्रेताओं राज्य कृषि विभागों और सहकारी समितियों के खुदरा केन्द्रों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं।

विवरण

विभिन्न कदन्नों की अधिसूचित किस्मों की सूची

1	2
फसल :	बाजरा
	किस्म
1.	विजय

1	2
2.	एन० एच० बी-5
3.	बालाजी
4.	बी० जे० (के० एम० 1)
5.	बी० के० 560 (के० एम० 2)
6.	नागारजुना
7.	विशाखा
8.	एच० बी० 1
9.	एच० बी० 2
10.	एच० बी० 2
11.	एच० बी० 3
12.	सी० जे० 104
13.	टी० 65
14.	एच० एस० 1
15.	एम० एस० एच० 104
16.	पी० एच० बी० 10
17.	पी० एच० बी० 14
18.	राजको
19.	बी० डी० 111
20.	पी० एस० बी० 8
21.	के० बी० एच० 1
22.	एक्स-4
23.	पूसा 763

1	2
24.	डब्ल्यू० सी० सी० 75
25.	पूसा 46
27.	सी० ओ० 6
28.	जी० एच० बी० 27
बारान थार्ड कवन्न	
1.	कुदिरेबाली-के-2
2.	सी० ओ० 1
3.	बी० एल० मादिरा-8
इटालियन कवन्न	
1.	आर० सी० 118
2.	के० 221
3.	सी० ओ० 4
4.	सी० ओ० 5
5.	के० 2
थोटा कवन्न	
1.	सी० ओ० 2
2.	के० 1
रागी (फिंगर कवन्न)	
1.	गोदावरी
2.	पूरणा
3.	इन्डाफ-1
4.	,, 3

1	2
5.	,, 5
6.	शक्ति
7.	ए० के० पी० 2
8.	दिव्यासिंग
9.	पी० आर० 202
10.	सराधा
11.	सी० ओ० 10
12.	वा० एल० मुंडआ 101
13.	के० 5
14.	के० 6
15.	सी० ओ० 11
16.	के० 7
17.	सी० ओ० 7
18.	बी० एल० मंडुआ
19.	निर्मल
साधारण कदन्न	
1.	के० 1
2.	के० 2
कोडो कदन्न	
1.	जवाहर कीडो-1
2.	जवाहर कौडो-2
3.	सी० ओ० 3
4.	के० 1

मक्का की अधिसूचित किस्में

क्रम सं०	किस्में
1.	अम्बार कम्पाजिट मक्का
2.	ज्वार कम्पोजिट मक्का
3.	संकर मक्का गंगा सफेद-2
4.	संकर मक्का गंगा-5
5.	संकर मक्का दक्कन
5.	संकर मक्का ही-स्टार्च
7.	संकर मक्का दक्कन-101
8.	संकर मक्का हिम-123
9.	विजय कम्पोजिट
10.	विक्रम कम्पोजिट
11.	किसान कम्पोजिट
12.	गंगा-4
13.	सोना कम्पोजिट
14.	सी-1
15.	सी-2
16.	सी-3
17.	सी-6
18.	कम्पोजिट-15
19.	मंसर
20.	निशात
21.	त्रिकुटा

1	2
22.	एम० एम० एच० - 1
23.	संकर मक्का गंगा-3
24.	अगाती-76
25.	मक्की सफद-1
26.	संकर मक्का रणजीत
27.	पासी सलक्टड
28.	मोती कम्पाकिट मक्का
29.	संकर मक्का गंगा-1
30.	वी० एल० मक्का-42
31.	तरुण
32.	टाइप-41
33.	गंगा संकर मक्का-9
34.	हिम 128
35.	वी० एल० मक्का 16
36.	सानानी
37.	प्रताप
38.	वी० एल० अम्बूई पाप कम
39.	क - 1
40.	क० एम० एच० - 1.
41.	चंदन मक्का - 1
42.	चंदन सफेद मक्का-2
43.	चंदन मक्का - 3

1	2
44.	नवीन
45.	दक्कन - 103
46.	संगम
47.	कम्पोजिट लक्ष्मी
48.	अफ्रीकन टाल कम्पोजिट
49.	नवजीत

चारा, दोहरे प्रयोजन और ग्रेन सोरघम सहित सोरघम की अभिसूचित किस्मों की सूची 1

क्रम सं०	किस्में
1.	सी० एच० एस० - 1
2.	सी० एच० एस० - 2
3.	स्वर्णा
4.	सी० एच० एस० - 3
5.	सी० एच० एस० 7 आर
6.	सी० एच० एस० 8 आर
7.	302
8.	370
9.	सी० एस० 3541
10.	सी० एस० वी० 3 (370)
11.	सी० एस० वी० 2 (302)
12.	सी० एच० एस० 5
13.	जे० एस० 20
14.	एस० एल० 44
15.	मुगुठी जाला 5-4-1

1	2
16.	हाइब्रिड आर० एस० एच० 1
17.	148/168
18.	एम० एस० एच० 8
19.	एम० एस० एच० 21
20.	एस० डी० एम० 9
21.	वसन्त 1
22.	विदिशा 60-1
23.	जे० एस० 263
24.	जे० एस० 29/1
25.	मोती
26.	जया
27.	कोयलपत्ती ताल
28.	माऊ टाइप-1
29.	माऊ टाइप-2
30.	सी० एस० बी० - 8 आर०
31.	पूसा चरी-6
32.	जवाहर चरी-6
33.	जवाहर चरी-69
34.	गुजराती ज्वार 108
35.	के० 6
36.	सी० ओ० 23
37.	सी० ओ० 24
38.	क० 7
39.	एस० वी० 1079
40.	सी० एस० एच 9

1	2
41.	एस० एच० सी० 136
42.	यू० पी० चरी 1
43.	एस० पी० वी० 126

राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

2098. **श्री हरीश रावत :**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया और उनके पास इस प्रकार कितनी धनराशि बकाया बची ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा शैल्फ आफ प्रौजैक्टस की मंजूरी से पूर्व इस हर विकास खंड़ों की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए धन का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 1983-84 के दौरान उपलब्ध की गई नकद निधियों तथा उपयोग में लाई गई धनराशि और 1-4-1984 तक उपयोग में न लाई गई बकाया राशि को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण 1 संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-8445/84]

वर्ष 1984-85 के लिए किए गए आवंटन तथा अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार निधियों के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण 2 संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-8545/84]

(ख) प्रत्येक जिले के लिए निर्माण कार्यों की वार्षिक कार्य योजना प्रत्येक खण्ड/जिले के लिए तैयार की गई शैल्फ आफ प्रौजैक्टस के आधार पर तैयार की जाती है । इसे वर्ष के

आरम्भ में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। विद्यमान मार्ग-दर्शिकाओं में खण्ड स्तर पर वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के लिए कोई प्रावधान नहीं है ।

(ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित निगरानी प्रबन्ध किए गए हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मूल्यांकन अध्ययन भी किए जाते हैं ।

वर्षा ऋतु में ट्रालरों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आंदोलन

2099. **श्री चित्त बसु :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तटवर्ती राज्यों के परम्परागत मछुआरे वर्षा ऋतु के महीनों में ट्रालरों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आन्दोलन करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल के पारम्परिक मछुआरों का एक वर्ग जून, जुलाई और अगस्त के वर्षाकालीन महीनों में समुद्र तल से ट्रालरों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के लिए आन्दोलन कर रहा है ।

(ख) केरल सरकार ने तीन सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ताकि कोई फैसला करने से पूर्व इस समस्या की गहराई से जांच की जा सके ।

किसानों के स्वयं-सेवी संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता

2100. **श्री हरिकेश बहादुर :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों के राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक स्वयं-सेवी संगठन को अल्पावधि प्रशिक्षण कैम्प तथा एक राज्य से दूसरे राज्य को किसानों की यात्रा आयोजित करने के लिए दी गई तकनीकी सलाह तथा मंजूर की गई/रिलीज की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों तथा उनके विशेषज्ञों के परामर्श से प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का आयोजन करने के बारे में स्वयं-सेवी संगठनों को सलाह दी जाती है। राज्य सरकार के अधिकारियों को

भी सलाह दी गई है कि वे स्वयं-सेवी संगठनों को कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में आवश्यक तकनीकी मदद दें ।

किसानों के प्रशिक्षण तथा आदान-प्रदान के लिए 1981-82 तथा 1982-83 में मंजूर की गई/नियुक्त की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं०	स्वयं-सेवी संगठन का नाम	1981-82		1982-83	
		प्रशिक्षण	आदान प्रदान	प्रशिक्षण	आदान प्रदान
1.	युवा कृषक एसोशिएसन	7,000	66,650	—	—
2.	राष्ट्रीय किसान संगठन	7,000	75,250	7,000	30,100
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण महिला संघ	7,000	47,300	—	—
4.	कृषि राहत एसोशिएसन	7,000	66,650	—	—

भूमि का अपविकास (डिजरेशन)

2101. श्री हेमवती नंदन बहुगुणा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष 3.06 लाख हेक्टेयर भूमि का अप विकास होने का अनुमान हैं (4 जुलाई 1984 का) बिजनेस स्टेन्डर्ड

(ख) सी० ए० जेड० आर० आई० राजस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार पश्चिम राजस्थान में बहुत बड़े भाग में रेगिस्तान फैल रहा हैं ;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रभावी आयोजन और रेगिस्तान क्रियान्वित सुनिश्चित करने हेतु रेगिस्तान नियंत्रण के लिए एन० ई० पी०, एफ० ए० ओ० युनेस्को डब्ल्यू० एच० ओ०, आई० बी० और आई० एफ० ए० डी० के संयुक्त सलाहकार ग्रुप का गठन करने के बारे में डा० एम० एस० स्वामिनाथन की सिफारिषों पर कोई कार्यवाही की है ;

(घ) सरकार ने राजस्थान में रेगिस्तान नियंत्रण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि

आयोग के प्रति कृषि के प्रतिवेदन पर 1978 में की गई सिफारिशों के आधार पर क्या-क्या योजनाएं तैयार की हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) सरकार को देश में भूमि के व्यपजनन की समस्या की जानकारी है । तथापि, नियमित अन्तराल पर व्यापक सर्वेक्षण के अभाव में व्यपजनन की दर नहीं आंकी जा सकती है ।

(ख) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा किए गए अध्ययनों से इस धारणा की पुष्टि नहीं होती कि पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान की समस्या गम्भीर रूप धारण कर रही है । तथापि, शुष्क क्षेत्र में स्रोतों के क्षीण होने के संकेत मिले हैं ।

(ग) भारत सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न देशों की परियोजनाओं पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रेगिस्तान सम्बन्धी शाखा ने रेगिस्तान पर नियंत्रण रखने के लिए परामर्शदात्री दल की स्थापना की है ।

(घ) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने 1977-78 में राजस्थान में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया था ।

संसद सदस्यों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था

2102. **श्री दया राम शाक्य** :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विट्ठलभाई पटेल हाउस में संसद सदस्यों को दिए गए रिहायशी आवासों में पुराने तथा अपर्याप्त गलीचे और फर्नीचर दिया गया है ;

(ख) क्या विट्ठलभाई पटेल हाउस में रह रहे संसद सदस्यों को कोई विशेष सुविधायें नहीं दी गई हैं; और

(ग) विट्ठलभाई पटेल हाउस में गलीचे और फर्नीचर कब से नहीं दिया गया है और सके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) विट्ठल भाई पटेल हाउस में नया फर्नीचर इसके निर्माण के समय लगाया गया था। इस समम से अस्थाई/स्थाई वस्तुओं को उपयोग के लायक बनाने के लिए समय-समय पर इनका नवीकरण/ मरम्मत की गई है। इस भवन में कोई "पुराना" फर्नीचर भेजा गया स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

(ख) विट्ठल भाई पटेल हाउस में रह रहे संसद सदस्यों के लिए टेनिस कोर्ट, सभा भवन बैडमिंटन खेलने के लिए मैदान, चिल्ड्रन पार्क तथा इंडोर खेलों के लिए कांस्टिट्यूशन क्लब जैसी विशेष सुविधाएं विद्यमान हैं।

(ग) 1965-67 के दौरान नया फर्नीचर दिया गया था। आवास समितियों की सिफारिशों पर फर्नीचर/कारपेट बदले जाते हैं। राज्य सभा की आवास समिति की सिफारिशों पर राज्य सभा के संसद सदस्यों के दखल से कमरों के फर्नीचर कारपेटों को बदलने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है। लोक सभा की आवास समिति ने लोक सभा के संसद सदस्यों के दखल में कमरों के फर्नीचर कारपेटों को बदलने की सिफारिश अभी नहीं की है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों पर प्रभाव

2103. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है और क्या उनकी आर्थिक दशा में कोई महत्वपूर्ण सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई देश व्यापी मूल्यांकन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या बैंकों द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की विधिवत वसूली नहीं हो रही है ;

(ङ) क्या ऋणों की वसूली का न होना यह साबित करता है कि इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप ग्रामीण ऋण ग्रस्तता में वृद्धि हुई है ; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 12·07 मिलियन परिवारों को सहायता पहुंचाने के लक्ष्य के मुकाबले में छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 12·60 मिलियन परिवारों को सहायता पहुंचाई गई थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में यह परिकल्पना की गई है कि सहायियत परिवारों को पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए

ताकि दीर्घकालीन आधार पर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। प्रति व्यक्ति निवेश, जो परिवारों को दी गई सहायता का एक महत्वपूर्ण सूचक है, में वर्षा-नु-वर्ष वृद्धि हो रही है। जहां तक कार्यक्रम का देशव्यापी मूल्यांकन करने का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है। अन्तिम मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) से (च) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अक्तूबर, 1980 से देश के सभी खण्डों में लागू कर दिया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण सामान्यत: आवधिक ऋण होते हैं जिनकी अदायगी की अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक होती है। इसको देखते हुए इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की विधिवत् वसूली नहीं हो रही है अथवा ऋणों की वसूली न होने से ग्रामीण ऋण ग्रस्तता में वृद्धि हुई है। तथापि, इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह दी है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की वसूली की स्थिति पर विशेष रूप से नजर रखें तथा बैंकों को उनकी बकाया राशि की वसूली में सभी प्रकार की सम्भव सहायता दें।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज वितरण प्रणाली को अपने हाथ में लेना

2104. **श्री भीम सिंह :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बीज वितरण की उचित प्रणाली न होने के कारण राष्ट्रीय बीज निगम ने बीज वितरण प्रणाली को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसे कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। देश में बीज अनेक प्रणालियों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं, जो ये हैं :—राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, राज्य बीज निगम, राज्य कृषि विभाग, सहकारी समितियां, अन्य संस्थागत अधिकरण तथा निजी बीज उत्पादक/विक्रेता राष्ट्रीय बीज निगम देश में बीज उत्पादक/वितरण करने वाले अधिकरणों में से एक है। देश में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज वितरण प्रणाली को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वनस्पति उद्योगों को आयातित तेल आबंटित करने के मानदण्ड

2105. **श्री नगीना राय :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति निर्माताओं को आयातित तेल के आवंटन और सप्लाई के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या पुराने और नये दोनों प्रकार के निर्माताओं को आयातित तेल को सप्लाई करने के लिए वही मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या पुराने और नये दोनों प्रकार के निर्माताओं को आयातित तेल को सप्लाई करने के लिए वही मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और क्या ये मानदण्ड पिछले वर्ष के उत्पादन पर आधारित है और क्या इसके परिणाम स्वरूप नए एकक बन्द होने की स्थिति में है ;

(ग) क्या उक्त मानदण्ड में एककों की उत्पादन क्षमता और अधिष्ठापित क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया है ;

(घ) देश में प्रत्येक वनस्पति एकक को उत्पादन क्षमता और स्थापित क्षमता कितनी है और उनमें से प्रत्येक को आयातित तेल कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार नये एककों को उनकी उत्पादन क्षमता पर आधारित नये मानदण्डों के आधार पर आयातित तेल सप्लाई करने का है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) आयातित तेलों का आवंटन, विगत तेल वर्ष के दौरान हुए वनस्पति के औसत उत्पादन के आधार पर किया जा रहा है । तथापि, नए एककों को तेल इन एककों संस्थापित क्षमता पर आधारित उतने उत्पादन स्तर के लिए दिया जा रहा है । जिस पर वे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हों ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 8596/84]

(ङ) और (च) जी हां। नये एककों को अधिक मात्रा आवंटित की जा रही है, ताकि वे क्षमता का बेहतर उपयोग कर सके।

छटी योजना के दौरान मत्स्य पालन के विकास के लिए तटवर्ती राज्यों को सहायता

2106. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान मत्स्य पालन के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा तथा अन्य तटवर्ती राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ग) इस योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में मत्स्य पालन के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उड़ीसा में मत्स्य पालन के विकास के लिए 11 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को स्वीकृति दी गई है। ये मत्स्य पालक विकास एजेंसियां मत्स्य पालन विकास के लिए निम्नलिखित कार्य करती हैं :—

(1) जलाशयों और पोखरों का दीर्घकालीन पट्टा ;

(2) मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण ;

(3) पहले साल में जलाशय और पोखरों के जीर्णोद्धार और आदानों पर राज सहायता ;

(4) संस्थागत वित्त की आसानी के लिए परियोजना तैयार करने में सहायता ;

(5) मत्स्य पालकों को तकनीकी और विस्तार सम्बन्धी निरन्तर सहायता ;

(6) अधिक पैदावार बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और ;

(7) बढ़िया किस्म के डिम्पोना उत्पादन और वितरण का बड़े पैमाने पर विस्तार ।

विवरण

मत्स्य पालन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरात उड़ीसा और अन्य तटवर्ती राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुदान	ऋण	कुल धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	3·60	21·55	25·15
2.	गुजरात	12·29	32·95	45·24
3.	कर्नाटक	4·68	17·98	22·66
4.	केरल	7·89	44·31	52·20
5.	महाराष्ट्र	9·24	27·34	36·58
6.	उड़ीसा	52.82	3·15	56·37
7.	तमिलनाडु	10·02	24·91	34·93
8.	पश्चिम बंगाल	116·05	—	116·05
	योग :	216·59	172.59	389·18

लीलाजान सिंचाई परियोजना

2107. **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की लीलाजान सिंचाई परियोजना वर्ष 1972 से केन्द्र सरकार के पास लम्बित है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा तथा सरकार का इस परियोजना के लिए इस वर्ष कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने 23.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की लीलाजान जलाशय स्कीम की परियोजना रिपोर्ट 1977 में प्रस्तुत की थी और केन्द्रीय जल आयोग ने इस स्कीम पर अपनी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दीं थी। परियोजना प्राधिकारियों को उचित जल वैज्ञानिक अध्ययन करने तथा उन्हें केन्द्रीय जल आयोग के पास जांच हेतु भेजने के लिए भी सलाह दी गई थी। राज्य ससकार ने मई, 1984 में ये अध्ययन भेज दिए हैं तथा इनकी जांच की जा रही है। इन अध्ययनों, जिन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, तथा परियोजना के अन्य पहलुओं पर टिप्पणियों के आधार पर राज्य सरकार को एक अशोधित परियोजना रिपोर्ट तथा अद्यतन लागत अनुमान जांच के लिए और योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

वर्ष 1984.85 के दौरान, बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए किसी भी परि-व्यय का प्रस्ताव नहीं किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्जी ऋणों का दिया जाना

2108. **श्री शिव शरण वर्मा :**

श्री राम किंकर :

क्या **ग्रामीण और विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर, प्रताप गढ़, जोन पुर और पास के जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाखों रुपये के फर्जी ऋण दिए गए हैं और संबंधित अधिकारी उसके द्वारा वैयक्तिक लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऋणों के गोलमाल के ऐसे मामलों की जांच कराने का विचार है और क्या उसकी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी ; और

(ग) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, जिनका ऐसे फर्जी ऋण देने में हाथ है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण-कार्य आरम्भ करके ग्रामीण बेरोजगार/अल्प रोज-गार वाले लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जाता है जिससे ग्रामीण आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत किस प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया जाता है।

(ख) व (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"तावा", नर्मदा और शारदा नदियों के रिसाव से प्रभावित क्षेत्र

2109. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा :**

श्री राम किंकर :

क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में "तावा" और नर्मदा नदियों और उत्तर प्रदेश में शारदा और उसकी सहायक नदियों के रिसाव से प्रभावित हो रहे क्षेत्रों के बचाव के लिए कोई ठोस कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले चार वर्षों में वर्षवार इस पर कितना खर्च आया है ; और

(ग) क्या रिसाव की समस्या को पूरे तौर पर दूर करना संभव है और यदि नहीं तो निकट भविष्य ने सरकार किन उपायों को अपनाने पर विचार कर रही है और उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) माननीय सदस्य संभवत: मध्य प्रदेश की नर्मदा बेसिन में तवा परियोजना और उत्तर प्रदेश की शारदा सहायक के कमानगत क्षेत्रों में जल-रिसन की समस्या का उल्लेख कर रहे हैं। तवा के कमानगत क्षेत्र में जल-रिसन समस्या को हल करने के वास्ते हाथ में लिए गए उपचारी उपायों में प्रभावित क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को पक्का करना, प्रतिलोमित एवं पम्पिंग कुओं की खुदाई करना, प्रयोगात्मक आधार पर धान की खेती करना, प्रभावित क्षेत्रों में नहर के जल को आंशिक रूप से रोकना और उसके स्थान पर भूमिगत जल का पता लगाने के काम को तेज करना तथा जल-निकास नालों से घास-पात की सफाई करना एवं इन नालों का पुन: परिछेदन करना सम्मिलित है।

शारदा सहायक कमानगत क्षेत्रों में इस समस्या से राहत पाने हेतु जल-निकास नालों के निर्माण को हाथ में लिया गया है। आगे के कार्यक्रम में अन्त: सम्पर्क ड्रेनों के साथ-साथ भूतल ड्रेनों का निर्माण करना, घास-पात की सफाई करना, चैनलों के चलाने में सूची (रोस्टरिंग) प्रणाली लागू करना पौषक चैनलों को पक्का करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, शारदा सहायक कमानगत क्षेत्रों में जल-जमाव वाले क्षेत्रों का पता लगाने तथा उपचारी उपायों का सुझाव देने हेतु अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया जा चुका का।

जल-जमाव-रोधी उपायों पर हुए व्यय से संबंधित सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं में जल-रिसन होना एक प्राकृतिक घटना है। इस समस्या को हल करने और जल-रिसन हानियों को न्यूनतम करने के लिए निवारक सुधारक उपायों को कार्यान्वित किया जाता है।

तटवर्ती बागानों के लिए केंद्रीय सहायता

2110. **श्री नित्यानन्द मिश्र :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत तटवर्ती बागान लगाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों को वित्त पोषण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन तटवर्ती राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने छठी योजना के दौरान तटवर्ती बागान योजना को कार्यान्वित करने के लिए तो केन्द्र से धन मांगा अथवा उन्हें धन-राशि आवंटित की गई ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या तटवर्ती बागान योजना शुरू करने के लिए तटवर्ती राज्यों को पर्याप्त धनराशि देने का उनके मन्त्रालय का विचार है ; और

(घ) छठी योजना के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए उड़ीसा के लिए गए आवंटन का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यो/संग राज्य क्षेत्रों को सामाजिक वानिकी, जिसमें चुनिन्दा जिलों में ग्रामीण ईंधन की लकड़ी का पौधरोपण भी शामिल है, की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत तटवर्ती बागानों में भी वृद्धि की जा सकती है।

(घ) छठी योजना के दौरान उड़ीसा की तटवर्ती बागानों के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है।

हुडको द्वारा आवासीय परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना

2111. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी सहायता मंजूर की गई है और भविष्य में अनुमानत: कितनी सहायता और ऋण दिये जायेंगे ; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा ;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) के प्रारम्भ से और 30-6-1984 की स्थिति के अनुसार, आवास तथा नगर विकास निगम ने विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित अपने ऋणी अभिकरणों को 1426.65 करोड़ रुपये के ऋणों की मंजूरी दी है। वर्ष 1984-85 के लिए, आवास तथा नगर विकास निगम ने 250 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृतियों का लक्ष्य रखा है जिसमें से 67 करोड़ रुपये की धनराशि 30 जून, 1984 तक स्वीकृत की जा चुकी है।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं से 17,26,985 रिहायशी एककों का निर्माण हो सकेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए सहायता

2112. **डा० कृपा सिंधु भोई**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए सहायता मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण दिल्ली के शहरीकृत गांवों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना

2113. **श्री अखबार अहमद :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दक्षिणी दिल्ली के शहरी गांवों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4839 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमरूदपुर गांव में अब तक मल व्ययन, जल, सड़कें नालियां आदि की पर्याप्त/उपर्युक्त सुविधाएं उपलब्ध न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार जमरूदपुर गांव के निवासियों को राहत देने के लिए वहां निकट भविष्य में मलव्ययन, जल, सड़कें, बरातघर आदि की पर्याप्त एवं उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जमरूदपुर गांव में मलनिर्यास तथा पानी की लाइने पहले ही बिछा दी गई है। गांव में बिजली पहले से ही है और वहां गलियों में प्रकाश की व्यवस्था भी विद्यमान है। जहां तक सड़कों तथा नालियों के सुधार का सम्बन्ध है, निविदायें आमंत्रित की गई हैं और जैसे ही निविदाओं पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा वैसे ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त गांव के लिए एक बारात घर का अभिकल्पन भी किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डेयरी, मुर्गीपालन, भेड़ बकरी और सुअर पालन यूनिटों के उत्पादों के लिए उड़ीसा में उपलब्ध विपणन सुविधाएं

2114. **श्री मनमोहन टुडु :**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम

आदि के माध्यम से डेयरी, मुर्गी-पालन, भेड़, बकरी और सुअर पालन यूनिटों की स्थापना जैसे लाभार्थी-उन्मुखी कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि उड़ीसा में इन यूनिटों के उत्पादों के लिए उपलब्ध विपणन सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत इन उत्पादों के लिए बाजार बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) तत्संम्बंधी ब्यौरा क्या ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) (क) जी हां। तथापि; राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पूर्णतया एक राज्य योजना है और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी नहीं रखी जाती है।

(ख) से (घ) जहां तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबंध है, राज्य-सरकार से सुचना एकत्र एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी० सी० एम० द्वारा वनस्पति घी के पैकिंग में घटिया दर्जे के प्लास्टिक पैकों का प्रयोग

2115. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रथ वनस्पति के 2, 6, और 10 किलोग्राम की प्रत्येक पैक के खाली टिनों और पौली जारों की लागत कितनी है।

(ख) क्या उक्त निर्माता द्वारा एक किलोग्राम वनस्पति घी की पैकिंग घटिया दर्जे के प्लास्टिक का प्रयोग करने जो पैकिंग खोलने पर जीर्णशीर्ण निकलता है और उक्त उत्पादक जिसे आसानी से नहीं बदलता है, के बारे में आम शिकायत है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि लोगों का शोषण न हो ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) रथ वनस्पति के उत्पादकों द्वारा 2, 5 और 10 किलोग्राम के पैकों

में वनस्पति पैक करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले खाली टीनों और पौलीजारों का मूल्य जैसा कि उनके द्वारा सूचित किया गया है, नीचे दिया गया है :—

खाली पात्र	रु०/पैक
10 कि० ग्रा० पौलीजार	16.98
5 कि० ग्रा० पौलीजार	11.50
2 कि० ग्रा० पौलीजर	4.10
5 कि० ग्रा० टीन	14.39
2 कि० ग्रा० टीन	7.65

(ख) 1 कि० ग्रा० वनस्पति घी को पैक करने में घटिया प्लास्टिक पैक का प्रयोग करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

साकेत में स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

2116. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर एक्सटेंशन (साकेत) में स्व वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण किस स्थिति में है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इस पाकेट में निर्माण की किस्म से संतुष्ट हैं ;

(ग) क्या पानी और बिजली के लिए मूलभूत सभी सुविधाओं के लिए उचित उपयुक्त योजना बनाई गई थी और उनकी व्यवस्था कर दी गई है ; और

(घ) क्या निर्माण कार्य की प्रगति देखने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष स्वयं वहां गए थे, यदि हां, तो इस विषय में उनकी रिपोर्ट क्या है ;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री(श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि स्व-वित्त पोषित योजना के

तहत मालवीय नगर (साकेत) में अधिकतर आवास योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और इन योजनाओं के तहत अधिकांश मकान दखल में हो गए हैं। स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत साकेत में 381 आवास मुहैया करने की योजना पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूरा है। शेष कार्य नवम्बर, 1984 के अन्त तक चरणों में पूर्ण होने की आशा है।

(ख) इस कार्य में कतिपय त्रुटियां ध्यान में आई हैं। जिन्हें ठीक कर दिया गया है किया जा रहा है और इन मकानों को आवंटन के लिए जारी करने पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये संरचना की दृष्टि से सुरक्षित हैं और निर्माण की कोटि सन्तोषजनक है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियर सदस्य, मुख्य इंजीनियर अधीक्षक इंजीनियर और अन्य अधिकारियों ने कई बार परियोजना के निर्माण की प्रगति का निरीक्षण किया है न कि उपाध्यक्ष ने इस योजना को शीघ्र पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य मत्स्य निगम

2117. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन किन राज्यों में समुद्री सम्पदा के दोहन के लिए मत्स्य निगम गठित है।

(ख) किन किन राज्य मत्स्य निगमों के पास गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अपने निजी मत्स्य नौकाएं हैं और उनकी संख्या कितनी कितनी है ;

(ग) किन किन राज्य मत्स्य निगमों के पास इस समय चार्टर फिशिंग परमिट भी हैं और चार्टर्ड जहाजों की संख्या कितनी कितनी है ;

(घ) किन किन राज्य मत्स्य निगमों के पास चार्टर मत्स्य नौकाएं पहले भी थीं ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन मत्स्य निगमों को क्रमश: कितना कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) ऐसी केवल दो निगम चार्ट पर मत्स्यन जलयानों का परिचालन कर रही है। मत्स्यन जलयान के परिचालन में उनका लाभ नीचे दर्शाया गया है :—

(लाख रुपये)

निगम का नाम	1981-82	1982-83	1983-84
1. गुजरात मात्स्यिकी विकास निगम लि०, अहमदाबाद, गुजरात	(+) 10.86	(+) 15.55	(+) 23.13
2. उड़ीसा तटवती और चिलका क्षेत्र विकास निगम, भुबनेश्वर, उड़ीसा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	(+) 20.14

विवरण

क्रम सं०	तटवर्ती राज्यों में निगम का नाम	निगमों के निजी स्वामित्व में मत्स्य जलयानों की सं०	चार्टर किए मत्स्यन जल यानों की सं० जिनके लिए अनुमपति पत्र जारी किए गए हैं	अनुमति पत्र जारी करने की तिथि	कैफियत
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात मात्स्यिकी विकास निगम लि० अहंदाबाद, गुजरात	2	10	28-2-83	
2.	उड़ीसा तटवर्ती और चिलका क्षेत्र विकास निगम, भुवनेश्वर, उड़ीस	—	10	20-1-83	
3.	केरल मात्स्यिकी निगम लि० केरल	4	4	26-3-83	परिचालन कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किए गए हैं

1	2	3	4.
4.	तमिलनाडु मात्स्यिकी विकास निगम, तमिलनाडु	2	—
5.	राज्य मात्स्यिकी विकास निगम लि० कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	4	—
6.	आन्ध्र प्रदेश मात्स्यिकी विकास निगम लि०, हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश	2	—
7.	कर्नाटक मात्स्यिकी विकास निगम लि० मंगलौर, कर्नाटक	—	—
8.	महाराष्ट्र मात्स्यिको विकास निगम लि०, बम्बई, महाराष्ट्र	—	—

आवंटियों द्वारा सरकारी क्वार्टरों के कुछ भाग को किराए पर ...

2118. **श्री के० लक्कप्पा :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास के आवंटी को अपने सरकारी क्वार्टर का कुछ भाग किराए पर देने की अनुमति है ; और

(ख) इस बारे में विस्तृत मार्ग निदेश क्या हैं और क्या इसके लिए कोई पुर्वानुमति लेना आवश्यक है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सामान्य पूल वास के आवंटी सामान्य पूल में आवास के आवंटन के पात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ उन्हें आवंटित निवास को साझे में दे सकते हैं।

(ख) सामान्य पुल में वास की साझेदारी के लिए निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी भी पात्र हैं :

(1) केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जो सामान्य पूल निवासों के हकदार नहीं हैं।

(2) अर्थ सरकारी संगठनों के कर्मचारी।

(3) सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली नियमित संस्था के कर्मचारी।

(4) भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्र (विदेश/शिक्षा मंत्रालय द्वारा, प्रवर्तित किए जाने वाले मामले वैयक्तिक मामलों में निर्णय सम्पदा निदेशालय द्वारा लिए जाते हैं)।

(5) मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक गण।

(6) अन्य नगरों में स्थानान्तरित अधिकारीगण।

(7) रक्षा सेनाओं के सदस्यगण (आपात अवधि के दौरान)

(8) सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और।

(9) सेना, वायु सेना आदि के रिजर्व सैनिक।

केवल एक भागीदार की अनुमति है जिसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है परन्तु भागीदारी शुरू करने की तारीख के 2 महीने के भीतर सम्पदा निदेशालय को भागीदार का विवरण देना अपेक्षित है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव की जनसंख्या का मानदण्ड

2119. **श्री जी० एम० पुत्ते गौडा** :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता के अन्तर्गत लिए जाने हेतु एक गांव की जनसंख्या 1000 होनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या पहाड़ी क्षेत्र और दूरदराज के अविकसित क्षेत्रों के मामले में 1000 की जनसंख्या की कसौटी को कम करके 300 करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) माननीय सदस्य शायद यह जानना चाहते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों को सड़कों से जोड़े जाने के लिए जनसंख्या संबंधी मानदण्ड क्या हैं। छठी योजना प्रलेख के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000-1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा ।

छठी योजना में यह भी परिकल्पना की गई है कि पहाड़ी, तटवर्ती, आदिवासी तथा मरुस्थली क्षेत्रों में सामूहिक गांवों के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए ।

(ख) व (ग) चूंकि पहाड़ी, तटवर्ती, आदिवासी तथा मरुस्थली क्षेत्रों में गांव एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हैं इसलिए सामूहिक गांवों का दृष्टिकोण सम्भव नहीं है, इसलिए सातवीं योजना के संदर्भ में दुर्गम क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त मानदण्डों में ढील देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री मछली

2120. **श्री निर्मल सिन्हा** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात कि जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में समुन्द्री मछलियां भारी मात्रा में उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार का घरेलू बाजार और भारत के बाहर सप्लाई करने के लिए पश्चिम बंगाल में चौबीस परगना के दक्षिण में सुन्दरबन के तटवर्ती क्षेत्र से हिल्सा और अन्य प्रकार की मछलियां पकड़ने और उन्हें संसाधित करने के लिए एक योजना बनाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के तटवर्ती क्षेत्र में मात्स्यकी विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ के सम्बन्ध में नीचे दिया गया है :—

(1) करीब 350 लाख रुपए की कुल लागत से रायचौक में एक मुख्य मत्स्यन पत्तन शुरू किया गया है ;

(2) करीब 7 लाख रुपए की अनुमानित लागत से नामखाना में मत्स्य अवतरण जेट्टी के निर्माण को मन्जूरी दी गई है ;

(3) 130 लाख रुपए की अनुमानित लागत से फ्रजरेगंज में एक छोटे मत्स्यन पत्तन के निर्माण के लिए सरकार द्वारा एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

(4) 24 परगना जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में माल उतारने के छोटे केन्द्रों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जून, 1984 में 5 प्रस्ताव भेजे थे।

(5) सुन्दरबन क्षेत्र में खारे जल में मछली पालन।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को धनराशि का आवंटन

2121. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को अब तक केन्द्र से, वर्ष-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई, राज्य ने अब तक स्वयं कितनी धनराशि एकत्र की, राज्य में अब तक, वर्ष-वार कितनी आस्तियां पैदा की गई और श्रमिकों को वर्ष-वार कितने दिन मजदूरी मिली है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : वर्ष 1980-81 से लेकर 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को वंटित केन्द्रीय सहायता तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गए योगदान और प्रत्येक वर्ग सृजित किये गये रोजगार को दर्शाने वाला **विवरण-1** संलग्न है। इन चारों वर्षों के दौरात कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला **विवरण-2** भी संलग्न है।

विवरण-1

वर्ष 1980-81 से लेकर 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को बंटित नकद निधियों को दर्शाने वाला विवरण ।

वर्ष	बंटित नकद निधियां (लाख रुपये में)			सृजित रोजगार
	केन्द्रीय	राज्य	योग	लाख श्रम दिन
1	2	3	4	5
1980-81	2602·50	—	2602·50	259·52
1981-82	468·00	468·00	936·00	95·43
1982-83	457·55	436·00	893·55	48·16
1983-84	488·65	510·00	998·65	67·38
1984-85	252·88†	252·88†	505·76	8·76 (जून, 1984 तक)

† पहली दो तिमाहियों हेतु ।

विवरण-1

वर्ष 1980-81 से 19 3-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	परिसम्पत्तियों का स्वरूप	यूनिट	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1.	सरकारी भूमि पर वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी कार्य के अन्तर्गत क्षेत्र	(हैक्टेयर)	—	565	500	500

1	2	3	4	5	6	7
2.	पेड़ लगाये गये	(संख्या लाख में)	—	—	—	2·07
3.	पेय जल कुंए सामुदायिक सिंचाई कुएं बनाए गये तथा अनु. जातियों/ अनु. जन-जातियों के लिए सामूहिक आवास और भूमि विका कार्य	(संख्या)	—	388	326	686
4.	ग्रामीण तालाबों का निर्माण	(संख्या)	—	486	115	220
5.	लघु सिंचाई कार्यों से लाभान्वित क्षेत्र जिसमें बाढ़ बचाव, नाले और जल लग्नता निवारक कार्यों और परि-योजनाओं के कमांड क्षेत्रों में माध्यमिक, मुख्य नालियों, खेत की नालियों के निर्माण तथा भूमि समतल करने के कार्य शामिल हैं।	(हैक्टेयर)	356	—	19	35

1	2	3	4	5	6	7
6.	भूमि तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र	(हैक्टेयर)	—	179	2	118
7.	ग्रामीण सड़क का निर्माण/सुधार	(कि०मी०)	1469	289	202	247
8.	पेय जल कुओं/ तालाबों का निर्माण	(संख्या)	—	—	—	868
9.	स्कूल और बालवाड़ी भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, जंगली जानवरों के लिए पेय जल स्रोत, जानवरों के लिए तालाब, पिंजरापोल, गौशालाएं, सामुदायिक मुर्गीपालन, सूअर पालन गृह, नहाने और कपड़े धोने के प्लेटफार्म आदि (संख्या)	(संख्या)	963	4978	2636	1948
10.	अन्य कार्य	(संख्या)	2109	—	—	903

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में चुने गए परिवार

2122. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में अब तक कितने गरीब परिवारों को चुना गया है;

(ख) उनमें से अब तक कितने परिवारों को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों आदि से अनुदान दिए गए हैं ताकि वे गरीबी रेखा पार कर सकें तथा उन्हें अनुदान की कितनी राशि दी गई; और

(ग) इन चुने गए परिवारों ने कितनी किश्तें और कितनी राशि वापस की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक लगभग 7 लाख परिवारों का चयन किया गया है और उनमें से लगभग 5.52 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर उपलब्ध करायी गयी निधियों में से इन परिवारों को 6990.57 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई तथा वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा 10486.17 लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

(ग) चुने गये लाभार्थियों द्वारा वापिस ली गई किस्त और धनराशि के बारे में आंकड़े संकलित नहीं किए जा रहे हैं।

नया व्यापक भूमि अधिग्रहण अधिनियम

2123. **श्री ए० के० राय** :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि गवाने वालों के मामले में तुरन्त न्याय दिलाने के लिए नया व्यापक भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाने का आश्वासन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) लोक सभा में भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1984 को पेश किए जाने की सूचना पहले ही दी जा चुकी है।

वन सम्पदा को अनुमानित हानि

2124. **श्री ए० के० राय** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछले तीस वर्षों में वन सम्पदा को हुई हानि के बारे में कोई अनुमान लगाया है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस हानि को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस काम के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है; और

(घ) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी हानि पूरी कर ली जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में वन सम्पदा की वित्तीय हानि के बारे में अभी तक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाए गए हैं। तथापि, पिछले 30 वर्षों अर्थात 1951-80 तक लगभग 430 लाख हैक्टार वन क्षेत्र को गैर वानिकी कार्य के लिए परिवर्तित किया चुका है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत वनों में और वनों के बाहर दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(घ) छठी योजना के दौरान लगभग 23 लाख हैक्टार मे वृक्षारोपक्ष का कार्य पूरा हो जायेगा और सातवीं योजनावधि में इन कार्यक्रमों को और भी तीव्र करने का प्रस्ताव है।

मछली और मछली उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

2125. **श्री के० प्रधानी** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य उद्योग के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय नीति को देखते हुए सरकार ने मछली और मछली उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, मत्स्य पालन प्रबन्ध और विकास में अधिक पूंजीनिवेश करने और मत्स्य पालन और विकास में आर्थिक और तकनीकी सहयोग में वृद्धि करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में किए गए कुछ महत्वपूर्व उपाय इस प्रकार हैं :—

मात्स्यकी प्रबन्ध और विकास

(1) देशी, आयातित और भाड़े के मत्स्यन जलयानों के औचित्य पूर्ण मेल के माध्यम

से गहरे समुन्द्र में मत्स्यन बेड़े का निर्माण करके एक मात्र आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करना ।

(2) देश में बनाए जाने वाले गहरे समुन्द्र में मछली पकडने के जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत राजसहायता का प्रावधान करना और जलयानों की अधिप्राप्त के लिए आसान शर्त पर ऋणों की मंजूरी देना ।

(3) तटीय क्षेत्रों में झींगा मछलीपालन ।

(4) मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण देना ।

(5) मात्स्यकी पत्तनों का विनिर्माण ।

(6) डिम्पोना, उर्वरकों और तकनीकी सहायता की व्यवस्था करके वैज्ञानिक ढ़ंग से जलाशयों, तालाबों आदि में मत्स्यपालन शुरू करना ।

मत्स्य और मात्स्यकी उत्पाद में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

(1) अनिवार्य गुणवत्ता नियन्त्रण लागू करना और निर्यात किए जाने योग्य समुद्री उत्पादों का जहाज में लदान से पूर्व निरीक्ष करना ।

(2) संसाधन संयंत्रों में लघु-प्रयोगशालाएं स्थापित करने, ऊष्मारोधी मछली के बक्सों की आपूर्ति करने और मछली के उतारने के शेडों का सुधार करने के लिए राज-सहायता देने संबधी योजनाएं ।

(3) संसाधन संयंत्रों में मजदूरों को प्रशिक्षण देना ।

(4) समुद्री आहार उद्योग में मूल्य स्तरों, व्यापारिक पूछताछ और प्रमुख गतिविधियों संबंधि विपणन आसूचना परिचालित करना ।

(5) विदेशी बाजार का आवधिक सर्वेक्षण और निर्यात के लिए मदों के विकास में मदद करना ।

(6) भारतीय समुद्री आहार उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टता प्राप्त आहार मेले तथा प्रदर्शनियां आयोजित करना और उनमें भाग लेना ।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग

(1) निर्यात करने योग्य मछली/झींगा प्रजातियों के मत्स्यपालन के क्षेत्र में अधुनिक प्रोद्योगिकी का आयात करना ।

(2) नौकानिर्माण, मत्स्यन शृंगार प्रौद्योगिकी, पत्तन निर्निमाण व मात्स्यकी विषयक तटीय अवसंरचना के निर्निर्माण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, टी० सी० पी० और अन्य विदेश सहायता प्राप्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करना ।

(3) तालाबों और जलाशयों में मछली पालन का विकास करने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना को कार्यान्वित करना ।

अधिक क्षेत्र में वन लगाने की योजना

2126. **श्री के० प्रधानी :**

श्री संत कुमार मन्डल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को समस्त भौगोलिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र में वन लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और उस पर कितना पूंजी परिव्यय होगा और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा ;

(ग) क्या किसी प्रतिपूर्ति अथवा वास्तविक प्रतिस्थापम के बिना परिस्थिति को स्थाई क्षति पहुंचा कर चलाने, उद्योग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से इस योजना में वनों के औद्योगिक प्रयोग सम्बन्धी नीतियों में कतिपय परिवर्तन किए जाने का भी विचार है ? और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का, विशेष रूप से रायल्टी भुगतान और पुनः स्थापन लागत और इस कार्यक्रम को आदिवासी विकास योजनाओं के साथ प्रभावी रूप से जोड़ने के संबंध में, विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) वनों के बाहर के बंजर और उजड़े क्षेत्रों का यथा शीघ्र सुधार करने की दृष्टि से छठी योजना में शुरू किए गए वृक्षारोपण संबंधी प्रयास को तेज करने के लिए सातवीं योजना के अन्तर्गत एक वृहत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

(ख) इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जल्दी से वनस्पति संरक्षण के तहत यथा सम्भव अधिक से अधिक क्षेत्र लाना है । इस योजना को अन्तिम रूप देने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) और (घ) देश में वन संसाधनों का संरक्षण करने की दृष्टि से सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इनमें वनों की कार्य-पद्धति में ठेकेदारों की एजेंसी को समाप्त करने पर बल दिया जाता है ताकि वन पर आधारित उद्योगों को सप्लाई की गई कच्ची सामग्री से सार्वजनिक राजकोष को समुचित लाभ सुनिश्चित हो सके। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य मदें निम्न प्रकार हैं :—

(1) वन क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना है और नए उद्योगों को कोई लाईसेंस देने अथवा विद्यमान उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति देने से पूर्व कच्ची सामग्री की उपलब्धि सही प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा :

(2) किसी उद्योग को ईमारती लकड़ी के कार्य और कच्ची सामग्री को निकालने के लिए वनों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) कोई वन क्षेत्र किसी उद्योग को पट्टे पर नहीं दिया जाएगा और वन पर आधारित विद्यमान उद्योग को आवश्यकता को वन विभागों/वन विकास निगमों द्वारा चलाए जा रहे डिपुओं से पूरा किया जाएगा।

(4) वन क्षेत्रों को कार्यपद्धति में बिचौलियों के रूप में ठेकेदारों की एजेंसी को समाप्त किया जाएगा।

(5) जहां व्यवहार्य हो वहां स्थानीय अधिकारियों को वन श्रम सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि ठेकेदारों की एजेन्सी को समाप्त किया जा सके।

(6) वन की कच्ची सामग्री के सम्बन्ध में रायल्टी दरों का निर्धारण बाजार की मौजूदा दरों के अनुसार किया जाएगा।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कदम

2128. **श्री अमरसिंह राठवा :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों में मत्स्यपालन के विकास के लिए कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन को बढ़ाने के लिए कुल 147 मछुआ विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है। मछली पालन का आधुनिकीकरण करने के लिए मछुआ विकास एजेंसियों द्वारा किए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ नीचे दिए गए :—

(1) टैंक तथा तालाबों को दीर्घावधि आधार पर पट्टे पर दिया जाना ;

(2) मछुओं को प्रशिक्षण देना ;

(4) टैंक तथा तालाबों के सुधार के लिए और पहले वर्ष आदानों के लिए राज-सहायता ;

(4) संस्थागत वित्तीय सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजनाओं को तैयार करने में सहयोग का दिया जाना ;

(5) मछुओं को निरन्तर रूप से तकनीकी तथा विस्तार सम्बन्धी सहायता का दिया जाना ;

(6) अधिक उत्पादन देने वाली मत्स्य पालन की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन ; तथा

(7) भारी मात्रा में उत्पादन बढ़ाया जाना बेहतर किस्म के डिम्पोना का वितरण।

(ख) मछुआ विकास एजेंसियां आदिवासी मछुओं को गैर आदिवासी मछुओं को देय राजसहायता से दुगुनी राजसहायता देती है।

दालों के मूल्य में वृद्धि

2129. **श्री अमरसिंह राठवा** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दालो के मूल्यों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जो कि निर्धन व्यक्ति को आम खुराक है ; और

(ख) यदि हां, तो दालों के मूल्यों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने तथा उन्हें जनसाधारण के लिए आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दालों का अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक जनवरी, 1984 के दूसरे सप्ताह के 409 से घटकर अप्रैल, 1984 के अन्तिम सप्ताह में 354.1 रह गया। तत्पश्चात सूचकांक बढ़ना शुरू हो गया और जुलाई, 1984 के दूसरे सप्ताह में 415.6 के स्तर पर पहुंच गया और इस प्रकार इसमें जनवरी, 1984 के दूसरे सप्ताह के मुकाबले 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) दालों के मूल्यों में वृद्धि के रुख पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण उपायों में देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष उपाय किया जाना भी शामिल है। दालों के निर्यात की अनुमति नहीं है और खुले आम लाइसेंस के तहत इनके आयात की अनुमति है।

हुडको पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पूर्व रजिस्ट्रेशन के बिना फ्लैटों का आवंटन

2130. **श्री भीखाभाई** :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री हुडको पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पूर्व रजिस्ट्रेशन के बिना फ्लैटों के आवंटन के बारे में 30 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9343 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, 1979 की हुडको पैटर्न योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ;

(ख) क्या पूर्व रजिस्ट्रेशन के बिना आवंटन करने का कोई प्रावधान है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के मामले में अन्य योजनाओं में ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित तथा सप्लाई की गई नई पद्धति पंजीकरण योजना 1979 की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी-8547/84]

(ख) योजना में पूर्व पंजीकरण के बिना आवंटन करने का आवंटन करने प्रावधान नहीं है। तथापि, सरकार के निर्णयानुसार विधवाओं तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों

को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा अत्यन्त अनुकम्पा तथा कठिनाईयों के आधार पर पूर्व पंजीकरण के बिना आवंटन किया जा सकता है जो कि किसी पंचाग वर्ष में आवंटित कुल फ्लैटो के 0.5 की शर्त पर होगा।

(ग) भाग (ख) में उल्लखित शर्तों को पूरा करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सभी लोग इस रियायत का लाभ उठा सकते हैं।

ओलम्पिक खेलों में भारत द्वारा भाग लेने पर खर्च

2131. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी लॉस एंजिलिस ओलम्पिक खेलों में भारत द्वारा भाग लेने पर भारतीय रुपए और विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है तथा कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : सरकार भारतीय ओलम्पिक दल पर लगभग 8 लाख रुपए की यात्रा लागत को वहन करेगी तथापि, प्रति दिन प्रति व्यक्ति 35 यू० एस० डालर की दर से आवास तथा भोजन पर व्यय और प्रति दिन प्रति व्यक्ति 7 यू० एस० डालर की दर से आकस्मिक खर्चे भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन/राष्ट्रीय खेल संघ/अन्य संबंधितों द्वारा वहन किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार भारतीय दल के साथ जाने वाले डाक्टर के आवास/भोजन तथा जेब खर्च पर (अनुमानित लगभग 600 यू० एस० डालर) खर्च को वहन करेगी।

कीड़े द्वारा उत्तर भारत में कपास की फसल को नुकसान

2132. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में कपास की फसल में अज्ञात किस्म का कीड़ा लग जाने के कारण रुई का अकाल पड़ने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कीड़े की पहचान कर ली गई है और यदि हां, तो इसके उन्मूलन केलिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह आशंका है कि इससे कपड़ा मिलों के लिए रुई का अकाल पड़ सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में खरीफ 1,83 के दौरान बोलवार्म के भयंकर आक्रमण से कपास की फसल को क्षति हुई थी। चालू खरीफ के दौरान उत्तरी क्षेत्र में कपास की फसल पर अज्ञात कृमियों के किसी हमले की रिपोर्ट नहीं मिली है। कपास के अकाल पड़ने के कोई संकेत नहीं हैं।

दालों और तिलहनों का उत्पादन

2133. **श्री मोहन लाल पटेल** :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों और दालों के उत्पादन को प्राथमिकता दी है ;

(ख) क्या तिलहनों और टालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद वर्ष 1983-84 में कुछ राज्यों में उनका उत्पादन स्थिर रहा ;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) तिलहनों और दालों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ; और

(ङ) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दलहनों और तिलहनों के सम्बन्ध में 1983-84 के उत्पादन के राज्यवार सरकारी अनुमानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, 1983-84 के दौरान लगाए गए अस्थाई अनुमानों से पता चलता है कि 1982-83 की तुलना में इस समय बिहार और उत्तर प्रदेश में दलहनों और जम्मू एवं कश्मीर में तिलहनों के उत्पादन में कुछ कमी हुई है जैसा कि नीचे दिया गया है :—

(उत्पादन लाख टन से)

फसल/राज्य	1982-83	1983-84
दलहन		
बिहार	8·15	7·30
उत्तर प्रदेश	25·10	22·51
तिलहन		
जम्मू एवं कश्मीर	0·68	0·64
पंजाब	1·33	1·24
उत्तर प्रदेश	16·51	1246

तथापि, 1983-84 के दौरान देश में दलहन उत्पादन कानुमान 126.77 लाख मीटरी टन लगाया गया है जबकि 1982-83 के दौरान 115.63 लाख मीटरी टन था, तिलहन उत्पादन के आंकड़े क्रमश: 126.83 लाख मीटरी टन और 105.53 लाख मीटरी टन है। इस प्रकार समूचे देश में तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में समूचे रूप से वृद्धि हुई है।

उपरोक्त राज्यों में थोड़ी कमी आने का कारण सामान्य रूप से कुछ क्षेत्रों में मौसम की असामान्य परिस्थिति होना था।

(घ) देश में दलहनों और तिलहनों के उत्पाद में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं :—

दलहन :

(1) दलहन विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना।

(2) मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ; और

(3) प्रजनक बीज उत्पादन और प्रशिक्षण सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना।

तिलहन :

राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना।

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लघु और सीमांत किसानों की सहायता के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत तिलहन और दलहन के मिनिकिट तथा उर्वरक वितरित किये जाते हैं।

(ड़) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को योजनाओं की प्रशासनिक मन्जूरी जारी कर दी गई है।

समुद्री मछली का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास

2134. श्री मोहन लाल पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में समुद्री मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1984-85 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में तटवर्ती राज्यों विशेषकर गुजरात में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) समुन्द्री मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम ये हैं :—

(1) मत्स्यन कार्यकलापों में विविधता लाने में राज्यों द्वारा सहायता तथा ऋणों राज सहायता के माध्यम से भारतीत जलयानों में मोटर लगाना ।

(2) देशी, आयातित और किराए पर लिए गए जलयानों के विवेकपूर्ण मिश्रण से गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े को बढ़ाना ;

(3) गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले देश में निर्मित जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत राज सहायता प्रदान करना ;

(4) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद के लिए आसान किश्तों पर ऋण प्रदान करना ;

(5) मत्स्यन सर्वेक्षणों को टेज करना तथा प्रमुख और छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण तथा छोटे मत्स्यन केन्द्रों पर जहाज उतारने और ठहराने की सुविधायें प्रदान करने के लिए सहायता देना ; और

(6) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का नियमन । इस प्रयोजन के लिए 2 नवम्बर, 1981 से भारत में समुन्द्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का नियमन) अधिनियम लागू हुआ है । 15-6-84 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में किये गये पुनर्विचार के अनुसार वर्ष 1984-85 के लिए समुन्द्री मछली उत्पादन का लक्ष्य 17·50 लाख मीटरी टन है ।

(ग) अब तक समुन्द्री राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए कुल 116 मछली पकड़ने वाले पत्तन तथा माल उतारने वाले केन्द्र मन्जूर किए गए हैं । इनमें से 72 पत्तन और माल उतारने वाले केन्द्रों में पहले ही कार्य शुरू हो चुका है । अन्यों पर कार्य हो रहा है । गुजरात में स्वीकृत 17 पत्तनों तथा माल उतारने वाले केन्द्र में से 7 में पहले ही कार्य शुरू हो चुका है ।

आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई के लिए मूल्य निर्धारण

2135. **श्री मोहन लाल पटेल :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटा मिलों को आटा, सूजी और मैदा तैयार करने के लिए गेहूं की सप्लाई के लिए क्या मूल्य निश्चित किए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यह मूल्य पी० डी० एस० मूल्य की तुलना में अधिक है, और यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या आटा मिल एसोसिएशन ने सरकार से पी० डी० एस० की उन्हीं दरों पर आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई करने और आटा मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो देश में आटा मिलों को बचाने के लिए इस सम्बध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) देश की रोलर फ्लोर मिलों को 205/- रु० प्रति क्विंटल के एक समान निर्गम मूल्य पर गेहूं की आपूर्ति की जाती है।

(ख) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 172/-० प्रति क्विंटल के एक समान निर्गम मूल्य पर गेहूं दिया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान नीति के अनुसार, देश की रोलर फ्लोर मिलों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है और उन्हें केवल भारतीय खाद्य निगम से ही गेहूं प्राप्त करना होता है। रोलर फ्लोर मिलों को जिस निर्गम मूल्य पर गेहूं दिया जाता है वह इस गेहूं की सरकार की इक्नामिक लागत से कम होता है।

समुद्री मछली के उत्पादन में कमी

2136. **श्री एन० डेनिस :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में समुन्द्री मछली के उत्पादन में कोई गिरावट देखने में आई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समुद्र तटीय राज्यों के नाम क्या है ; जहां पर मछली पकड़ने में काफी गिरावट आयी है ; और

(ग) कितनी गिरावट आई है तथा केन्द्र सरकार द्वारा अपनी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर समुद्री मछली उत्पादन के राज्यवार आंकड़े नीचे दिए गए है :

	राज्य का नाम	1982	1983
1.	आंध्र प्रदेश	1·18	1·40
2.	गुजरात	1·90	1·83
3.	कर्नाटक	1·16	1·11
4.	केरल	3·25	3·85
5.	महाराष्ट्र	2·81	3·33
6.	उड़ीसा	0·41	0·31
7.	तमिलनाडु	2·72	2·44
8.	पश्चिम बंगाल	0·31	0·23
9.	संघ राज्य क्षेत्र/चार्टर किए गए जलयान	0·70	0·82
	योग :	14·44	15·32

समेन्द्री मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपायों में से कुछ निम्मनलिखित है :

(1) स्वदेशी, आयातित और चार्टर किए गए जलयानों को उपयुक्त रूप से मिलाकर गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े को बढ़ाना ;

(2) अपने ही देश में निर्मित गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत राज्य सहायता सुलभ कराना ;

(3) गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद के लिए जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से उदार शर्तों पर ऋण सुलभ कराना ;

(4) मात्स्यिकी सर्वेक्षणों में तेजी लाना और बड़े और छोटे पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाहों तथा अपेक्षाकृत छोटे मत्स्य केन्द्रों पर जहाज ठहराने और गोदी सम्बन्धी सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना ;

(5) गहरे समुद्र ने मछली पकड़ने वाले जलयानों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का संवर्ग बनाए के उद्देश्य से मात्स्यिकी कार्य में संलग्न कार्मिकों का प्रशिक्षण ;

(6) 13·7 मीटर और उससे ज्यादा बड़े मत्स्य ट्राउलरों के लिए हाई स्पीड डीजल-तेल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में रियायत देना ; और

(7) मछली और झींगा मछली पालन के लिए खारे पानी वाले मछली फार्मों और हैचरियों का विकास करना।

"कोकोनेट पैकेज प्रोग्राम" के लिए केन्द्रीय सहायता बन्द किया जाना

2137. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :**

श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल के लिए 'पैकेज प्रोग्राम' हेतु वर्ष 1983-84 को केन्द्रीय सहायता बन्द करने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के लिए 1983-84 के बाद सहायता मंजूर करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नारियल की पैकेज प्रोग्राम सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1983-84 से चालू है और 1984-85 के लिए भी मंजूरियां जारी कर दी गई है। जारी की गई मंजूरियों का ब्यौरा निम्नलिखत है :

(लाख रु०)

	मद	1983-84	1984-85
1.	नारियल का पैकेज प्रोग्राम	13·106	31·326
2.	टी० डी० संकर नारियल की पौध का उत्पादन वितरण	9·623	9·027
3.	डी० टी० संकर किस्मों के संकर बीज बागानों की स्थापना	16·087	15·261
4.	कर्नाटक में टी० टी० संकर किस्मों के लिए विशिष्ट बीफ फार्म	2·400	2·220
5.	केरल में रोगग्रस्त और अनुत्पादक नारियल जोतों को पुनर्जीवित करना	22·972	32·986
	कुल :	64·188	90·823

चीनी का उत्पादन

2138. **श्री सत्यनारायण जटिया :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चालू गन्ना फसल वर्ष पिछले पांच वर्षों के दौरान चीनी का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ है और प्रति टन उत्पादन लागत कितनी और चीनी का कितना निर्यात और आयात किया गया और उसका रुपयों में मूल्य कितना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : चीनी वर्ष अक्तूबर से सितम्बर तक माना जाता है । पिछले पांच वर्षों में चीनी के उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत, जो गन्ने के अधिसूचित किए गए न्यूनतम मूल्य के आधार पर लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिए निकाली गई थी, के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

चीनी वर्ष	चीनी का उत्पादन (लाख मीटरी टन)	उत्पादन की औसत लागत (डी-30 श्रेणी के लिए रुपये प्रति मीटरी टन)
1979-80	38·59	2567·90
1980-81	51·48	2845·60

1	2	3
1981-82	84·38	2895·60
1982-83	82-32	2937·30
1983-84	59·00 अनुमानित	3110·70

पिछले पांच वित्तीत वर्षों के दौरान चीनी के आयात और निर्यात तथा रुपयों में उनके मूल्य के सम्बन्ध में आंकड़े निम्नानुसार हैं :

निर्यात

वित्तीय वर्ष	मात्रा, लाख मीटरी टन में	मूल्य, करोड़ रुपयों में
1980-81	0·715	36·96
1981-82	1·54	49·22
1982-83	4·104	84·76
1983-84	8·13	210·92
1984-85 (28-7-84 तक)	1·17	25·85 (लगभग)

आयात

वित्तीय वर्ष	मात्रा, लाख मीटरी टन में	मूल्य करोड़ रुपये में
1980-81	1·806	93·25
1981-82	2·15	101·50
1982-83	—	—
1983-84	—	—

वित्तीय वर्ष 1984-85 में सरकार ने लगभग 3·54 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए ठेके किए हैं और चीनी के बन्दरगाह पर पहुंच जाने तथा राज्य व्यापार निगम के गोदामों में रख लिए जाने के बाद ही आयातित चीनी का मूल्य निकाला जा सकता है।

देश में पेयजल की समस्या वाले गांव

2139. **श्री सत्यनारायण जटिया :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जून, 1984 में ऐसे कितने गांव थे जिनमें पेयजल की समस्या और पानी का अभाव है और कितने लोग इन समस्याओं से प्रभावित हैं ;

(ख) वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक कितने गांवों में प्रतिवर्ष पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था की गई और इस पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) गांवों को शुद्ध पेयजल की सप्लाई संबंधी सरकारी नीति क्या है और शेष गांवों (जून, 1984 को) के लिए कब तक पेयजल की व्यवस्था कर दी जाएगी और इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 1980 में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पता लगाए गए 2,30,784 समस्या ग्रस्त ग्रामों में से 1-4-84 को 78876 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल मुहैया करना शेष है। 1971 की जनगणना के अनुसार पेयजल मुहैया किए जाने वाले शेष ग्रामों की जनसंख्या अनुमानतः 6·89 करोड़ है।

(ख) यह सूचना संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ग) प्रधानमन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र सं० 8 के अन्तर्गत 1-4-1980 को पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को 31-3-85 तक स्वच्छ पेयजल का कम-से कम स्रोत एक मुहैया किया जाना है। 31-3-84 तक ऐसे 1,51,898 ग्रामों को पेयजल मुहैया कर दिया गया है। 1984-85 के दौरान 41,859 ग्रामों को पेयजल मुहैया करने का प्रस्ताव है। शेष (37,017) ग्रामों को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पेयजल मुहैया किया जाएगा।

41,859 के लक्षित ग्रामों को पेयजल मुहैया करने के लिए 1984-85 के दौरान

निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

राज्य क्षेत्र का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	364 करोड़ रुपए
केन्द्रीय क्षेत्र का त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	24250 करोड़ रुपए
केन्द्रीय क्षेत्र की प्रोत्साहन योजना	50 करोड़ रुपए

इस स्तर पर सातवीं पंचवर्षीय योजनाधधि के दौरान 37,617 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल मुहैया करने पर होने वाले व्यय का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

विवरण

1. उन समस्या ग्रस्त ग्रामों की संख्या, जहां 1980-81 से 1983-84 तक प्रत्येक वर्ष के दौरान पेयजल पूर्ति के प्रबन्ध किए गए ।

वर्ष	उन समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जहां पेयजल मुहैय्या किया गया ।
1980-81	25,978
1981-82	29,837
1982-83	45,844
1983-84	50,138 + 101 = 50236
योग :	1,51,898

20. समस्या ग्रस्त ग्रामों को पेयजल मुहैय्या करने में 1980-81 से 1984-85 तक के दौरान व्यय की गई राशि (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	प्रोत्साहन योजना
1980-81	221·76	86·41	—
1981-82	259·56	120·38	—
1982-83	307·78	179·48	—
1983-84	318·41	197·71	66·11

1	2	3	4
	(अनुमोदित परिव्यय)	(दी गई राशि)	(दी गई राशि)
1984-85 (प्रावधान)	364·00	242·50	50·00

टिप्पणी :-

1983-84 के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसलिए अनुदान/अनुमोदित परिव्यय के रूप में दी गई राशि दर्शायी गई है। 1984-85 के लिए प्रावधान दर्शाए गए हैं।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2140. **श्री अजीत बाग :**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से वर्ष 1977-78 से वर्ष 1983-84 तक का कार्य दिवसों के रूप में राज्य-वार, कुल कितने रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं ; और

(ख) वर्ष 1977-78 से वर्ष 1983-84 के दौरान पैदा की गई स्थाई परिसम्पत्तियां का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) वर्ष 1977-78 से लेकर 1979-80 तक के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा वर्ष 1980-81 से लेकर 1983-84 तक के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-8548/84]

(ख) वर्ष 1977-78 से लेकर 1979-80 तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियां को दर्शाने वाला विवरण 2 से 4 तथा वर्ष 1980-81 से लेकर 1983-84 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण-5 से 8 संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी 8548/84]

हिमाचल प्रदेश में भूमिगत जल हेतु ड्रिलिंग के लिए रिगों का आबंटन

2141. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सिंचाई मंत्री हिमाचल प्रदेश में भूमिगत जल का पता लगाने हेतु छिद्रण के लिए रिगों के आबंटन के बारे में 5 मार्च, 1984 के अतारांकित

प्रश्न संख्या 1258 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एक ओर परकुशन रिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के अनुरोध को चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि यह केन्द्र भूमिगत जल बोर्ड के पास पहले (1983-84) उपलब्ध नहीं था ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि नाथ मिश्र) : जी, हां । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में भूमिगत जल का पता लगाने के लिए एक और परकुशन छेदन रिंग उपलब्ध होगी ।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अनुसंधान हेतु एक विशेष कक्ष की स्थापना

2142. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री क्षेत्रों के विकास के लिए अनुसंधान हेतु एक विशेष कक्ष की स्थापना के बारे में 7 मई 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10168 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् ने किस तारीख से काम करना आरम्भ किया ;

(ख) इसके द्वारा तैयार की गई नीतियों, कार्यक्रम और प्राथमिकताओं की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है तो इस संबंध में एक रूप रेखा किस तारिख तक उपलब्ध हो जाएगी ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) ग्राम प्रौद्योगिकी विकास परिषद् का कार्य 21 फरवरी, 1984 को आरम्भ हुआ जब एक पूर्णकालिक महानिदेशक ने कार्यभार संभाला था ।

(ख) व (ग) ग्राम प्रौद्योगिकी विकास परिषद् का आधारभूत उद्देश्य विकास के सभी प्रयासों के समन्वय हेतु राष्ट्रीय नोडल प्वाइन्ट की भूमिका निभाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों से सबंधित उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रसार करना है । आरम्भ में निम्नलिखित पर विशेष बल दिए जाने का प्रयास है :-

(1) संरक्षण सहित संसाधनों का विकास,

(2) उत्पादकता बढ़ाने, बर्बादी को रोकने, बेगारी को कम करने पर बल देते हुए उपयुक्त ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार ।

इनमें प्राथमिकता पहाड़ी क्षेत्र सहित पिछड़े क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व कमजोर वर्गों में प्रौद्योगिकी का प्रचलन करने पर दी जाएगी; और

(3) पोषण तथा बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम।

जहां तक सामाजिक वर्गों का संबंध है, ग्रामीण महिलाओं तथा युवाओं को विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 में संशोधन

2143. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के बारे में 5 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 6817 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 में प्रस्तावित संशोधन को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप और कार्यक्षेत्र क्या है ;

(ग) यह संशोधन किस तारीख तक किए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और अधिनियम को अद्यतन बनाने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) इस विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ निश्चित समय सीमा निर्धारित किए जाने की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत कलेक्टर के अधिनिर्णय तक की अर्जन कार्रवाईयां पूरी की जानी होती है। मुआवजे की दरों को भूमि के बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक किए जाने का प्रस्ताव है। भूमि का कब्जा लेने के समय निक्षिप्त धन पर भुगतान न की गई मुआवजे की राशि पर ब्याज की दर बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। एक प्रस्ताव और है कि ऐसे व्यक्ति भू-स्वामियों को धारा 18 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के अधिनिर्णय का लाभ उन उपयुक्त मामलों के लिया दिया जाए जिनकी भूमि अधिनियम की

धारा 4 (1) के अन्तर्गत उसी अधिसूचना के अन्तर्गत आती है, किन्तु जो धारा 18 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि राज्य सरकार को शर्तों की जांच करने का अधिकार दिया जाए इससे कलेक्टर के अधिनिर्णय का आधार बनेगा। समीचीन मामलों में सम्मति अधिनिर्णयों का प्रावधान भी किया गया है।

(ग) व (घ) लोक सभा में विधेयक को प्रस्तुत करने की सूचना पहले ही दे दी गई है।

नर्मदा परियोजना और गांधी सागर बांध की ऊंचाई

2144. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा प्लानिंग एजेंसी के एक परामर्श दाता ने उसके चेयरमैन को बताया है कि नदी जल के 26 मिलियन एकड़ फीट के गलत आकलन पर आधारित वर्तमान ऊंचाई के अनुसार निर्माण करने के भंयकर परिणाम होंगे क्योंकि "अबजर्वड रिवर फलो सिरीज" के अनुसार नदी जल केवल 22.5 एम० ए० एफ० है जिसका अर्थ यह है कि भूमि के विशाल क्षेत्र का अर्जन करने की आवश्यकता नहीं थी और 3.5 एम० ए० एफ० पर आधारित अनेन परियोजनाएं कभी स्वीकार नहीं होंगी;

(ख) क्या 5.6 एम० ए० एफ० के गलत आकलन के आधार पर बनाए गये गांधी सागर बांध की भी यही स्थिति है, जिसकी 2 एम० ए० एफ० क्षमता अपयुक्त है और जलमग्न न हुई 42,:00 एकड़ वन और कृषि भूमि का निरर्थक अर्जन किया गया; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरी नाथ मिश्र) : (क) अध्यक्ष, नर्मदा आयोजना अभिकरण, मध्य प्रदेश सरकार, ने सूचित किया है कि अभिकरण ने नर्मदा नदी में जल की उपलब्धता के प्रश्न की जांच करने के काम को किसी विशेषज्ञ को नहीं सौंपा है।

(ख) अच्छी वर्षा वाले वर्षों में जलग्रहण क्षेत्र से बहने वाले अधिशेष जल के भण्डारण तथा कम वर्षा वाले वर्षों में उस भण्डारण का उपयोग करने की दृष्टि से चम्बल नदी पर गांधी सागर जलाशय की आयोजना और क्रियान्विति 5.6 मिलियन एकड़ फुट की सशक्त क्षमता के लिए की गई है।

रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग और गैर मध्यम आय वर्ग के प्लाटों की मांग और उपलब्धता

2145. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रोहिणी आबासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग के प्लाटों की मांग इनकी सप्लाई से अधिक है तथा गैर-मध्यम आय वर्ग प्लाटों की मांग उनकी सप्लाई की तुलना में कम है;

(ख) क्या सरकार अन्य श्रेणी के प्लाटों की मांग की कमी होने के कारण उपलब्ध हुई भूमि पर मध्यम आय वर्ग प्लाटों की संख्या बढ़ाकर मध्यम आय वर्ग के प्लाटों के लिए पंजीकृत सभी लोगों को प्लाट देने पर विचार कर रही है और क्या मध्यम आय वर्ग के प्रत्येक प्लाट का आकार बढ़ाकर 124 वर्ग मीटर किया जा रहा है; और

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण है तथा ई० डब्ल्यू० एस० निम्न आय वर्ग श्रेणियों के अन्तर्गत उपलब्ध फालतू प्लाटों को किस तरह निपटाया जाएगा;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) इस मामले में शीघ्र ही कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इस परियोजना के लिए थोड़ी ही भूमि एक छोटी संख्या को प्लाट देने के लिए अर्जित की जा सकी न कि इतनी जो फिलहाल विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पंजीकृतों की मांग पूरों कर सके। सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण योजना के पूर्ण होने में पांच वर्ष अथवा अधिक समय लग जाने की संभावना है जबकि योजना में विचार किए गए प्लाटों की संख्या से मध्यम आय वर्ग श्रेणी में अधिक संख्या में पंजीकृतों को लाभान्वित करने अथवा न करने अथवा ई० डब्ल्यू० एस०, एल० आई० जी० श्रेणी के लिए और अधिक आवेदन आमंत्रित करने के बारे में अन्तिम निर्णय अपेक्षाकृत अधिक उचित रूप से लिया जा सकेगा।

हुडको योजना 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों के निर्माण और आबंटन में हुई प्रगति

2146. **श्री दिगम्बर सिंह :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग के अधीन फ्लैटों के निर्माण और आबंटन में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) किन-किन कालोनियों में कितने-कितने मध्यम वर्ग के फ्लैट आबंटत किए गए हैं ;

(ग) कितने लोग अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं और उन्हें फ्लैटों का आबंटन करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) मध्यम आय वर्ग के ये फ्लैट किन-किन कालोनियों में निर्माणाधीन हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1979 की योजना के अन्तर्गत पंजीकृतों को मध्यम आय वर्ग के 6388 फ्लैट आबंटित/नियमित कर दिए गए हैं। 1983-84 के दौरान 4573 फ्लैट निर्मित किए जा चुके हैं।

(ख) आबंटन/नियतन हेतु सफल घोषित किए गए उपर्युक्त 6388 पंजीकृतों में से 2579 पंजीकृतों को निम्नलिखित कालोनियों में फ्लैट आबंटित किए गए हैं :—

विकास पुरी	926
जनक पुरी	76
राम पुरा	92
दिलशाद गार्डन	1057
त्रिलोक पुरी	428
योग :	2579

(ग) मध्यम आय वर्ग/एन० पी० श्रेणी के अन्तगत पंजीकृत 39246 व्यक्ति फ्लैटों की प्रतीक्षा में हैं। इन पंजीकृतों को फ्लैट आबंटित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है।

(घ) कालोनियों के नाम निम्न प्रकार से हैं :—

1. दिलशाद गार्डन
2. त्रिलोक पुरी

3. निर्माण विहार

4. मानसरोवर पार्क, शाहदरा

5. जहांगीर पुरी

6. वजीर पुर

7. शालीमार बाग

8. पीतम पुरा

9 राजौरी गार्डन

10. बोडेला विकास (विकास पुरी)

रामकृष्ण पुरम के निवासियों द्वारा की गई शिकायतों पर अनुवर्ती कार्यवाही

2147. **श्री दिगम्बर सिंह** :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैक्टर-12, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली स्थित पूछताछ कार्यालय में घोर अव्यवस्था है;

(ख) क्या जूनियर इंजिनियर और सहायक इंजीनियर दोनों ही उक्त पूछताछ कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले निवासियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों के प्रति बिलकुल उदासीन रहते हैं;

(ग) शिकायतों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए यदि कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो वह क्या है;

(घ) क्या संबंधित कार्यकारी इंजीनियर अधिशासी इंजीनियर इन पूछ कार्यालयों का दौरा अथवा निरीक्षण करते हैं और स्वयं देखते हैं कि इन शिकायतों को किस प्रकार निटाया जा रहा है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; ओर

(ङ) इस पूछताछ कार्यालय के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं। प्राप्त हुई शिकायतों पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाती है।

(ग) जो शिकायतें तुरन्त दूर नहीं की जा सकतीं हैं उन्हें नोट कर लिया जाता है तथा बाद में दूर किया जाता है।

(घ) कार्यपालक इंजीनियर/अधीक्षक इंजीयर समय-समय पर विभिन्न पूछताछ कार्यालयों का दौरा करते हैं तथा यह जांच करते हैं कि ये ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा निर्मित मक्खन और घी की कमी

2148. **श्री दिगम्बर सिंह :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मूल्य वृद्धि के बावजूद दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा निर्मित मकान और घी की भारी कमी हो गई ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के घी और अन्य उत्पादों को पर्याप्त मात्रा में तथा आसानी से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के घी और खाने के मक्खन के विक्रय मूल्यों में अन्तिम बार 1 जनवरी, 1984 से संशोधन किया गया था। दिल्ली दुग्ध योजना के घी और खाने के मक्खन के संशोधित मूल्य अन्य सुप्रसिद्ध ब्राण्डों के विक्रय मूल्यों की तुलन में अभी कम है।

सामान्यत: घी और खाने का मक्खन सर्दी के महीनों में तैयार किया जाता है जब कच्चे दूध की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। गत सर्दी के मौसम में दुग्ध की मात्रा उपलब्ध होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को घी और खाने के मक्खन के उत्पादन में कमी करनी पड़ी थी और परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान आपूर्ति में कमी करनी पड़ी।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना राज्य सहकारी डेरी विकास संघों से और दुग्ध प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि घी और मक्खन के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। मक्खन और घी की उपलब्ध मात्रा की आपूर्ति उपभोक्ताओं को संसद भवन और कुछ अन्य सरकारी कार्यालय भवनों में पूरे दिन खुला रहने वाले दुग्ध स्टालों के माध्यम से की जा रही है। सुपर

बाजार और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डारों द्वारा भी घी की कुछ मात्रा सप्लाई की गई है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नेहरू प्लेस में बहुमंजिले भवनों के लिए समापन प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करना)

2149. **श्री के० टी० कोशल राम** :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू प्लेस में अनेक बहुमंजिले भवनों को, दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के बावजूद भी समापन प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं, जिनके बिना वे दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से बिजली के कनैक्शन नहीं ले सके हैं;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान भवन जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समापन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, के लिए बिजली का कनेक्शन दिया गया है; और

(ग) नेहरु प्लेस के उन बहुमंजिले भवनों का विवरण क्या है जिन्हें विकास प्राधिकरण द्वारा समापन प्रमाण-पत्र नहीं दिए गए हैं;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नेहरू प्लेस में बहुमंजिले भवनों के मालिकों में से किसी ने भी प्लाटों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से पट्टाविलेख का निष्पादन नहीं किया है । पूर्णता प्रमाण पत्र देने के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब प्लाटों के लिए पट्टा विलेखों का निष्पादन किया जाए ।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन के दिनांक 16-3-84 द्वारा पठित दिनांक 7-6-83 के आदेशों के अनुसार उन बहु मंजिले वाणिज्यक/रिहायशी भवनों जिनमें लिफ्टें हैं और/या जिनमें चार से अधिक मंजिले है, उनमें बिजली के कनेक्शन लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम से भवन निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एक शर्त है । नेहरू प्लेस में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के भवन का निर्माण 1978 के अन्त में किया गया था । उस समय बिजली का कनेक्शन देने के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई शर्त नहीं थी । इसके अलावा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का भवन चार मंजिल से अधिक नहीं है और इसमें लिफ्टें नहीं हैं ।

कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत कीटनाशियों का पंजीकरण

2150. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन पंजीकृत प्रत्येक कीटनाशी का नाम क्या है तथा प्रत्येक कीटनाशी के लिए पंजीकृत प्राप्त प्रत्येक फर्म का ब्योरा क्या है और प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ संलग्न शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) 31 जुलाई 1984 तक 118 कीटनाशी दवाओं को कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत किया गया है। इन कीटनाशी दवाओं की सूची विवरण में दी गई है। 31 जुलाई, 1984 तक इन कीटनाशियों के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत किए गए विभिन्न आवेदकों की संख्या 8,888 है। इन 8,881 पंजीकरण प्राप्त व्यक्तियों के संबंध में प्रत्येक के विवरणों को संकलित करने तथा प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ संलग्न शर्तों का विवरण उपलब्ध कराने में लगने वाले समय तथा इसके लिए किए जाने वाले प्रयास को देखते हुए अपेक्षित जानकारी की उपलब्धि उसके अनुरम नहीं समझी जाती है। तथापि, पंजीकरण की प्रत्येक मामले के गुण-दोष तथा उन पर किए गए विचार पर निर्भर करती हैं। यह आम तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पंजीकरण प्राप्त व्यक्ति द्वारा आयात/विनिर्मित किया जाने वाला उत्पाद आवेदक द्वारा उत्पाद के सम्बन्ध में किए गए दावे के अनुरूप हैं तथा पंजीकरण समिति द्वारा विभिन्न पहलुओं जैसे रासायनिक संरचना, उत्पाद के गुण, पैकेज तथा लेबल लगाने अपेक्षित विशिष्टयां, जिनका कि अनुशरण किया जाना है तथा फसल और कीट, जिन पर उत्पाद का उपयोग किए जाने की सिफारिश की गई है, के आधार पर इसे स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा, विशेष शर्तें भी रखी गई हैं, जो कि उत्पाद तथा विशिष्ट आंकड़ों, जिन्हें कि प्रत्येक मामले के संबंध में जुटाया जाना होता है, पर निर्भर करती हैं। कीटनाशी अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन से सम्बधित कुछ नियमित शर्तें भी लगाई गई हैं ।

विवरण

उन कीटनाशी दवाओं की सूची, जिनके लिए पंजीयन समिति द्वारा पंजीकरण की मन्जूरी दी गई है।

क्रम सं०	दवाओं के नाम
1.	एल्ड्रिन
2.	एल्यूमीनियम फासफाईड

1	2
3.	एलेथ्रीन
4.	एलकलोर
5.	अलफा, नेपथील एसेटिक एसिड
6.	एट्राजीन
7.	एरोफन्जीन
8.	एल्डीकार्ब
9.	एसीफेट
10.	बी० एच० सी०
11.	बुटाक्लोर
12.	वेनोमायल
13.	बरीयम कार्बोनेट
14.	बेन्थियोकार्ब
15.	बी० पी० एम० सी०
16.	कापर आक्सीक्लोराइड
17.	कपरस
18.	कापर सल्फेट
19.	कार्बरिल
20.	क्लोरडेन
21.	कपटेन
22.	कैलशियम साइन. इड
23.	क्लोरोबेन्जिलेट
24.	कुमाक्लेर
25.	क्लोरमीकेट
26.	काब्रेडजिम

1	2
27.	कार्बोफ्यूरान
28.	कोर्बोक्सिन
29.	क्लोरफेनवीं
30.	क्लोररपीरीफोस
31.	कालिक्सिन
32.	कापर एक्सीटो आर्सनाइट (पेरिस ग्रीन)
33.	सारपरमेथ्रिन
34.	डी० डी० टी०
35.	डायमथोएट
36.	डायजीनान
37.	डालापोन
38.	डिक्लोर वस
39.	डी० डी० मिक्सचर
40.	डायरन
41.	डिकोफोल
42.	डायफनफोस
43.	डायफोलेटन
44.	डिनोकेप
45.	डिकामेथ्रिन
46.	डिथियानन
47.	डिकाम्बा
48.	ई० एम० सी०

1	2
49.	इथीलीन डाइब्रोमाइड
50.	इ० डी० सी० टी०
51.	इन्डोसल्फान
52.	इथियोन
53.	इडिफेनफोस
54.	इथेफोन
55.	फेरबाम
56.	फेन्थियान
57.	फेनिट्रोथियान
58.	फ्लक्लोरेलिन
59.	फोरमोथियान
60.	फेनवाल्रेट
61.	जिब्रलिक एसिड
62.	ग्लाईधोसेट
63.	हेप्टाक्लर
64.	आइसोप्रोट्यूरोन
65.	किटाजिन
66.	लिन्डेन (गामा बी० एच० सी०)
67.	लाइम सल्फर
68.	मैलाथिन
69.	एम० ई० एम० सी०
70.	मिथाइल ब्रोमाईड
71.	एम० सी० पी० ए०
72.	मोलेईक हाड्रेजाइड

1	2
73.	मेटालडिहाइड
74.	मोनोक्रोटोफोटा
75.	मनकोजेब
76.	एम० एस० एम० ए०
77.	मिथाईल पराथियान
78.	मिथाबेंजथियाजुरोन
79.	मेटोक्सूरोन
80.	मेन्जान
81.	निकोटीन सल्फेट
82.	निकल क्लोराइड
83.	नाइट्रोफेन
84.	आक्सीडेमेटान
85.	पी० एम० ए०
86.	पायरेथ्रम
87.	पी० सी० एन० बी०
88.	पैराडिक्लोराबेंजन
89.	पेन्टाक्लोरोफेनान (पी० सी० पी०)
90.	फोस्फेमिडान
91.	फोरेट
92.	फेनथोएट
93.	फ़ोसालोन
94.	पेराक्वैट डाईक्लोराइड
95.	प्रोपैक्सर
96.	प्रोपानिल

1	2
97.	पेराक्वैट डाईमिथाइलसल्फे
98.	पीरीमीफोस मिथाइल
99.	क्वीनालफोस
100.	सल्फर
101.	सोडियम सायनाइड
102.	सिरमेट
103.	साइमाजाइन
104.	स्ट्रेप्टीसाइक्लीन
105.	थिराम
106.	थायोमिटोन
107.	ट्राइक्लोरोफोन
108.	टेडाडाइफोन
109.	ट्राइक्लोरो ऐसिटिक एसिड (टी० सी० ए)
110.	ट्रायलेट
111.	थामोफेनेट
112.	बारफारिन
113.	जिनेब
114.	जिराम
115.	जिन्क फास्फाइड
116.	2, 4-डी
117.	टोक्साफीन
118.	डाइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन

पांचवी स्वावित्त पोषण योजना के अन्तर्गत बसन्त कुन्ज आवास योजना में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का निर्माण

2151. **श्री दिगम्बर सिंह :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पांचवीं स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत बसंत

कुन्ज आवास योजना में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण के लिए अब तक कुल कितनी धन राशि वसूल की गई है ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण अलाटियों से दूसरी और तीसरी किश्तों की अदायगी करने पर जोर दे रहा है जब कि अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ;

(ग) इस कालौनी में फ्लैटों के निर्माण के लिए तैयार की गई योजना की मोटी रूप रेखा क्या है, और काम कब सुरू होगा तथा फ्लैट वास्तविक कब्जा देने के लिए कब तक तैयारी हो जाएंगे ; और

(घ) क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मांग गई किश्तों की धनराशि की आंशिक अदायगी के लिए सरकार से लिए जिनकी ऋण की अदायगी भी शुरू हो जाने के कारण हो रही परेशानी की जानकारी है जबकि मकान बनते के अभी तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि स्ववित्त पोषित योजना में मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग आदि के कोई टाइप नही है। पांचवीं स्ववित्त पोषित योजना के द्वितीय और तृतीय वर्गों के अन्तर्गत बसन्त कुन्ज में नियमित फ्लैटों के लिए अप्रैल, 1984 तक 320·46 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस परिसर के लिए स्ववित्त पोषित योजना के लगभग 15,000 मकान आयोजना, प्राक्कलन, निविदाऐं देने आदि के विभिन्न सोपानों में हैं। लगभग 6000 मकानों का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ किए जाने की आशा है। प्राक्कलनों के एन. आई० टी० को तैयार करने की निविदाएं मंगाने आदि की कोडल औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद शेष मकानों के निर्माण का कार्य भी धीरे-धीरे आरम्भ कर दिया जाएगा। यह आशा है कि इन मकानों को पूरा कर दिया जाएगा और 1986-87 के दौरान उचित चरणों में वास्तविक आवंटन के लिए उपलब्ध किया जाएगा। कुछ भूमि अतिक्रमणाधीन/विवादास्पद है। कुछ मामलों में न्यायालयों ने स्थगन आदेश दिए हैं। विवादों को निपटाने तथा भूमि उपलब्ध होने के बाद ही इन क्षेत्रों में कार्य आरम्भ किया जाएगा।

(घ) जिन सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से ऋण लिया है उनको तथा अन्य पंजीकृतों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में द्वितीय तथा तृतीय किश्त को स्थगित कर दिया है जहां कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जिन आवंटियों ने पहले ही किश्त का भुगतान कर दिया है, उन्हें 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज मिलेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मध्य प्रदेश में नदी तटीय बिना पैदावार वाली भूमि के सम्बन्ध में अनुसंधान

2152. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नदियों आदि के किनारों के साथ-साथ की कितने हेक्टेयर ऐसी भूमि है जिसमें कोई पैदावार नहीं होती ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ऐसी बेकार पड़ी भूमि के विकास के लिए कोई अनुसंधान परियोजना आरम्भ की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नदियों के किनारे वाली भूमि के बारे में कोई मात्रा मूलक विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि नदियों के किनारों के साथ की भूमि भी इस तरह का रूप लेती है। मध्य प्रदेश में नदियों के किनारों के साथ वाली भूमि 6·83 लाख हैक्टर है। इसमें से 1,36,1,56 और 3,91 लाख हैक्टर क्रमशः पर्ती, मध्यम तथा गहरे खड्डों वाली भूमि के अन्तर्गत है।

(ख) तथा (ग) मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नदियों के किनारों की साथ वाली भूमि की समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून के अधीन एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्वीकृति दी है। इस केन्द्र को स्थापित करने के लिए म० प्र० में स्थित दातिया के बीज संबर्धन फार्म को भा० कृ० अ० प० को दिए जाने के बारे में बातचीत चल रही है। राज्य सरकार द्वारा इस भूमि को भा० कृ० अ० प० को सौंप देने के बाद क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र में कार्य शुरू हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, इस केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून के क्षेत्रीय केन्द्र कोटा (राजस्थान) और वासाद (गुजरात) में भी है जो क्रमशः चम्बल और

माही नदियों के किनारों के साथ वाली भूमियों की काली मिट्टी के प्रबन्ध और ऐसी भूमियों की समस्याओं पर भी कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों से अब तक मिले परिणामों को मध्य प्रदेश की समस्याग्रस्त मृदाओं के उपयोग में भी लाया जा सकता है।

दिल्ली में बायोगैस सप्लाई कार्यक्रम के बारे में उपभोक्ताओं की कम रुचि

2153. **श्री माधवराव सिंधिया :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा ओखला के आस पास विभिन्न कालोनियों में बायो गैस सप्लाई कार्यक्रम के बारे में उपभोक्ताओं की रुचि स्पष्ट रूप से कम है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं से गैस पाइप लाईन के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा कितने कनेक्शनों की मन्जूरी दी गई है।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए गए बायो गैस पूर्ति संयंत्र की क्षमता कितनी है और उसका अब तक कितना उपयोग हुआ है ;

(घ) कार्यक्रम के प्रति कम रुचि के संभावित मुख्य कारण हैं क्या ; और

(ङ) प्रतिदिन कितनी गैस बेकार जा रही है तथा क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां, अनुक्रिया अपर्याप्त है।

(ख) तथा (ग) सीवेज गैस सप्लाई की योजना उन क्षेत्रों के लिए तैयार की गई थी जहां लगभग 10,000 घरेलू कनेक्शनों की आशा थी। पाइप गैस पद्धति उन क्षेत्रों में क्रियाशील की गई है जहां प्रारम्भ में 6720 कनेक्शनों की आशा थी। 15 जुलाई, 1984 तक 1465 कनेक्शन चालू कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 522 कनेक्शन दिए गए हैं और जैसे ही उपभोक्ता मांग करेंगे वैसे ही इन्हें चालू कर दिया जाएगा अन्य 272 कनेक्शनों जिनके आंकलन उपभोक्ताओं को भेजे गए हैं, को उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शनों की कीमत का भुगतान करने पर चालू किया जा सकता है।

(घ) अपर्याप्त अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित प्रमुख कारण हो सकते हैं :

(1) एल० पी० गैस सिलेण्डर वाले उपभोक्ताओं का गैस सप्लाई के नये साधन को अपनाने में अरुचि।

(2) पाइप गैस कनैक्शन लेने के लिए अपेक्षित आरम्भिक व्यय जो 500/- रुपये से 1500/- रुपये का इससे अधिक हो सकता है। इसके अलावा विद्यमान गैस बर्नरों को बायो गैस के अनुकूल नए बर्नरों द्वारा बदला जाना है।

(3) किसी नई पद्धति के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की "प्रतीक्षा तथा जांच" करने की मनोवृति।

(ङ) इस समय लगभग 3 से 4 लाख क्यूबिक फुट गैस फालतू हैं। जैसे ही नए क्षेत्रों में गैस कनेक्शन चालू किए जाएंगे वैसे ही इसकी खपत हो जाएगी।

सातवीं योजना में कावेरी परियोजना को शामिल किया जाना

2154. **श्री टी आर० शमन्ना :**

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बंगलौर के प्यासे नागरिकों के अतिरिक्त पेयजल सप्लाई करने के लिए कावेरी के तीसरे चरण को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : कर्नाटक सरकार को यह देखना है कि वे बंगलौर जल सप्लाई में वृद्धि करने हेतु कावेरी-तीन चरण परियोजना को सातवीं पंच-वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए सुझायोजित कर सकते हैं या नहीं।

टिशु कल्चर तकनीक के अन्तर्गत टैस्ट ट्यूबों में पौद लगाना

2155. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक टिशु कल्चर तकनीक का प्रयोग करके टेस्ट ट्यूबों में गन्ने, गोभी, आर्किड, सागौन आदि की पौद लगाने में सफल हो गए हैं ;

(ख) क्या टेस्ट ट्यूबों में उगाई गई पौदों को खेतों में लगाया गया ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे, नेशनल बोटा निकल लेबोरेटरी, लखनऊ, जयपुर लेबोरेटरी और अन्य स्थानों पर टिशु कल्चर तकनीक पर किए गए अनुसंधान का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वाणिज्य उद्देश्यों से अथवा कृषि कार्यों में समय की बचत के उद्देश्य से इस नई तकनीक के प्रयोग के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) गन्ना, सागौन, यूकेलिप्टस, इमली, अनार, गुलाब, अदरक, हल्दी, इलायची और आर्किड के मामले में परखनली में उगाए गए पौधों को सफलता पूर्वक खेतों में लगाया गया है। गन्ने और हल्दी के टिस्सू कल्चर वाले पौधों पैदावार और अन्य विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए चुने हुए केन्द्रों में इस समय व्यापक रूप से क्षेत्र परीक्षण चल रहा है ।

(ग) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ।

सागौन, यूकेलिप्टस, हल्दी, अदरक, गन्ना, अनार, इमली, इलायची और गुलाब की टिस्सू कल्चर तकनीकों को विकसित व मानकीकृत किया गया है। अंकुरणक्षम पौधों को खेत में सफलता पूर्वक लगाया गया है ।

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

टिस्सू कल्चर द्वारा नींबुवर्गीय फल, अनेक साज-सज्जा वाले पौधे (बौगेनविलिया, क्राइसेंथमम, पेटुनिया हाइब्राइड, ग्लैडिओलस, लिलियम), व्यावसायिक रूप से बहुत से ओर्किडों और औषधीय पौधों का सम्वर्धन किया गया है। डाइओस्कोरिया और साइट्रस पर सफलता पूर्वक क्षेत्र परीक्षण भी किए गए हैं ।

जयपुर

वनस्पति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर में बन्दगोभी में भ्रणों को उत्पन्न किया गया तथा बड़े पैमाने पर ऐलबीजिया लेब्बेक नामक एक फली वाले वृक्ष व टैगेट्स इरेक्टर नामक एक साज-सज्जा वाले पौधे का पुनरोत्पादन किया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनेक संस्थान भी टिस्सू कल्चर अनुसंधान से सम्बन्धित रहे हैं। अभी हाल ही में केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान में पत्ती ऊतकों के सूक्ष्म खण्डों से नारियल के दो पौंद प्राप्त करना सम्भव हुआ। भारतीय कृषि अनुसधान संस्थान में बन्दगोभी के पूरे पौधों का पुनरोत्पादन किया गया। पपीते में पौद के प्ररोह शीर्षों के कल्चर द्वारा बड़ी संख्या में जड़ वाले पौद प्राप्त किये गए। भारतीय बागवानी अनुसधान संस्थान में डेन्ड्रोबिय ऐग्रिगेटम तथा फैलियोनोपिया सकरों के पुष्प-वृन्तों की कलमों के प्रयोग से आर्किड्स की 'मेरिक्लोनिंग' को मानकीकृत किया गया है। जनित्र-द्रव्य के रख-रखाव तथा रोग-प्रतिरोधिता की जांच के लिए गन्ने के 'सबक्लोनों' के 'मेरिस्टेम कल्चर' और 'क्लोनल'

सम्वर्धन के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान ने तकनीकें विकसित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य बहुत से संस्थान, 25 कृषि तथा परम्परागत विश्व विद्यालय और संस्थाएं जैसे वन अनुसंधान प्रयोगशाला, भाभा परमाणु केन्द्र, बोस संस्थान, हिन्दुस्तान लीवर्स, टाटा संस्थान आदि भी इस कार्य में लगे हुए हैं।

(घ) व्यावसायिक उद्देश्य के लिए टिस्सू कल्चर के द्वारा आर्किडा के संवर्धन की तकनीक पहले से ही प्रयोग में लाई जा रही है। अन्यों में इस तकनीक को व्यावसायिक प्रयोग में लाने से पहले अधिक परीक्षण व मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। बड़े पैमाने पर पौधों के सम्बर्धन और प्रोद्योगिकी में आगे सुधार लाने के लिए आधुनिक तकनीकों को बताने हेतु अमरीका और दूसरे देशों के सहयोग से भी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

खनिज और धातु व्यापार निगम उर्वरक आयात करने के लिए प्राधिकृत

2156. **श्रीमती जयंती पटनायक :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984-85 के दौरान उर्वरकों को आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम को आयातों की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न देशों से कुल कितने उर्वरक का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) आयात किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा मुख्यतः कृषि सम्बन्धी और स्वदेशी उत्पादन तथा वर्ष के प्रारम्भ में देश में उपलब्ध स्टाक के बीच के अन्तराल पर निर्भर करती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा का विवरण बताना सार्वजनिक हित में नहीं है।

व्यापारिक समुदाय और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विधान बनाना

2157. **श्री आर० एन० राकेश :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यापारिक गतिविधियों पर नियन्त्रण के लिए अनेक कानून होने के कारण एक ओर तो व्यापारिक समुदाय राहत अनुभव कर रहा है तथा दूसरी ओर उपभोक्ताओं के हितों को धक्का लगा है;

(ख) क्या "फिक्की" ने इस संबंध में सरकार को सुझाव दिए हैं तथा व्यापरिक अमुदाय और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक विधेयक लाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार का विचार इस प्रकार का विधान कब तक बनाने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड को सुदृढ़ बनाना

2158. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड को सुदृढ़ बनाने और उसका पुनर्गठन करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि नाथ मिश्र) : केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को सशक्त बनाने तथा उसका पुनर्गठन करने सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधी है और उन्नत चरण में है।

केरल के लिए चावल का रक्षित भण्डार

2159. **प्रो० पी० जे० कुरिन :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से कहा है कि चार या पांच महीने का चावल का रक्षित भण्डार बनाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) केरल सरकार ने अनुरोध किया था कि उनके राज्य में चावल का पर्याप्त स्टाक रखा जाना चाहिए। खाद्यान्नों का बफर स्टाक अखिल भारत आधार पर रखा जाता है और केरल सहित विभिन्न राज्यों को प्रत्येक मास चावल/गेहूं की पर्याप्त मात्रा भेजी जाती है और इन्हें भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखा जाता है ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए मासिक आबंटनों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

चीनी का उत्पादन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसकी सप्लाई

2160. **श्री अमर राय प्रधान** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार देश में चीनी का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, क्रमश: राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी चीनी वितरित की गई;

(ग) गत तीन बर्षों के दौरान, वर्ष-वार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की, क्रमश: राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार चीनी की कितनी मांग थी;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, क्रमश: राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तव में कितनी चीनी सप्लाई की गई ;

(ङ) इन राज्यों को, वर्ष-वार और राज्य-वार चीनी की कम सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्रीय सरकार के पास चीनी का वर्तमान भंडार क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) देश मे पिछले तीन अर्थात 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान चीनी का उत्पादन क्रमश: 51.38 लाख मीटरी टन और 82.32 लाख मीटरी टन हुआ था।

(ख) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान और जुलाई, 1984 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण के लिए अबंटित लेवी चीनी के मासिक कोटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की चीनी की कोई वार्षिक मांग नहीं होती है क्योंकि चीनी का आबंटन सारे देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति उपलब्धता को ध्यान में रखकर कुछेक समान मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

(ख) विवरण-2 संलग्न है जिसमें 12 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लेवी चीनी की वार्षिक सप्लाई के आंकड़े दिए गए हैं। इन राज्यों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी सप्लाई की जाती है। जहां तक शेष 9 राज्यों का संबंध है, ये राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश स्वयं चीनी उठाते हैं और उसका वितरण करते हैं। सम्भवतया इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने आबंटित लेवी चीनी का मासिक कोटा उठा लिया है और उसका वितरण कर दिया है।

(च) सरकार फैक्ट्रियों द्वारा रखे गए चीनी के आन्तरिक खपत और निर्यात के लिए चीनी दे रही है और 15-7-84 को देश में फैक्ट्रियों के पास कुल 40·85 लाख मीटरी टन चीनी उपलब्ध थी।

विवरण-1

जनवरी, 1981 से जुलाई, 1984 तक उचित दर दुकानों के जरिए वितरण करने के वास्ते आबंटित किए गए लेवी चीनी के मासिक कोटे का राज्यवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण।

(मीटरी टनों में)

लेवी चीनी का मासिक कोटा

राज्य	जनवरी, 1981 से मार्च, 1982	अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1983	अक्तूबर, 1983 से जुलाई, 1984
1. आंध्र प्रदेश	20882	22696	24027
2. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	190	190	215
3. अरुणाचल प्रदेश	228	267	289
4. असम	7541	8459	9190
5. बिहार	26929	29675	31573

1	2	3	4	5
6.	चण्डीगढ़	243+32*	275	328
7,	दादर तथा नागर हवेली	36	44	50
8.	दिल्ली	5304+800†	6104	6855
9.	गोवा, दमन तथा दीव	470	470	478
10.	गुजरात	14031	14433	15361
11.	हरियाणा	4916	5462	5837
12.	हिमाचल प्रदेश	1588	1801	1917
13.	जम्मू तथा कश्मीर	2250	2542	2673
14.	कर्नाटक	14215	15743	16843
15.	केरल	10495	10796	11225
16.	लक्षद्वीप	65	65	68
17.	मध्य प्रदेश	20825	22150	23276
18.	महाराष्ट्र	24743	26645	27998
19.	मणिपुर	524	609	643
20.	मेघालय	493	564	609
21.	मिजोरम	171	207	240
22.	नागालैंड	340	340	390
23.	उड़ीसा	10723	11166	11577
24.	पांण्डिचेरी	230	257	271
25.	पंजाब	6564	7035	7581
26.	राजस्थान	12757	14494	15832
27.	सिक्किम	107·5+25†	134	154
28.	तमिलनाडु	19783	20526	21284

1	2	3	4	5
29.	त्रिपुरा	759	876	958
30	उत्तर प्रदेश	41761	47111	50466
31.	पश्चिम बंगाल	21994	23156	24435

* जून, 1981 से चण्डीगढ़ को दिया गया अतिरिक्त तदर्थ आबंटन।

† फरवरी, 1981 से दिल्ली को दिया गया अतिरिक्त तदर्थ-आबंटन।

†† जून, 1981 से सिक्किम को दिया गया अतिरिक्त तदर्थ आबंटन।

विवरण-2

जनवरी, 1981 से जून, 1984 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई लेवी चीनी का राज्यवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण।

(मीटरी टनों में)

राज्यवार	निम्नलिखित अवधि से दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई लेवी चीनी की मात्रा			
	जनवरी से दिसम्बर, 1981	जनवरी से दिसम्बर, 1982	जनवरी से दिसम्बर, 1983	जनवरी से जून, 1984
1. असम	94,419·5	1,01,344·4	86,572·7	44,567·4
2. पश्चिम बंगाल	2,41,242·0	3,82,005·0	2,85,011·0	1,44,529·4
3. बिहार	3,08,071·5	3,32,322·5	3,34,218·2	1,77,467·1
4. उड़ीसा	1,05,163·0	1,26,274·0	1,32,106·6	58,221·7
5. मिजोरम	1,712·0	2,594·8	2,719·7	1,494.0
6. दिल्ली	74,213·9	74,065·4	77,038·8	38,270.9
7. चण्डीगढ़	1,224·2	चीनी के विवरण का कार्य 1 जुलाई, 1982 से संघीय प्रशासन को सौंप दिया गया था।		

1	2	3	4	5
8. उत्तर प्रदेश	1,26,746·7	चीनी के वितरण का कार्य 1 अप्रैल, 1981 से राज्य सरकार को सौंप दिया गया था।		
9. मध्य प्रदेश	2,28,204·7	2,34,820·7	2,45,188.1	81,648·5
10. जम्मू तथा कश्मीर	23,908·0	24,037·0	26,735·0	14,876·0
11. अरुणाचल प्रदेश	2,522·0	2,661·0	3,432 4	1,660·1
12. मेघालय	5,860·0	6,580·2	6,982·3	3,251·0

टिप्पणी : अण्डमान और लक्षद्वीप प्रशासनों को क्रमश: त्रैमासिक और छ: महीनों के आधार पर लेवी चीनी आबंटित की जा रही है। इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम उन्हें उपर्युक्त अवधियों के आधार पर काफी मात्रा में चीनी की व्यवस्था कर रहा है।

राज्यों को लघु सिंचाई के लिए सहायता

2161. **श्री अमर राय प्रधान** :

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को वर्ष 1980 से 1980 तक लघु सिंचाई क्षेत्र के लिए वर्ष-वार कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई ;

(ख) उक्त अवधि में इस क्षेत्र के लिए प्रत्येक राज्य की वर्ष-वार मांग क्या थी ;

(ग) उक्त अवधि में इस क्षेत्र हेतु प्रत्येक राज्य को वर्ष-वार वास्तव में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य को इस क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र)। (क) सिंचाई एक राज्य विषय है तथा सभी लघु सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपनी समग्र विकास योजनाओं में से उनके लिए किए गए आबंटनों में से क्रियान्वित की जाती हैं। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों

तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी सेक्टर या परियोजनाओं से जुड़ी नहीं होती है ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बहु-संकरित बाजरा के बीजों के वितरण के बारे में जांच

2162. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बहुत-संकरित बाजरा के बीजों के वितरण के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कदाचारों में शामिल किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट के अनुसार फसल आकारिकी के बारे में पर्यवेक्षण, गुण नियंत्रण और क्षेत्राधिकारियों के ज्ञान में कमियां/खामियां थीं ।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम और आन्ध्र प्रदेश सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है । राष्ट्रीय बीज निगम ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी है । आन्ध्रप्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

विट्ठल भाई पटेल हाउस में सब्जी और प्रोवीजन मार्किट

2163

2163. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या विट्ठलभाई पटेल हाउस के परिसर में सब्जी और प्रोवीजन मार्किट स्थापित की गयी है ;

(ख) क्या वहां सब्जी की अनेक दुकानें और प्रोवीजन स्टाल कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या सब्जी और प्रोवीजन विपणन के लिए इन स्टालों के आवंटन के लिए कोई निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) विट्ठलभाई पटेल हाउस के उपान्त में ऐसी कोई मार्किट स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सभा आवास समिति की सिफारिशों पर दो गैराज सुपर बाजार को खाद्य पदार्थों आदि के बिक्री के लिए किराए के भुगतान पर आवंटित किए गए हैं।

एक दुकानदार कई वर्षों से सुपर बाजार से सट कर सब्जी तथा फल बेच रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पन्न रोजगार के अवसर

2164. **श्री माधवराव सिन्धिया** :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (काम के बदले अनाज कार्यक्रम) के अन्तर्गत वास्तविक रूप से उत्पन्न रोजगार के अवसरों के आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक रूप से उत्पन्न रोजगार के अवसरों में पता चली गिरावट की प्रवृत्ति के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) व (ख) वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार नीचे लिखे अनुसार रहा है :—

वर्ष	सृजित रोजगार (मिलियन श्रम-दिवस)
1980-81	413·58
1982-82	354·52
1982-83	351·20
1983-84	302·02 (अनन्तिम)

वर्ष 1 8-81 की तुलना तीन वर्षों के दौरान रोजगार सृजन में गिरावट का मुख्य कारण वर्ष 1981-82 में 40 प्रतिशत तक की सामग्री घटक के लागू होने, (जिसे 1983-84 के मध्य में 50 प्रतिशक तक बढ़ा दिया गया था (टिकाऊ स्वरूप के अधिक से अधिक निर्माण-कार्य आरम्भ करने पर रल देने तता अधिकांश राज्यों में मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम के बढ़ाने के कारण हुई है। तथापि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 300-400 मिलियन श्रम—दिवसों के रोजगार सृजन के छठी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य को इन वर्षों के दौरान लगतार प्राप्त किया गया है तथा -1984-85 में भी प्राप्त किए जाने की आशा है।

ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के लिए राज्यों को धनराशि का आबंटना

2165. **श्री माधवराव सिन्धिया :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किन-किन राज्यों को सहायता अनुदान की कितनी कितनी धनराशि दी गयी है ;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 के लिए सामान्य योजना प्रावधान के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि आवंटित की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सूचना विवरण-1 में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना विवरण-2 में दी गई।

विवरण-1

ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

छठी योजना के 1980-84 (चार वर्ष) के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियां ।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम निर्माण कार्य	कार्य निष्पादन एम० एण्ड आई० पर आधारित ग्रामीण जलपूर्ति की नई योजना (1983-84)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1829·72	21·73	400·00
2.	असम	2032·57	8·68	420·00
3.	बिहार	2991·16	शून्य	277·00
4.	गुजरात	1444·86	22·50	350·00
5.	हरियाणा	1263·00	10·43	450·00
6.	हिमाचल प्रदेश	1450·00	4.19	200·00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	3239·51	11·05	शून्य
8.	कर्नाटक	2390·54	शून्य	72.00
9.	केरल	2666·95	13.16	400·00
10.	मध्य प्रदेश	4365·45	शून्य	600·00
11.	महाराष्ट्र	2647·55	23·00	93·00
12.	मणिपुर	557·67	16·35	135·00
13.	मेघालय	1121·68	10·27	शून्य
14.	नागालैण्ड	712·96	1629	115·00

1	2	3	4
15. उड़ीसा	2549·32	22·08	450·00
16. पंजाब	676·12	6·00	150·00
17. राजस्थान	7656·62	6·73	750·00
18. सिक्किम	370·71	6·73	125·00
19. तमिलनाडु	2677·52	24·00	500·00
20. त्रिपुरा	391·07	शून्य	70·00
21. उत्तर प्रदेश	7239·23	6·00	750·00
22. पश्चिम बंगाल	3454·58	28·66	300·00
23. अण्डमान तथा निकोवार द्वीप समूह	44.14	2.10	शून्य
24. अरुणाचल प्रदेश	167.00	शून्य	शून्य
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	23.00	8.00	शून्य
27. दादरा नगर हवेली	—	—	—
28. गोवा, दमन व दीव	97·72	शून्य	4.00
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	35.25	5·97	शून्य
31. पाण्डिचेरी	48·50	0.25	शून्य
योग :	54144·40	272.48	6611.00

(राशि लाख रुपये में)

विवरण-2

ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-सत्र संख्या. 8
पता लगाए गए समस्याग्रस्त गोवों में पानी की सप्लाई

1984-85 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत नियतन एवं दी गई निधियां

लाख रुपयों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान	दी गई राशि	
	नियतन	पहली किश्त (30-5-84)	दूसरी किश्त (21-7-84)
1. आन्ध्र प्रदेश	743·23	370·00	148·00
2. असम	981·03	490·00	196·00
3. बिहार	1046·10	520·00	209·00
4. गुजरात	500·74	250·00	100·60
5. हरियाणा	364·70	180·00	72·00
6. हिमाचल प्रदेश	378·90	1881·56	75·00
7. जम्मू तथा कश्मीर	1801·56	900·00	360·00
8. कर्नाटक	950·19	475·00	190·00
9. केरल	1121·30	560·00	224·00
10. मध्य प्रदेश	1669·56	834·00	333·00
11. महाराष्ट्र	975·40	475·00	195·00
12. मणिपुर	158·36	76·00	31·00
13. मेघालय	602.11	300·00	120·00
14. नागालैण्ड	307·18	153.00	61·00

1	2	3	4
15. उड़ीसा	1062.38	530.00	212.00
16. पंजाब	276.00	135.00	55.00
17. राजस्थान	3363.83	1680.00	672.00
18. सिक्किम	272.39	135.00	54.00
19. तमिलनाडु	943.53	470.00	188.00
20. त्रिपुर	149.57	74.00	25.00
21. उत्तर प्रदेश	4091.16	2045.00	818.00
22. पश्चिम बंगाल	1931.93	965.00	386.00
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	56.56	28.00	10.00
24. अरुणाचल प्रदेश	157.77		
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	—	—	—
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28. गोवा दमण तथा द्वीव	51.07	25.00	10.00
19. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	17.67	8.00	3.00
31. पाण्डिचेरी	25.60	12.00	5.00
योग :	2400.00	11877.00	4752.00

वर्ष 1984-85 के दौरान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के लिए केन्द्रीय सहायता

2166. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए प्रत्येक राज्य में कितने मकानों का निर्माण किया जाना है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए प्रत्येक राज्य में निर्मित किए जाने वाले मकानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) तथा (ग) आवास राज्य का विषय है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास सहित सभी सामाजिक आवास योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार समेकित अनुदानों और समेकित ऋणों के रूप में योजनागत सहायता प्रदान करती है जो किसी विशेष योजना से सम्बद्ध नहीं होती है ।

विवरण

1984-85 के दौरान राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए निर्मित किए जाने वाले मकान ।

राज्य का नाम	मकानों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	5100
असम	3204
बिहार	10000

1	2
गुजरात	13500
हरियाणा	2300
हिमाचल प्रदेश	160
जम्मू तथा कश्मीर	500
कर्नाटक	10600
केरल	15000
मध्य प्रदेश	6000
महाराष्ट्र	15350
मणिपुर	150
मेघालय	25
नागलैण्ड	—
उड़ीसा	1500
पंजाब	1000
राजस्थान	10000
सिक्किम	—
तमिलनाडु	33702
त्रिपुरा	48
उत्तर प्रदेश	30000
पश्चिम	3000

कृषि मूल्य आयोग का कार्यकरण

2168. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग के कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) ऐसे अन्य देश कौन-कौन से हैं जिनमें इस प्रकार के कृषि मूल्य आयोग कार्य कर रहे हैं तथा भारत और उन देशों के कृषि मूल्य आयोग की तुलनात्मक स्थिति और मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि मूल्य आयोग विस्तार उसे संशक्त तथा अधिक उपयोगी बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि मूल्य आयोग की कार्य प्रणाली का अभी तक कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली मूल्य निर्धारण नीति के विभिन्न मुद्दों की जांच की है तथा यह नोट किया है कि कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषय व्यापक थे।

(ख) अनेक देशों में कृषि जिन्सों की कीमतें सरकारों द्वारा उनके कृषि विभागों या इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ दलों के माध्यम से निर्धारित की जा रही है। तथापि, भारत में कृषि मूल्य आयोग की कार्य प्रणाली के साथ उनकी कार्य प्रणाली का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि कृषि मूल्य आयोग अपनी वर्तमान संरचना में संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करना

2169. **श्री चिंतामणि जेना** :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर उड़ीसा में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्रगति की दर बहुत धीमी है ;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) उड़ीसा के गांवों और विशेषकर तटवर्ती जिलों में पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 1983-84 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान कितने गांवों में पेयजल सुविधा की व्यवस्था की गई; और

(ङ) उड़ीसा में पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1984-85 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आफिर) : (क) प्रधानमन्त्री के नए 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 8 के अन्तर्गत 1-4-1980 के अनुसार पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को 31-3-1985 तक स्वच्छ पेयजल के कम से कम एक प्रति स्रोत से लाभान्वित करने का प्रयास है। समस्त देश में इस प्रकार के 2,30,784 ग्रामों में से 31-3-1984 तक 1,51,797 (65.77) ग्रामों को लाभान्वित किया गया है। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार 23,616 समस्या ग्रामों में से 31-3-1984 तक 16,857 (71) ग्रामों का लाभान्वित किया जा चुका है। उड़ीसा के शेष समस्याग्रस्त ग्रामों को भी 21-3-1985 तक लाभान्वित किए जाने की आशा है इसलिए देश के विशेषकर उड़ीसा के समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल सुविधाएं देने में प्रगति धीमी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1983-84 के दौरान उड़ीसा में 5,060 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। 1984-84 के दौरान तटवर्तीय जिलों में लाभान्वित किए जाने वाले समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी।

(घ) 5,060 समस्याग्रस्त ग्रामों के लक्ष्य के विपरीत 1983-84 के दौरान 8062 समस्याग्रस्त ग्रामों की लाभान्वित किया गया।

(ङ) उड़ीसा में 1984-85 के दौरान लाभान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 6,759 है।

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1684-85 के दौरान उड़ीसा के लिए नियतित राशि 1062.38 लाख रुपए हैं। इस राशि में से 530 लाख रुपए तथा 212 लाख रुपए की दो किश्तें पहले ही दी जा चुकी हैं।

गत तीन वर्षों में बाढ़ के कारण हुआ नुकसान

2170. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बाढ़ के कारण फसल, जान-माल का कितना नुकसान हुआ ; और

(ख) प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों को क्या सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में प्रभावित सस्यगत क्षेत्र, क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए मकान और मरे मनुष्यों तथा पशु संख्या की सूचना क्रमश: विवरण 1, 2 और 3 में दी गई है ।

(ख) वर्ष 1981-82 से 1983-84 के लिए बाढ़ समुद्री तूफान से राहत हेतु स्वीकृत केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण-I

1981-82 में बाढ़; समुद्री तूफान आदि के कारण फसल, मानव और सम्पत्ति को हुई हानि की सूचना दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम० सं०	राज्य	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख में)	क्षतिग्रस्त/ नष्ट हुए मकानों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0·02	374	41	1
2.	असम	0·7	1869	991	21
3.	बिहार	7·7	75776	11	18
4.	गुजरात	2.3	46946	5230	121
5.	हरियाणा	0·1	1259	22	4
6.	हिमाचल प्रदेश	उ. न.	1064	43	16
7.	जम्मू और कश्मीर	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.

1 2	3	4	5	7
8. कर्नाटक	0.5	10008	4208	78
9. केरल	0.9	16908	14	91
10. मध्य प्रदेश	उ. न.	96	उ. न.	5
11. महाराष्ट्र	0.1	207	170	30
12. मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13. मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14. नागालैण्ड	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
15. उड़ीसा	0.4	1720	उ. न.	15
16. पंजाब	0.2	8186	43	6
17. राजस्थान	2.5	72829	33430	143
18. सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19. तमिलनाडु	उ. न.	190	24	1
20. त्रिपुरा	0.03	उ. न.	उ. न.	उ. न.
21. उत्तर प्रदेश	16.4	491102	1356	427
22. पश्चिम बंगाल	0.4	19897	1	55

विवरण-2

1982-83 में बाढ़, समुद्री तूफान आदि के कारण फसल, मानव और सम्पत्ति को हुई हानि की सूचना दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	क्षतिग्रस्त/ नष्ट हुए मकानों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.43	13466	650	22
2.	असम	0.96	4661	227	16

1 2	3	4	5	6
3. बिहार	322	68242	14	25
4. गुजरात	उ. न.	387400	200555	552
5. हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6. हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7. जम्मू और कश्मीर	उ. न.	उ. न.	उ. न.	1
8. कर्नाटक	059	6160	31	16
9. केरल	0·008	2614	3	128
10. मध्य प्रदेश	4·30	43734	1470	56
11. महाराष्ट्र	0·03	1179	177	31
12. मणिपुर	0·19	1307	उ. न.	उ. न.
13. मेघालय	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
14. नागालैंड	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
15. उड़ीसा				
बाढ़	11·25	800000	39692	131
चक्रवात	1·59	819000	11468	245
16. पंजाब	नाममात्र	16	शून्य	1
17. राजस्थान	0·52	14671	1318	19
18. सिक्किम	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
19. तमिलनाडु	0·002	2353	50	शून्य
20. त्रिपुरा	0.42	4804	44	4
21. उत्तर प्रदेश	33·00	1018209	2517	562
22. पश्चिम बंगाल	0·31	25545	2	9

विवरण-3

1983-84 में बाढ़, समुद्री तूफान आदि के कारण फसल, मानव और सम्पत्ति को हुई हानि की सूचना दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख	क्षतिग्रस्त/ नष्ट हुए मकानों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	27·25	439543	13732	228
2.	असम	1·38	22939	2735	22
3.	बिहार	3·71	24169	19	6
4.	गुजरात	2·18	172691	83768	569
5.	हरियाणा	2·32	13417	41	10
6.	हिमाचल प्रदेश	3·84	8628	886	72
7.	जम्मू व कश्मीर	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
8.	कर्नाटक	0·50	2485	2525	30
9.	मध्य प्रदेश	0·71	12971	999	27
10.	केरल	0·002	2971	5	44
11.	महाराष्ट्र	9·05	285540	20927	386
12.	मणिपुर	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
13.	मेघालय	2·01	479	432	16
14.	नागालैण्ड	0·02	उ. न.	उ. न.	12
15.	उड़ीसा	0·88	5581	438	19
16.	पंजाब	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.

1	2	3	4	5	6
17.	सिक्किम	0·20	284	3260	107
18.	राजस्थान	0.17	21439	482	37
19.	तमिलनाडु	6·22	837958	24316	186
20.	त्रिपुरा	0.45	30000	3000	30
21.	पश्चिम बंगाल	0·57	81232	1037	36
22.	उत्तर प्रदेश	24·99	516515	2101	516

विवरण-4

1981-82 से 1983-84 के दौरान बाढ़, तुषार, समुद्री तूफान आदि के लिए स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0·82	—	96·70
2.	असम	—	9·47	11·07
3.	बिहार	20·74	17·48	—
4.	गुजरात	—	41.94	39·22
5.	हरियाणा	—	1·75	17·07
6.	हिमाचल प्रदेश	2·41	4.03	8·2)
7.	जम्मू व कश्मीर	0·40	—	1.00
8.	कर्नाटक	2·81	4-42	3.29
9.	केरल	8.43	0.11	—
10.	मध्य प्रदेश	—	2·07	596

1 2	3	4	5
11. महाराष्ट्र	—	—	24.68
12. मणिपुर	1.90	—	—
13. मेघालय	—	0.33	1.90
14. नागालैण्ड	—	—	0.77
15. उड़ीसा	0.56	170.32	—
16. पंजाब	—	—	—
17. राजस्थान	45.06	0.32	893
18. सिक्किम	2.22	—	4·40
19. तमिलनाडु	—	—	41.18
20 त्रिपुरा	—	0.56	4.50
21. उत्तर प्रदेश	45.46	67-23	65.79
22. पश्चिम बंगाल	18·18	7.57	—

कपास के मूल्यों में वृद्धि

2171. **श्री बापू साहिब परुलेकर :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में कपास की फसल को हानि होने के कारण बाजार में कपास के मूल्यों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1983-84 के दौरान पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में कपास की फसल को अनियमित वर्षा और कीटों के हमले के कारण क्षति हुई थी । गुजरात के कुछ भागों में कपास की फसल पर ओलावृष्टि, शीत लहर और कीटों के हमले के कारण प्रभाव पड़ा । कच्ची कपास के थोक मूल्यों का सूचकांक

सितम्बर, 1983 के 219·2 के मासिक औसत से बढ़कर 14 जुलाई, 1984 को 276·3 हो गया।

(ग) कपास की मौजूदा आपूर्ति पर दबाव कम करने की दृष्टि से सरकार ने जनवरी, 1984 में कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विस्कोस स्टेपल रेशों पर आयात शुल्क यथामूल्य 45 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया।

सागर मत्स्य स्रोतों की खोज

2172. **श्री टी० एस० नेगी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार सागर मत्स्य स्रोतों की खोज का कार्य करती है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर यह खोज कार्य किया गया है ;

(ग) अब तक कितने मत्स्य स्रोतों का पता चला है तथा उनसे कितनी मात्रा में मछली पकड़ी गई हैं ?

(घ) कितने बड़े और छोटे पत्तनों का विकास किया गया है तथा ये कहां-कहां पर हैं; और

(ङ) उन पत्तनों से प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में मछली पकड़ी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, बम्बई द्वारा भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मछली के संसाधनों की खोज की गई है। भारतीय समुद्री तट सहित 40 फैदम गहराई तक लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र का डेमरसल ट्राल द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। हाल ही में लांग लिनिंग द्वारा समुद्री ट्रूना, पर्सेनिंग द्वारा एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों तथा 40 फैदम से दूर ट्राल द्वारा डेमरसल के लिए सर्वेक्षण किया है।

(ग) समन्वेषा डेमरसल और मध्य-जल सर्वेक्षण से अनेक नये मत्स्यन क्षेत्रों और संसाधनों का पता चला है। सर्वेक्षण की मुख्य उपलब्धियां ये हैं :

(1) केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री किनारों की झींगा मछली के लिए समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र।

(2) सौराष्ट्र समुद्री तट पर रिब्बन मछली, कैट मछली इत्यादि के अतिरिक्त पोमफ्रेन्ट, मैकेरल, परचेस, स्विवड्स, कटल मछली, हार्स मैकेरल, सिएनिड्स के लिए संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र।

(3) आंध्र प्रदेश समुद्री तट से दूर पोमफ्रेट्स, मैकेरल और झोल इत्यादि के लिए नए मत्स्यन क्षेत्र।

(4) वेज बैंक में परचेस, कटल मछली, कैरिन्गड्स इत्यादि जैसी अच्छी किस्म की मछलियों के लिए सम्भाव्य मत्स्यन क्षेत्र।

(5) मन्नार की खाड़ी में बाराकुण्डा के लिए समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र।

(6) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में गहरे और दूरस्थ जल में गहरे समुद्र में झींगा, गहरे समुद्र में लोवस्टर, 'बुल्स आई' 'इण्डियन ड्रिफ्ट मछली' टूना, शार्क और बिल मछलियों की उपलब्धि। इनके अतिरिक्त, संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र और संसाधन तत्कालीन पी० एफ० पी० ने आयल साडीन, मैकेरल, हार्स मैकेरल, हवाइट बेट और अन्य समुद्री मछलियों जैसे पैलेजिक मात्स्यकी संसाधनों का अनुमान लगाया था।

भारत में समुद्री मछली का उत्पादन 1981 में 14·45 लाख मीटरी टन, 1982 में 14·44 लाख मीटरी टन और 1983 में 15·32 लाख मीटरी टन (अनुमानित) था।

(घ) अब तक विशाखापत्तनम, कोचीन, मद्रास और रायचौक में 4 प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाह तथा करवार, माल्पे, होन्नावर, तिजिन्जम, धामरा, तूतीकोरिन, कोडिक्कराय, माल्लीपटनम और फोनिक्स बे 9 लघु मत्स्यन बन्दरगाह शुरू किए गए हैं।

(ङ) कुछ महत्वपूर्ण बन्दरगाहों पर 1982-83 के दौरान पकड़ी गई मछली की मात्रा ये थी :—

(1) विशाखापत्तनम 5220 मीटरी टन।

(2) कोचीन 20,669 मीटरी टन।

(3) मद्रास 9,244 मीटरी टन तथा तूतीकोरिन 9452 मीटरी टन।

भू-पृष्ठ जल के उपयोग हेतु सिंचाई सम्बन्धी कानूनों में संशोधन

2173. **श्री मूलचन्द डागा :**

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भारी मात्रा में जल उपलब्ध है, परन्तु कृषि के लिए केवल 10

प्रतिशत भू-पृष्ठ जल उपयोग किया जाता है औम शेष जल का अधिकांश भाग समुद्र में बह जाता है ;

(ख) क्या सिंचाई विभाग भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार जल की सप्लाई करता है जिसके परिणाम स्वरूप किसान की भूमि बहुत जल सोख लेती है और इससे उनके खेती की उत्पादकता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विस्तार--भू-पृष्ठ जल के उपयोग हेतु सिंचाई सबंधी कानूनों में और संशोधन करने का है ना कि जल का उपयोग समुचित ढंग से हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो सिंचाई सम्बन्धी वर्तमान कानूनों में कब तक संशोधन किए जाएंगे, क्या सरकार का विचार कोई मानक नियम बनाने का है, जिन्हें यदि राज्य चाहें तो कार्यान्वित कर सकते हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) इस समय देश के उपयोज्य भूतल जल संसाधनों का लगभग 40 प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है।

सिंचाई के लिए जल-सप्लाई का आयोजन कमान क्षेत्र में फसलों को आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तथापि, जल के न्यायोचित वितरण के वास्ते पर्याप्त प्रबंधों की कमी और खेत में समतल भूमि के न होने के कारण कुछ स्थानों में कभी-कभी सिंचाई का अधिक पानी हो जाता है।

राज्य सरकारों को जल के दक्षतापूर्ण और इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बारी-बारी से जल सप्लाई करने को जहां पर यह इस समय नहीं है, लागू करने और चरणबद्ध तरीके से सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण करने के वास्ते परामर्श दिया गया है।

सिंचाई जल-आपूर्तियों के नियमन के पहलू सहित राज्य के सिंचाट अधिनियमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केन्द्र में पहले ही एक आदर्श (माडल) सिंचाई विधेयक तैयार किया जा चुका है और राज्य सरकारों को स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे अपनाने के लिए सिफारिश की गई है।

पेयजल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन

2174. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा योजना बनाने में पेय जल की समस्या को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी गई है ;

(ख) क्या इस अपेक्षित प्राथमिकता न दिए जाने के कारण अधिकांश रेगिस्तानी और पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को स्थायी रूप से हल करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार इसे सिंचाई और बिजली से अधिक प्राथमिकता देकर पेय जल प्रदाय कार्यक्रम के लिए सातवीं योजना में अधिक धनराशि का प्रावधान करेगी और इस प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित करेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री **मोहम्मद उस्मान आरिफ**) : (क) 1-4-1980 तक समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पेयजल मुहैया कराने से सम्बन्धित कार्यक्रमों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है। पता लगाए गए सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों की पेय जलपूर्ति की व्यएस्था करना प्रधानमन्त्री के नए बीस-सूत्री कार्यक्रम (सूत्र संख्या 8) में शामिल किया गया है। पता लगाए गए सभी मस्याग्रस्त ग्रामों को 31-385 तक पेय जल का कम से कम एक स्रोत मुहैया कराया जाना अपेक्षित है। पेय जल पूर्ति के लिए प्रावधान राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में ग्रामीण पेय जल पूर्ति के लिए 1407·11 करोड़ रुपये का प्रावधान लिया गया था। केन्द्रीय सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए अनुदान सहायता देकर राज्यों के संसाधनों को बढ़ाती है। 1980-84 की अवधि के दौरान आरम्भ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में 541·44 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 1984-85 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को 240·00 करोड़ रुपए की राशि का नियतन किया गया है। प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 66·11 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा 1984-85 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये की धन राशि दिये जाने की भी सम्भावना है।

अन्तर्राष्ट्रीय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1991 तक शत प्रतिशत ग्रामीण/शहरी जनसंख्या को पेयजल पूर्ति मुहैया कराये जाने की आशा की जाती है।

(ख) पता लगाये गये 2,30,784 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 1,51,797 ग्रामों को 1983-84 तक लाभान्वित कर दिया गया है। 1984-85 के लिए 41,859 ग्रामों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। इस लाभान्वयन में रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ समस्या ग्रस्त ग्राम शामिल हैं। तथापि, क्रियात्मक कठिनाइयों व वित्तीय दबाव के कारण सम्पूर्ण रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों को पेय जल पूर्ति मुहैया कराने पर कुछ और समय लग सकता है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पेय जल पूर्ति के लिए किये जाने वाले प्रावधानों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के लिए राष्ट्र समस्त लक्ष्य को देखते हुए संसाधनों की सम्पूर्ण उपलब्धता तथा तत्सम्बन्धी प्राथमिकताओं को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जायेगा। पेयजल पूर्ति कार्यक्रम को पर्याप्त प्राथमिकता देते हुए सिंचाई तथा विद्युत के लिए उच्चतर प्राथमिकता देने पर तभी निर्णय किया जा सकता है जब सातवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा किया गया अनुसंधान

2175. **श्री बुद्धि चन्द जैन :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा वृक्षों,, पौधों, कृषि आदि के बारे में किए गए अनुसंधान की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ; और

(ख) अनुसंधान की उपलब्धियों से रेगिस्तान के क्षेत्रों के किसानों को राजस्थान सरकार के सहयोग से क्या लाभ पहुंचा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने शुष्क बागवानी आश्रय पट्टी की स्थापना, रेत के टीले को मजबूत बनाना, वनरोपण तथा पेड़ लगाना, फसल उत्पादन में सुधार व उसे मजबूत बनाना, पानी को इकट्ठा करना, सौर उर्जा का उपयोग, सिंचाई के लिए खारे पानी का उपयोग तथा हानिकारक कीट नियन्त्रत्र आदि के क्षेत्र में असाधारण अनुसंधान किया है।

जी हां, श्रीमान्। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है ।

(1) परिचालनात्मक अनुसंधान प्रायोजनाएं

जोधपुर के निकट 5 गावों की एक यूनिट में शुष्क भूमि प्रबन्ध तथा छिड़काव वाली सिंचाई के खपर दो परिचालनात्मक अनुसंधान प्रायोजनाओं को शुरु किया गया है ।

(2) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम

प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से ग्रामीण समाज के निचले वर्ग से सम्बन्धित 200 परिवारों को लिया गया है । चुने हुए किसानों के खेतों तथा प्रशिक्षण स्थलों व संस्थान के स्तर पर शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा ।

(3) किसान मेला व क्षेत्र दिवस

किसानों को नई शुष्क क्षेत्र प्रौद्योगिकियों से अवगत करवाने के लिए यह संस्थान खरीफ और रबी दोनों मौसमों के दौरान केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर और बीकानेर व पाली में स्थित इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में इन कार्यक्रमों का आयोजन करता है ।

(4) प्रशिक्षण

इस संस्थान के द्वारा समय-समय पर राजस्थान राज्य सरकार के क्षेत्र-कार्य कर्त्ताओं को अद्यतन प्रौद्योगिकियों से अवगत करवाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपनाया जा रहा है ·

बीज और पौधों का वितरण

राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में अब तक वृक्ष प्रजाति के 4,71,460 पौधे और 18·07 टन बीज तथा 36·06 टन घास प्रजातियों के बीज किसानों और विकास विभागों में वितरित किए गए हैं ।

(6) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

डी० पी० ए० पी०, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय कृषि बैंक (एन० ए० बी० आर० डी०) नामक दूसरे

कार्यक्रमों के माध्यम से भी के० शु० क्षे० अ० सं० द्वारा चलाई गई प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है।

(7) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने भी निम्न विभागों की स्थापना की है।

(क) रेगिस्तान विकास परिषद।

(ख) रेगिस्तान वनरोपण तथा चरागाह विकास के लिए एक अलग विभाग।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अपनी विकसित उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रचार प्रसार के लिए उक्त राज्य विभागों के निकट सम्पर्क में है।

विवरण

केन्द्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा वृक्ष, पौधों व कृषि किए अनुसंधान की विस्तृत उपजल्धियां।

संथान की मुख्य उपलब्धियां निम्न हैं :

(1) बहुविधाई समन्वित सर्वेक्षण

इस विषय पर 1960 में सी० ए० जैड० आर० आई० ने सर्वेक्षण किया। इसमें 93,500 किलोमीटर के दो शुष्क क्षेत्र देश में निकले। वहां नियोजन और प्रबन्ध आवश्यक है।

(2) रेगिस्तान में वन लगाने की तकनीक :

रेगिस्तान में पशु पालन के साथ उत्पादकता सुधार तथा शुष्क क्षेत्रों का सुधार करने की तकनीक सी० ए० जैड आर० आई० ने निकाली। अनेक देशी और विदेशी किस्म के पौधे उड़ती रेल को रोकने के लिए चुने गए। निवास पर पौधे लगाना और रक्षक पंक्ति लगाने की सिफारिश की गई।

(3) रेस के टीबों को स्थिर करना

एक हजार हैक्टेयर में सी० ए० जैड० आर० आई० ने रेत के टीबों की स्थिर करने की तकनीकों का प्रदर्शन किया।

(4) सड़क के किनारे वृक्षारोपण

सड़क के किनारे वृक्ष रोपण के लिए तकनीकें विकसित की गई हैं तथा इनका मानकीकरण किया गया है । इस तकनीक को अपनाने से केन्द्रीय मरु भूमि अनुसंधान संस्थान ने मार्ग हवा अवरोधक के रूप में सड़क के किनारे 200 कि० मीटर वृक्ष रोपण का विकास किया है तथा उन्हें राज्य सरकार के हवाले कर दिया है ।

(5) छाया वाला क्षेत्र

छाया वाले क्षेत्र तथा हवा अवरोधक को बढ़ाने हेतु तकनीक विकसित की गई हैं तथा इनको मानकीकृत किया गया है । इस तकनीक को अपनाने से केन्द्रीय मरु भूमि अनुसंधान संस्थान ने कृषि फसलों के संरक्षण के रूप में केन्द्रीय यांत्रिक फार्म सूरतगढ़ में पहचानी गई उपपुक्त किस्म की छाए वाली बैल्ट 95 कि० मी० में स्थापित की है ।

(6) मरू क्षेत्रों में वायवीय बुआई की सम्भावना

दो स्थानों यानी जरवा-पुरा (300 हैक्टेटर) तथा मोतीगड़ (400 हैक्टेर) से वायवीय बुआइ के बीजों के मिश्रण का काम हाथ में लिया गया है । वायवीय बुआई की सम्भावना ने जड़ पकड़ ली है तथा राज्य वन विभाग द्वारा राजस्थान नहर के बांए किनारे पर बाकी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वायवीय बुआई के लिए इसका बड़ा व्यावहारिक महत्व है ।

(7) चारागाह/रेजलेण्ड प्रबन्ध

बिगड़ती हुई रेंज भूमियों के सुधार हेतु चारे और बीज के उत्पादन के उद्देश्य से चरागाहों में बीजों की गोलियां बनाकर दोगारा बीजाई की तकनीकों का विकास किया गया है । चारे के घास की स्थाई भसलों में मूंग और लोबिया जैसी वार्षिक दलहनी फगलों के अन्तः फसलीय प्रणाली का भी विकास किया गया है जिसका चारे की उपज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता । मरु भूमि की घासों की अधिक उपज देने वाली किश्मों का पता लगाया गया है । कन्टर कून्डों, गड्ढे खोदने जादि की पानी संरक्षण करने की विधियां बेहतर चारे उत्पादन को बड़ावा देती है ।

(8) मरू भूमि बागवानी :

वारानी स्थितियों में मरुभूमि के वातावरण के लिए उपयुक्त फलों की फसलों का पता लगाया गया है । देर (जीजीफस माउरीटियाना) की अनेक सुधरी किस्में जैसे सेव, गोला तथा डन्डिया का चयन किया गया है ।

केन्द्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान में एक नई प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसके फलस्वरूप बेरी के बाग तैयार करने में आमतौर पर जो एक वर्ष का समय लगता था, इस प्रौद्योगिकी से केवल चार महीने का समय लगता है। पोलीथिन ट्यूबों जिसमें कि मूल कृन्त 90 दिनों में दाब कलग वाले अंखु तैनात किए जाते हैं।

(9) शुष्क क्षेत्र कृषि :

सी० ए० जेड० आर० आई० में किए गए अनुसंधान के चलते वर्षा पर निर्भर शुष्क कृषि में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। यह अपनाई गई फसलों, उनकी किस्मों तथा उपयुक्त प्रबन्ध स्थितियों के कारण संभव हो पाया है।

सी० ए० जेड० आर० आई०, जोधपुर में उपयुक्त वारानी फसलों तथा अन्य किस्मों की, जो उस क्षेत्र की वर्षा प्रतिगान के लिए अनुकूल होती है तथा वर्षा के जल का कारगर ढंग से उपयोग करने वालों और मृदा की नमी को संग्रह करने वाली है, पहचान की गई है।

असमान्य गौराम दशाओं की स्थितियों मान सून शीघ्र तथा देर में आरंभ होने, वर्षा की शीघ्र समाप्ति, पौधे अवस्था में सूखा तथा फूल बनते समय तथा दाना बनते समय आदि) को सूत्रबद्ध किया गया है।

10. पशु उत्पादन

राजस्थान में उपलब्ध घास भूमि/चरागाह किस्म से संबंधित भेड़ की विभिन्न नस्लों के पारिस्थितिक वितरण को कार्यान्वित किया गया था तथा पारिस्थितिकी पर एक 10 नक्शों की एटलस तैयार की गई है। इस प्रकार का भारत में यह पहला प्रयत्न है।

बकरी की एक नई नस्ल यानी परवाटसर नस्ल''की पहचान कर ली गई है जिसमें मरू क्षेत्र के लिए स्पष्ट रूप से बढ़िया दूध देने की क्षमता है।

इस प्रकार, चरागाह भूमि सुधार प्रौद्योगिकी के साथ अब विकसित की गई उन्नत पशु उत्पादन प्रौद्योगिकी—जिसकी रूपरेखा पहले दी गई है, की सहायता से अब राज्य शुष्क क्षेत्रों में पशु और चरागाह विकास कार्यक्रमों को चला सकते हैं।

11. पौध-संरक्षण

कृन्तक बीमारियों की व्यवस्था :

पारिस्थितिकीय वितरणों पर आधारित पश्चिमी राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक संख्या

में कृन्तक-जातियां पाई जाती हैं। खेतों, घरों और गोदामों में उनकी संख्या को नियंत्रित करने की अनेक नीतियों का मानकीकरण किया गया है। इस संबंध में कृषकों द्वारा कार्य करने के लिए कलेन्डर तैयार किया गया है ।

12.ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत :

भारत को पर्याप्त मात्रा में सौर्य ऊर्जा उपलब्ध है जिसका दैनिक मान इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में उपयोग में लाने के लिए निम्नलिखित सौर्य ऊर्जा के क्षेत्रों का विकास किया गया है :

1. कॉलेक्टर-कम स्टोरेज किस्म का सौर्य जल-हीटर

2. सोलर-वाटर-हीटर-कम स्टीम कूकर

3. सोलर वाटर-हीटर-कम-स्टील

4. सोलर कैबिनेट ड्रायर जो तापमान को स्वतः नियंत्रण करने वाला होता है।

इसके अतिरिक्त, भारत में सौर्य ऊर्जा उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर रेडिएसन रिजीम पर अनुसंधान किया गया है, और 10 भारतीय केन्द्रों के लिए सामान्य सोलर रेडिएसन पर आधारित ढांचे तैयार किये गए हैं । ये यंत्र तापमान्य को हटाने वाले कारगर घटकों के लिए ऊर्जा संग्रह के प्रतिदिन के उपयोग का अनुपात बताने वाले हैं। इन यंत्रों को गर्मी और सर्दी के मौसम के कुछ खास महीनों के लिए तैयार किया गया है ।

13. एक सामान्य सेल बिग विन्ड वाला मील :

पिछले जल पट्टियों से सिंचाई के लिए एवं पीने के लिए पानी को ऊपर उठाने हेतु हवा की शक्ति की क्षमता का उपयोग करने के लिए एक साधारण तेल बिग बिन्ड वाले मील का विकास किया गया है। इसकी लागत 3000/-रु० है । इसकी जांच की गई है ।

14. रेगिस्तान में मनुष्य :

विभिन्न खानाबदोश जातियों के विषय में अन्वेषण किये गए हैं ताकि उस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था में उनकी भूमिका का मूल्यांकन किया जा सके तथा उनके कल्याण के लिए उपाय सुझाया जा सके। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र के शुष्क क्षेत्र के भ्रमणशील जातियों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है जिसके कि सामाजिक-आर्थिक आंकड़े एकत्र किए जा सकें। ये आकड़े रेगिस्तान के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए विकासात्मक योजना तैयार करने हेतु आधार हो सकते हैं।

इस तरह, न केवल इस क्षेत्र की शुष्क भूमियों के सुधार और उसकी व्यवस्था के लिए अनेकों प्रौद्योगिकियां अब उपलब्ध हैं बल्कि इसने रेगिस्तान की स्थिति में सुधार भी आ सकता है। शुष्क क्षेत्र के पुनर्निर्माणके लिए प्रौद्योगिकियों की रूपरेखा, सी० ए० जैड० आर० आई०, 1983 शीर्षक बुलेटिन में इन प्रौद्योगिकों को शामिल किया गया है।

वन विकास और आदिवासी विकास

2176. श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में यह नीति स्वीकार की है कि "वन विकास और आदिवासी विकास भावी विकास के समान लक्ष्य हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर क्या योजनाएं बनाई गयी हैं और इस संबंध में राज्यों को क्या मार्गनिदेश जारी किए गए हैं ;

(ग) राज्यों ने वनों के संरक्षण और उनमें तथा उनके आस-पास रहने वाले आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(घ) केन्द्रीय/राज्य स्तर पर कौन-कौन से मंत्रालय/विभाग तत्संबंधी योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में लगे हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वन विकास पर विचार करते समय आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर समुचित विचार किया जाता है और इसे इसके अभिन्न अंग के रूप में अहमियत दी जाती हैं।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कि उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित की जा रही हैं, और उनके उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :—

(क) **केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं** :

(1) लाख की खेती

(2) काष्ठ निष्कासन में प्रशिक्षण

(3) सामाजिक वानिकी, जिसमें ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाना शामिल है।

(4) हिमालय के क्षेत्रों में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण, और

*(5) "झूम खेती" के नियन्त्रण और किसानों को बसाने संबंधी मार्गदर्शी परियोजना ।

* यह योजना मिजोरम और अरुणाचल के संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है ।

(ख) राज्य क्षेत्र :

(1) बागवानी और फलों की कलमों की सप्लाई

(2) निजी भूमि में वनरोपण

(3) बागानों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा

(4) लघु वन उत्पाद का विकास और संचयन

राज्यों के वन विभाग योजना के अंतर्गत वन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं । उनको यह कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय आदिवासी विकास से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखें :—

(क) लघुवन उत्पाद का विकास, जो कि आदिवासियों के आहार के प्रमुख साधनों में से एक है ।

(ख) पशुपालन आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में पूरक कार्यक्रमों के साथ वानिकी का एकीकरण ।

(ग) आदिवासी जनसंख्या को वनरोपण कार्यक्रमों के साथ जोड़ना ।

(घ) उजड़े वनों के पुनरोपण के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत फलवृक्ष और अन्य लघु वन उत्पाद देने वाले वृक्ष लगाना, जिसके उत्पादों में आदिवासियों को सीमित अधिकार हो ।

(ग) इस संबंध में राज्यों द्वारा अपनाए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :

(1) संरक्षात्मक स्टाफ को सुदृढ़ बनाना, चलते-फिरते दस्तों का सृजन करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में "चेक नाकों" की स्थापना करना ताकि विशेष रूप से असुरक्षित क्षेत्रों में वन संरक्षण पर कड़ी निगरानी की जा सके ।

(2) वनों की कार्यपद्धति में अधिकांश राज्यों में विचौलियों के रूप में ठेकेदारों की एजेंसी को समाप्त करना।

(3) इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वैज्ञानिक सिद्धांतों पर वनों का प्रबंध।

(4) उजड़े और कम वृक्षों वाले वन क्षेत्रों का सुधार करने के लिए उनमें वनरोपण का बृहत् कार्यक्रम शुरू करना।

(5) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्रभावी क्रियान्वयन।

(6) अनधिकृत और अनियंत्रित चराई को रोकना।

(7) "झूम खेती" का दीर्घकालिक हल खोजना।

(8) वनोत्पादों के संबंध में आदिवासियों द्वारा, उन्हें दिए गए अधिकारों, विशेषाधिकारों और रियायतों के मुक्त प्रयोग की छूट देना।

(9) पशुपालन जैसे दूसरे क्षेत्रों में अनुपूरक कार्यक्रम के साथ वानिकी का एकीकरण।

(घ) केन्द्रीय स्तर पर इस सम्बंध में में प्लान योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वन में लगे हुए मंत्रालय और विभाग निम्नलिखित हैं :—

मंत्रालय

(1) कृषि

(2) गृह

(3) ग्रामीण विकास

(4) योजना

(5) ऊर्जा

(6) सिंचाई

राज्य स्तर पर इस कार्य में लगे मंत्रालय और विभाग निम्नलिखित हैं :—

मंत्रालय	विभाग
(1) आदिवासी कल्याण	आदिवासी विकास
(2) वन	वन
(3) पशुपालन	पशुपालन
(4) सामुदायिक	सामुदायिक विकास
(5) ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास मात्स्यिकी

राष्ट्रीय भूमि बोर्ड तथा राष्ट्रीय भू-संसाधन संरक्षण और विकास आयोग की रिपोर्ट

2177. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-संसाधनों के प्रबन्ध की योजना बनाने और उस पर निगरानी रखने के लिए गठित किए गए राष्ट्रीय भूमि बोर्ड और राष्ट्रीय भू-संसाधन संरक्षण और विकास अयोग ने 1983-84 के दौरान अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय भू-संसाधन संरक्षण और विकास आयोग ने कोई राष्ट्रीय भूमि नीति तैयार की है ;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय भू-संसाधनों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में एक समान नीतियां अपनायी हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो भूमि संबंधी नीति के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय भूमि बोर्ड और राष्ट्रीय भू-संसाधन संरक्षण और विकास आयोग द्वारा क्या मानदण्ड और सीमाएं निर्धारित की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय भू-संसाधन संरक्षण तथा विकास आयोग की पहली बैठक 7 फरवरी, 1684 को हुई । आयोग की सिफारिशें राष्ट्रीय भूमि बोर्ड द्वारा 7 मार्च, 1984 को हुई उसकी

बैठक में मंजूर की गई थीं। बैठकों की सिफारिशों का सार विवरण तथा 2 में दिया गया है ।

आयोग ने राष्ट्रीय भूमि उपयोग संबंधी नीति के प्रारूप की रूप रेखा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है।

भारत सरकार द्वारा दिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सभी राज्यों तथा छह संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि संसाधनों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए राज्य भूमि उपयोग बोर्डों अथवा कुछ वैकल्पिक निकायों की स्थापना की है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय भूमि बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय भूमि संसाधनों पर एक समान नीति तैयार करने मे मदद मिलती है।

विवरण-1

7-2-1984 को हुई राष्ट्रीय भू-संसाधन संरक्षण तथा विकास आयोग की प्रथम बैठक की सिफारिशों का स्तर।

1. आयोग को देश के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक व्यापक सार की राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति तैयार करनी चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञों को एक समिति गठित की जाय, जिसके सदस्य आयोग के सदस्य हों। यह समिति राष्ट्रीय भू-उपयोग की नीति के प्रारूप की रूप रेखा तैयार करेगी, जिस पर आयोग द्वारा अपनी बाद की बैठकों में विचार किया जा है।

2. जनसंख्या का दबाव, उत्तराधिकार का कानून, बढ़ाई गई सिचाई की सुविधाएं, औद्योगिकीकरण, संचार व्यवस्था, देश में बाढ़ों तथा सूखे से प्रभावित भूमि उपयोग की पद्धति, जैसे कई घटक हैं, आयोग को इन घटकों का अन्वेषण करना चाहिए। और संसाधन विकास उपयोग, संसाधन विकास और संरक्षण के सभी प्रसंगों में उचित भू-उपयोग के लिए नीति संबंधी सुझाव देना चाहिए।

3. चूंकि राज्य भूमि उपयोग बोर्ड अभी तक कोई विशेष प्रभाव दर्शाने में सफल नहीं हुए हैं, अतः राज्य भू उपयोग बोर्डों को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में सक्रिय होना चाहिए। राज्यों और नागालैंड

तथा अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह जैसे संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने राज्य भूमि उपयोग बोर्ड स्थापित नहीं किए हैं, उनकी स्थापना करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

4. राज्य भू-उपयोग बोर्ड को समन्वय एजेन्सी के रूप में कार्य करना चाहिए और नीति संबंधी ऐसे निर्देश देने के लिए कार्य करना चाहिए जो राज्य में भू उपयोग, वनों, मृदा तथा जल संरक्षण के लिए उपयोगी हों।

5. राज्य भूमि उपयोग बोर्ड की सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वरिष्ठ अधिकारी तथा छोटे न्यूक्लस स्टाफ का पता लगाया जाना चाहिए।

6. राज्य भूमि उपयोग बोर्ड की बैठक नियमित अन्तराल पर होनी चाहिए और इसकी कार्रवाइयां राष्ट्रीय भू-संसाधन संरक्षण तथा विकास आयोग को राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए भेजी जानी चाहिएं।

7. भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। सातवीं योजना में आवश्यक कार्यक्रम शामिल होना चाहिए। अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण और मृदा सर्वेक्षण राष्ट्रीय ब्यूरो तथा राष्ट्रीय भूमि उपयोग योजना, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी तथा राज्यों में मृदा सर्वेक्षण संगठनों जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से त्वरित मृदा सर्वेक्षण शीघ्रता से पूरा करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि सातवीं योजना के अंत तक हमारे पास विश्वसनीय आंकड़े हों।

8. अधिक उपजाऊ भूमि बनाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही शुरू करने हेतु कृषि योग्य भूमि बेकार भूमि तथा परती भूमि को अवस्थित करना तथा पता लगाना आवश्यक होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से, कृषि योग्य बेकार भूमि तथा पुरानी परती भूमि के बारे में विश्वसनीय आंकड़े के बारे में जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।

9. देश में वर्तमान भूमि उपयोग की एक सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि आयोग वर्तमान तथा भावी उत्पादन दोनों के लिए भूमि तथा मृदा के उचित उपयोग का निर्धारण कर सके।

विवरण-2

7 मार्च, 1984 को हुई राष्ट्रीय भूमि बोर्ड की प्रथम बैठक की सिफारिशों का सार

(1) राष्ट्रीय भूमि बोर्ड ने राष्ट्रीय भू-संसाधन संरक्षण तथा विकास आयोग की 7 फरवरी, 1984 को हुई प्रथम बैठक की सिफारिशें मन्जूर कीं।

(2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई उपयुक्त योजनाएं, राज्य भू उपयोग बोर्डों में विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने के लिए 7वीं योजना में शामिल की जाएगी और राज्य योजनाओं में वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे।

(3) मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण का एक समय बद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और इसके कार्य निष्पादन तथा समय पर इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

(4) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सभी सम्भव साधनों से यह सुनिश्चित करेंगे कि यथा संभव अच्छी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(5) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र एक या अन्य कारणों से ऐसी भूमि, जो निम्न कोटि की होती जा रही है, के सुधार के लिए उपयुक्त योजना तैयार करेंगे तथा उसे सातवीं योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत करें ताकि पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया जा सके।

मध्य प्रदेश में सिंचाई की अतिरिक्त क्षमताएं स्थापित करना

2178. **डा० वसन्त कुमार पंडित ;**

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 (जून के अन्त तक) के दौरान विभिन्न चालू (एक) मुख्य (दो) मध्यम (तीन) लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में कुल कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता स्थापित की गई ;

(ख) क्या चालू योजनाओं में पूरा करने में विलम्ब हो रहा है जिसके कारण व्यय में वृद्धि हो रही है ;

(ग) यह ध्यान रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि राज्य क्षेत्र के साथ-साथ केन्द्रीय क्षेत्र में भी सभी सिंचाई योजनाएं समयानुसार चलें ; और

(घ) उपर्युक्त के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थापित की गई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता से कितना अतिरिक्त उत्पादन होने का अनुमान है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश में 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान सृजित की गई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(हजार हैक्टेयर में)

वर्ष	बृहद एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों के जरिए	लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए।
1981-82	78	86
1982-83	60	56
1983-84	48	91

(ख) परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी वित्तीय संसाधनों की कमी, परियोजनाओं की प्रचुर मात्रा, निर्माण सामग्रियों की कमी, लागतों में वृद्धि इत्यादि होने के कारण हुई है।

(ग) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण एवं कार्यान्वयन राज्यों सरकारों द्वारा स्वयं अपने विकास की निजी प्राथमिकता के अन्दर किया जाता है। राज्य सरकारों से उपलब्ध संसाधनों में से अपेक्षित धनराशि आबंटित करके निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के वास्ते अनुरोध किया गया है।

(घ) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई निवेशों में से सिंचाई केवल एक निवेश है और इस तरह से केवल अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के कुप्रबन्ध के बारे में भारतीय खाद्य निगम की पश्चिमी जोन के कार्यकारी कर्मचारियों से ज्ञापन

2179. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० सी० आई० एक्जीक्युटिव इम्पलाइज, वेस्टर्न जोन ने भारतीय खाद्य

निगम, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, मध्य प्रदेश के कु-प्रशासन तथा न्याय विरोधी कार्यों के बारे में सरकार को एक ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहैकार ने तथ्यों कासत्यापन कर लिया है और/अथवा भारतीय खाद्य निगम के मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय में गलत तरीके से नौकरी समाप्त करने, अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बड़े पैमाने पर स्थानांतरण आदि समस्याओं को हल करने के लिए एक्जीक्युटिव इम्पलाइज से कोई बातचीत की है ;

(ग) यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने आरोपों की जांच की है। इसमें कोई सार नहीं पाया गया है।

वन महोत्सव में शिक्षा संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने की योजना

2180 : **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पेड़ों को लगाने तथा उनके संरक्षण के लिए वन महोत्सव क्रियाकलापों के सफलता पूर्वक संचालन में शिक्षा संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है तथा उसके क्या परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की योजना तैयार की जाएगी तथा निकट भविष्य में क्रियान्वित की जाएगी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) व (ग) राज्यों को जारी किए गए निदेश इस प्रकार है :

(1) देश में वानिकी का संवर्धन करने के लिए 'प्रत्येक बच्चे के लिए एक वृक्ष' कार्यक्रम का एक भाग होना चाहिए ;

(2) स्कूल और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उनमें वृक्षों के प्रति प्यार की भावना पैदा की जा सके।

(3) स्कूलों और महाविद्यालयों के प्रांगणों में नर्सरियां लगाई जाए जहां विद्यार्थियों द्वारा पौद तैयार की जा सकती है।

(4) पौद उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए स्कूल और महाविद्यालय अपने दैनिक पाठ्यक्रम में कुछ समय नियत करें।

(5) राज्य में सभी शैक्षिक संस्थाओं को एन० एस० एस० स्वयं सेवकों, एन० सी० सी० कैडेटों, स्काउटों आदि को अपने वार्षिक प्रशिक्षण कैम्पों के दौरान वृक्षारोपण कार्य में लगाना चाहिए। ये कैम्प अपेक्षतया ऐसे स्थानों पर लगाएं जाये जहां वन विभाग वृक्षारोपण कार्य करते हैं।

(6) वानिकी के यथाशीघ्र संवर्धन के लिए सभी स्कूलों और महाविद्यालयों को शामिल करने के प्रयास किए जाएं।

(7) वृक्षारोपण कार्य के सम्बन्ध में अध्यापकों को शिक्षित किया जाए ताकि स्कूल और महाविद्यालियों के विद्यार्थियों के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सके।

(8) स्कूली बच्चों द्वारा मात्र वृक्षारोपण करना काफी नहीं होगा। उन्हें उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों की बाद की देखभाल में भी लगाया जाए। प्रभागीय वन अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में संवर्धन, समस्त निरीक्षण और प्रबोधन का उत्तरदायित्व दिया जाए ;

(9) वृक्षों और समस्त प्रकृति में रुचि पैदा करने की दृष्टि से राष्ट्रीय पार्कों चिड़ियाघरों, प्राणिविज्ञान सम्बन्धी पार्कों में विश्व वानिकी दिवस पर निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी जाए

(10) योग्त व्यक्तियों द्वारा विभिन्न संस्थाओं में चर्चाओं और व्याख्यानों की व्यवस्था की जाएं।

(11) वन महोत्सव और विश्व वानिकी दिवस के दौरान प्रतीकात्मक व औपचारिक वृक्षारोपण किया जाए ;

(12) स्कूलों, महाविद्यालयों और अन्य स्थानों पर प्रकृति प्रेमी क्लब स्थापित किए जाएं ।

(13) स्कूलों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए वन्य प्राणि पार्कों, आश्रय स्थलों, प्राकृतिक आरक्षण स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था की जाए ।

उपर्युक्त उपायों से युवाओं में, जो भविष्य के नागरिक हैं, वांछित वृक्षोन्मुख अभिरुचि जागृत करने में सहायता मिली है ।

गेहूं के लाने ले जाने और इसकी खरीद पर रोक

2181. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से गेहूं के लाने ले जाने पर लगे सभी औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिबन्ध हटा लेने का आग्रह किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष हुए गेहूं के 44 मिलियन मीट्रिक टन के रिकार्ड उत्पादन को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध 1977 में हटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप गेहूं की अनुपलब्धता में कमी हुई थी औरपू रे देश में गेहूं की ज्यादा कीमतों को नियन्त्रित किया जा सका था ।

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार को गेहूं की और अधिक खरीद न करने का भी आग्रह किया गया है, क्योंकि सरकार ने पहले ही लक्ष्य से अधिक गेहूं की अधिक खरीद कर ली है ।

(ङ) क्या 1983-84 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन सन्तोषजनक रहा ; और

(च) यदि हां, तो 1984-85 के दौरान भी यही प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) गेहूं के बढ़े हुए उत्पादन की दृष्टि में अभ्यावेदन प्राप्त

हुए हैं जिनमें सरकार से गेहूं के संचयन पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटाने के लिए अनुरोध किया गया है। समकार की वर्तमान नीति समूचे देश को एकल जोन मानने की है। तथापि, यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वे ऐसे संचलन पर, जैसा वे आवश्यक समझें, निगरानी रखें।

(ग) सुगम बफर स्टाक को ध्यान में रखते हुए गेहूं के संचलन पर लगे प्रतिबन्ध को 1977 में हटा दिया गया था।

(घ) गेहूं कीं वसूली मूल्य समर्थन परिचालन के अन्तर्गत की जाती है और सरकार निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य पर पेश किए गए सभी गेहूं को खरीदने के लिए वचनबद्ध हैं ग्शर्ते कि वह गुण विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो।

(ङ) और (च) जी, हां। गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पग उठाए जा रहे हैं।

वर्ष 1984-85 के दौरान कृषि उत्पादन

2183. **श्री बी० वी० देसाई :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान एक और बम्पर फसल की संभावनाएं काफी उज्जवल थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अधिकतर भागों में मानसून के समय पर आ जाने से खरीफ की फसलों की बड़ी पैमाने पर बुवाई काफी सुविधानजक हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ;

(घ) किसानों को कुल कितनी मात्रा में उर्वरक और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं और क्या खरीफ फसल की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में कोई व्यापक मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) व (ख) सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार देश के अधिकांश भागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून समय से शुरू हुआ

और इससे समय पर खरीफ की फसलों की बुवाई करने में सुविधा हुई। तथापि, बुवाई अभी प्रगति पर है तथा 1984-85 के दौरान फसल की संभावित मात्रा का अनुमान लगाना अभी कठिन है। आगामी दो महीनों के मानसून के रुख पर बहुत कुछ निर्भर होगा।

(ग) राज्यों को खरीफ फसलों की बुवाई के लिये ऋण, उर्वरकों और अन्य आदानों की उपलब्धता में समय से सहायता प्रदान की गई थी।

(घ) व (ङ) वर्ष 1984 के खरीफ मौसम के दौरान उर्वरकों की कुल आवश्यक मात्रा 39 लाख मीटरी टन पोषक तत्व आंकी गई है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को तदनुसार आवश्यक आवंटन देशी आयातित आपूर्ति में से किया गया है। जहां तक किसानों को उपलब्धता का संबंध है, वर्ष 1984-85 के लिए अल्पावधि ऋण के लक्ष्य सहकारी समितियों से 2590 करोड़ रुपए और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से 1110 करोड़ रुपए रुपए रखने की परिकल्पना की गई है।

अल्पावधि ऋण का एक बड़ा भाग खरीफ की फसल के उत्पादन के लिए दिये जाने की आशा है। जहां तक खरीफ की फसल की सम्भावनाओं का सम्बन्ध हैं, स्थिति ऊपर दी गई है।

गेहूं विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान एवं निदेशालय की स्थापना

2184. **श्री वी० वी० देसाई :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय गेहूं के विकास के लिए राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान और एक पृथक निदेशालय स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्थान का गठन चावल अनुसंधान संस्थान की पद्धति पर किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस अनुसंधान का मुख्य प्रयोजन क्या होगा ;

(घ) क्या इस तथ्य के बावजूद कि गत 35 वर्षों के दौरान गेहूं के खेती के विकास में पर्याप्त प्रगति की गई है, यह अनुभव किया गया है कि इसके और विकास की गुंजाइश है ; और

(ङ) यदि हां, तो राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान के गठन से इसमें कहां तक सहायता मिलेगी और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि कृषि मंत्रालय के विचारार्थ कृतक बल द्वारा एक गेहूं विकास निदेशालय स्थापित करने का सुझाव रखा गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां, श्रीमान।

(घ) उपरोक्त 'क' को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

वृक्षारोपड़ कार्यक्रम

2185. **श्री बिरदा राम फुलवारिया :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वृक्षारोपण के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए वृहत् कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने पेड़ लगाए जाने का विचार है;

(ग) इस कार्यक्रम के प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में वृक्षा रोपण संबंधी वृहत कार्यक्रम को मुख्य रूप से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है :—

(1) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित है तथा इसे बाहरी सहायता भी प्राप्त होती है। इसे राज्य योजना के अन्तर्गत शुरू किया गया है।

(2) राज्य योजना के अन्तर्गत उत्पादन वानिकी कार्यक्रम।

(3) केन्द्र द्वारा प्रायोजित गृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को भी राज्य योजना के अन्तर्गत शुरू किया गया है।

(क) और (ख) छठी योजना के दौरान लगभग 452.20 करोड रुपए की कुल लागत से लगभग 917 करोड़ वृक्ष लगाए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना परिव्यय (1980-85)

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		योजना परिव्यय
क.	**राज्य क्षेत्र**	
1.	आंध्र प्रदेश	750·00
2.	असम	650.00
3.	बिहार	817·00
4.	गुजरात	7180.00
5.	हरियाणा	1087·00
6.	हिमाचल प्रदेश	1550·00
7.	जम्मू व कश्मीर	750·00
8.	कर्नाटक	1179·00
9.	केरल	650.00
10.	मध्य प्रदेश	3255·00
11.	महाराष्ट्र	3625.00
12.	मणिपुर	338·00
13.	मेघालय	250·00
14.	नागालैण्ड	226·00
15.	उड़ीसा	700·00
16.	पंजाब	875·00
17.	राजस्थान	1178·00
18.	सिक्किम	240.00
19.	तमिलनाडु	5116·00
20.	त्रिपुरा	499·90
21.	उत्तर प्रदेश	6815·00
22.	पश्चिम बंगाल	1288·00

1	2	3
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	250.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	284.00
25.	चण्डीगढ़	5.50
26.	दादर एवं नगर हवेली	47.80
27.	दिल्ली	60.00
28.	गोवा दमन एवं दीव	218.00
29.	लक्षदीप	—
30.	मिजोरस	316.40
31.	पांडिचेरी	10.00
	कुल :	40219.59
ख.	केन्द्रीय क्षेत्र :	
	सामाजिक वानिकी संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना	5000.00
	कुल योग :	45219.59

भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में भण्डारण और ढुलाई के दौरान हानि

2186. **श्री भीखा भाई :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम को भण्डारण और ढुलाई के दौरान कितनी हानि होती है ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने भण्डारण अथवा ढुलाई के दौरान 1 प्रतिशत से अधिक हानि होने वाले डिपुओं का ब्यौरा (नाम) जानने के प्रयास किए हैं, और इन डिपुओं से सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) यदि हां, तो भण्डारण और ढुलाई के दौरान हानि को रोकने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) 1982-83 के दौरान भण्डारण तथा मार्गस्थ औसत हानि, की गई खरीदारी और बिक्री की कुल मात्रा का लगभग 2.37 प्रतिशत थी। 1983-84 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी, हां,

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने कमियों को कम करने के लिए पूरा तोलना, लदान और उतरान केन्द्रों पर प्रभावकारी ढंग से देख-रेख करना और परिवहन तथा प्राप्ति के समय बोरियों को गिनना, सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा करना, डिपुओं पर स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करना और सूचना प्रणाली आदि को सरल बनाना और लापरवाही तथा दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों को उपयुक्त सजा देना, जैसे कई एक पग उठाए हैं।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए दिल्ली में फ्लैट

2187. **श्री भीखा भाई** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने त्रिलोक पुरी में 52 फ्लैट अधिग्रहीत करने के भारतीय खाद्य निगम के अनुरोध को नामंजूर कर दिया है और इनका आबंटन अपने कर्मचारियों को करने का परामर्श दिया है और यदि हां, तो कर्मचारियों को इनके आबंटन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए अन्य स्थानों पर कौन-सी अन्य आवासीय योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली में अपने अधिकारियों के लिए खेल-गांव में खरीदे गए फ्लैटों की संख्या और लागत कितनी है ?

इलेक्ट्रानिकी, विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम. एस. संजीवी राव) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में भारतीय खाद्य निगम को सूचित किया है कि मयूर विहार (त्रिलोक पुरी) में निगम के नाम में 47 फ्लैट आबंटित करने विषयक उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इन फ्लैटों का व्यक्तिगत कर्मचारी को आबंटन करने के लिए उन्होंने ब्यौरे मांगे हैं। इस मामले पर निगम द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम अपने कर्मचारियों को कई स्थानों पर आवासीय स्थान देने के लिए, फ्लैटों का अधिग्रहण/निर्माण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से एशियाई खेल गांव कम्पलेक्स (खेल गांव) में लगभग 96 लाख रुपये की कुल लागत पर नौ फ्लैट खरीदे हैं।

स्थानीय प्रशासन और शहरी विकास की केन्द्रीय परिषद् की बैठक स्थगित होना

2188. **श्री एन० ई० होरो :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जून, 1984 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्थानीय सरकार और शहरी विकास की केन्द्रीय परिषद् की बैठक, जो नई दिल्ली में होनी थी, वह 6 महीनों से भी कम समय में तीसरी बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है;

(ख) क्या इसके स्थगित किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी, हां। यह बैठक अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं की गई थी तथा वस्तुतः यह बैठक 18 और 19 जुलाई, 1984 को आयोजित की गई थी।

छठी योजना के दौरान वनों की हानि

2189. **श्री एन० ई० होरो :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान वनों की हानि के बारे में राज्यों से सूचना मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने नियंत्रणाधीन वन क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट भेजते हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना की प्रतीक्षा है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राज्यों द्वारा सूचित काटे गए वनों का क्षेत्र (हैक्टार में)	
		1980-81	1981-82
1.	आंध्र प्रदेश	12018	19986
2.	असम	शून्य	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	2164	347
5.	हरियाणा	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	2211	2660
7.	जम्मू व कश्मीर	10	शून्य
8.	कर्नाटक	14.78	उ०न०
9.	केरल	2268	130
10.	महाराष्ट्र	1100	शून्य
11.	मेघालय	शून्य	उ०न०
12.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	32.79	उ०न०
14.	पंजाब	शून्य	शून्य
15.	राजस्थान	229.86	उ०न०
16.	सिक्किम	शून्य	उ०न०
17.	तमिलनाडु	58	उ०न०
18.	त्रिपुरा	2364	193
19.	उत्तर प्रदेश	शून्य	उ०न०

1	2	3
संघ शासित क्षेत्र		
1. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
2. अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
3. दादर और नगर हवेली	शून्य	शून्य
4. गोवा, दमन और दीव	शून्य	शून्य
5. मिजोरम	शून्य	शून्य

उ० न० = उपलब्ध नहीं

गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ा जाना

2190. **श्री नवीन रावणी :**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 तक प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में कितने गांव सड़कों द्वारा जोड़े नहीं गए हैं;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान उनमें से कितने गांवों को जोड़े जाने की सम्भावना है और उनके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गांवों को सड़कों द्वारा जोड़े जाने के लिए क्या मानण्ड अपनाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) छठी योजना प्रलेख के अनुसार, 1990 तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों और 1000 से 1500 के बीच की आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना है तथा ऐसे ही 50 प्रतिशत गांवों को 1985 तक सड़कों से जोड़ा जाना है ।

विवरण

31-3-84 (अनन्तिम रूप से) सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से न जोड़े गए गांवों की संख्या 1984-85 के दौरान सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों से जोड़े जाने वाले गावों के लिए लक्ष्य तथा योजना आयोग द्वारा 1984-85 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए अनुमोदित परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	31-3-84 तक न जोड़े गए गांवों की संख्या	1984-85 के लिए लक्ष्य	1984-85 के लिए परिव्यय (लाख रुपये में)
1	2	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	16464	73	818
2. असम	9762	575	850
3. बिहार	46155	500	3000
4. गुजरात	7148	500	500
5. हरियाणा	128	10	5
6. हिमाचल प्रदेश	9973	286	800
7. जम्मू तथा कश्मीर	2662	45	519
8. कर्नाटक	18832	103	1500
9. केरल	—	—	400
10. मध्य प्रदेश	55335	550	1400
11. महाराष्ट्र	24289	14	500
12. मणिपुर	1521	20	250
13. मेघालय	2667	12	120

1	2	3	4
14. नागालैण्ड	332	—	50
15. उड़ीसा	53154	190	650
16. पंजाब	162	5	30
17. राजस्थान	27348	880	760
18. सिक्किम	175	16	550
19. तमिलनाडु	10390	311	800
20. त्रिपुरा	2698	280	3 0
21. उत्तर प्रदेश	102044	443	6000
22. पश्चिम बंगाल	20631	193	700
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	145	—	126
24. अरुणाचल प्रदेश	3463	—	350
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दादर तथा नागर हवेली	20	—	—
27. दिल्ली	—	—	1
28. गोवा दमण तथा द्वीव	33	—	6
29. लक्षद्वीप	अ	अ	2
30. मिजोरम	654	7	250
31. पाण्डिचेरी	22	13	11
योग :	415807	5026	21228

अ अलग द्वीप समूह—कोई गांव नहीं

स्रोत: योजना आयोग

छठी योजना में गंदी बस्तियों की सफाई

2191. **श्री हग्गिहर सोरन**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में गंदी बस्तियों की सफाई के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) अब तक राज्य-वार गंदी बस्तियों की सफाई का कितना कार्य किया गया है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुनैया) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से मलिन बस्ती उन्मूलन नीति की अपेक्षा विद्यमान मलिनबस्तियों में पर्यावरणीय सुधार पर बल दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत 151 करोड़ रुपये की लागत से 1 करोड़ मलिन बस्ती जनसंख्या को लाभान्वित करने पर विचार किया गया है।

(ग) तथा (घ) शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत 1980-81 से 1983-84 तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई राशि तथा कार्यान्वित किए गए व्यक्तियों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1980-81 से 1983-84 तक योजना की प्रगति

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य	1980-81 व्यय रुपये	उपलब्धि व्यय रुपये	1981-82 व्यय रुपये	उपलब्धि व्यय रुपये	1982-83 व्यय रुपये	उपलब्धि व्यय रुपये	1983-84 व्यय रुपये	उपलब्धि व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	270.00	237973	290.00	267209	512.00	336520	610.00	300506
2.	असम	—	—	10	5600	10.00	3601	20.00	12649
3.	बिहार	59.00	40000	40.00	26666	55.00	13929	55.00	52608
4.	गुजरात	41.00	103380	40.00	34346	60.00	57401	100.00	79809
5.	हरियाणा	20.00	उपलब्ध नहीं	80.00	27835	80.00	60210	80.00	105017
6.	हिमाचल प्रदेश	5.00	3000	5.00	3000	10.00	4000	10.00	15084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	जम्मू तथा कशमीर	150·00	50000	119.00	40000	120·00	43000	149·00	29000
8.	कर्नाटक	80.86	23867	82·09	76000	138·00	82009	145·60	100000
9.	केरल	65·00	12445	65·00	15000	65·00	4055	75·00	25491
10.	मध्य प्रदेश	51·27	34145	26·73	17802	124·49	115582	135·00	124377
11.	महाराष्ट्र	321.5	130473	447·42	106510	450·00	223623	1000·00	450000
12.	मणिपुर	1·00	300	2·42	300	5·00	2134	5·00	3500
13.	मेघालय	3.88	2553	3·94	2627	3·00	1996	8·00	8585
14.	उड़ीसा	15·00	5000	15·00	7000	15·00	16350	55·00	45000
15.	पंजाब	19·00	53810	80·00	57242	80·00	74586	80·00	206019
16.	राजस्थान	60·00	12583	40·00	13766	70·00	48631	55·00	127678
17.	सिक्किम	1·00	150000	2·00	1500	3·00	2425	4·00	5200
18.	तमिलनाडु	234·58	13000	261.77	236000	450·00	218740	350·00	1.7070
19.	त्रिपुरा	1.77	500	6·53	5800	10·00	60 80	10·00	6080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उत्तर प्रदेश	200.00	85500	200.00	129700	232.00	19263	100.00	214405
21.	पश्चिम बंगाल	625.02	27000	483.31	220000	400.00	93000	1129.000	115000
22.	दिल्ली	100.00	720000	20.00	92000	220.00	15900	290.00	206000
23.	गोआ दमण तथा दीव	5.15	4900	7.10	5700	7.18	2200	8.15	5000
24.	मिजोरम	—	—	—	—	8.90	10000	9.70	15000
25.	पाण्डिचेरी	600	6000	9.22	6000	8.00	16000	12.00	16000
	योग	2336.6	1292929	2516.53	1396603	3136.57	1784335	4455.45	2425078

कर्नाटक और निकटवर्ती राज्यों में "लैब एण्ड लैंड कार्यक्रम

2192. **श्री के० मालन्ना :**

श्री लक्ष्मण मलिक

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है किसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल जैसे उसके निकटवर्ती राज्यों में "लैब एंड लैंड" कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम और उसके निष्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि प्रयोगशाला से खेत तक प्रायोजना के पहले चरण (1979 से 1982) से दूसरे चरण (1982-84) तक के मूल्यांकन के लिए पहले ही एक मूल्यांकन समिति गठित की जा चुकी है। इस समिति ने पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया है और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है। यह दल इस कार्य के लिए संभवतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का भी दौरा करेगा।

(ख) इस स्थिति में इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में ग्रामीण रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन

3193. **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने अनेक ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ये सभी योजनाएं बिहार में भी क्रियान्वित की जा रही हैं ;

(घ) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार। अल्प-रोजगार वाले लोगों को रोजगार देने के लिए जो दो मुख्य रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, वे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम।

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा बताने वाला एक संक्षिप्त नोट विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) व (ङ) : जब कभी संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के विशेष मामले नजर आते हैं, तो उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य के साथ तत्काल उठाया जाता है। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आयोजना, समन्वय, मानीटरिंग आदि का कार्य जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरणों को सौंपा गया है जो स्वायतशसी निकाय होतीं हैं। कार्यक्रम की नियमित मानिटरिंग के लिए जिला और राज्य स्तरों पर प्रबन्ध किए गए हैं। क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा केन्द्रीय स्तर पर भी की जाती है और समय-समय पर जाकर अध्ययन करने के क्रियान्धयन के मूल्यांकन अध्ययन भी किए जाते हैं।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार। अल्प-रोजगार वाले लोगों के लिए प्रति वर्ष 300-400 मिलियन श्रम दिनों तक के रोजपुर के अवसर उपलब्ध कराने और साथ ही ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित करने की दृष्टि से अक्तूबर, 1980 से आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम गरीब ग्रामीण लोगों के पोषण संबंधी स्तर को भी सुधारता है जिसके लिए मजदूरों को मजदूरी के भाग के रूप में प्रति दिन प्रति व्यक्ति 1 किलो अन्न रियायती दर पर दिया जाना होता है। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र और राज्य बराबर-बराबर के अंश के रूप में धन देते हैं तथा छठी योजनावधि में इसके लिए कुल 1620 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया हैं। 1984-85 के लिए, केन्द्र और राज्य क्षेत्र, दोनों में कुल 460 करोड़ रुपये का परिव्यय है। ग्रामीण लोगों की महसूस की गई जरूरतों पर आधारित और जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों द्वारा अनुमोदित कार्य-परियोजनाओं को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू करने के लिए शुरू किया जाता है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम हर भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों तक के रोजगार की गारन्टी दिए जाने की दृष्टि से ग्रामीण

इलाकों में रोजगार के अवसरों को सुधारने और बढ़ाने के लिए अगस्त, 1983 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र शत-प्रतिशत आधार पर धन देता है और इसके लिए 1983-84 में 100 करोड़ रुपये एवं 1984-85 में 500 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस कार्यक्रम में 1983-84 में 60 मिलियन श्रमदिनों और 1984-85 में 300 मिलियन श्रम दिनों के रोजगार के अवसर पैदा करने का विचार किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20-सूत्री कार्यक्रम संबंधी कार्य-परियोजनाएं केन्द्र का अनुमोद प्राप्त करने के बाद राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाती हैं।

सातवीं योजना में आवास प्राथमिकता

2194. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में आवास को प्राथमिकता देने के सुझाव दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) यह सुझाव सातवीं योजना बनाने के सम्बन्ध में गठित आवास सम्बन्धी कार्यकारी दल के समक्ष विचाराधीन है। दल का विचार-विमर्श अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।

बेघर लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष 1987 के सन्दर्भ में भावी आवास योजना

2195. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :**

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बेघर लोगों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष 1987 के सन्दर्भ में कोई भावी आवास योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) केरल ने आवास का एक अनन्तिम कार्यक्रम प्रेषित किया था जिसमें आगामी 10 वर्षों में 349.90 करोड़ रुपये की वचनबद्धता शामिल है।

भारत में आवास-हीनों के लिए आश्रय के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के सम्बन्ध में कार्यक्रम बनाने एवम् लागू करने का समन्वित रखने की दृष्टि से भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक एपेक्स समिति गठित की है। केरल सरकार सहित राज्य सरकारों विशिष्ट जमयबद्ध कार्यक्रम बनाने तथा लागत प्राक्कलन निकालने तथा संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में विस्तृत मार्ग निर्देशन दे दिए गए हैं।

गेहूं, चावल और चीनी का आयात और भंडारण प्रबंध के कारण नुकसान

2195 **श्री ए० नीलालोहितदासन नाडार** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में भंडारण प्रबन्ध आदि में हुए नुकसान के कारण गेहूं और चावल तथा चीनी का आयात करने की जरूरत पड़ी ; यदि हां, तो वर्ष-वार हुए नुकसान और आयात का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार ने नुकसान को समाप्त करने/कम करने हेतु क्या सुधारात्मक वैज्ञानिक उपाय किए हैं/करने का विचार है ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम और दूसरी व्यावस्थापक एजेन्सियों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों क्षेत्रों में कुल कितने मूल्य के कितने अनाज का प्रबन्ध किया जाता है और उसमे कितने प्रतिशत नुकसान होता है और उसका मूल्य कितना है ; और

(घ) क्या सरकार के पास इस प्रकार के कार्यों के के लिए सुदूर पूर्व, पश्चिम एशिया, योरोपीय और उत्तरी अमेरिका जैसे कुछ देशों में प्रबन्ध भंडरण में होने वाले नुकसान के प्रतिशत के तुलनात्मक आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (च) 1979-80 और 1982-83 के दौरान देश के नई के कई भागों में अभूतपूर्व सूखा पड़ने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ने से सरकारी एजेन्सियों के पास गेहूं और चावल के स्टाक में वृद्धि करने के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा था। इसी प्रकार चीनी के मामले में भी घरेलू बाजार में उपयुक्त मूल्यों पर चीनी की उपलब्धता और आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए चीनी का आयात करना पड़ा था।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भण्डारण और हैंडलिंग में खाद्यान्नों और चीनी की कमी और आयातों के बारे में वर्षवार स्थिति नीचे दी जाती है :—

(आकड़े लाख मीटरी टन में)

वर्ष	हानि की मात्रा	आयात		
		गेहूं	चावल	चीनी
1980-81	6·58	—	—	2·14
1981-82	6·60	*2010	—	—
1982-83	7.45	19·52	—	—
1983-84	अन्तिम रूप नहीं दिया गया	37·39	3·66	1·25 (अनुमानित)

* इसमें एक जलपोत शामिल नहीं है जिसे विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बंगाल देश भेज दिया था ।

(ख) भण्डारण में और मार्गस्थ कमियों को रोकने के लिए जो उपचारी उपाय किए गए हैं उनमें ये शामिल हैं :— क्रम केन्द्रों पर और भण्डारण के दौरान कड़ाई के साथ गुण नियंत्रण करना ; विभिन्न परिचालन केन्द्रों पर शत-प्रतिशत तौल सुनिश्चित करना और बोरियों की संख्या की जांच करना ; कांटे लगाना ; यथा सम्भव खुले में भण्डारण करने से बचना ; खुले वैगनों में लदान से बचना, बोरियों की मशीनों से सिंचाई करवाना और उन्नत किस्म बोरियों का इस्तेमाल करना धान की ; शीघ्र मिलिंग करने की व्यवस्था, आदि ।

(ग) केवल भारतीय खाद्य निगम के लिए उपलब्ध आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

मात्रा लाख मीटरी टन में)

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल हैंडलिंग (खरीदारी और बिक्री)		हानि		हानि की प्रशितता
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1980-81	232·55	3462·60	6·43	100·20	2·76
1981-82	285·82	5011·48	6·51	115·91	2·28
1982-83	312·78	50·8804	7·40	143·66	2·37

(घ) कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव

2197. **श्री हरीश रावत :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव हैं।

(ख) यदि हां, यह कहां पर खोला जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार इस विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश में चोवटिया, रानीखेत में खोलने पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्तमान पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वनस्पति घी के उत्पादकों से नमूने एकत्रित करना

2198. **श्री हरीश रावत :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष वनस्पति घी की विभिन्न किस्मों के सभी पंजीकृत उत्पादों से पंजीकरण के लिए नमूने एकत्रित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रति ब्रांड औसतन कितने नमूने एकत्रित किये गये हैं और प्रत्येक नमूने कितने अन्तराल के बाद एकत्र किये गये हैं ;

(ग) क्या इनमें से किसी नमूने के परीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि वनस्पति घी के किसी ब्रांड में गाय की चर्बी का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो ऐसे कितने नमूने हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस प्रचार का पर्दाफाश करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि वनस्पति घी में गाय की चर्बी मिलाई गई थी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय के फील्ड कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक वनस्पति एकक से हर महीने नमूने लिये जाते हैं।

(ख) प्रत्येक वनस्पति एकक से हर महीने लगभग 4-5 नमूने लिये जाते हैं।

(ग) ऐसा कोई नमूना नहीं पाया गया है।

(घ) वनस्पति के प्रत्येक आधार पर लगे लेबिल पर वनस्पति के विनिर्माण में प्रयोग किये गये तेलों के नामों का कानूनन उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा वनस्पति निदेशालय के फील्ड कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वनस्पति के उत्पादन में चर्बी का इस्तेमाल न हो, वनस्पति कारखानों का नियमित तथा अचानक निरीक्षण किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार

2199. **श्री हरीश रावत :**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 194-85 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्तर प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवार लाभान्वित होंगे ;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये गये तथा उस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवार लाभान्वित हुए और उन्हें कुल कितनी धनराशि वितरित की गई ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले भी हैं, जो गत एक वर्ष के दौरान अपने लक्ष्य का 60 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर सके ; और

(घ) यदि हां, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उनके असफल रहने के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) : 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5·32 लाख परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ख) 1983-84 के दौरान उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 6·43 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे जो लक्ष्य का 122·03 प्रतिशत है। 1983-84 के दौरान 26758·95 लाख रुपये लाभार्थियों में आर्थिक सहायता तथा ऋण के रूप में वितरित किए गए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मालदा पश्चिम बंगाल में एक आम अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

2200. **श्री चित्त बसु :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालदा, पश्चिम बंगाल में एक आम अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव अब किस स्थिति में है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सातवीं योजना में मालदा, पश्चिम बंगाल में आम से संबंधित सूचना और प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए एक केन्द्र को आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं। मौजूदा समय में, इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित स्थान की जांच की जा रही है।

छठी योजना में वृक्षारोपण

2201. **श्री हरिकेश बहादुर :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने पेड़ लगाये गये और वनरोपण परियोजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) 1950 में देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन में थे और इस समय कितने क्षेत्र वन में हैं ;

(ग) क्या देश में वनरोपण योजनाओं के अन्तर्गत वास्तव में लगाए गए पेड़ों की संख्या और उनमें से जीवित पेड़ों की संख्या के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने देश के कुल क्षेत्र के अतिरिक्त 10 प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अन्तर्गत लाने के लिए कोई योजना तैयार की है और क्या यह वृद्धि 1950 में वनों के अन्तर्गत क्षेत्र के अतिरिक्त होगी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 452·20 करोड़ रु० की कुल अनुमानित लागत से 917 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें गैर-सरकारी व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए जाने वाले प्रयास शामिल नहीं हैं।

(ख) देश में 1950 में वनों के अन्तर्गत 21·83 /. क्षेत्र था और इस समय 22·73 /. क्षेत्र है।

(ग) वनरोपण कार्यक्रम के तहत देश में लगाये गये पौधों और उनमें से जीवित बचे पौधों का ब्यौरा **विवरण-1** और 2 में दिया गया है।

(घ) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में वनरोपण कार्यक्रम को काफी प्रोत्साहन दिया गया है ताकि यथा सम्भव तेजी से वनों और वनों के बाहर दोनों के बंजर और वृक्ष रहित उजड़े क्षेत्रों को वृक्ष लगाकर ढक दिया जाए।

विवरण-1

वनरोपण के तहत वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक की उपलब्धियों और 1984-85 के लक्ष्यों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(पौधों की संख्या—लाखों में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1.	आंध्र प्रदेश	409·55	680·00	1230·00	1576·71	1850·00
2.	असम	22·50	313·00	306·00	423·09	400·00
3.	बिहार	371·33	553·60	901·00	1066·58	1250·00
4.	गुजरात	927·72	1494·00	2468·00	2883·92	3100·00
5.	हरियाणा	308·57	600·00	760·00	1012·00	1000·00
6.	हिमाचल प्रदेश	283·91	277·00	468·00	516·10	500·00
7.	जम्मू और कश्मीर	125·00	80·00	205 00	225·95	230·00
8.	कर्नाटक	559·43	1414·00	1768·00	2245·00	2550·00

9.	केरल	142·00	162·00	619·00	658·77	600·00
10.	मध्य प्रदेश	1098·50	2456·00	2839·00	2870·44	3200·00
11.	महाराष्ट्र	625·77	874·00	2276·00	1959·00	1550·00
12.	मणिपुर	68·80	63·29	69·00	77·02	100·00
13.	मेघालय	26·36	35·42	82·00	68·13	100·00
14.	नागालैंड	58·29	66·12	95·00	91·80	160·00
15.	उड़ीसा	517·97	607·41	1038·00	1068·51	1100·00
16.	पंजाब	175·09	373·00	547·00	670·37	527·00
17.	राजस्थान	208·97	305·00	368·00	586·76	628·00
18.	सिक्किम	52·50	36·00	50·00	70·00	77·00
19.	तमिलनाडु	518·54	817·00	1024·00	1192·47	100.00
20.	त्रिपुरा	74·95	147·60	127·00	149·00	150·00
21.	उत्तर प्रदेश	1050·00	1052·00	2305·00	3429·00	3200·00
22.	पश्चिम बंगाल	276·00	430·00	677·00	734·00	1100·00

1	2	3	4	5	6	7
	संघ राज्य क्षेत्र :					
23.	अन्दमान और निकोबार दीप समूह	2·96	80·40	84·00	84·38	100·00
24.	अरुणाचल प्रदेश	94·35	58·00	108·00	124·84	125·00
25.	चण्डीगढ़	उ० न०	उ० न०	4·80	4·50	5·00
26.	दादर और नगर हवेली	2·77	9·51	27·00	27·00	25·00
27.	दिल्ली	25·00	उ० न०	31·00	30·70	25·00
28.	गोवा, दमन एवं दीव	7·15	उ० न०	26·00	23·85	30·00
29.	मिजोरम	126·50	204·00	257·00	300·00	350·00
30.	पांडिचेरी	उ० न०	उ० न०	13·00	2·67	10·00
31.	लक्षद्वीप	उ० न०	उ० न०	उ० न०	0·43	5·00
	योग :	8467·38	13188·25	20785·00	24176·12	25097·00

विवरण-2

1980-81 से 1983-84 तक वनरोपण के तहत लगाए गए पौधों में से जीवित बचे पौधों की प्रतिशतता का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण।

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81*	1981-82*	1982-83*	1983-84**
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	65.0	65.0	65.00	80.0 से 90.0
2.	असम	65.0	77.0	65.0	50.0 से 95.0
3.	बिहार	80.0	88.0	86.0	55.0 से 94.0
4.	गुजरात	76.0	75.0	80.0	50.0 से 100.0
5.	हरियाणा	70.0	75.0	75.0	85.0 से 95.0
6.	हिमाचल	60.0 से 90.0	60.0 से 90.0	60.0 से 90.0	90.0 से 95.0
7.	जम्मू व कश्मीर	65.0	65.0	65.0	50.0 से 100.0
8.	कर्नाटक	64.0	67.5	75.0	85.0 से 90.0
9.	केरल	75.0	75.0	75.0	70.0 से 90.0
10.	मध्य प्रदेश	81.3	81.3	81.3	65.0 से 96.0
11.	महाराष्ट्र	68.5	71.0	75.0	90.1 से 100.0
12.	मणिपुर	71.0	71.0	71.0	70.0 से 80.0
13.	मेघालय	94.0	94.0	94.0	85.0 से 95.0
14.	नागालैंड	85.0	85.0	90.0	90.0 से 100.0
15.	उड़ीसा	50.0	50.0	50.0	80.0 से 98.0
16.	पंजाब	65.1	71.9	75.0	90.0 से 95.0
17.	राजस्थान	73.9	80.0	75.0	66.0 से 90.0
18.	सिक्किम	75.0	75.0	75.0	75.0 से 95.0

1	2	3	4	5	6
19.	तमिलनाडु	73·0 से 82·0	73·0 से 82·0	73·0 से 82·0	85·0
20.	त्रिपुरा	74·0	74·0	74·0	85·0 से 100·0
21.	उत्तर प्रदेश	83·6	82·5	80·7	80·0 से 99·0
22.	पश्चिम बंगाल	95·0	95·0	95·0	85·0 से 90·0
22.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	80 0	95·6	80·0	90 0
24.	अरुणाचल प्रदेश	75·0	75·0	75·0	79·0 से 90·0
25.	चण्डीगढ़	—	—	87·0	95·0 से 100·0
26.	दादर और नगर हवेली	55·0	69·0	75·0	—
27.	दिल्ली	64·0	81·0	63·0	90·0
28.	गोवा, दमन एवं दीव	70·0	70·0	70·0	70 0 से 90·0
29.	मिजोरम	80·0 से 90·0	80·0 से 90·0	80·0 से 90·0	70·0 से 100·0
30	पांडिचेरी	—	—	75·0	—
31	लक्षदीप	—	—	—	—

x राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित ।

xx कृषि मन्त्रालय के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित ।

नए वन नियमों के कारण विकास परियोजनाओं का ठप्प हो जाना

6202. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए वन नियमों के कारण सड़कें पुल, पीने का पानी, स्कूल और अस्पताल

बनाने सम्बन्धी अनेक विकास परियोजनाएं ठप्प पड़ गई हैं क्योंकि उक्त नियमों के अन्तर्गत वन भूमि सरकारी ग्रामीण विकास परियोजनाओं तक के लिए या प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है क्योंकि इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति की अपेक्षा है ; और

(ख) क्या कोई संसद सदस्य इस मामले में आवश्यक और उपयुक्त कदम उठाने के लिए सरकार को लिखते रहे हैं और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केवल नए वन नियम ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 है। यह सत्य नहीं है कि इससे सरकारी परियोजनाओं के लिए भी वन भूमि के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगता है। इसमें वास्तव में, वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन में बदलने या किसी आरक्षित वन को अनारक्षित वन में बदलने जैसे मामले में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति लेने की व्यवस्था है : अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य वन भूमि का गैर वन प्रयोजनों के लिए अधाधुन्ध उपयोग को नियंत्रित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के प्रावधान विकास परियोजनाओं के निष्पादन में रुकावट न डालें, व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं और केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया सरल बना दी गई है। इसके अतिरिक्त, वन भूमि को निर्मुक्त करने के प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) कुछ संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन पर शीघ्र कार्रवाई की गई है। ऐसे पत्रों में ज्यादातर विशेष परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने तथा प्रस्तावों पर की जाने वाली कार्रवाई पर होने वाले विलम्ब की बात कही गई है। जांच करने पर यह पाया गया कि प्रस्ताव सामान्यत: राज्य स्तर पर लम्बित पड़े थे। अत: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आने वाले मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं और राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे इस उद्देश्य के लिए अपने तंत्र में तेजी लायें तथा नियमित रूप से प्रगति का प्रवोधन करें।

विट्ठलभाई पटेल भवन संसद सदस्यों के लिए कैण्टीन की व्यवस्था

2203. **श्री दयाराम शाक्य** :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विट्ठलभाई पटेल भवन में कई संसद सदस्य निवास करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां संसद सदस्यों और उनके मेहमानों के लिए कैन्टीन की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां एक कैन्टीन की व्यवस्था करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब तक की जाएगी और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) कैन्टीन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर आवास समिति की 6-1-84 को हुई बैठक में चर्चा की गई थी । इस समिति ने निर्णय लिया था कि वे विट्ठलभाई पटेल हाउस का दौरा करेंगे और यह देखेंगे कि क्या वहां कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध है या नहीं । सरकार आवास समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

कृषि उपज के लिए मंडिया

2204. **श्री बलीप सिंह भूरिया :**

क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपज के लिए मंडियों की संख्या पर्याप्त होने के कारण किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य यहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या भारत सरकार का उक्त मंडियों के प्रसार के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कृषि उपज के लिए मंडियों की स्थापना करना विभिन्न उपायों में से एक उपाय है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिल सके । राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 31-3-1983 तक 5430 नियमित मंडियों की स्थापना की गई थी ।

(ख) और (ग) कृषि विपणन राज्य का विषय है । अधिकांश राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों ने किसी कृषि मंडियों को नियमित करने के लिए कानून बनाए हैं । तथापि, चुनी हुई नियंत्रित ग्रामीण मंडियों के विकास वर्तमान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार कृषि मंडियों

की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निम्नलिखित दरों पर केन्द्रीय सहायता भी देती है :—

(1) वाणिज्यिक फसलों (जूट, कपास, मूँगफली, काजू, नारियल, तम्बाकू, आलू, प्याज, मिर्च तथा पान के पत्ते) का व्यापार करने वाली नियमित मंडियां ... 4 लाख रुपए प्रति मंडी ।

(2) कमान क्षेत्रों में स्थित नियमित मंडियां ... 5 लाख रुपए प्रति मंडी ।

(3) फलों तथा सब्जियों के लिए टर्मिनल मंडियां ... 15 लाख रुपए प्रति मंडी ।

(4) प्राथमिक ग्रामीण मंडियां ... 15 लाख रुपए प्रति मंडी ।

(5) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए पिछड़े क्षेत्रों में थोक मंडियां ... 5 लाख रुपए प्रति मंडी ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आवंटन

2205. **श्री दलीप सिंह भूरिया :**

क्या **ग्रामीण और विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश ने उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में 581.43 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है।

(ख) व (ग) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में 58.25 करोड़ रुपए की धनराशि के बंटन के मुकाबले मध्य प्रदेश में राज्य के अंश सहित 111.79 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई थी, जो कि राज्य अंश सहित इतनी ही धनराशि के सैद्धान्तिक आवंटन का 96 प्रतिशत बनता है। इसमें हुई कमी नगण्य है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान प्रमुख सम्पर्क सड़कों से जोड़े गए गांव

2206. **श्री दलीप सिंह भूरिया** :

क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना की अवधि के दौरान "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अंतर्गत 1500 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव को प्रमुख सम्पर्क सड़कों से जोड़ा गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस अवधि के दौरान प्रमुख सड़कों से जोड़े गए गांवों की संख्या क्या है तथा कितने गांवों को अभी प्रमुख सड़कों से जोड़ा जाना बाकी है ;

(ग) क्या उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों का चयन योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) योजना आयोग के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 48613 गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की आशा है जबकि सातवीं योजना अवधि के दौरान 20787 और गांव सड़कों से जोड़े जाने के लिए शेष रह जायेंगे।

(ग) व (घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति वाले इलाकों में सम्पर्क सड़कों के चयन के लिए योजना आयोग ने कोई विशेष सिफारिशें नहीं की हैं। छठी योजना प्रलेख में दिए गए इस मार्गदर्शी सिद्धांत, की आदिवासी क्षेत्रों में सामूहिक गाँवों के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, की अनुपालना की जा रही है।

सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना

2207. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्ण रेखा अन्तर्राज्जीय सिंचाई परियोजना कब शुरू हुई थी ;

(ख) उपरोक्त परियोजना की लागत कितनी थी ;

(ग) बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुमानत: कितनी-कितनी लागत वहन करनी थी ;

(घ) उपरोक्त परियोजना के पूरा होने में अनुमानत: कितना समय लगाना था ; और

(ङ) उपरोक्त परियोजना के पूरा होने में अब तक कियनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि नाथ मिश्र) : (क) से (ग) सुवर्णरेखा अन्तर्राज्जीय बहु-प्रयोजनी परियोजना 1978 में शुरू की गई थी। बिहार सरकार द्वारा 1980-81 की दरों के आधार पर परियोजना की लागत 480-60 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें बिहार क्षेत्र में परियोजना के लिए निर्माण कार्य के लिए उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल का हिस्सा क्रमश: 97.57 करोड़ रुपए तथा 4.05 करोड़ रुपए शामिल है।

(घ) और (ङ) परियोजना के 1993-94 में पूरा हो जाने की आशा है। मार्च, 1984 तक 57.86 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं तथा भौतिक निर्माण कार्यों की प्रगति इस प्रकार है :—

चांडिल बांध

सम्पर्क मार्ग, कालोनी भवन, जल-आपूर्ति, निर्माण के लिए विद्युत, कार्यशालाओं, निर्माण के लिए संयंत्र तथा मशीनरी के प्रतिष्ठापन जैसे पूर्व-निर्माण कार्यकलापों को अधिकांशत: पूरा कर लिया गया है।

बांध का मिट्टी कार्य किया जा रहा है।

इवा पर खरकई बांध

बांध स्थल कालोनी पूरी हो गई है तथा अन्य अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है। सैडल्स पर डाइक बांधों के लिए टेंडर प्राप्त हो गए हैं। कंकरीट बांध के संबंध में विस्तृत अभिकल्पों के लिए ड्रिलिंग आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

गजियपार खरकई बराज

परियोजना पर प्रारम्भिक निर्माण-कार्य शुरू किया जा चुका है।

गलुविह बराज

सम्पर्क मार्ग, कालोधी भवनों आदि जैसे अवसंरचनात्मक कार्य, अधिकांशत: पूरे किए जा चुके हैं। बराज के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।

चांदिल वाम मुख्य नहर

नहर के लिए 127 किलोमीटर में से लगभग 22 किलोमीटर भाग के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है तथा 70 किलोमीटर तक और आगे भागों में भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है। विभिन्नि भागों (रीचों) में जहां भूमि पर कब्जा प्राप्त हो गया है, नहर की खुदाई का कार्य शुरू हो गया है।

खरकई बांध से वाम तथा दक्षिण तट नहरें

30 किलोमीटर लम्बी नहर के निर्माण के लिए टेन्डर आमंत्रित किए गए हैं।

परियोजना के अन्य घटक

गलुदिह बराज से वाम तथा दक्षिण तट नहर, खरकई बराज की दक्षिण तट नहर जैसे अन्य भाग कार्यों के सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

उड़ीसा में भू-संरक्षण उपाय

2208. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान केन्द्र/सरकार द्वारा द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा में भू-संरक्षण उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत भू-संरक्षण उपाय किए हैं;

(ग) उपर्युक्त योजनावधि के दौरान उड़ीसा के लिए राज्य योजना और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत (वर्ष-वार) क्या बजट प्रावधान किए गए हैं; और

(ग) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में भू-संरक्षण के अब तक किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में तीन स्रवण क्षेत्रों अर्थात् हीराकुड, मचकुण्डसिलेरु और रेंगाली-मर्दारा के लिए 'नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण' नामक एक प्रायोजित योजना छठी योजनावधि के दौरान क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) छठी योजनावधि के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया वर्ष-वार बजट आवंटन निम्नलिखित है :

वर्ष	राशि (लाख रु० में)	टिप्पणी
1980-81	116·00	इसमें राज्य सरकार 50 प्रतिशत अंश भी शामिल है।
1981-82	105·50	
1982-83	96·85	
1983-84	118·00	
1984-85	140·00	

योजना के केन्द्र से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में होता है। तथापि, वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय सहायता की पद्धति 25 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में थी, बाकी राज्य सरकार बराबर-बराबर योगदान के रूप में अपने बजट स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध कराती है।

(घ) भू-संरक्षण उपायों में कन्टूर बंध, गुली नियंत्रण कार्यों का निर्माण, गाद निकालना जल उपयोग अवसरचना, घन रोपण और वृक्ष लगाना शामिल है।

जैविक-उर्वरकों के प्रयोग से दालों का उत्पादन बढ़ाने का परीक्षण

2209. **श्रीमती जयन्ति पटनायक :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैविक-उर्वरकों के प्रयोग से दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने देश में कोई परिक्षण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन। जैव रसायनों के प्रयोग द्वारा दाल के उत्पादन में सुधार लाने के लिए देश में अनेक परीक्षण किए गए हैं। इस अनुसंधान प्रयत्नों के स्वरूप देश का "राइजोधियल मानचित्र" तैयार करना सम्भव हो पाया है जिसके द्वारा प्रमुख दाल वाली फसलों के सम्बन्ध में इन सूक्ष्म-जीवों की स्वभाविक उत्पति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कैलसियम कार्बोनेट के साथ राइजोबिया की गोली बनाने ताकि उनका शेल्फ लाइफ बढ़ सके एवं समस्याग्रस्त मिट्टियों में राइजोबिया के प्रयोग के लिए उपचार जैसी तकनीकों का विकास किया गया है। देश में किए गए परीक्षणों में से अधिकांश परीक्षणों में यह पाया गया है कि राइजोविल कल्चर की उपयुक्त प्रजातियों के प्रयोग द्वारा पैदावार में 20 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर भी, जैव-रसायनों में सफलता प्राप्त करने के लिए उनका क्वालिटी नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा है।

चीनी के मामले में आत्म-निर्भर बनना

2210. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी उत्पादन के द्वारा देश की चीनी की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश की चीनी की मांग कौन से वर्ष तक पूरी की जा सकती है; और

(ग) चीनी के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) भारत ने कुल मिलाकर घरेलू खपत के लिए चीनी की अपनी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तथापि, कुछ वर्षों में मुख्यतया कृषि मौसमी कारणों से चीनी के उत्पादन में कमी हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में घरेलू खपत तथा निर्यात के लिए चीनी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी क्षेत्र का

योजनाबद्ध विकास करने की परिकल्पना की गई है। चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने और उसे बनाए रखने के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, फैक्ट्रियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए उचित उपाय किए हैं ताकि चीनी फैक्ट्रियां गन्ने मूल्यों के बकायों का शीघ्र भुगतान कर सकें, उदाहरण के लिए (1) बैंकिंग क्षेत्र द्वारा चीनी फैक्ट्रियों को उदार ऋण सुविधाएं सुलभ की जा रहीं हैं, (2) बफर स्टाक योजना के अन्तर्गत बफर स्टाक की मात्रा पर 100 प्रतिशत ऋण के अलावा फैक्ट्रियों को स्टाक रखने की ताकत के लिए राज सहायता दी जा रही है, और (3) प्रोत्साहन योजना के अधीन, नई फैक्ट्रियों/विस्तार परियोजनाओं को उत्पादन शुल्क में रियायत देने के साथ-साथ अपेक्षाकृत अधिक खुली बिक्री के कोटे का लाभ भी दिया जा रहा है, और (4) संगठित क्षेत्र द्वारा गन्ने के उपयोग में वृद्धि करने के लिए नई चीनी परियोजनाओं तथा मौजूदा परियोजनाओं में पर्याप्त विस्तार के लिए लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं।

फ्लैटों का कब्जा देने में आवश्यक विलम्ब के कारण आबंटियों द्वारा स्वयं वित्त पोषण योजना (मालवीय नगर) के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों का वापिस किया जाना

2211. **श्री दौलत राम सारण** :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्वयं वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत मालवीय नगर एक्सटेंशन में फ्लैटों के लिए फरवरी, 1981 में निकाला गया था लेकिन आबंटियों को अभी भी फ्लैटों का कब्जा दिया जाना है जबकि उन्होंने फ्लैटों के मूल्य की किस्तों का भुगतान कर दिया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उचित अवधि के अन्तर्गत फ्लैटों को उपलब्ध करने में असफल रहने तथा स्वयं वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के मूल्य में असाधारण वृद्धि के कारण बहुत से आवेदकों ने योजना से अपना नाम वापिस ले लिया है/वापिस ले रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो आबंटियों को फ्लैटों का कब्जा न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) कितने व्यक्तियों ने योजना से अपना नाम वापिस ले लिया है/वापिस ले रहे हैं ;

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फरवरी, 1981 में निकाल गई लाटरी में जिन व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए गये थे उनमें से किसी ने भी अपना नाम वापिस नहीं लिया है ।

(ग) ये फ्लैट अभी भी निर्माणाधीन है । तथापि, निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय किये गए हैं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

ओरंगा सिंचाई योजना

2212. **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अमानत नदी से सिंचाई की एक योजना है;

(ख) क्या यह योजना 1973 से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु इस वर्ष कुछ धन उपलब्ध कराएगी; और

(घ) क्या बिहार के पलामू जिले में ओरंगा सिंचाई योजना भी 1973 से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और क्या सरकार का विचार इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने और इस योजना के लिए इस वर्ष कुछ धन आबंटित करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग ने अमानत जलाशय स्कीम की जांच की थी और टिप्पणियां भेजी थीं और बिहार सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को एक आशोधित परियोजना रिपोर्ट और अद्यतन अनुमानित को विचारार्थ जून, 1984 में भेजा था । इस परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही हैं । इस परियोजना की अनुमानित लागत 38.50 करोड़ रुपए हैं तथा इसमें लगभग 8,500 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन करना परिकल्पित है ।

राज्य द्वारा इस स्कीम के लिए 1984-85 में किसी आबंटन का प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

(घ) बिहार की आरंगा जलाशय स्कीम को पहले ही 1983 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है । बिहार सरकार ने 1983-84 तक 3-30 करोड़ रुपए व्यय किए हैं और 1984-85 के लिए 0.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है ।

केरल के छोटे और मध्यम कस्बों का विकास

2213. क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने छोटे और मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में शामिल करने के लिए कस्बों की एक सूची प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक कस्बों को योजना में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के लिए एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कस्बों को अनुमोदित कर दिया गया है :

1. गुरुवापुर
2. कोट्टायम
3. त्रिचूर
4. तेली चेरी
5. कायमकुलस
6. तिरुर
7. चंगेनचरी
8. वादागरा
9. मालापुरम

विभिन्न राज्यों में इस योजना के अन्तर्गत और अधिक कस्बों को शामिल करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पामोलीन का राज्यों को आवंटन

2214. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य को पामोलीन, का कितना मासिक आवंटन किया गया ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल मासिक आधार पर आबंटित किए जाते हैं और ऐसा करते समय विभिन्न बातों, जैसे मांग का यथार्थपरक अनुमान खपत का स्वरूप, भारतीय राज्यवार निगम के पास उपलब्ध भण्डार तथा तेलों को उठाने की गति और अन्य संबंधित पक्षों को ध्यान में रखा जाता है ।

चालू तेल वर्ष 1983-84 के दौरान नवम्बर, 1983 से अगस्त, 1984 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की गई पामोलीन की मात्रा का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है ।

दिसम्बर, 1983 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पामोलीन की उपलब्धता कम हो गई थी । अत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पामोलीन की सप्लाई करना संभव नहीं हो सका था । तथापि, राज्यों को पामोलीन के स्थान पर सोयाबीन के तेल की सप्लाई की गई और आयातित खाद्य तेलों की मात्रा को बिना कोई कटौती किए पूर्वक्त बनाए रखा गया । तथापि, बाद में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पामोलीन की उपलब्धता में वृद्धि हुई और जुलाई, 1984 से राज्यों को पामोलीन के आवंटन में वृद्धि की गई है ।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नवम्बर, 1983 से अगस्त, 1984 तक चालू तेल वर्ष के दौरान राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित पामोलीन की मात्रा का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

राज्य का नाम	नव. 83	दिस. 83	जन. 84	फर. 84	मार्च 84	अप्रैल, 84	मई, 84	जून, 84	जुलाई, 84	अगस्त, 84
आंध्र प्रदेश	9,000	8,000	6,000	4,000	1,000	1,7000	3,000	3,500	6,000	8,250
बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गुजरात	7,000	5,000	3,500	2,500	1,000	2,800	2,000	2,500	4,000	7,000
हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्नाटक	4,500	4,000	3,000	2,000	1,000	1,500	1,500	2,000	3,500	3,000
केरल	5,000	5,000	5,000	3,000	2,000	2,000	2,500	3,000	5,000	5,000
मध्य प्रदेश	1,500	1,500	शून्य	1,500	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2,000	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र	12,500	11,500	9,000	6,000	1,000	5,000	4,000	4,500	11,000	15,000
उड़ीसा	2,500	500	शून्य	शून्य	शून्य	900	शून्य	शून्य	शून्य	2,000
राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	7,500	6,500	7,000	4,000	1,000	3,500	3,000	3,500	4,750	7,000
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,300	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दादरा व नगर हवेली	20	20	20	20	20	20	20	शून्य	50	50
गोवा, दमन व दीव	350	350	300	200	200	5000	200	200	400	600
लक्षद्वीप	45	शून्य	शून्य	20	20	40	शून्य	शून्य	शून्य	20
पांडिचेरी	170	170	120	200	200	200	200	शून्य	300	500
योग	50,085	42,950	33,940	23,440	7,440	20,260	16,420	19,200	34,000	48,420

दिल्ली अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष पंजीकरण का अभ्यावेदन

2215. **श्री आर० एन० राकेश :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संगठन (पंजीकृत) अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली द्वारा दिल्ली में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष पंजीकरण करने की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो आवेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली के महासचिव से दिनांक 12-1-1984 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए प्लाटों । फ्लैटों के विशेष पंजीकरण की मांग इस आधार पर की गई थी कि नई पद्धति (हुडको) पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत उक्त जाति के अधिकांश व्यक्ति पंजीकृत हैं जिनको अपना पंजीकरण बदलने (रोहिणी में) का अवसर दिया गया था उसका लाभ नहीं उठा सके तथा जिन्होंने इस योजना (रोहिणी) के अन्तर्गत पंजीकरण कराया था उनके लिए प्लाटों की कमी है । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति के लिए नया पंजीकरण कराने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई क्योंकि रोहिणी योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणियां अर्थात् मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा जनता आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, में अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पहले ही आरक्षण हैं जो कि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त समझा जाता है ।

चीनी, गेहूं और चावल का आयात

2216. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी, गेहूं और चावल के आयात का सहारा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में, किस देश से और किस भाव पर आयात किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा बहुत अच्छी फसल होने का दावा किए जाने को ध्यान में रखते हुए उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है, जिनके कारण आयात करना आवश्यक हो गया ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (ख) और (ख) चालू वर्ष 1984-85 के दौरान, गेहूं और चावल का आयात करने के लिए कोई ठेका नहीं किया गया है। तथापि, 3.54 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए ठेका किया गया है और इसका ठेकाबद्ध औसत मूल्य लगभग 190 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन सी० एण्ड एफ० एफ० ओ० बैठता है। अन्तर्राष्ट्रीय विक्रेता खरीदारी के समय चीनी के स्रोत को बताने की स्थिति में नहीं थे।

(ग) आगामी चीनी मौसम की प्रारम्भिक अवधि के दौरान, जिसमें कई एक महत्वपूर्ण त्यौहार भी पड़ते हैं आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए चीनी का आयात किया गया है।

वनस्पति का मूल्य

2217. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समानता लाने के लिए वनस्पति निर्माताओं को वनस्पति के दाम बढ़ाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1976 से 1983 तक प्रतिवर्ष जुलाई-अगस्त में वनस्पति के दाम क्या थे और इस समय क्या हैं ;

(घ) जनवरी 1980 से वनस्पति के निर्माताओं को कितनी बार वनस्पति के दाम बढ़ाने की अनुमति दी गई ; और

(ङ) क्या सरकार ने मूल्य निर्धारण समिति का गठन करने पर विचार किया है जिसमें मूल्य निर्धारण से पहले के लिए उपभोक्ता संगठन प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) आयातित तेल के मूल्य और वनस्पति उत्पादन में प्रयुक्त निवेशों की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि की गई।

(ग) वर्ष 1977 से, जुलाई-अगस्त के दौरान वनस्पति के 16·5 कि० ग्रा० के टीन के कारखाना मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

1976	वनस्पति के मूल्यों पर सांविधिक अथवा स्वैच्छिक किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था ।
1977	158 रुपए
1978	140 रुपए
1979	168 रुपए से 172 रुपए
1980	168 रुपए से 172 रुपए
1981	192 रुपए
1982	217 रुपए
1983	217 रुपए

24 मई, 1984 से पहली बार 15 कि० ग्रा० के टीन का अधिकतम खुदरा मूल्य 234 रुपए नियत किया गया जो अभी तक चल रहा है ।

(घ) जनवरी, 1980 से तीन बार मूल्यों में स्वैच्छिक रूप से वृद्धि की गई ।

(ङ) जी नहीं ।

संसदीय सौंध में काम करने वाले दिल्ली दुग्ध योजना के सेल्स असिस्टेंट

2218. **श्री के० लक्कप्पा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद भवन/संसद सौंध में सेल्स असिस्टेन्ट के पद पर काम करने वाले दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों की दुर्दशा की जानकारी है ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को पिछले 20 वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं दी गई है ;

(ग) 1965 से पूर्व और उसके बाद से इन कर्मचारियों के कार्यभार का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ये कर्मचारी मिल्क शेक आदि बनाने के लिए बिजली की मशीन भी चलाते हैं परन्तु इस तकनीकी कार्य के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ङ) क्या इन सेल्स असिस्टेन्टों को जूठे गिलास धोने के लिए कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं दिया गया है ; और

(च) दिल्ली दुग्ध योजना के इन सेल्स असिस्टेन्टों की कार्य दशा सुधारने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को संसद भवन/संसद सौध में कार्य कर रहे दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री परिचरों (अटेन्डेंटस) के कार्य करने की स्थितियों की जानकारी है।

(ख) यद्यपि इनके लिए पदोन्नति के कोई प्रत्यक्ष अवसर नहीं हैं फिर भी तीन बिक्री परिचारकों (अटेंडेंट) को प्रवरण ग्रेड दिया गया है और उनमें से कुछ शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर पूरा दिन खुले रहने वाले दुग्ध केन्द्रों पर प्रबन्धक के पद पर भर्ती किया गया है।

(ग) बिक्री परिचारकों के कार्य स्वरूप और कार्य भार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। बिक्री परिचारक प्रबन्धक (बिक्री) के पूर्ण सर्वेक्षण और नियंत्रण में कार्य करते हैं। उनके कार्यों में स्टाल का उचित रख-रखाव, दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की प्राप्ति और उनका भण्डारण करना, उपकरणों और बर्तनों की सफाई करना, लस्सी और मिल्क शेक बनाना तथा उन्हें और अन्य उत्पादों को संसद सदस्यों तथा अन्य ग्राहकों को देना, प्रयोग किए गए गिलासों को एकत्र करना तथा उनकी सफाई करना शामिल है।

(घ) तथा (ङ) जी हां। विद्युत मिश्रक का चलाना बहुत सरल है और इसके लिए विशेष भत्ता देना उचित नहीं हैं। गिलासों को धोना बिक्री परिचारकों के कार्यों में से एक है तथापि, संसद सत्र के दौरान एक अतिरिक्त बिक्री परिचारक तैनात किया जाता है।

(च) बिक्री परिचारकों की कार्य की शर्तें अन्य वर्ग 'घ' कर्मचारियों की कार्य की शर्तों के समान हैं अतः इस श्रेणी के लिए अलग से विशेष उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।

आपरेशन फ्लड-2 की उपलब्धियां

2219. **श्री टी० एस० नेगी** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड-2 के 4 पोषक कार्य थे, जैसे राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का विकास कलक्टरों को आधारभूत सहायता योजना, संस्थान कृत और वित्तीय व्यवस्थाओं की

कार्यान्वित करना तथा उन पर निगरानी रखना, और यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के लिए तत्संबंधी लक्ष्यों के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) वर्ष 1983-84 के लिए पोषक कार्य सम्बन्धी उपर्युक्त लक्ष्यों से; राज्य-वार क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड, रोग नियंत्रण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए अवसंरचनात्मक सहायता, आयोजना, क्रियान्वयन और प्रबोधन एवं जनशक्ति विकास केन्द्रित कार्यकारी मदें हैं जिसके कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। अत: राज्यवार उपलब्धियां बताना सम्भव नहीं है। तथापि, उपरोक्त सहायक कार्यों के अन्तर्गत मार्च, 1984 तक निम्न प्रगति हुई है :—

(1) 24 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लिए डेरी विकास योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है जिसमें 23 योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था। सम्पूर्ण प्रबन्ध सूचना पद्धति को विकसित किया गया है और बड़ी संख्या में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान के अतिरिक्त राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द और मेहसाना में दो प्रतिक्षण जलंधर, सिलीगुडी और इरोड में तीन केन्द्रों और की स्थापना की गई है।

(2) संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण, स्थापना करने और उन्हें शुरू करने के लिए विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन एजेंसियां की तकनीकी और परामर्शदात्री सेवाये उपलब्ध करायी जाती हैं ।

(3) 28.6 लाख लिटर की क्षमता वाले 81 रेल दुग्ध टैंकरों को चालू किया है। स्प्रे टा दुग्ध चूर्ण के लिए 83000 मीटरी टन और 1200 मीटरी टन बटर आयल बटर की भण्डारण क्षमता का सृजन किया गया है। सूरत और इंदौर में एसेपटिक पैकेज केन्द्र शुरू किये गये हैं। जयपुर और गुन्टूर में एसेबपटिक पैकेज केन्द्रों का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इटौला में पेपर लैमिनेटिंग संयंत्र शुरू किया गया है।

(4) हैदराबाद में खुरपका अमुंहपका रोग टीका संयंत्र शुरू किया गया है। पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

खाद्यान्नों के लिए संग्रह सुविधाएं

2220. **श्री आर० एन० राकेश :**

खाद्य और नागरिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्याप्त संग्रह सुविधाओं के कारण हाल की वर्षा के दौरान भारी मात्रा में खाद्यान्नों के क्षतिग्रस्त हो जाने की आशंका हैं ;

(ख) वर्षों से बारबार आश्वासन दिए जाने के बावजूद, खरीद मौसमों के दौरान खाद्यान्नों के लिये पर्याप्त संग्रह क्षमता उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) चालू खरीद मौसम के दौरान संग्रह क्षमता उपलब्ध न होने के कारण खाद्यान्नों की कितनी क्षति होने का अनुमान है ; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) चालू विपणन मौसम के दौरान वसूल किए गए खाद्यान्नों को रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढकी हुई भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं है । इसलिए वसूल किए गए खाद्यान्नों का कुछ स्टाक अस्थायी तौर पर पीलीथीन की चादरों से ढक कर खुले में रखा जाता है । ऐसे स्टाक को वर्षा से होने वाली सम्भावित क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जा रही हैं । इस समय यह अनुमान लगना संभव नहीं है कि चालू वसूली मौसम के दौरान इस कारण से ऐसा कितना स्टाक क्षतिग्रस्त होगा ।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढकी हुई भण्डारण क्षमता में कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है । यह क्षमता 1965 में 6·2 लाख मीटरी टन थी जिसे बढ़ाकर 30·6·1984 को 186·4 लाख मीटरी टन कर दिया गया है । एक ही वर्ष में खाद्यान्नों के सरकारी स्टाक में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी अर्थात 1-7-1983 को यह स्टाक 169·6 लाख मीटरी टन था, जोकि 1-7-1984 को बढ़कर 215·5 लाख मीटरी टन हो गया था और स्टाक में इस अत्यधिक वृद्धि के कारण चालू वसूली मौसम में उपलब्ध भण्डारण क्षमता आवश्यकता से कम हो गयी है । 1984-85 के दौरान 27·5 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाने का प्रस्ताव है । निगम द्वारा सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, राज्य भाण्डागार निगमों तथा अन्य साधनों से यथा अपेक्षित अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराये पर लेने के लिए भी प्रयत्न किए जाएंगे ।

रिहायशी और गैर रिहायशी मकानों में पूंजीनिवेश के आंकड़े एकत्रित करने के लिए सारांश

2221. **श्री० के० टी० कोम्मलराम ;**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन संगठन ने निजी निमति क्षेत्र के सम्बन्ध में आवासीय और गैर-आवासीय भवनों में पूंजीनिवेश के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने के लिए लिए जिसमें 1977-78 और 1978-79 के आंकड़े भी आते हैं, कम्पनी कार्य विभाग द्वारा सर्वेक्षण के तीसरे दौर का प्रायोजित किया ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

(1) वर्ष 1978-79 के दौरान आवास एककों में मुख्य अंशदान अर्थात 85./. उन कम्पनियों का था जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपये या उससे अधिक थी।

(2) सभी प्रकार की औद्योगिक सामग्रियों का उत्पादन तथा संसाधन करने वाली कम्पनियों ने 79 प्रतिशत आवास एककों की व्यवस्था की है।

(3) वर्ष 1978-79 के दौरान गैर सरकारी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को 12 प्रतिशत आवास देने की तुलना में सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आवास दिए गए।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा आधारभूत ढांचे का विकास

2222. **श्री के० टी० कोसलराम :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1963 में अपनी स्थापना से परिष्करण संयत्र, किस्म नियंत्रण और प्रयोगशालाओं आदि आधारभूत ढांचे के विकास में अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) इस समय बीज के कितने फार्म हैं और वे किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं ;

(ग) क्या बीज के किसी भी फार्म ने कभी कोई लाभ कमाया है ; और

(घ) राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकलाप में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी । उनके पास तब और इस समय उपलब्ध अवस्थापनात्मक सुविधा नीचे दर्शायी गई है :—

मद	यूनिट	1963 की स्थिति	वर्तमान स्थिति	छठीं योजना के अन्त में सम्भावित स्थिति
परिसंस्करण संयंत्र	1	शून्य	47 (क्षमता 5.75 लाख क्विंटल)	56 (क्षमता 6.38 लाख क्विंटल)
बीज भण्डार	1	शून्य	9 (क्षमता 078 लाख (क्विंटल)	26 (क्षमता 2.22 लाख क्विंटल)
सब्जी पैकिंग की पंक्तियां	1	शून्य	8	8
गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला	1	शून्य	1	2

(ख) इस समय राष्ट्रीय बीज निगम के पास हेगपुर (उत्तर प्रदेश), नन्दीकोटकुर (आन्ध्र प्रदेश) और सेंजी (हिमाचल प्रदेश) स्थित आधारी बीजों के तीन फार्म और बंगलौर (कर्नाटक) में प्रजनन बीज का एक फार्म है ।

(ग) बंगलौर स्थित फार्म में कार्य केवल 1983-84 से प्रारम्भ किया गया है ।

(घ) निगम अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेकों उपाय कर रहा है । इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) अवस्थापनात्मक ढांचे को मजबूत बनाना ;

(2) विपणन सम्बन्धी कार्यकलापों का विस्तार करना और व्यवस्थित

(3) करना ;

(4) नये क्षेत्रीय कार्यालय और उप-यूनिट खोलना ;

(5) ठेकेदार किसानों को भुगतान की प्रणाली को व्यवस्थित करना ;

(6) गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कड़ी सतर्कता बरतना ।

हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाएं

2223. **श्री भीखा भाई :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में हुडको द्वारा प्रायोजित कितनी आवास-योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है ;

(ख) इन योजनाओं के नाम क्या है तथा कितनी धनराशि 'राज्यवार' स्वीकृत की गई है ; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य कब शुरू हो जाएगा ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) 1984-85 के दौरान, 1-4-1984 से 30-6-84 तक आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा 152 आवास योजनाएं मंजूर की गई थीं।

(ख) योजनाओं की संख्या और स्वीकृत ऋण के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आवास तथा नगर विकास निगम के ऋणी अभिकरणों द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

विवरण

1984-85 के दौरान 30-6-84 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना की संख्या	स्वीकृत ऋण (लाख रुपयों में)
आन्ध्र	25	491.08
बिहार	9	449.91

1	2	3
गुजरात	13	540.91
कर्नाटक	10	352.76
केरल	5	416.10
मध्य प्रदेश	1	18.00
महाराष्ट्र	6	338.01
उड़ीसा	1	19.59
पंजाब	14	555.92
राजस्थान	22	1138.78
तमिलनाडु	21	798.49
उत्तर प्रदेश	22	1380.94
चण्डीगढ़	1	116.81
दिल्ली	1	37.80
गोआ, दमण तथा दीव	1	45.21
योग	152	6700.25

मालाप्रभा और घाट प्रभा सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

2224. **श्री संतोष मोहन देव :**

क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मालाप्रभा और घाट प्रभा सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु माल प्रभा तथा घाट प्रभा सिंचाई परियोजनाएं कर्नाटक सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, जिस निर्माणाधीन कर्नाटक सिंचाई परियोजना के लिए

ऋण संख्या 788-आई० एन० के अधीन 1117.6 अमरीकी अमरीकी मिलियन डालर की सहायता प्राप्त हो रही है उसमें कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माल प्रभा तथा घाट प्रभा परियोजना क्षेत्रों में क्रमशः 26.000 हैक्टेयर और 5000 हैक्टेयर तक के इलाके में खेत जल निकास नालियों केनिर्माण तथा भूमि समतलन, खेतों की सिंचाई और खेत जल निकास खाइयों इत्यादि जैसे खेत पर किये जाने वाले कार्य शामिल हैं ।

हुडको द्वारा स्वीकृत आवास परियोजनाएं

2225. **श्री के० टी० कोसलराम :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान 17 राज्यों तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों में 284 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली स्वीकृत 617 आवास परियोजनाओं का राज्यवार विवरण क्या है; और

(ख) आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के गठन के समय से राज्यों में क्रियान्वित आवास-योजनाओं का राज्यवार विवरण क्या है तथा प्रत्येक ऐसी परियोजना के लिए कितना ऋण मंजूर किया गया है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत 617 योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) हुडको की स्थापना से 30-6-1984 तक हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण और योजनाओ की संख्या के राज्यवार ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं । योजनाओं का कार्यान्वयन हुडको से ऋण लेने वाले अभिकरणों द्वारा किया जाता है ।

विवरण-1

वर्ष 1983-84 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संख्या एवम् ऋण के ब्यौरे **अनुलग्नक-1**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण (लाख रुपयों के लगभग)
आन्ध्र प्रदेश	74	2931
असम	3	128

1	2	3
बिहार	8	602
गुजरात	46	2279
हरियाणा	19	1245
हिमचल प्रदेश	16	226
जम्मू तथा कश्मीर	1	27
कर्नाटक	38	1195
केरल	40	1837
मध्य प्रदेश	39†	3989†
महाराष्ट्र	107	3336
उड़ीसा	11	510
पंजाब	24	880
राजस्थान	61	2538
तमिलनाडु	53	2215
उत्तर प्रदेश	62	3699
पश्चिम बंगाल	6	226
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1	9
चण्डीगढ़	4	265
दिल्ली	3	189
पांडिचेरी	1	67
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	617	28393

† इसमें 3146 लाख रुपये की ऋण स्वीकृति सहित हुडको—विश्व बैंक सह-वित्त पोषित परियोजना शामिल है।

विवरण-2

हुडको की स्थापना से और 30-6-1984 की स्थिति के अनुसार उसके द्वारा स्वीकृत योजनाएं एवम् ऋण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण (लाख रुपयों के लगभग)
आन्ध्र प्रदेश	333	12729·34
असम	11	535·65
बिहार	53	3439·32
गुजरात	347	14961·89
हरियाणा	98	5515·76
हिमाचल प्रदेश	48	767·15
जम्मू तथा कश्मीर	21	983·18
कर्नाटक	239	8829·09
केरल	126	7890·69
मध्य प्रदेश	175†	8623·77†
महाराष्ट्र	343	15144·03
मणिपुर	3	208·66
उड़ीसा	73	3826·97
पंजाब	136	5719·39
राजस्थान	337	14607·13
तमिलनाडु	362	13015·47
उत्तर प्रदेश	275	17110·06
पश्चिम बंगाल	49	3512·82
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1	9·00
चण्डीगढ़	30	2663·65
दिल्ली	21	2298·47
गोआ दमन तथा द्वीप	3	55·78
पांडिचेरी	5	208·26
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	3089†	142665·53

†इसमें 3146 लाख रुपये की ऋण स्वीकृति सहित हुडको—विश्व बैंक सह-वित्त पोषित परियोजना शामिल है ।

डी० डी० ए० के फ्लैटों का अन्तरण

2226. **श्री जगन्नाथ पाटिल :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री डी० डी० ए० के फ्लैटों का अन्तरण के बारे में दिनांक 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2515 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित जानकारी एकत्र करने के लिए और कितना समय चाहिए ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी हां। 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2515 से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना एकत्र ली गई थी और 8 मई, 1984 को संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई है (प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है)। इसे 24 जुलाई, 1984 को ठीक सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

7वीं लोक सभा 1984 का 14वां सत्र

निर्माण और आवास मंत्रालय

प्रश्न सं० तथा तारीख	विषय	आश्वासन दिया	कब और कैसे पूरा हुआ	टिप्पणी
	डी० डी० ए० के फ्लैटों का अंतरण			
श्री ईरा अनवरासू का दिनांक 12 मार्च, 1984 का अतारांकित प्रश्न संख्या 2515.	पूछा गया कि :— (क) उन एम० आई० जी०/एल० आई० जी०/जनता फ्लैटों की (श्रेणी-वार) कुल संख्या क्या है जिनको दिल्ली विकास प्राधिकरण से पहले लाटरीज ड्रा से भुगतान आधार पर खरीदा गया है;	(क) से (घ) तक : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।	निम्नलिखित रूप से :— (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रथम ड्रा में नकद आधार पर आबंटित किए गए मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग/जनता फ्लैटों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—	

सामान्य आवास योजना

मध्यम आय वर्ग	11233
निम्न आय वर्ग	6825
जनता	2395

1	2	3	4	5
	(ख) ऐसे फ्लैटों की (श्रेणी-वार) संख्या क्या है जिन्हें आबंटियों के नामों के अन्तरित किया जा चुका है तथा बकाया सभी फ्लैटों को आबंटियों के नामों में अन्तरित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।		(ख) क्योंकि आबंटन आबंटितियों के नाम में किया जाता है अतः फ्लैटों को उनके नाम पर पुनः अन्तरित करने का प्रश्न ही नहीं है ।	
	(ग) ऐसे फ्लैटों की "फ्रीहोल्ड फ्लैट" के रूप में आबंटियों के नाम में अन्तरित करने में क्या कठिनाई है; और		(ग) तथा (घ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों को पट्टा आधार पर आबंटित करता है ।	
	(घ) दि० वि० प्रा० इस मामले को कैसे हल करने के लिए विचार कर रहा है ।		**नवीन पद्धति (हुडको) योजना 1979** मध्यम आय वर्ग 1906 निम्न आय वर्ग 2092 जनता 2654	

उत्तरी राज्यों से गायों का अन्य स्थानों पर बध के लिए भेजा जाना

2227. **श्री जगन्नाथ पाटिल :**

क्या **कृषि** मंत्री उत्तरी राज्यों से गायों का अन्य स्थानों पर बध के लिए भेजे जाने के बारे में 12 मार्च, 98 के अतारांकित प्रश्न सं० 2479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना अब तक एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) लोक सभा के प्रश्न सं० 2479 के सम्बन्ध में कार्यान्वयन सूचना 24-7-84 का लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है। उसमें बताए अनुसार गायों और इसकी सन्तान के रेल द्वारा बुकिंग करने पर कोई पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है । तथापि, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी सरकारों ने उनके यातायात पर प्रतिबन्ध लगाए हैं। इन प्रतिबन्धों के अनुसार रेल द्वारा बुकिंग करने हेतु किसी गाय सांड या बैल को स्वीकार करते समय सम्बन्धित राज्य सरकार के एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट की आवश्यकता होती है। यह देखने में आया है कि इलाहाबाद और नैनी से जाली परमिटों पर ऐसे पशुओं की कुछ बुकिंग की गई हैं। रेलवे प्राधिकारियों के कथनानुसार उनके द्वारा दोषी रेलवे स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। पशुओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए सिविल प्रतिबन्धों की सख्त निगरानी को सुनिश्चित करने और दोषी रेलवे स्टाफ के विरुद्ध सख्त कार्यवाई करने के लिए रेलवे को अनुदेश जारी किये गए हैं।

पंजाब के किसानों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि

2228. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के किसानों को दिए जाने वाले ऋण में पर्याप्त वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के किसानों के ऋण में भी इसी प्रकार की वद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) पंजाब राज्य के गड़बड़ी की स्थिति को देखते हुए सरकार ने चालू खरीफ मौसम में किसानों की सहायता करने के लिए ऋण के अधिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विभिन्न उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण की पूर्ण सीमा की मंजूरी किसानों से ऋणों की बसूली की देय तारीख का स्थगन, कृषि आदानों की सप्लाई करने के लिए राज्य सरकार को अल्पावधि ऋण की मंजूरी और जहां कपास की फसल खराब हुई थी, उन इलाकों में अल्पावधि ऋणों को मध्यम अवधि वाले ऋणों में बदलना भी शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

महाराष्ट्र में चीनी के अधिक कारखाने के लिए प्रस्ताव

2230. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की कृषि पूर्ति-जलवायु परिस्थितियां गन्ना उत्पाद में बहुत सहायक हैं ;

(ख) क्या इससे राज्य में जहा पर सरकारी चीनी कारखानों की संख्या देश में सर्वाधिक है, चीनी उद्योग के विकास में सहायता मिली है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि नए चीनी कारखाने लगाने के लिए और लाईसेंस दिए जाएं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार का अनुरोध कब प्राप्त हुआ था; उसका ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार कब तक मंजूरी दे देगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए अधिक लाइसेंस देने के लिए विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया है लेकिन राज्य सरकार नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए काफी संख्या में आवेदन-पत्र भेज रही है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास जब नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं तो उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से जांच की जाती है और उनकी बारीकी के साथ जांच करने के बाद उन मामलों में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाए जाते हैं उन्हें सामान्यतया उद्योग मंत्रालय द्वारा आशय-पत्र/लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। यह

एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है ।

महाराष्ट्र चीनी के लेवी मूल्य निर्धारण के मामले में एक ही जोन मानना

2231. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र देश का सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य होते हुए भी लेवी मूल्य निर्धारित करते समय पूरे राज्य को एक ही जोन माना जाता है;

(ख) क्या इसके कारण भारी विसंगति पैदा हो रही है और महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र का विकास नहीं होता ;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे राज्य भी हैं जिनमें पृथक-पृथक जोन बनाए गये हैं और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य को तीन जोनों में विभाजित किया जाए और यदि हां, तो यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ था और पूर्वोदाहरण तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के आगे आर्थिक विकास की दृष्टि से इसके पक्ष में निर्णय कब तक किया जाएगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस संजीवी राव) : (क) जिन विभिन्न विशेषज्ञ निकायों ने देश में जोन बनाने के प्रश्न पर विचार किया है, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य को एक एकल जोन के रूप में माना है ।

(ख) इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि इससे समूचे उद्योग को कठिनाई हो रही है ।

(ग) जी, हां । उत्तर प्रदेश को तीन जोनों और बिहार को दो जोनों में बांटा गया है ।

(घ) चीनी वर्ष 1981-82 के अन्त में, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को तीन जोनों में विभाजित करने का अनुरोध किया था । बाद में, राज्य सरकार तथा महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, दोनों से प्राप्त हुए अभ्यावेदन में चीनी वर्ष 1982-83 के अन्त से राज्य को दो जोनों में विभाजित करने के लिए कहा गया था । महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र के चीनी उद्योग के अभ्यावेदन को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, जो एक विशेषज्ञ निकाय है, को संबंध मे अध्ययन करने तथा उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए भेजा गया था । ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

बाढ़ नियंत्रण और बचाव संबंधी उपायों के लिए राज्यों को आबंटित धनराशि

2232. **श्री सत्य नारायण जटिया :**

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण और बचाव उपायों के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नदीवार बाढ़ नियंत्रण और बचाव उपायों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के संदर्भ में उक्त अवधि के दौरान "शिप्रा" नदी पर किए गए खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान अनुमोदित परिव्यय को दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है। 1984-85 के दौरान बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए परिव्ययों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) पिछले चार वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय निम्न प्रकार है :—

करोड़ रुपऐ में

1980-81	0·59
1981-82	0·39
1982-83	0·31
1983-84 (संभावित)	1·03

राज्य सरकार द्वारा नदी-वार दिए गए खर्च के संबंध में सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	अनुमोदित परिव्यय			
		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1.	आंध्र प्रदेश	4.85	5.00	4.00	3.70
2.	असम	3.61	4.00	3.79	4.20
2.	बिहार	19.00	23.00	25.00	27.00
4.	गुजरात	5.00	0.50	2.00	2.00
5.	हरियाणा	16.00	17.50	17.50	17.50
6.	हिमाचल प्रदेश	0.60	0.60	0.67	0.70
7.	जम्मू और कश्मीर	5.50	5.70	5.80	4.70
8.	कर्नाटक	0.10	0.36	0.35	0.70
9.	केरल	2.50	2.50	2.50	3.00
10.	मध्य प्रदेश	0.80	0.90	0.90	1.03
11.	महाराष्ट्र	0.09	0.10	0.12	0.14
12.	मणिपुर	0.80	0.80	0.80	0.80
13.	मेघालय	0.30	0.30	0.25	0.20
14.	उड़ीसा	3.00	3.00	3.00	3.00
15.	पंजाब	5.88	3.58	518	4.67
16.	राजस्थान	3.55	3.55	173	2.60
17.	सिक्किम	0.06	0.10	0.10	0.13
18.	तमिलनाडु	2.11	2.35	1.24	2.80

1	2	3	4	5	6
19.	त्रिपुरा	1·20	1·03	0·68	0·60
20.	उत्तर प्रदेश	22·50	22·10	11·00	15·00
21.	पश्चिम बंगाल	21·60	30·86	15·50	17·87
	संघ राज्य क्षेत्र				
22.	दिल्ली	9·48	7·75	11·24	10·90
23.	अरुणाचल प्र०	0·06	0·25	0·30	0·18
24.	दादर और नागर हवेली	0·02	0·20	—	0·01
25.	गोआ, दमन और दीव	0·10	0·10	0·10	0·15
26.	पांडिचेरी	0·24	0·28	0·31	0·26
27.	लक्ष्यद्वीप	0·16	0·14	0·13	0·14
	कुल	139·19	136·29	114·11	123·29

खाद्य और पोषाहार बोर्ड की उपलब्धियां

2233. **श्री धर्मदास शास्त्री :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौषणिक स्तर को सुधारने के बारे में जागरुकता पैदा करने की दृष्टि से खाद्य और पौषाहार बोर्ड की पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) क्या खाद्य और पौषाहार बोर्ड का स्वरूप और कार्य क्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिक विभाग में खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) एक **विवरण** संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण)

खाद्य और पौषाहार बोर्ड देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने 31 चलते-फिरते खाद्य और पौषाहार विस्तार यूनिटों और 33 सामुदायिक डिब्बाबंदी तथा परिरक्षण केन्द्रों के बिछे जाल के माध्यम से जनता को पौषाहार के बारे में जानकारी देने का प्रयत्न कर रहा है। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में जितने कार्यक्रम किए हैं और जितने लोगों ने इनका लाभ उठाया है, उनकी संख्या नीचे दी जाती है :—

वर्ष	किए गए कार्यक्रमों की संख्या	लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या (लाख में)
1981-82	18,421	6·84
1982-83	19,967	7·98
1983-84	22,917	8.27

बोर्ड फिल्में बनाकर दिखा रहा है, पैम्फेलट और पोस्टर आदि निकाल रहा है, आकाश वाणी दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यमों से संदेश दे रहा है और समय-समय पर पौषाहार पर प्रदर्शनियां लगा रहा है। बोर्ड 1982 से राष्ट्रीय पौषाहार सप्ताह भी मना रहा है। यह सप्ताह वह राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, आदि के सहयोग, से अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और फील्ड यूनिटों के माध्यम से मनाता है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उत्पादित दुग्ध

2234. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या **कृषि** मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उत्पादित दुग्ध के बारे में 23 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध बनाने के लिए मखनिया दुग्ध पाउडर (स्किमड मिल्क पाउडर) बटर आयल और सफेद मक्खन की कितनी मात्रा का मासिक उपयोग किया और इसकी तुलना में वर्ष 1981-82 के दौरान इनका कितनी मात्रा में उपयोग किया गया और इन वस्तुओं में से कितने प्रतिशत मात्रा स्वदेशी थी; और

(ख) क्या उपहार स्वरूप प्राप्त मखनिया दुग्ध पाउडर का उपयोग किए जाने के बावजूद दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा होता है ; यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना को वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक कितना वार्षिक घाटा हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध के पुर्नगठन के लिए 1983-84 और 1981-12 के दौरान इस्तेमाल की गई दुग्ध चूण, बटर आयल और सफेद मक्खन की मात्रा संलग्न **विवरण** में दर्शायी गई है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और सफेद मक्खन की सम्पूर्ण मांग की खरीद भारतीय डेरी निगम से कर रही है । स्वदेशी स्रोत की प्रतिशतता के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना को वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक हुई हानि नीचे दर्शायी गई है :—

वर्ष	करोड़ रुपये
1980-81	4·16
1981-82	6·00
1982-83	11·30 (अनन्तिम)
1983-84	8.50 (अनन्तिम)

भारतीय डेरी निगम दुग्ध चूर्ण, चाहे यह उपहार के रूप में प्राप्त किया गया है अथवा स्वदेशी है, की सप्लाई पूल्ड-मूल्यों पर करता है । और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कोई भी मात्रा निःशुल्क नहीं ली जाती । तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना को होने वाली हानि का प्रमुख कारण सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दूध के बिक्री मूल्य का उत्पादन लागत से अपेक्षाकृत कम होना है ।

विवरण

दुग्ध तैयार करने में 1983-84 के दौरान और 1981-82 की सापेक्षता में इस्तेमाल की दुग्ध चूर्ण, बटर आयल और सफेद मक्खन की मात्रा को वाला विवरण ।

(मीटरी टन)

महीना	दुग्ध चूर्ण		बटर आयल		सफेद मक्खन	
	1983-84	1981-82	1983-84	1981-82	1983-84	1981-82
अप्रैल	555·72	668·48	—	112.24	131·37	69.84
मई	675·70	808·02	20.00	201·69	165·42	52·47

1	2	3	4	5	6	7
जून	596·65	797·17	10.57	223 38	166·45	40·14
जुलाई	623·57	835·50	20·86	246·49	182·78	36·11
अगस्त	640·80	789·09	25·40	257·27	184·66	1·17
सितम्बर	577·4	813·09	—	278·06	172·29	1·28
अक्तूबर	659·54	755·52	36.68	245·59	199·60	—
नवम्बर	611·21	610 67	175·80	139.99	21·79	—
दिसम्बर	520·25	419.70	158·33	66·34	—	—
जनवरी	727·25	371.23	171·47	75·17	67·75	—
फरवरी	476·34	401·17	129·33	80·66	10·37	—
मार्च	524·65	516·74	130·86	148·06	13·25	—

कमला नहर प्रणाली तथा जयनगर बांध का आधुनिकीकरण

2235. **श्री भोगेंद्र झा :**

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल द्वारा कमला नदी के ऊपर गेदार उपरिनद पर बांध तथा नहर के निर्माण के बाद, पूर्वी और पश्चिमी कमला नहर प्रणाली लगभग अनावश्यक हो गई जैसा कि विगत दो लगातार सूखा वर्षों के दौरान दिखाई दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पानी की कमी के महीनों के दौरान पानी के वांछित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कमला नहर प्रणाली और जय नगर बांध के आधुनिकीकरण के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) बिहार में कमला सिंचाई प्रणाली को शिखर (क्रेस्ठ) पर शहरों के डालने के साथ एक व्यपवर्तन वीयर से नदी के प्रवाह से जल आपूर्ति हो रही है। इस तरह से नेपाल की सीमा में शुष्क सीमा में नदी के प्रवाह से जल के व्यपवर्तन में वृद्धि से अनुप्रवाह में कुछ हद तक नदी की प्रकृति एवं मात्रा को तथा कमला नहर प्रणाली में जल के व्यपवर्तनों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा कहना सही

नहीं होगा कि कमला नहर प्रणाली व्यर्थ हो गई है। बिहार सरकार ने नहर प्रणाली में सुधार करके प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए और उत्तम जल-संचयन की व्यवस्था के लिए व्यपवर्तन वीयर के आशोधन का भी प्रस्ताव किया है।

तमिलनाडु स्टेट कूली राइस फ्लोर मिल ओनर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन

2236. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु स्टेट कूली राइस फ्लोर मिल ओनर्स एसोशिचसन से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन का अनुरोध किया है और उनकी मांगों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु स्टेट कूली राइस फ्लोर मिल ओनर्स एसोशिएसन ने एकल हलर कूली चावल मिलों को आधुनिकीकरण की शर्त से छूट देने के लिए अनुरोध किया था। केन्द्रीय सरकार ने कूली चावल मिलों सहित सभी वर्तमान रूढ़िगत एकल हलर चावल मिलों के आधुनिकीकरण की शर्त से छूट देने का निर्णय किया है। इस निर्णय के बारे में सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है।

विश्व बैंक द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

2237. **श्री दलीप सिंह भूरिया :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा सहकारी क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और कितने गोदामों के लिए वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) इसमें से कितनी सहायता का राज्य द्वारा उपयोग कर लिया गया है और कितने गोदामों का निर्माण किया गया है ; और

(ग) पूरी तरह से लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विश्व बैंक की सहायता से अनेक राज्यों में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में 38.01 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 3.705 लाख मीटरी टन की कुल भण्डारण क्षमता वाले 1870 सहकारी गोदामों का निर्माण करने का विचार है। लागत का लगभग 75 प्रतिशत निगम द्वारा मुहैय्या किया जाएगा। इसमें विश्व बैंक से प्राप्त सहायता शामिल है।

(ख) तथा (ग) यह परियोजना 1-7-84 से क्रियान्वित की जा रही है और इसे चार वर्षों (1984-88) में पूरा किया जाना है। इस समय परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सियां राज्य में प्राथमिक तैयारियां पूरी कर रहा है।

पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए कदम

2238. श्री एन० के० शेजवलकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु ग्रामीण शहरी आबादी के आस पास के अधिकांशतः सभी पेड़ों को काटा जा रहा है और यदि समुचित प्रावधान (विकल्प) नहीं किया गया तो पेड़ों का अन्धाधुंध काटना जारी रहेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इनके स्थान पर किसी दूसरे ईंधन की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह सच नहीं है कि ग्रामीण। शहरी आबादी के नजदीक लगभग सभी वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई की जा रही है। बहुत सी राज्य सरकारों ने निजी भूमि पर लगे पेड़ों की कटाई पर नियन्त्रण के लिए पहले ही कानून बना दिए हैं। सरकारी वनों में पेड़ों की कटाई वैज्ञानिक तरीके पर आधारित कार्यकारी कार्यक्रमों/योजनाओं में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियमित की जाती है। तथापि, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि के कारण ईंधन की लकड़ी की मांग और आपूर्ति का अन्तराल निरन्तर बढ़ रहा है। इस अन्तराल को पूरा करने और उसके द्वारा ईंधन की लकड़ी के लिए पेड़ों पर बने हुए दबाव को कम करने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि कम कीमत के ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों को लोकप्रिय बनाया जाए।

(ख) सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के लिए निम्नखिलित कदम उठाए हैं :—

(1) एपजी ईंधनों जैसे कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, बायो गैस (राज सहायता के माध्यम से) और लाइट पेट्रोलियम गैस को लोकप्रिय बनाना।

(2) ऊर्जा के एवजी स्रोतों जैसे बिजली और सौर्य ऊर्जा को लोकप्रिय बनाना और उन्नत किस्म के चूल्हों का उपयोग करना ।

(3) सौर्य ऊर्जा से चलने वाले कुकरों और पानी गर्म करने के यन्त्रों के विनिर्माण और बिक्री पर राजसहायता प्रदान करना ।

(4) बायो गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजनाओं को लागू करना और उन्नत चूल्हों की क्षमता का प्रदर्शन करना ।

(5) ईंधन की लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ऊर्जा रोपण के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ करना ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का आयात

2239. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को चीनी आयात करने के अनुदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में चीनी का आयात किए जाने का विचार है ;

(ग) किन-किन देशों से चीनी आयात किए जाने का विचार है ;

(घ) आयातित चीनी का प्रति टन मूल्य कितना होगा और देश में उत्पादित चीनी के मूल्यों की तुलना में इन मूल्यों की स्थिति क्या है ; और

(ङ) 1980 से 1984 तक चीनी का कितना उत्पादन हुआ और चीनी का आयात करने के क्या कारण हैं और क्या यह आयात पहले से किए गए समझौतों के दौरान किया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० सजीवी राव) : (क) और (ख) सरकार के विक्रेताओं द्वारा जहाज पर लदान करने के लिएलगभग 3·54 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए ठेकों को अन्तिम रूप दिया है ।

(ग) यह खरीदारी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों से की गई है । इसलिए देशवार ब्यौरा ज्ञात नहीं है ।

(घ) प्रति मीटरी टन लागत डिलीवरी के महीनों पर निर्भर होते हुए भिन्न-भिन्न होती है। तथापि, आयातित चीनी का औसत मूल्य लगभग 190 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन सी० एण्ड एफ० एफ० ओ बैठता है। लेवी चीनी का निर्यात किया जा रहा है और इसका अखिल भारतीय औसत निकासी मूल्य 1983-84 के चालू मौसम के लिए 3110·0 रुपए प्रति मीटरी टन है।

(ङ) चीनी का उत्पादन इस प्रकार है :

चीनी का मौसम	मात्रा (लाख मीटरी टन)
1980-81	51·48
1981-82	84·38
1982-83	82·32
1983-84	59 00 (अनुमानित)

यद्यपि चालू मौसम 1983-84 के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त स्टाक है, फिर भी आगामी चीनी मौसम 1984-85 की प्रारम्भिक अवधि के दौरान आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए चीनी का आयात किया गया है। उस समय कई प्रमुख त्यौहार भी पड़ते हैं।

चीनी का आयात पहले से किए गए करारों के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

छठी योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं

2240. **श्री अजित बाग :**

क्या कृषि मंत्री छठी योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सा संबंधी सुविधाएं देने के बारे में 23 जुलाई, 1984 के अतरांकित प्रश्न सं० 102 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 में गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और सिक्किम के लिए पशु चिकित्सालय मन्जूर न किए जाने के कारण क्या हैं जबकि इनमें से प्रत्येक में पशु पालन एक प्रमुख गतिविधि हैं और सरकार बड़े पशु सुधार कार्यक्रम चला रही है ;

(ख) इन चार राज्यों में से प्रत्येक में कितने पशु चिकित्सालय है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में मवेशियों की संख्या कितनी है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा, पृथक-पृथक पशु पालन हर योजना वार कितनी योजना राशि व्यय की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) धनराशि उपलब्ध न होने के कारण पंजाब और गुजरात द्वारा पशु चिकित्सा अस्पतालों को मन्जूरी नहीं दी गई थी। महाराष्ट्र में आरम्भ में नये पशु चिकित्सा उपचार केन्द्र खोले जाते हैं और उनकी प्रगति के आधार पर उनका दर्जा बढ़ाकर पशु चिकित्सा औषधालयों में बदल दिया जाता है। सिक्किम से अभी जानकारी प्राप्त होनी है।

	(1)	पंजाब	769
(ख)	( )	गुजरात	224
	(3)	महाराष्ट्र	53
	(4)	सिक्किम	उपलब्ध नहीं।

(ग) राज्यवार मवेशियों की संख्या **विवरण-1** और पशुपालन के सम्बन्ध में योजनावार व्यय **विवरण-2** को दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं।

विवरण-1

कुल पशुधन (1977 संगणना)

	राज्य	संख्या (दस लाख)
1.	आंध्र प्रदेश	31·47
2.	असम	9·58
3.	बिहार	31·76
4.	गुजरात	14·41
5.	हरियाणा	6·90
6.	हिमाचल प्रदेश	4·80
7.	जम्मू एवं कश्मीर	4.66
8.	कर्नाटक	21·80

1	2	3
9.	केरल	5·32
10.	मध्य प्रदेश	40·33
11.	महाराष्ट्र	29·64
12.	मणिपुर	0·51
13.	मेघालय	0·81
14.	नागालैंड	0·38
15.	उड़ीसा	18·63
16.	पंजाब	9.00
17.	राजस्थान	41·36
18.	सिक्किम	0·29
19.	तमिलनाडु	24·14
20.	त्रिपुरा	0·85
21.	उत्तर प्रदेश	52·34
22.	पश्चिम बंगाल—क	19 09क

क— ये आंकड़ 1972 क। संगणना के सम्बन्ध में हैं।

विवरण-2

विभिन्न योजना अवधियों में व्यय

पशुपालन

क्रम सं०		योजना अवधि	करोड़ रुपये में व्यय
1.	पहली योजना	(1951-56)	8·22
2.	दूसरी योजना	(1956-61)	21·42
3.	तीसरी योजना	(1961-66)	43·40

1	2	3	4
4.	वार्षिक योजनायें	(1966-69)	34·00
5.	चौथी योजना	(1969-74)	75·51
6.	पाचवीं योजना	(1974-78)	178·43
7.	वार्षिक योजना	(1978-79)	46·10
8.	वार्षिक योजना	(1979-80)	46·89
9.	छठी योजना	(1980-85)	—
10.		(1980·81)	51·68
11.		(1981-82)	62·19
12.		(1982-83)	70·67
13.		(1983-84)	91·09 ऋ

ऋ—सम्भावित व्यय

टिप्पड़ी : केन्द्रीय और राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

कीट नाशक औषधियों में अत्यधिक प्रयोग के कारण प्रदूषण

2241. **श्री छीतू भाई गामित :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्यधिक कीटनाशक औषधियों के प्रयोग के कारण पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कीटनाशी दवाओं के अवशिष्ट से संबंधित एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना को कार्यान्वित किया है। इसके निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :—

(1) अखिल भारतीय स्तर पर कृषि उत्पादों तथा पर्यावरण के अन्य संघटकों

में कीटनाशी दवाओं के अवशिष्ट पर अनुसधान कार्य को आयोजित करना, आगे बढ़ाना तथा उनका समन्वय करना ।

(2) बीमारियों के नियन्त्रण में इसके सुरक्षित और कारगार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण में कीटनाशी दवाओं के अवशिष्ट का प्रबोधन करना ।

(3) क्वालिटी नियन्त्रण के लिए कीटनाशी दवाओं की जांच में सरकारी एजेंसियों को सहायता देना ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 के प्रावधान के अन्तर्गत भारत सनकार ने कीठनाशी दवा के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने तथा उससे पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं ।

12.00

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) मैंने मद्रास हवाई अड्डे पर हुए बम विस्फोट के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है·····

अध्यक्ष महोदय : उस पर एक वक्तव्य दिया जाएगा ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इजराइल···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं उसे पहले ही अस्वीकृत कर चुका हूं। इस बारे में वक्तव्य दिया जा रहा है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या हम इस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े मेधावी हैं। इस बारे में वक्तव्य दिया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा हो सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : क्या आपको संसद सदस्य श्री के० के० गोयल के बारे में कोई सूचना मिली है ; उन्हें तीन दिन पहले गिरफ्तार किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करूंगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : उनकी एकमात्र मांग दिल्ली से कोटा तक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने की थी जिससे कि देहरादून एक्सप्रेस में भीड़-भड़ाके से राहत मिल सकें। आपको गत तीन दिन से कोई सूचना नहीं मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करके आपको बताऊंगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : उन्हें तीन दिन पहले पकड़ा गया था । मैं जयपुर में था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे सूचना मिल गई होती तो इसे बुलटिन में प्रकाशित कर दिया गया होता ।

श्री सतीश अग्रवाल : उन्हें अन्य सहकर्मियों के साथ दिल्ली से कोटा तक सुपर फास्ट रेलगाड़ी की मांग करने पर गिरफ्तार किया गया था । यदि आपको सूचना नहीं मिली है तो फिर आप स्पष्टीकरण मांगिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : धन्यवाद !

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आपका ध्यान गृह मन्त्रालय में हस्तक्षेप करने के एक अत्यन्त गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । —

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है । अस्वीकृत किया जाता है । मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दे सकते हैं । मैं देखूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं लिखित में पहले ही दे चुका हूं और सूचना दे चुका हूं । इसको स्पष्ट करने के लिए गृह मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये । यह एक गंभीर मामला है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है और न दे रहा हूं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह बिना अनुमति के इतनी देर तक बोलते रहे हैं । इतने अच्छे संसदविज्ञ होने के बावजूद भी वह मुझे परेशान कर रहे हैं ।

श्री मायातेवर ।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री के० मायातेवर : (डिन्डिगल) : हमने पूर्ण चर्चा कराने का अनुरोध किया है। हम सन्तुष्ट नहीं हैं। और न ही हम मन्त्री महोदय के वक्तव्य से संतुष्ट होने वाले हैं। हम पूर्ण चर्चा की मांग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको वक्तव्य के बाद चर्चा करने से किसने रोका है।

श्री के० मायातेवर : यदि आप सन्तुष्ट हैं तो फिर ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सन्तुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं है। आपको चर्चा करने से किसने रोका है।

(व्यवधान) **

आप नियमों को पढ़िए।

श्री राम प्यारे पन्त्रिका (रावसगजी) : मैंने आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकृत नहीं किया हैं और इसे रोक नहीं लगाई है। आप आकर मुझसे मिल सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (रावटे संगजी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री महोदय से कह रहा हूं।

जब तक की परम्परा यह रही है कि जो भी मुख्य मंत्री विदेश जाता रहा है...

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार अनुमति नहीं है—व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान) **

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : मैंने आपसे किसानों के उत्पादन के बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा कराने का निवेदन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये, मैं इस पर ध्यान दूंगा, मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : केरल में लेडी डाक्टर हड़ताल पर हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद) : गुजरात कपड़े की मिलें...

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझसे मिल सकते हैं । मैं यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करूंगा ।

श्री ए० के० बालन : परिणाम क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने बोला है उसकी अनुमति नहीं है ।

सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है । जब हम लोग यहां पर होते हैं तो पीछे हमारे कार्यालयों में पुलिस के लोग घुसपैठ करते हैं...

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिए । मैं इस पर गौर करूंगा ।

श्रीमती प्रमिला बण्डवते : (बम्बई उत्तर मध्य) मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकृत कर दिया है । कोई चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइये मत । आपको यह शोभा नहीं देता है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आपकी अनुमति से इस सभा में बाढ़ों पर चर्चा हुई थी । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आया था । हमने बाढ़ नियन्त्रण आदि के बारे में हमने जो प्रश्न उठाए थे उनका कभी भी उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । इसकी अनुमति नहीं है । मैंने चर्चा की स्वीकृति दी थी ।

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) अध्यक्ष जी, एच० ई० सी० रांची में मजदूर की हड़ताल हो रही है । यह सरकार का बहुत बड़ा संस्थान है ।

** कार्यवाही-वृत्तान्त ने सम्मिलित नहीं किया गया ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : किसका सबजेक्ट है ?

श्री राम विलास पासवान : सेन्टर का सबजेक्ट है। आपको नोटिस दिया है। इसमें करोड़ रुपए के घाटे का मामला है, इसलिए इस पर डिसकशन करवाइए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : (सैदपुर) मैंने, रूल 222 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है। बनारस में चौबेपुर के थानेदार ने हमारे साथ और कुछ एम० एल० एज० के साथ मिस-बिहेव किया है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपको इसकी पोजीशन बता देंगे।

...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप क्या बतायेंगे ? पन्द्रह दिन पहले नोटिस दिया

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : गरम होने की आवश्यकता नहीं है। शांति रखिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : 24 तारीख को नोटिस दिया था। दारोग, हमारी बदनामी कर रहा है। वहां पर जन-प्रतिनिधियों के साथ ऐसी बदना मीजीयां की जा रहीं हैं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : पिछले सप्ताह आपने एश्योरेंस दिया था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आधार चेंज करने के लिए डिसकशन करवायेंगे। आपको लिखकर भी दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : बार-बार क्यों एक बात को उठाते हो ? आज बी० ए० सी० की बैठक है। कार्य मंत्रणा समिति इस पर निर्णय लेगी। हमने इसे कार्य मंत्रणा समिति के पास बापिस भेज दिया है।

श्री सूरज भान : आपने सिर्फ एट्रोसिटी वाला रेफर किया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह भी है।

श्री सूरज भान : अगर है तो अच्छी बात है।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : महोदय, गुजरात में कपड़ा मिलों के बन्द हो जायें के के परिणाम स्वरूप, 50,000 मजदूर मिलों में और अन्य 50,000 मजदूर सहायको उद्योगों में बेरोजगार हो गये हैं।

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री मगन भाई बरोट : कपड़ा मिलों का बन्द होना केन्द्र का विषय है।

श्री जयपालसिंह कश्यप (आंवला) बदायूं और बरेली जिले में हैजा फैल रहा है' काफी लोग मर गये है।

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष **महोदय** : लिखकर दे दीजिए। देख लेंगे।

श्री इन्द्र जीत गुप्ता (बसीरहार) : महोदय, मैं सभा के कार्य के बारे में छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। गत शुक्रवार को जब श्री मल्लिकार्जुन ने सभा के कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया था—तो उस समय कुछ सदस्य यह सुनने की प्रतीक्षा में थे कि इस सप्ताह किसी समय, साम्पदायिक दंगों पर चर्चा होगी। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। वह कोई आश्वासन नहीं दे सके, उपाध्यक्ष महोदय हमको आश्वासन नहीं दे सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त मुझे बताया गया कि कुछ ऐसी सहमति हुई है कि इस सप्ताह किसी समय भिवन्डी बम्बई और हैदराबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा कराई जायेगी।—

अध्यक्ष महोदय : आप जिद क्यों करते हैं ? जब मैंने कह दिया है कि डिसकशन होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सप्ताह।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले सप्ताह कभी नहीं कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यही समझा था। ये लोग कुछ भी क्यों नहीं कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अलैदा बात हुई थी। उन्होंने टाइम मेरे पर छोड़ दिया था। होम मिनिस्ट्री से सलाह-मशिरा करना था। मंगलवार या बुधवार को...

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय . यह मेरा वायदा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : डिप्टी स्वीकर भी कुछ नहीं बोलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस सभा को वचन दिया है कि इस सप्ताह हम उस पर चर्चा करेंगे ।

श्रीमती प्रमिला दण्डते : तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और तन्त्रियों को जीवन खतरे में हैं । यह एक बड़ा ही गम्भीर मामला है और सभा को इस मामले पर चर्चा करनी चाहिये ।

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : इस पर गौर करने के लिए राज्य सरकार पूर्ण सक्षम है ?

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, आप शून्यकाल में बहुत से उत्तोजक मामलों को ले रहें हैं और निपटा रहे हैं । इस प्रक्रिया में आप हमारे कोयला खानों के श्रमिकों और खनिकों को भूल गये हैं । कोयला खादानों में स्थिति बहुत बहुत गंभीर है । उस बारे में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दे दीजिए देख लेंगे ।

121.3 म० प०
12.13

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं बिहार फ्रूट एण्ड वेजिटेबल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1980-81 के कार्य करण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, नेशनल को आपरेटिव कन्यूमर्ज फैडरेशन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को वर्ष 1982-83 की वार्षिक प्रतिवेदन और कार्य करण की समीक्षा, आदि आदि ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं ;

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधार (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी (संस्करण) :—

(एक) चीनी (मान्यता प्राप्त व्यापारियों द्वारा रखा जाना तथा बेचना)

संशोधन आदेश, 1984, जो 18 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 515 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा० का० नि० 525 (अ), जो 20 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 31 मई, 1984 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 420 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी-8524/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1656 की धारा 619 क अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बिहार फ्रूट एण्ड वैजिटेबल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फ्रूट एण्ड वैजिटेबल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना, के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-8525/84]

(4) (एक) नेशनल को आपरेटिव कंज्यूमर्ज फैडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) नेशनल को आपरेटिव कंज्यूमर्ज फैडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8526/84]

बनस्पति तेल उपकर अधिनियम और राष्ट्रीय तिलहन तथा बनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं, पजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा, नैशनल फैडरेशन आफ अर्बन को आपरेटिव बैंक्स एण्ड केडिट सोसाइटीज लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे और कार्यकरण की समीक्षा, आदि ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, वनस्पति तेल उपकर, नियम, 1984 जो 19 अप्रैल, 1984 के एक भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 296 (अ) में प्रकाशित हुए थे। प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी **देखिए** संख्या एल० टी० 8527/84]

(2) राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 20 के अन्तर्गत, राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड (कार्यकारी निदेशक) भर्ती नियम, 1984 जो 14 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपक्ष में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 386 में प्रकाशित हुए थे। की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिए** संख्या एल० टी०—8528/84]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़, के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़, के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी 8526/84]

(5) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(दो) नेशनल फैडरेशन ऑफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फैडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 8530/84]

(7) (एक) आल इण्डिया फेडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परिक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० - 8531/84]

दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन अधिसूचना

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी) (भर्ती) विनियम,

1984 जो 12 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 7 (16)/83 पी० बी० आई० में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-8532/84]

चीनी उद्योग विकास परिषद् के 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और एक विवरण

इलेक्ट्रानिक विभाग में और खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की, उप-धारा (4) के अन्तर्गत, चीनी उद्योग विकास परिषद् के 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० - 8533/84]

12.14 म०प०

राज्य सभा से सन्देश

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 2 अगस्त, 1984 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 23 जुलाई 1984 को पारित किये गये बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 2 अगस्त, 1984 को हुई अपनी बैठकं में पारित विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवाशर्तें) संशोधन विधेयक 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महा सचिव : महोदय, मैं विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक 1984 की सभा-पटल पर रखता हूं।

12.15 म० प०

2 अगस्त 1984 को मद्रास हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय आगमन कक्ष में हुई बम विस्फोट की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : अत्यन्त दुःख के साथ मैं सदन को उस दुखद घटना के बारे में सूचित करता हूं जो मद्रास हवाई अड्डे पर 2 अगस्त, 1984 की रात को हुई जिसमें विस्फोट के फलस्वरूप 29 बेगुनाह लोगों की जानें गईं और 38 व्यक्तियों को चोटें पहुंचीं। प्रधान मंत्री जी ने इस हिंसक कार्य की निन्दा की है और श्रीलंका और भारतीय मृत व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट की है।

दिनांक 4 अगस्त को मैं इस विस्फोट स्थल पर गया और अस्पताल गया जहां घायल व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। मैं पहला अवसर मिलते ही इस सदन को इस घटना के पास उपलब्ध सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे यह विश्वास है कि यह सदन मेरे साथ मृत व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक शोक संवेदना और इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा।

मद्रास हवाई अड्डे पर मौजूदा पद्धति के अनुसार सभी सामान विमानन में बढ़ाने से पहले उस उड़ान में जाने वाले यात्रियों द्वारा सीमा-शुल्क परिसर में पहचानना आवश्यक होता है। दिनांक 2 अगस्त, 1984 को एयर लंका उड़ान यू एल-122 द्वारा जाने वाले यात्रियों के सामान की पहचान करने का काम सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने किया। दो सूट-केसों को छोड़कर सभी अन्य सामान की पहचान यात्रियों द्वारा कर दी गई और उन्हें विमान में गढ़ा दिया गया। जिन दो सूट-केसों की सीमा-शुल्क परिसर में पहचान नहीं की गई थी, उन्हें भी विमान पर पहचान के लिए ले जाया गया परन्तु किसी यात्री ने उन्हें अपना नहीं बताया। इसलिए उन्हें सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कब्जे में ले लिया गया और उन्हें आगमन हाल में सीमा-शुल्क ड्यूटी अधिकारी के कमरे के समीप रख दिया गया।

एयर लंका की उड़ान संख्या यू एल-122 पर 97 यात्रियों का बुकिंग हुआ था परन्तु

केवल 96 यात्रियों ने ही यात्रा की। एक यात्री आकर जांच करा लेने के बाद भी विमान में नहीं चढ़ा, इस विमान ने रात्रि में 8 15 बजे उड़ान भरी।

रात के लगभग 9.50 बजे हवाई अड्डा अधिकारी (प्रचालन) श्री लीला सिंह को एक गुमनाम टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि जो दो सूट-केस उस समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के कब्जे में थे उनमें चट्टानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले किस्म का विस्फोटक रखा हुआ है। इस टेलीफोन सूचना के प्राप्त होते ही तत्काल हवाई अड्डा अधिकारी ने मद्रास हवाई अड्डे के महाप्रबंधक श्री के० के० गुलाटी, पुलिस उपायुक्त श्री के० कासिम और हवाई अड्डा सुरक्षा पुलिस के सहयक आयुक्त श्री कलिमुल्ला खां, विस्फोटक के उपमुख्य नियंत्रक श्री शिव प्रसाद को और मद्रास हवाई अड्डे के उप निदेशक (प्रचालन) श्री ताम्हणे को इस गुमनाम टेलीफोन के बारे में सूचित कर दिया बताते हैं। यह सूचना अग्नि-शमन केन्द्र और इंडियन एयरलाइन्स के कार्यालय को भी सूचना दे दी गई थी।

हवाई अड्डा अधिकारी श्री लीला सिंह को लगभग 10.40 बजे रात्रि को दूसरी बार गुमनाम टेलीफोन प्राप्त हुआ जो संभवत: उसी व्यक्ति का था जिसने पहले टेलीफोन किया था, जिसमें उसे यह बताया गया था कि इन सूट-केसों से रात के लगभग 11.00 बजे विस्फोट होगा। इस टेलीफोन के प्राप्त होते ही वह हवाई अड्डा अधिकारी उस स्थान से लोगों को हटवा-कर खाली करवा देने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों से सम्पर्क करने के लिए प्रस्थान हाल की तरफ तेजी से गया और उसने सीमा-शुल्क अधिकारियों को भी चेतावनी दी। जब आगमन हाल खाली करवाया जा रहा था और सीमा-शुल्क प्राधिकारी, उन दो सूट-केसों को एक ट्राली में रखने के बाद उनको हटा रहे थे तब लगभग रात के 10.50 बजे आगमन हाल में एक विस्फोट हुआ जिसके फलस्वरूप 29 व्यक्ति घायल हो गये। इससे हवाई अड्डे की इमारत को व्यापक क्षति पहुंची।

राज्य पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1984 की धारा 9बीं(1) (क) (ख) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 और 4 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया और तमिलनाडु पुलिस के महानिदेशक श्री के० मोहनदास के पर्यवेक्षण में जांच की जा रही है। सरकार ने इस घटना की नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। इस जांच के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(क) दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाना।

(ख) यह निर्धारित करना कि क्या बम के संबंध में चेतावनी की सूचना प्राप्त होने पर मद्रास हवाई अड्डे पर विभिन्न संबंधित अभिकरणों के

ड्यूटी पर तैनात कामिकों ने निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार और स्थिति के अपेक्षित तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया है ।

(ग) ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं और कार्यविधियों की पर्याप्तता की जांच करना और उसकी समीक्षा करना तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से उनमें सुधार करने के लिए सिफारिशें करना ।

उक्त हवाई अड्डे पर सामान्य अन्तर्देशीय विमान सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई थीं परन्तु आज से वे फिर से चालू हो गई हैं ।

माननीय सदस्यगण कृपापूर्वक इस बात से सहमत होंगे कि नागर विमानन के महा-निदेशक द्वारा जांच किए जाने तक और राज्य पुलिस द्वारा पूरी जांच किए जाने तक, इस दुखद घटना के पीछे उद्देश्यों के बारे में अन्दाजा लगाना मेरे लिए उचित नहीं होगा । सदस्य-गण कृपापूर्वक इस बात से भी सहमत होंगे कि इसी कारण से मैं एक बहुत अधिक विस्तृत वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि पहले सभी तथ्य निश्चित रूप से स्थापित किए जाने हैं ।

अन्त में, मैं सदन से यह अनुरोध करूंगा कि वे भी मेरे साथ जघन्य कार्य पर जो हमें गम्भीर आघात लगा और गहन दुःख हुआ है, उसे अभिव्यक्त करें तथा समाज के विरुद्ध इस अपराध के लिए जिसके फलस्वरूप बेगुनाह व्यक्तियों की दुःखद मृत्यु हुई है, जो उत्तरदायी हैं उनकी भर्त्सना करें ।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम जांच पूरी होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसमें काफी समय लगेगा । हम पूरी तरह चर्चा चाहते हैं। हम मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। मैंने आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मना नहीं किया है । आपको कौन रोक रहा है ? आप प्रस्ताव की सूचना दीजिए, आपका स्वागत है । आप अनावश्यक क्यों चिल्ला रहे हैं ?

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : महोदय, क्या आप कोई प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने जब आपको कहा है कि आप प्रस्ताव दीजिए तो प्रस्ताव देने के लिए आपका स्वागत है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपको कौन रोक रहा है ? इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इस जांच को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम मंत्री से एक बात जानना चाहते हैं। क्या उन्होंने जांच पूरी करने के लिए कोई समय दिया है ?

श्री सतीश अग्रवाल : क्या वह सभा स्थगित होने से पूर्व वक्तव्य देने के लिए सहमत हैं ? यह महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। हम चर्चा करेंगे। कार्य मंत्रणा समिति में हम इस बारे में फैसला करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहते हैं जो राष्ट्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाना है। आपका प्रतिनिधि यहां मौजूद है। आप उनसे बात कर लीजिए और वह कार्य मंत्रणा समिति में बात कर लेंगे और तदनुसार फैसला कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री के० टी० कोसलराम (त्रिचेन्डूर) : क्या इस पर कल चर्चा होगी अथवा परसों ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कभी नियम पढ़े हैं ?

श्री क० मायातेवर : यह नियम 193 के अन्तर्गत आ सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको नियम 193 में रखने से किसने मना किया ? आपको किसने रोका है ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : जिस सामान का किसी ने दावा नहीं किया है उसे

भवन तक न ले जाया जाए। कम से कम उन्हें इससे कुछ तो सबक सीखना चाहिए । आतंकवाद बढ़ रहा है...

अध्यक्ष महोदय : सीखने के लिए और बहुत कुछ है। जांच समिति कुछ निष्कर्ष देगी। कुछ बातें यहां बिल्कुल स्पष्ट हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : केवल उसी सामान का सम्बन्ध नहीं है जिसका दावा नहीं किया गया है। यहां तक कि उस सामान की भी समुचित जांच नहीं होती है जिनकी अनुमति दी गई है।

(व्यवधान)

12.23 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

राजभाषा समिति

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री प्रकाश चन्द्र सेठी द्वारा राजभाषा समिति से त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर उस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री प्रकाश चन्द्र सेठी द्वारा राजभाषा समिति से त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर उस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : हम अब अगली मद लेते हैं...

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मुझे रेडियो से यह पता चला है कि श्री हरिनाथ मिश्र को सिंचाई में स्थानांतरित कर दिया गया है। महोदय, कृपया स्पष्ट करें कि यह विभाग किस के पास है। मुझे यह भी पता चला है कि श्रीमती मोहसिना किदवई ने ग्रामीण विकास मंत्री का काम संभाल लिया है। कृपया हमें मंत्रिमंडल में फेर-बदल की नवीनतम स्थिति से अवगत कराएं। यह अब प्रत्येक सप्ताह होने लगा है। कार्य सूची की मद 8 श्री हरिनाथ मिश्र के नाम पर है।

अध्यक्ष महोदय : आपको उनके इस डिपार्टमेंट में आने से प्रसन्नता हुई है या नहीं ?

श्री सतीश अग्रवाल : इसमें नाम श्री हरिनाथ मिश्र का है, जबकि यह सबजेक्ट श्रीमती मोहसिना किदवई का है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने आपको पहले एक बार सुझाव दिया था कि आपको यहां एक सूची रखनी चाहिए— "मंत्रियों की आज की सूची"—ताकि हमें पता चल सके कि मंत्री कौन है और उनके पास कौन से विभाग है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत सी बातों की लिस्ट होनी चाहिए। जैसे, पार्टीवाइज लिस्ट रोज होनी चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : हमें उस पर आपत्ति नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको मंत्रियों की सूची रखनी चाहिए। उनके पास कौन-कौन से विभाग हैं, कौन वरिष्ठ प्रशिक्षु है और कौन कनिष्ठ प्रशिक्षु है, आदि-आदि

श्री सतीश अग्रवाल : अगर लिस्ट में कोई चेंज हो, तो कारीजंडम इस्यु करना चाहिए।

12.26 म०प०

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1984—जारी

पुन:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए 3-8-1984 प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी।

श्री दिगम्बर सिंह अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जब तक मैं इस लैंड एक्वीजीशन (एमंडमंट) बिल पर बोलूं, तब आप यहां पर बैठे रहें। राव साहब से भी प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी बात सुनते रहें।

मैंने 15 फरवरी, 1980 को लोक सभा में कहा था कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट, 1894 में कमी है कि किसानों की जो जमीन ली जाती है, उसका मुआवजा नोटिफिकेशन जारी होने के समय के बाजार-भाव के हिसाब से दिया जाता है, न कि जमीन पर कब्जा होने के समय के बाजार-भाव के हिसाब से। हमारे लगातार प्रयत्न करने के बाद माननीय मंत्री, राव वीरेन्द्र सिंह, ने इस बारे में 30 अप्रैल, 1982 को यहां लोक सभा में एक बिल रखा। मैंने राव साहब से कहा कि हमारी प्रधान मंत्री ने 16 फरवरी, 1981 को पच्चीस लाख किसानों की रैली के सामने घोषणा की थी—पिछली दफा मैंने लोक सभा में उसको पढ़ कर सुनाया था—कि जमीन का मुआवजा तब के बाजार भाव मिलेगा, जब कि जमीन पर कब्जा होगा, मगर यह बात इस बिल में नहीं है। राव साहब ने कहा कि अब बिल तैयार हो गया, अब आपके एमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तब मैं आपके पास आया और कहा कि यह बिल पास होने जा रहा है, पिछले सैशन में जबकि एशियाई खेल हो रहे थे, इसको पास करने के लिए दिन तय हो गया था। आपने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि अगर आप इसको कल की लोक सभा की बिजिनेस में से निकाल दें, तो मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रधान मंत्री से कहा कि इस बिल में वह बात नहीं है, जो आपने रैली के सामने कही थी। प्रधान मंत्री ने राव साहब को बुलाया और तय हुआ कि इस बिल को वापस लिया जाएगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में वह बात नहीं है, जो प्रधानमन्त्री ने कही थी। कृषक समाचार में समाचार निकला था कि कृषक समाज के तत्वाधान में राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन हुआ था। कृषक समाज के अध्यक्ष राव वीरेन्द्र सिंह है। वह मीटिंग आपके सभापतित्व में हुई थी। उसमें जो प्रस्ताव पास किया गया, उसमें कहा गया कि मुआवजा तब के बाजार भाव का मिलना चाहिए, जबकि भूमि पर कब्जा हो, तब का नहीं, जबकि नोटिफिकेशन हो। वह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के पास भेजा गया।

एक किसान कांग्रेस है, जिसके अध्यक्ष श्री रणधीर सिंह हैं। उसने भी प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री के पास भेजा। उसमें भी कहा गया था कि मुआवजा तब के बाजार भाव का मिलना चाहिए, जब भूमि पर कब्जा हो, नोटिफिकेशन के समय का नहीं।

चौ० चरण सिंह विरोधी दल के नेता है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को लिखा कि मुआवजा भूमि पर कब्जा के समय के बाजार भाव का मिलना चाहिए। मैंने इस बारे में संसद-सदस्यों के दस्तखत कराके प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को भेजे। मेरे पास दस पत्र प्रधानमंत्री

के हैं। अगर मैं उन्हें पढ़ूं, तो देर लगेगी। उन्होंने लिखा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। मेरे पास तीस पत्र केन्द्रीय मंत्रियों के हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरी बात विचाराधीन है। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा, मैंने उसकी प्रकियां सब संसद-सदस्यों के पास भेजीं। उसमें कहा गया था कि 1894 के कानून में जो संशोधन हो रहा है। उसमें यह कमी है और इससे किसानों के साथ बड़ा अन्याय होगा। मैंने अपने सुझाव छपवाकर सब संसद-सदस्यों के पास भेजे और उनसे निवेदन किया किया कि जिन किसानों के वोटों से चुनकर आते हैं, अगर वे उनके हित की बात नहीं करेंगे, तो देश की भलाई कैसे होगी ?

लोकदल बी० जे० पी० के एन० डी० ए० की मीटिंग हुई, मैंने उसमें अपना सुझाव रखा। उसकी एक कमेटी बनी। उसको लेकर हम श्री हरिनाथ मिश्र जी से मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुआ क्या ? हुआ यह कि बिल जो राव साहब ने रखा था, उनकी कृपा से जो आ गया था उसमें वही है जो कमियां रह गई थीं, उसमें दो बातें उन्होंने बढ़ाई हैं। एक तो सेक्शन 18 का है कि अगर किसी आदमी, का मुआवजा कम तय हो जाता है और उसमें वह केस लड़कर जीत जाता है तो उसी के आधार पर दूसरों की भी सुनवाई करने का अवसर होगा। दूसरा यह होगा कि नोटिफिकेशन के समय से दस प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। लेकिन उसका सब चौपट कर दिया एक प्रोवाइजो देकर। वह आप सुन लें :

> "परन्तु ऐसी किसी अवधि के लिए कोई ब्याज संदत्त नहीं किया जाएगा जिसके दौरान किसी भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाहियां किसी न्यायालय के एक आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी गई हैं।"

मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मेरी जमीन सरकार ले रही है, उसमें ट्यूबवेल बना हुआ है, सरकार कहती है कि ट्यूबवेल नहीं है, तो मैं उसमें झगड़ा करूंगा या नहीं करूंगा ? मुकदमा लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ? उसमें मकान बना हुआ है तो मैं यह कहूंगा या नहीं कहूंगा कि मकान बना हुआ है ? पेड़ लगे हैं, तो कहूंगा या नहीं कहूंगा कि पेड़ लगे हैं ? लेकिन इसके हिसाब से मुकदमे के दौरान का ब्याज नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि 1894 या 1895 में किसी जमीन का नोटिफिकेशन कर दिया हो और तब से अब तक मुकदमा लड़ा जा रहा हो तो उसे ब्याज इसलिए नहीं मिलेगा कि मुकदमा चल रहा था और उसे मुआवजा 1895 के वक्त का मिलेगा, क्या यह न्याय है ?

मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि यह जो बिल आया है, मैं तो माननीय मंत्री जी से भी कहूंगा जो मंत्री जी बदलकर आ गए हैं कि अगर यह बिल ऐसे ही पास हो जाता है तो क्या यह किसानों के साथ न्याय होगा ? जब आप चाहते हैं, राव साहब चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी चाहती हैं। क्या संसद सदस्य कोई भी खड़े होकर कह सकता है कि मुआवजा नोटिफिकेशन

के समय के बाजार भाव का मिलना चाहिए ? सब यह कहेंगे कि मुआवजा तब के बाजार भाव का मिलना चाहिए। जब भूमि पर कब्जा किया जाता है। यह सब सांसद कहेंगे। तो जब सब लोग कहने को तैयार हैं, कांग्रेस के लोग भी कहने को तैयार है, विरोधी दल के भी कहने को तैयार है, अध्यक्ष महोदय भी कहने को तैयार हैं जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, केवल एक मंत्री को छोड़कर सब तैयार है तो यह क्यों नहीं होना चाहिए। और लाबी में बैठे हुए सेक्रेट्री और ज्वाइन्ट सेक्रेट्री तैयार नहीं हैं जो यह बिल तैयार करते हैं तो क्या यह किसानों के साथ न्याय है ? यह डेमोक्रेसी है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं भावुकता में कहना चाहता हूं कि अगर मेरे इस्तीफा देने से यह बिल अमेंड होकर पास हो सकता है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उस अमेंडमैंट को आप ले आएं। अगर आप कहें कि तुमको शहीद होना पड़ेगा, भूख हड़ताल कर दो, तुम्हें फांसी पर चढ़ना होगा तो मैं कहता हूं कि मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप उस अमेंडमेंट को ले आएं। अगर आप मुझसे यह कहें कि किसान के हित के लिए तुम यह वादा कर लो कि तुम कभी राजनीति में भाग नहीं लोगे तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आप इस अमेंडमैंट को कर दीजिए कि किसान से जब जमीन ली जाती है, जब उस पर कब्जा किया जाता है तब के बाजार भाव का मुआवजा उसको मिलना चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में मिसाल देना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपसे कि क्या इस बिल में अन्याय को रोकने का कोई तरीका है ? आप देखिए पी० ए० सी० को रिपोर्ट 1980-81 की, उसमें क्या है वह भी मैं सुना देना चाहता हूं। किसानों से जमीन ली गई ढाई स्कवायर गज के हिसाब से, 12100 प्रति एकड़ के भाव से। उसमें डवलपमेंट का खर्च हुआ 80 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से और उसको बेचा गया किस हिसाब से। एक एकड़ जमीन कितने में बिकी—8 करोड़ 38 लाख 9 हजार चार सौ चालीस रुपये में। कितना मुनाफा हुआ ? – 8 करोड़ 24 लाख 13 हजार तीन सौ चौंतीस रुपये का डी० डी० ए० को मुनाफा हुआ किसानों से। क्या यह किसानों के साथ न्याय है ;

क्या यह अन्नाय नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे साथ हो जाइए, हम और आप दोनों मिलकर इस्तीफा दे दें इसी के ऊपर कि यह बिल इस रूप में नहीं आना चाहिए। मेरा जो अमेंडमेंट आ रहा है उस अमेंडमेंट के बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया है कि प्रधानमंत्री जी, आप कृपा करके मेरे अमेंडमेंट के ऊपर सब मेम्बरों को खुला छोड़ दीजिए कि वह मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें और नहीं करें तो न करें।

मैं सिर्फ दो बातें करना चाहता हूं कि मुआवजा जब केलेक्टर कब्जा करे उस समय का हो, जब नोटिफिकेशन के समय बाजार भाव का हो तब का नहीं और दूसरी बात इन्टेरेस्ट के

सम्बन्ध में है जिसके बारे में प्रोवाइजो दिया है, उस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि मुकदमा चल रहा है तो चलने दें, आपका क्या नुकसान है ? आज से बीसों वर्ष पहले की जमीन आप ले रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं, जिसकी जमीन नहीं ली जा रही है वह बेच रहा है हजारों रुपये गज के हिसाब से और जिस पर सरकार कब्जा कर रही है क्या यह अन्याय नहीं है कि नोटिफिकेशन होगा सैक्शन 4 का ? तब के बाजार भाव पर ली जाएगी ।

सैक्शन (4) में नोटिफिकेशन हो गया, आप किसान को एक पैसा देते नहीं, किसान से बात करते नहीं हैं सिर्फ बजट में नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि तुम्हारी जमीन लेनी है, उसमें तुम कोई मकान नहीं बना सकते, कोई बाग नहीं लगा सकते, कोई ट्यूबवैल नहीं बना सकते, कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते यह न्याय नहीं । मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं बहुत दुःख भरे दिल से कहना चाहता हूं कि आप चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, तो किसानों की यह समस्या जरूर हल हो जाएगी । मैं मन्त्री महोदय से भी कहूंगा जिन्होंने अभी-अभी चार्ज लिया है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके यहां जाकर प्रचार करूंगा कि इन्होंने किसानों के हित का बिल पास नहीं होने दिया । सरकार न कर पाए तो यह असफलता विरोधी दलों के हित में है, मैं 25 लाख किसानों के सामने श्रीमती इन्दिरा गांधी ने घोषणा की थी लेकिन वह बात नहीं हो पाई । अखबार वाले भी हमारी बात नहीं निकालते हैं । अखबारों में हमारी कोई चर्चा नहीं होती, नाम तक नहीं देते हैं । अखबार भी पैसे वालों के ही हैं । रेडियो वाले भी कुछ खबरें नहीं देते हैं । इस तरह से सभी किसानों के खिलाफ हैं ।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इस बिल में यह नहीं होता है तो मैं और आप दोनों ही इस कुर्सी को छोड़ दें ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, श्री दिगम्बर सिंह ने इस विधेयक के बारे में जो कुछ है मैं उस सम्बन्ध में एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं । महोदय, श्री सिंह ने लोक लेखा समिति के जिस प्रतिवेदन का उल्लेख किया है उसमें इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है । मुझे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होने का अवसर मिला था । माननीय सदस्य जिन मुद्दों पर जोर दे रहे हैं, वे प्रतिवेदन की सिफारिशों में व्यापक रूप से सम्मिलित किए गए हैं । परन्तु दुर्भाग्यवश पुराने विधेयक के स्थान पर लाए जाने वाले इस नए विधेयक में भूमि अधिकार में लिए जाने की तारीख से सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा न देने तथा किसानों को 10 प्रतिशत ब्याज न देने के बारे में कोई उपाबन्ध नहीं किया गया है यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी इन उपक्रमों में निवेश की गई राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज दे रही है । खुले बाजार में ब्याज दर 20 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच है । सरकार हजारों करोड़ रुपये की करों की बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज ले रही है । कतिपय मामलों में सरकार 6 प्रतिशत वसूल कर रही है और कुछ मामलों में वह उनका पक्ष लेना चाहती है । श्री सिंह द्वारा यह स्थिति रखी गई है । मेरे विचार में सारी सभा इस सम्बन्ध में एक मत है

और मैं तह दिल से इस मुद्दे का समर्थन करता हूं। कृपया सरकार और माननीय मंत्री महोदय पर जोर डालिए ताकि वे इस दृष्टिकोण पर विचार कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : दिगम्बर सिंह जी की बात मैंने सुनी। उन्होंने जो अपील की है वह भी सुनी है। आपको चिन्ता करने की क्या जरूरत है, अभी क्षमता है बिल पास कराने की और कोई सेक्रेटरी बीच में नहीं आ सकता है।

अखबारों की भी आप क्यों चिन्ता करते हैं, वह तो पैसे वालों के होते हैं और जिस दिन किसानों के पास भी पैसा हो जाएगा, उनकी बात भी छापी जाने लगेगी। इसलिए चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है।

इस प्रश्न का सभी किसानों से सम्बन्ध है और एक बार किसान के हाथ से भूमि जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है। यह उसका जीवन-साथी है और वह अपनी भूमि पर जीवित रहता है। यह उसके जीवन में अन्य सभी चीजों से अधिक महत्वर्ण है। आपको विकल्प के रूप में अवश्य ही कुछ उपलब्ध कराना चाहिए और मुआवजा भी देना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उद्देश्य हेतु यदि कोई संशोधन आवश्यक है तो इसे प्रस्तुत किया जाए, उससे कोई भी असहमति प्रकट नहीं करेगा। सम्पूर्ण सभा इससे सहमत होगी। मेरे विचार में श्रीमती किदवई जी आपके साथ-साथ राव साहिब इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरे विचार में प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में कह दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इसी प्रकार मैंने भी एक गैर सरकारी विधेयक रखा था। वे अपना विधेयक वापस लेकर मेरे विधेयक का समर्थन कर सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की इतनी जल्दी है ? कोई आकाश गिरने वाला नहीं है। उन्हें इसे वापस लेना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब देरी कुछ नहीं है। न लाने से देर अच्छी।

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, यह 1984 का रैटिफिकेशन एक है, उसमें कुछ अमेंडमेंटस करने की बात सोची गई कि किसानों का हित उसमें रखा जाए। 1982 में एक बिल पेश किया गया लेकिन उसको भी वापिस लिया गया कि इसमें और अमेंडमेंटस करके सदन के सामने लाया जाए। 1984 का जो बिल है उसमें कुछ अमेंडमेंटस की बात कही गई है और यह सदन के सामने आया है।

इस वक्त यह शुबह है कि किसानों को नुकसान होने जा रहा है। पहले कोई टाईम

लिमिट नहीं थी, लेकिन इस बिल में टाईम लिमिट की गई है कि तीन साल के अन्दर सारी पोसिडिंग्स हो जाएं। कलैक्टर को यह अधिकार दिया है कि सैक्शन 4 (1) और सैक्शन 11 के अन्दर कि सारी प्रोसिडिंग्स हो जायें, जो 10-15 साल के मामलात पड़े रहते थे। ऐसा न होकर तीन साल की टाइम लिमिट की गई है, उसके अन्दर वे सारी प्रोसिडिंग्स हो जायें। इसी प्रकार रेट आफ सोलेशियम को 15 परसेंट से 30 परसेंट की बात की गई है। रेट आफ इन्टरेस्ट 5 परसेंट से 9 परसेंट किया गया है। एक साल में यदि इन्टेरेस्ट नहीं मिलता है, तो रेट आफ इन्टरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा।''' (व्यवधान)'' मेरी गुजारिश है कि इन्ट्रोडक्शन के वक्त यह चीज न करके, जब बिल आए, तो पूरी चर्चा का मौका मिलेगा, अमेंडमेंट लाने का मौका मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस ध्यान से सोचिए कि बार-बार यहीं बनता है, तीन दफा पहले भी किया है।

मैं भी इससे सम्बद्ध रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूं।

जो कोई आपके डिपार्टमेंट में बैठते हैं, उनको अगर आप किसान के पास जेठ महीने में भेज दें, तो फिर उनको अकल आ जाएगी और हिसाब लेंगे। आप इसको थोड़ा सोचकर अगर जरूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से करें। मुझे आशा है कि आप इसकी जांच करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> ''कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

12.42 म० प०

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने लिए रूल नहीं तोड़ता, तो आपके लिए कहां से तोड़ूंगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे आपको बोलने की अनुमति दी जा सके । यह सब असंगत है । यह नियमों के अधीन नहीं आता । मैं मजबूर हूं । मैं कुछ नहीं कर सकता ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं एक अच्छे उद्देश्य के लिए नियम का उल्लंघन कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, मैं अनुमति नहीं दूंगा । आप कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं । कृपया बैठ जाइए ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

> "कि विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

12.44 म० प०

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए संख्या एल० टी० 8536/84**]

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.44 1/2

राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने पुरस्थापित किए जाने की अवस्था में ही इस विधेयक का विरोध करने की सूचना दी हुई है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम सब इसका विरोध करना चाहते हैं। हम अभी इसे रद्द करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उनके नाम है जो इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : राष्ट्रीय सुदक्षा के नाम पर।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री चित्त बसु।

12.46 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का इन कारणों से विरोध करता हूं। इस अध्यादेश का उद्देश्य हमारे देश के नागरिकों के पास जो अब सीमित नागरिक अधिकार रह गए हैं, उन्हें और कम करना है। इससे यह साबित होता है कि सरकार इस प्रकार के एक असमान्य और कठोर कानून के बिना शासन नहीं चला सकती है, ऐसे कठोर और प्रजातन्त्र-विरोधी कानून बनाना सरकार की आदत बन गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अपने आप में ही एक क्रूर विधान है। इस बारे में कोई शक नहीं है। परन्तु फिर भी मूल अधिनियम में उस व्यक्ति के लिए थोड़ी सी राहत थी जिस पर अनुचित दोष लगाए जाते थे और जिसे गलत आरोप लगाकर फंसाया जाता था। मूल अधिनियम के अधीन नजरबन्दी के आधारों को समूचे रूप से आंका जाता था। उन आधारों में से यदि एक भी आधार दुर्बल, असंगत अथवा अस्पष्ट समझा जाता था तो नजरबन्दी आदेश को गैर-कानूनी करार दिया जाता था और नजरबन्दी आदेश को अमान्य घोषित कर दिया

जाता था। अब इस अध्यादेश द्वारा जो उपबन्ध किया जा रहा है वह यह है कि नजरबन्दी आदेश को केवल इस कारण अवैध अथवा अमान्य करार नहीं दिया जाएगा कि नजरबन्दी के एक अथवा कुछ आधार अस्पष्ट, अस्तित्वहीन, असंगत हैं अथवा ऐसे व्यक्तियों से सम्बद्ध नहीं है। इस प्रकार के अस्पष्ट आधारों पर भी किसी व्यक्ति को पंजाब में दो वर्ष के लिए तथा देश के अन्य भागों में एक वर्ष के लिए नजरबन्द रखा जा सकेगा। यह न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक व्याख्या के विपरीत है। पहले यह व्याख्या प्रथ्वीकरण की होती थी। अब उस व्याख्या का स्थान विशिष्टता ने लिया है। इसका अर्थ है कि इस व्याख्या ने न्यायिक व्याख्या की सम्पूर्ण प्रक्रिया को उलट कर दिया है। इस लिए, यह न्यायपालिका के कार्यकरण पर भी प्रतिबन्ध है।

इस संशोधन द्वारा सरकार कार्यपालिका के हाथों में खतरनाक हथियार पकड़ा रही है। मैं स्वयं एक निवारक नजबन्दी था। मैं जानता हूं कि सामान्य रूप से उस व्यक्ति के विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं जिसे झूठे दोष लगाकर नजरबन्द किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आपात काल के आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और पहले के अन्य नजरबन्दी कानूनों के प्रतिस्थापन निवारक के अलावा कुछ नहीं है।

इसका अर्थ है कि एक निवारक नजरबन्दी कानून बनाया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से हम इसके विरुद्ध हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने के कारण हैं तो उसको बिचारण करने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। और, यदि न्यायालय यह निर्णय देता है कि उसने अपराध किया है तो उसे वर्तमान कानून के अधीन दण्ड दिया जाए परन्तु किसी प्रकार की निधारक नजरबन्दी नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : किन संवैधानिक आधारों पर आप इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : यह नागरिक स्वतन्त्रता पर रोक है। यह न्यायिक व्याख्या के प्रतिकूल आता है। इस विषय पर एक अध्यादेश प्रस्थापित करने की जल्दी क्या थी, सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया गया है। इसमें निम्नलिखित कहा गया है:

> "राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को लागू करने में जिन व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको देखते हुए राज्य सरकारें इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने के लिए कह रही थीं ताकि कार्यकरण को सरल और कारगर बनाया जा सके और इसे अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके।"

व्यावहारिक क्या बनाना है ? आप गलत आधार पर एक व्यक्ति को बिना किसी विचारण के पंजाब में एक वर्ष और देश के अन्य भागों में दो वर्षों के लिए नजरबन्द रखने का अधिकार भी चाहते हैं । यही व्यावहार्य बात है । जिसे देश की कुछ राज्य सरकारों ने सुझाया होगा । यदि आपने सुझाव मान भी लिया है, तो एक अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी ? वे कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने यह व्यावहारिक उपाय सुझाया है । उन्होंने ऐसे व्यावहारिक उपाय कब सुझाए और उन सुझावों को विधेयक में क्यों नहीं शामिल किया गया और इसे नियमित प्रक्रिया द्वारा पारित क्यों नहीं किया गया ? अध्यादेश क्यों प्रख्यापित किया गया ? मैं उन राज्य सरकारों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने इसे व्यवहार्य बनाने के लिए ये व्यावहारिक सुझाव दिए हैं । व्यावहारिकता क्या है ? कृपया ध्यान दें, जिस व्यावहारिकता की वे मांग कर रही हैं वह यह है कि नौकरशाही को किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को झूठे आरोप लगाकर, बिना किसी विरोध के और बिना किसी विचारण के, पंजाब में दो वर्ष के लिए और देश के अन्य भागों में एक वर्ष के लिए जेल में डालने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए । मेरा विश्वास है कि अपने वक्तव्य में राज्य सरकारों ने इसी व्यावहारिकता की मांग की है । परन्तु सैद्धांतिक रूप से मैं इसके विरुद्ध हूं । राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक कठोर कानून है । इसे हमारे देश की संवैधानिक पुस्तक में स्थान नहीं मिलना चाहिए । इसे निकाल देना चाहिए । इसका निरसन करना चाहिए । मूल अधिनियम में जो थोड़ी बहुत राहत थी, उसे भी छीना जा रहा है और विचार यही है कि नौकरशाही को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं ताकि विरोध को समाप्त कर दिया । मेरे विचार से वहां बैठे मेरे मित्र यदि विरोध की आवाज उठाते हैं, तो यह अधिनियम उनके विरुद्ध भी लागू किया जाए ।

अतः, इस संसद को, जिसे नागरिक अधिनियमों को बनाए रखना है, जिसे हमारे देश के प्रजातन्त्र को बनाए रखना है, इस अध्यादेश को अस्वीकार कर देना चाहिए और ऐसा करके अप्रजातन्त्रीय सिद्धांतों का विरोध करना चाहिए । हम इसके दुरुपयोगों को जानते हैं और इस लिए हमें इसके दुरुपयोगों को ध्यान में रखना चाहिए मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : और बारह सदस्यों ने भाषण देना है । मेरे विचार से अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक दल का एक सदस्य बोल सकता है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो केवल वही कहा है जो उन्होंने सुझाव दिया है ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : परन्तु हम इसका विरोध करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब भाषण देना चाहते हैं —मैं जानता हूं, आप देना चाहेंगे—तो प्रत्येक सदस्य 3 मिनट से अधिक नहीं लेगा । श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह संशोधी विधेयक, उस अध्यादेश का परिणाम है, जिसे, जैसी कि आम बात है, संसद के इस सत्र के बुलाए जाने के कुछ ही दिन पहले उस आम प्रथा, जिसे सरकार ने अपनाना शुरू कर दिया है, के अनुसार प्रख्यापित किया गया है । मैं इसे केवल एक बहुत ही घृणित उपाय की संज्ञा दे सकता हूं ।

तात्पर्य यह है कि यह बात संविधान की भावना और नागरिक की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विरुद्ध है जो अनुच्छेद 21 में उल्लिखित मूल अधिकारों के अन्तर्गत सुनिश्चित की गई है और जिसमें कहा गया है "किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना व्यक्ति गत स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जायेगा ।"

अब हमने इस बात पर चर्चा करनी है कि विधि द्वारा क्या प्रक्रिया निर्धारित की जाए और विधि द्वारा निर्धारित ऐसी प्रक्रिया का, जिसे उचित प्रतिबन्ध नहीं कहा जा सकता, विरोध किया जाना चाहिए । यहां ऐसा करना संविधान की भावना के विरुद्ध है और ऐसी विधि को मात्र या उचित प्रक्रिया नहीं कहा जायेगा । इसी बात को माने तो यह संशोधी विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदलने वाला है । उच्चतम न्यायालय संविधान और मूल अधिकार अध्याय के अन्तर्गत नागरिकों को मिले अधिकारों का अभिरक्षक है । उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और यदि हिरासत में लेने के कारणों में से कोई झूठा निकलता है या जैसा कि विधेयक में कहा गया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्पष्ट है, भरोसे योग्य नहीं है, अवैध है, अथवा जिसका हिरासत में लिए गए व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है या उससे निकट का सम्बन्ध नहीं है और यदि हिरासत में लेने का एक भी कारण से पता चलता है कि शरारत की गई है तो, हिराजत आदेश को अवैध माना जायेगा । इससे स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिक की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कितना महत्व देता है । जैसा श्री चित्त बसु ने कहा है, हमें एक बार नहीं बल्कि अनेक बार निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया है । हमें जेल में रखने के 5 या 6 कारण बताये जाते थे और उनमें से सभी बिल्कुल झूठे होते थे । वे ऐसी तथाकथित घटना के बारे में होते थे जिनका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं था क्योंकि वे कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के बाद तैयार किये जाते हैं । तब यह सोचा जाता है कि हिरासत में लेने के क्या कारण घड़े जायें या क्या आधार दिया जाये । अब इस संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समूची भावना को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इसमें बिल्कुल विपरीत बात कही गई है जैसे कि यदि 5 कारणों में से एक कारण को छोड़कर बाकी सभी कारण अवैध पाये जाते हैं और केवल एक कारण वैध पाया जाता है तो हिरासत

सम्बन्धी आदेश पूर्ण रूप से वैध माना जाएगा। इसका अर्थ है कि नौकरशाही, पुलिस तथा प्राधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार मिल जाता है कि वे किसी को हिरासत में लेने के बाद उसके विरुद्ध झूठे आरोप पड़ते रहे। यह उनके प्रति किस प्रकार की भावना है। यदि कोई न्यायालय या कोई सलाहकार बोर्ड यह पाता है कि हिरासत के 5 या 6 कारणों में से एक की को छोड़कर शेष सभी बेकार, बिल्कुल झूठे, भ्रांतिपूर्ण, अस्पष्ट हैं और उनका उस व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं तो भी बिना विचारण किए उस व्यक्ति को जेल में अवश्य रखा जाए क्योंकि किसी प्रकार से हिरासत में लेने का एक कारण उस परिभाषा में नहीं समा सका है। यह नागरिक की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का मामला है। उसे किसी प्रकार कम नहीं किया जा सकता। यह पूर्णतया संविधान की भावना के विरुद्ध है। क्या यह उचित प्रतिबन्ध है, यह मैं आपसे ही पूछता हूं। आप सोचें। क्या वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर उचित प्रतिबन्ध है। अत: यह बिल्कुल निन्दनीय हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं। वर्तमान विधि को, जो काफी बुरी है और हमने उसका अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उस समय भी विरोध किया, जब उसे लाया गया था, अब 10 गुना अधिक कठोर, दमनीय, शक्तिशाली तथा क्रूर बनाया जा रहा है। हम इस संशोधन का बिल्कुल समर्थन नहीं करते और पुरजोर विरोध करते हैं। मुझे याद है कि जब यह अधिनियम लाया गया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा करना है। ऐसा मत सोचिए कि इसका प्रयोग राजनीतिक प्रयोजनों या राजनीतिक विरोधियों या कार्मिक संघों अथवा ऐसे लोगों के विरुद्ध किया जाएगा जो आर्थिक मांगों आदि के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं। इसका प्रयोग उनके विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

1.00 म० प०

प्रो० मधु दण्डवते : मीसा के बारे में भी कुछ गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उससे पूर्व भारत रक्षा अधिनियम के बारे में भी ऐसे आश्वासन दिए गए थे। यदि मंत्री जी, चाहें तो मैं उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए उन लोगों की सूची दे सकता हूं जिन्हें केवल इस कारण गिरफ्तार किया कि वे कार्मिक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे और श्रमिकों की मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। हर मामले में शिकायत करने वाले कारखानों के मालिक थे जिन्होंने अधिकारियों से शिकायत की थी कि उन लोगों को बन्द कर दिया जाए क्योंकि वे श्रमिकों को भड़काते हैं। इसका राष्ट्रीय सुरक्षा क्या सम्बन्ध है ? मैं पूछता हूं कि क्या किसी व्यक्ति को उसकी आजादी से वंचित करके बिना विचारण किए झूठे आरोह लगाकर जेल में बन्द कर देना चाहिए। स्पष्ट है कि कार्मिक संघ की गतिविधियों के कारण इन्हें जेल में बन्द नहीं किया जा सकता। अत: कुछ और घड़ने पड़ते हैं। श्री ए० के० राय, जो यहां बैठे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पास

होने के बाद उसके पहले शिकार बने। लेकिन बाद में उन्हें छोड़ देना पड़ा क्योंकि यह पाया गया कि उन्हें जेल में बन्द कराने का कारण केवल यह था कि वह नगर निगम के चुनाव में लगे थे और धनबाद में भी कुछ इसी प्रकार के कार्य में लगे थे और उन्हें मार्ग से हटाया जाना था। इसीलिए इस अधिनियम का प्रयोग किया गया। यह कितनी घटिया बात है। हम इस बात को जारी रहने नहीं दे सकते। अतः इस संशोधी विधेयक का जोर-शोर से विरोध होना चाहिए। सरकार को अभी भी यह कदम वापस ले लेना चाहिए और देशवासियों के समक्ष अपने काले मुंह को और काला नहीं करना चाहिए।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया तो हमने उसका डटकर विरोध किया था और लम्बे समय तक इसका विरोध किया गया था। यह तो इतिहास बन गया है। उस समय हमने यह आशंका और भय व्यक्त किया था क्योंकि हमें अनुभव से पता था कि इस प्रकार के कठोर उपायों का प्रयोग लोकतांत्रिक आंदोलनों, कार्मिक संघ के आन्दोलनों आदि को दबाने के लिए किया जाता है। यह बात फिर सिद्ध हो गई है। जैसा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है व्यक्तिगत राजनीतिक मामलों को निपटाने और राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है। हम ऐसे लोगों की सूची देने को तैयार है। हम सत्ताधारी दल के सदस्यों को याद दिला दें कि इतिहास में ऐसा भी हुआ है और यह विडम्बना है कि जिन्होंने इन निवारक उपायों का समर्थन किया था, उन्हें ही उसका शिकार बनना पड़ा। हम इस प्रकार शिकार होने वाले सत्ताधारी दल के कई सदस्यों के नाम बता सकते हैं।

इस संशोधी विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को अधिक कठोर बनाना है और प्रयोजन यह बताया गया है कि यदि कोई भी हिरासत का कारण सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि इस संशोधन द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति की सुरक्षा की प्रक्रिया और कमजोर बनाना है जो संविधान की भावना और मूल अधिकार सम्बन्धी अध्याय में विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विरुद्ध है। हम इस का विरोध करते रहेंगे।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का क्यों विरोध करता हूं इसलिए हार्दिक·····

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : हार्दिक या मार्मिक।

श्री रामविलास पासवान : सर्वप्रथम यह बिल, जो बुनियादी और मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए हैं, उसका उल्लंघन करता है। यह नेशनल सिक्योरिटी नहीं है बल्कि गवर्नमेंट, पार्टी और इन्डीविजुअल की सिक्योरिटी के लिए हमेशा ऐसा बिल लाया गया है। हम

कांस्टीच्युशन को यह मानकर चलते हैं कि इस देश में लेजीस्लेचर, ज्युडिशियरी और एक्जीक्युटिव अलग है। लेकिन जब सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला देता है तो वह सर्वोपरि हो जाता है। कभी जब उसको संसद द्वारा फायदा मिलने की बात आती है तो सरकार कहती हैं, संसद सर्वोपरि है जब संसद और कोर्ट में कोई मामला गले से नीचे नहीं उतरता है तब एक्जीक्युटिव को हैड बनाने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब वह हैड है, प्रधानमंत्री। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ एक्जीक्युटिव हैड और दोनों को तहस-नहस करने के लिए, जिसमें पार्लियामेंट और ज्युडिशिवरी की कोई वैल्ट नहीं रही है, उसको खत्म करने के लिए यह सब किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कहती है कि हम इसका इस्तेमाल तस्करों और ब्लैक मार्किटियर्स के खिलाफ करेंगे। लेकिन, इसका जब भी इस्तेमाल हुआ है वह हम लोगों के ऊपर, किसानों और ट्रेड यूनियनों के नेताओं के ऊपर हुआ है। हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे लोगों को आप छोड़ देते हैं। इस बारे में आज हम लोगों ने उठाया भी था। राव साहब तो बहुत सुलझे हुए विद्वान आदमी है। एक तरफ तो आप बिल को कड़ा करने के लिए लाते हैं कि हम पकड़ेंगे, और दूसरी तरफ पकड़े हुए आदमी को छोड़ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हाजी मस्तान और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक्जीक्युटिव को ऊपर लाना चाहते हैं, ज्युडिशियरी, संसद और लेजीस्लेचर की गरिमा को समाप्त करने के लिए। यह फण्डामेंटल राइटस का उल्लंघन है। इसका पीरियड आप दो महीने से छह साल के लिए करने जा रहे हैं। इसमें किसी को बतलाने का अधिकार नहीं रहेगा कि वह आदमी कहां बंद रखा गया और किस अवस्था में है, किसी को जानकारी नहीं हो सकेगी। यह राजनीति से प्रेरित है। यह उससे भी बदतर है जो एमरजेंसी के दिनों में मिला था। राव साहब से इतना ही आग्रह करूंगा कि अपने माथे पर यह बदनामी मत लीजिए। पहले भी जिक लोगों ने दिया है, उनके माथे पर कलंक का टीका लगा है। इसको विदड्रा कीजिए। हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप, हम लोगों को अल्पमत के आधार पर गिरा सकते हैं। पब्लिक के दिमाग में इस बिल का क्या रिएक्शन होगा ? इसको वह बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वह इसका विरोध करेगी। इस स्तर पर हम लोग इसका विरोध करेंगे।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का डट कर विरोध करता हूं जो न केवल क्रूर हैं बल्कि संविधान की भावना के भी विरुद्ध है। यह अजीब बात है कि स्वतन्त्रता के बाद से सत्ताधारी दल कांग्रेस (इ) निवारक नजरबंदी के बिना—चाहे निवारक नजरबंदी अधिनियम हो, या भारत रक्षा नियम हो या मीसा हो—देश का शासन नहीं चला सकती। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हमारे देश में जिस प्रकार गड़बड़ हो जाती है, अन्य लोकतन्त्र वाले देशों में भी होता है। जब वे क्रूर उपायों के बिना शासन कर सकते हैं तो समझ में नहीं आता कि हमारे देश में सत्ताधारी दल निवारक नजरबंदी के बिना क्यों नहीं सरकार चला पाता।

अन्य देशों में तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल युद्ध के समय होता है। सामान्य परिस्थितियों में इनका प्रयोग कभी नहीं किया जाता। मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने घोषणा की है कि वे निवारक नजरबंदी उपाय नहीं अपनायेंगे।

मेरा निवेदन है कि पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था की स्थिति पड़ौसी राज्यों से, जिनमें कांग्रेस (इ) की सरकारें हैं, काफी अच्छी हैं। त्रिपुरा में भी, जहां बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, उन्होंने निवारक नजरबंदी और सुरक्षा अधिनियम का सहारा नहीं लिया। पता नहीं केवल कांग्रेस (इ) सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती ? जैसा मेरे सहयोगी ने कहा, ऐसा राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। उन्होंने इसका प्रयोग अवैध गतिविधियों को रोकने या अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हां। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरा राजनीतिक उद्देश्य अपने लोगों की आजादी की रक्षा करना है। मेरी राजनीति उनकी तरह जन-विरोधी नहीं बल्कि जनता-उन्मुख है।

मेरा विश्वास है कि यह विधेयक संविधान की भावना, लोकतन्त्र और लोगों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। इसीलिए मैं इस विधेयक के पेश किये जाने का विरोध करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं नहीं जानता कि सरकार को हो क्या गया है। वह केवल कठोर विधानों से इस देश पर शासन करने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूं कि माननीय गृहमंत्री केवल एक बहुत सज्जन पुरुष तथा एक बहुत योग्य व्यक्ति ही नहीं हैं अपितु एक स्वतन्त्रता सेनानी भी हैं। उनको जबकि वह गृहमंत्री हैं, तो हमें ऐसे हानिकर विधान की आशा नहीं थी। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि यह विधेयक सभा के सामने लाया गया है जो केवल एक कठोर विधेयक ही नहीं है बल्कि यह एक काला विधेयक भी है।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह पूर्णतया संविधान के उपबन्धों और नागरिकों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा है :

> "कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराए गए बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जाएगा और न अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जाएगा।"

अत: यह विधेयक संविधान के इस अनुच्छेद के पूर्णतया बिरुद्ध है और यह नागरिकों का मूल अधिकार है। अत: यह विधेयक पूर्णतया अलोकतंत्रीय है, असंवैधानिक है और नागरिक के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। यह विधेयक न केवल कठोर और हानिकर विधेयक है, बल्कि यह एक काला विधेयक है, जो "आंतुका" का स्थान लेगा जिसे आपातकाल के दौरान लाखों लोगों पर लागू किया गया था।

संभवत:, सरकार उन काले दिनों को फिर से लाने की सोच रही है। परन्तु मैं इस समय सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि ऐसा संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि भारत के लोग इसका आखिरी दम तक विरोध करेंगे। अत:, इस आधार पर कि यह एक कठोर तथा अलोकतंत्रीय विधेयक है, मैं इसका पुर:स्थापना के समय ही विरोध करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर उपस्थित मेरे माननीय साथियों ने इस प्रस्तावित विधान के विरुद्ध जो कहा है, मैं, उन बातों को दोहराये बिना, इस बात को कहने के लिए उनके साथ हूं कि यह एक कठोर, जन-विरोधी और काला विधेयक है। परन्तु महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि जब कांग्रेस (इ) सत्ता में आती है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तभी क्यों होता है। आपने यह विधेयक 1980 में बनाया था।

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : क्या आप यह कहना चाहते है कि केवल कांग्रेस (इ) सरकारें इसका प्रयोग कर रही हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : मैं अन्य लोगों के बारे में नहीं जानता। आप ही बताइये, क्योंकि आपने अपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : तब तक टिप्पणी मत करें जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं यहां पर आपको सुनने के लिए ही हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वामपंथी मोर्चे की सरकार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वह इसका प्रयोग नहीं करेगी। वही ऐसी सरकार है, जिसने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि वह इसका प्रयोग नहीं करेगी।

श्री सतीश अग्रवाल : राव साहिब आपने उद्देश्यों और कारणों के अपने कथन में यह उल्लेख किया है और मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"राज्य सरकारें भी इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन के लिए अनुरोध करती रही है।"

मैं यह जानना चाहूंगा कि वे कौन सी राज्य सरकारें हैं। मेरी इच्छा है कि इसके बारे मुझे जानकारी दी जाए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : परन्तु यह सच है कि आप 1980 में यह राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक लाए। 1980 में, जब आप सत्ता में आए, इसे कानून बनाया गया। अत: जब आप सत्ता में आते हैं इस राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाता है और विमानों का अपहरण होने लगता है। इन सभी पिछले वर्षों में कुल 11 बार विमानों का अपहरण हुआ है। इनमें नौ अपहरण आपके सत्ता में आने के बाद हुए हैं। जब आप सत्ता में नहीं थे, तब केवल दो बार विमान अपहरण की घटनाएं हुए तक तब हुआ जब जनता दल सत्ता में था। वह भी कांग्रेस के व्यक्तियों द्वारा किया गया था जिन्हें अब विधान सभा का सदस्य बना दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जनता को विपक्ष को सत्ता में लाना चाहिए ताकि विमानों का अपहरण न हो। क्या आप यह कहना चाहते हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : यह सत्य है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह सौ फी सदी सही है।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, अनुभव से यह पता चला है कि ऐसे कठोर विधानों की सहायता के बिना भी इस देश का शासन चलाया जा सकता है। मैं समझता हूं और मानता हूं कि कभी-कभी कुछ निरोधात्मक उपाय करने आवश्यक हैं। इस पर बिल्कुल ही रोक नहीं है। कुछ विधानों का हमने भी समर्थन किया है। परन्तु आप इस तथ्य के बारे में जानते होंगे कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन हमें 26 जून, 1975 को नजरबन्द किया गया था। और इसका आधार क्या था ? रात को 2 बजे जो हमें नजरबन्दी का जो कारण बताया गया था वह यह था कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर दंगे कर रहे थे। यह वेतुका है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता।

अत: ऐसे विधेयकों का, इनको लागू करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा गलत उपयोग किए जाने की संभावना है। और प्रधानमंत्री ने भी यह स्वीकार किया था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत अच्छा था परन्तु उस समय के अधिकारियों ने इसका गलत उपयोग किया था।

महोदय, मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। खण्ड 3 के इस परन्तुक में यह उपबंध किया गया है कि यदि ऐसे किसी मामले में, जिसमें ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किए गए पूर्वतर निरोध-आदेश के अवसान या वापस किए जाने के पश्चात् कोई नए तथ्य उत्पन्न नहीं हुए हैं, उस अधिकतम अवधि का जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को पश्चात्वर्ती निरोध-

आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जा सकेगा, विस्तार किसी भी दिशा में, पूर्वतर निरोध-आदेश के अधीन निरोध की तारीख से 12 मास की अवधि के अवसान से अधिक नहीं होगा।

परन्तु यदि आप उस विशेष निरोध आदेश को वापस भी लेते हैं तो इसका आशय यह है कि उसके पश्चात् भी वह बारह मास के लिए नजरबंद रह सकता है। यह बहुत अस्पष्ट है और संत लोगोवाल के मुकदमें में एक वकील के रूप में जैसाकि मेरा अनुमान है, इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

अतः उस विशेष मामले के संबंध में आपको इस सभा में एक और संशोधन प्रस्तुत करना होगा। मैं केवल एक वकील के रूप में बोल रहा हूं। बस इतना ही इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।

जब हम इस विधेयक का विरोध करने वाले थे, तब श्री बूटा सिंह कुछ बोले थे। उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा का विरोध कर रहे हैं। महोदय, आप हिन्दी नहीं समझते, इसलिए मैं इसे अंग्रेजी में समझाऊंगा। जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने बहुत सारी गायें आगे खड़ी कर दीं, क्योंकि हिन्दू गायों की हत्या तो करेंगे नहीं। और इस बात का सहारा लेकर उसने सारे देश पर आक्रमण किया और भारत को जीता।

अतः आप भी एक तरह से हमारे आगे गायें खड़ी कर देते हैं और कहते है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा है और हमें विधेयक को पारित करना पड़ेगा। अतः इस तरह आप अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा है, सुरक्षा का वातावरण, यह है वो है—की आड़ में हमारे समक्ष प्रत्येक विधेयक रखना चाहते हैं, ताकि हम सभी विधेयकों को पारित कर दें। निश्चय ही कुछ उपाय समझ में आते हैं, परन्तु इस तरह से नहीं। इसलिए मैं गृह मंत्री से, जिन्हें इस नाजुक समय पर बहुत ही कठिन कार्य सौंपा गया, अनुरोध करूंगा कि इस गृह मंत्रालय में उन्हें अपने कार्य-करण के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि पिछले चार वर्षों के दौरान हमने कई गृह मंत्रियों को कार्यभार संभालते हुए देखा है, कई मुख्य मंत्रियों को आते-जाते देखा है, कई गृह मंत्रियों को आते-जाते देखा है।

आप बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के रूप में, एक सज्जन व्यक्ति के रूप में, एक शिक्षित व्यक्ति रूप में और सात-आठ भाषाओं की जानकारी रखने वाले एक विद्वान व्यक्ति के रूप में, विपक्ष की पूर्ण सहानुभूति आपके साथ है।

महोदय, सारा विपक्ष उनका सम्मान करता है परन्तु, अपने अधिकारियों की बात मानकर इस जाल में मत फंसिए जो आपको यह विधान अथवा वह विधान लाने के लिए कहते

हैं। इन उपायों से कोई सहायता नहीं मिलेगी। इन मामलों में जो व्यक्ति इन्हें लागू करते हैं, उन्हीं से सहायता मिलेगी। महोदय, महाराष्ट्र में हाजी मस्तान, करीम लाला तथा अन्य उन्नतालीस व्यक्तियों को 'कोफेपोसा' के अधीन नहीं, अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था। उन्हें महाराष्ट्र में उन व्यक्तियों को शस्त्र देने के लिए गिरफ्तार किया था, जिन्होंने बम्बई में सांप्रदायिक दंगों में भाग लिया था। और उन्हीं व्यक्तियों को महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा उनको रिहा करने के बारे में आप मुझसे स्पष्टीकरण की बात मत करें, आप गृह सचिव से पूछें।

अब केन्द्रीय सरकार भी यह कह सकती है और आप यह कहने में समर्थ होंगे कि हमें इससे क्या लेना है, क्योंकि यह तो राज्य सरकार ने ही नजरबन्दी आदेश जारी किए, और राज्य सरकार ने ही नजरबन्दी आदेश जारी किये। परन्तु राव साहिब, फिर भी यह एक केन्द्रीय कानून है और यदि कुछ राज्य सरकारों द्वारा किन्हीं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तथा कुछ राजनीतिक दबाव के अधीन, इसका गलत उपयोग हो रहा है ताकि भूतपूर्व मुख्य मंत्री के साथ संबंध सुधारे जायें, और यदि कुछ व्यक्तियों को रिहा किया जा रहा है तो इससे देश की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है और आपको इसके विरुद्ध रक्षा करनी होगी और और इसी लिए इस विशेष विधेयक का मैं विरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, 21 जून की आधी रात को हमने एक और गलत बात होते देखी। सभा का सत्र आरम्भ होने से चार सप्ताह पहले एक अध्यादेश द्वारा इस संशोधन को लाया गया था। महोदय, हम तो समझते हैं कि यह सरकार लोगों के छोटे से छोटे अधिकारों को छीनने के लिए दिन रात लगी हुई है और यह आश्चर्यजनक विधेयक, जो एक भ्रष्ट मस्तिष्क की भयानक उत्पत्ति है किसी अन्य शब्द से इसकी संज्ञा देने के लिए मैं नहीं सोच सकता—और जो लोगों के समक्ष आया है, सिवाय अत्याचार के कुछ भी नहीं है। कृपया इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विधेयक के विस्तार में नहीं जा सकता। न आप ही अपने आप कर सकते।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह केवल आपको इसके बारे में अवगत करने के लिए है। जो घोर अत्याचार और विकृति की जा रही है, उसको देखें। 10 कारण देकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। उनमें से नौ कारण किसी व्यक्ति के लिए अस्पष्ट काल्पनिक असंगत असम्बद्ध अथवा अप्रमाणिक हो सकते हैं। परन्तु अब इस प्रकार के नजरबन्दी आदेश को भारत सरकार की शह प्राप्त रहेगी। यह आश्चर्यजनक स्थिति है।

अत: यह भी स्वीकार किया गया है कि ऐसे कारणों के बताने की भी परवाह किए बिना जिनका सम्बन्ध तथ्यों अथवा सच्चाई से हो, इस कानून का प्रयोग अन्धाधुंध किया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि' जहाँ तक मेरी बात है मैं श्री राव का प्रशंसक हूं परन्तु मैं नहीं जानता कि अब उन्हें किस विकृत विधान को लागू करना है।

महोदय, इस देश में निवारक निरोध कानून केवल अभी नहीं, हमेशा से ही रहा है। यह केवल 1968-69 में नहीं था क्योंकि तब आप—मेरा आशय है आपके नेता —साम्यवादी दल के प्रशंसक बन गए थे क्योंकि आपको उसका समर्थन चाहिए था। इस समय निवारक निरोध अधिनियम का नवीकरण नहीं किया गया था और वे अस्थाई कानून थे। 1971 में सरकार 'गरीबी हटाओ' के नार के साथ फिर सत्ता में आई। और 1971 का अथवा पांचवीं लोक सभा का और मुझे याद है श्री राव आप भी उस सरकार में थे—पहला विधान, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (आंसुका) था। उसके बाद 1977 में, इसी लोक सभा में, हम सब के दबाव के अधीन जनता सरकार ने उसे वापस लिया था। परन्तु, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (आंसुका) की तरह एक और कानून भी बना था, अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अत: उसे भी वापस लिया गया। जब आंसुका नहीं था, तब भी देश बना रहा। अब, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं। जैसे ही आप 1980 में सत्ता में फिर से आए, आपने फिर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, निवारक निरोध कानून पुन: स्थापित किया है। हमें यह बताया गया था कि देश को टुकड़े-टुकड़े होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 बनने के पश्चात् हम असम को देख चुके हैं, पंजाब को देख चुके हैं। हम देख चुके हैं 'मीसा' या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के खुले दुरुपयोग के बावजूद विभाजक ताकतों का नियन्त्रण से बाहर होना है। इस वर्ष के आरंभ में उन्होंने कौन सी समस्या हल की इस वर्ष, अप्रैल में वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का संशोधन लेकर आ गये जिसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ तक सीमित था परिणाम थी सैनिक कार्यवाही।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अप्रैल, 1984 के आरंभ में विशिष्ट तथा पंजाब, हरिभाणा और चण्डीगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को संशोधित करने की क्या उपयोगिता थी।

"राष्ट्रीय सुरक्षा" का नाम ढोंग के सिवाय कुछ नहीं है। हमें विधेयक पर विस्तार से बोलने का अवसर मिलेगा। मैं जानता हूं कि दुर्भाग्य से सरकार विधेयक को वापिस नहीं लेगी वे उसे पुरःस्थापित करने पर बल देंगे और हम उसका हर स्तर पा विरोध करेंगे। परन्तु इसे "राष्ट्रीय सुरक्षा" नाम देकर यह स्वांग क्यों रचा जा रहा है ? मेरा कहना है कि जहां तक मेरे मित्र की सरकार और पार्टी का संबंध है इस देश में नागरिक स्वतन्त्रता सदैव खतरे में रही है। वे नागरिक अधिकारों के शत्रु हैं। वे इस सरकार के लिए अभिशाप हैं। इसीलिए वे

इनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वे इनका राजनीतिज्ञों, श्रमिक संघ नेताओं, छात्र नेताओं और श्रमिकों के विरुद्ध खुला दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा हमारा अनुभव रहा है।

अत: हम सिद्धान्त रूप से विरोध करते हैं और इस विधेयक को पुर: स्थापित करने में हम इस सरकार की संस्कृति का विरोध करते हैं। यह जन-विरोधी है और हर स्तर पर हम इसका विरोध करते रहेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बताया गया है कि इस विधेयक को ऐसे समय पर लाया गया है, जब देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। देश के कुछ भागों में आंतकवादी गतिविधियां पनप रही हैं और देश में अस्थिरता है।

मेरे पास 1929 की केन्द्रीय विधान परिषद का कार्यवाही वृत्तान्त है। मैं इसी सभा में 8 और 11 अप्रैल, 1929 को हुए वाद-विवाद का उल्लेख करूंगा, जबकि एक बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस सभा में जन सुरक्षा विधेयक वाम-विद्रोह के लिए लाया जा रहा था और श्री विट्ठलभाई पटेल पीठासीन थे। 8 अप्रैल, 1929 को इस सभा में दो बम फेंके गये थे। ऐसी उत्तेजक परिस्थिति के अधीन भी अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल ने विधेयक को बन्द करके अपना विनिर्णय दिया कि इस विधेयक को वापिस लेना पड़ेगा और कहा !

"मैं इस विधेयक की इस आधार पर अनुमति नहीं दूं कि मेरठ षड्यन्त्र का मामला चल रहा है जिस पर न्यायालयों में वाद-विवाद और चल रही है। और जो उन सुरक्षा विधेयकों से संबंध है ?" उन्होंने कहा "मैं न्यायालयों की कार्यवाही को विचलित और विकृत करना नहीं चाहता हूं जब कि उनमें वही मामला चल रहा है।" और वास्तव में उन्होंने विनिर्णय दिया।

"मैं इस सभा को इस मामले पर और आगे चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।" यह कोई काल्पनिक बात नहीं है —

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : वे स्वर्णिम दिन थे।

प्रो० मधु दण्डवते : विट्ठलभाई पटेल के दिन स्वर्णिम दिन थे। हमें यह बात कभी भूलनी चाहिये।

व्यापार विवाद विधेयक को पहले ही पास कर दिया गया था और जन सुरक्षा विधेयक आने वाला था। मध्यावकाश आने वाला था और उस मध्यावकाश के दौरान, भगतसिंह और उनके सहकर्मियों ने दो बम्ब फेंक दिए। यह समाचार छपा था :

"इसी समय दर्शक दीर्घा से दो बम्ब फेंके गये और वे सरकारी सदस्यों द्वारा ग्रहण की गई बैन्चों के बीच फट गये जिससे कुछ सदस्यों को चोट आई०। भगदड़ मच गई और अध्यक्ष प्रेसीडेन्टा महोदय उठकर चले गये। कुछ मिनट के बाद अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) महोदय फिर पीठासीन हो गये)।

अध्यक्ष महोदय : बड़ी ही दुखद और निन्दनीय घटना को देखते हुए, मैं सभा को बृहस्पतिवार प्रात: 11 बजे तक स्थगित करना चाहता हूं।"

श्री के० मायातेवर डिन्डिल) : अगले दिन ग्यारह तारीख थी जब केन्द्रीय विधान सभा की बैठक हुई और अध्यक्ष महोदय ने कहा :

"अब मैं जन सुरक्षा विधेयक पर अपना विनिर्णय देना चाहता हूं।"

मैं विनिर्णय में उनके समग्र तर्क को यहां नहीं रखूंगा कि क्या विधेयक पुर: स्थापित किया था, क्या इसे विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था और क्या वाद-विवाद को अन्तिम विचारण की अनुमति दी गई थी।

"किसी भी अवस्था में, मैं अपने प्राधिकार का प्रयोग कर सकता हूं और यदि मैं यह अनुभव करता हूं कि जन-हित में और विधानांग के हित में यह देखना आवश्यक हो जाता है कि इसे चर्चा को रोक दिया जाए तो उस स्थिति में मैं यह विनिर्णय दूंगा कि यह चर्चा आगे नहीं चलनी चाहिये।"

मैं उनके विनिर्णय के केवल अन्तिम पैराग्राफ को पढ़कर सुनाऊंगा :

"मेरा यह मत है कि यद्यपि किसी नियम या स्थायी आदेश में इस प्रस्ताव को नियम विरुद्ध घोषित अधिकार की बहुत से शब्दों में व्याख्या नहीं की गई है तथापि आवश्यक निहितार्थ और साहश्यता से बात खड़ी होती है और मैं और भी संतुष्ट हूं किसी भी स्थिति में, पीठ को किसी प्रस्ताव को इस आधार पर नियम विरुद्ध करार देने का निहित अधिकार है कि यह प्रस्ताव सभा के स्वरूप और प्रक्रिया का पुरुपयोग कर रहा है जैसा कि मेरे विचार से यह प्रस्ताव कर रहा है। अत: मैं इसको नियम विरुद्ध करार देता हूं।"

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह नियम 35 वर्ष पूर्व बनाया गया था ! आप भी कोई ऐतिहासिक विनिर्णय दीजिए जिससे कि भावी पीढ़ियां इसका अनुसरण कर सकें और 35 वर्ष बाद इसे उद्धृत कर सकें। इन कार्यवाही वृत्तान्तों में से कुछ भी निकाला नहीं गया था।

श्री रतनसिंह राजदा : आपको इससे प्रेरण लेनी चाहिये। वे महापुरुष थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं कई वर्षों तक विपक्ष में बैठा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपको विपक्ष में वापिस आने का शीघ्र ही अवसर मिलेगा। चिन्ता मत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अभी भी विपक्ष में हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, मैं एक और साक्ष्यता प्रस्तुत करना चाहता हूं। पांचवी लोक सभा में जिसका कि मैं सदस्य था जब वाद-विवाद की समाप्ति पर मीसा विधेयक को प्रस्तुत किया गया, जबकि श्री प्रधान मन्त्री महोदय श्रीमती इन्दिरा गांधी उपस्थित थी गृह मन्त्री महोदय श्री उमाशंकर दीक्षित उपस्थित थे, मैंनेखड़े होकर कहा था कि "हमने वाद-विवा दकी हर अवस्था में इस विधेयक का विरोध किया है।

हम अन्तिम विरोध दर्ज कराना चाहते हैं कि आपके विगत को देखते हुए, इस बात की पूरी संभावना है कि आप इस मीसा का प्रयोग, इस देश के चोटी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं, श्रमिक संघ नेताओं और किसानों के हित लड़ने वालों के विरुद्ध करेंगी।"

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री उमाशंकर दीक्षित उठ खड़े हुए और कहा "हम इस सदन को औपचारिक आश्वासन देते हैं कि राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और श्रमिक संघ के नेताओं को मीसा के अधीन नहीं पकड़ा जायेगा।"

यह सब बातें लोक सभा की कार्यवाही में सम्मिलित की गईं और जब आपात स्थिति लागू की गई तो मीसा के अन्तर्गत सर्व प्रथम लोक नायक जय प्रकाश नारायण श्री मोरार जी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरणसिंह को गिरफ्तार किया गया था। लोक नायक जय प्रकाश नारायण को राष्ट्र विरोधी या असामाजिक तत्व करार नहीं दिया जा सकता है जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो। परन्तु इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी संख्या में श्रमिक संघ के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता पकड़े गये और उससे बढ़कर आपातकाल के दौरान अधिकारियों ने वास्तव में ऐसे गुल खिलाए कि इस मीसा और अन्य कानूनों का लाभ उठाते हुए, उन्होंने साईक्लोस्टाइड आदेश तैयार कर लिए जिसके ऊपर अधिकारियों के हस्ताक्षर ले लिए जाते थे और नाम बाद में भर लिए जाते थे। एक बार वे महाराष्ट्र के थाणे जिले में गयें जहां एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दिखाया और पूछा।

"सज्जन कहां हैं ?" धरनी ने कहा "उनका चार वर्ष पूर्व देहावसान हो गया और यदि आप वाटंट तामील करना चाहते हैं तो स्वर्ग में जाइये।" ऐसी कई घटनाएं घटी थीं ?

वास्तव में कुछ न्यायालयों ने जिस ढंग से ये वारंट जारी किए गये थे, उसकी बहुत ही कठोर शब्दों में निन्दा अपेक्षित की थी। मैंने यह पृष्ठ भूमि मीसा के अपने अनुभव को उल्लिखित करने के लिए दी है ? उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया । उसके बाद भी वही आश्वासन दिया गया और हम देखते हैं कि कुछ श्रमिक संघ नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को असम और पंजाब में और अन्य स्थानों पर इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह मामला न्यायालय में पहले ही लम्बित पड़ा है ।

मैं केवल दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास कीजिए । आप 12 मिनट से अधिक समय तो पहले ही ले चुके हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें बहुत व्यवधान डाला गया था और आपने भी व्यवधान डाला था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवधान कभी नहीं डाला ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं । यदि आप उच्च-न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों को देखें तो आप पायेंगे कि बहुत से मामलों में, जब सभा देश याचिकाओं के माध्यम से नजरबन्दी के मामले न्यायालयों के समक्ष आए तो उन्होंने कहा कि जब कभी नजरबन्दी आदेश में कारणों का उल्लेख किया जाता है तो सम्बद्ध अधिकारियों को अपने विवेक से काम लेना चाहिये और किसी भी सही नजरबन्दी आदेश पर सही विवेक से काम लेना चाहिये और किसी भी सही नजरबन्दी आदेश पर सही विवेक से काम लेना अपरिहार्य है । उनका मत यह था कि अपने विवेक से काम न लेकर दमनकारी और स्वेच्छाचारी अधिकारियों द्वारा 10 या तुच्छ कारण रखे जाने की और मौका आजमाने की संभावना है जबकि सम्भाव्यता के कानून में एक ही कारण सही हो सकता है और उस स्थिति में यदि न्यायालय ने कहा है कि सारा आदेश सही है—

उपाध्यक्ष महोदय : अंतः आप इसके पुरः स्थापन का विरोध करते हैं । कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : यहां उन्होंने एक संशोधन रखा है जिसके अनुसार आधारों, कारणों की विच्छेदता को स्वीकार नहीं किया जायेगा । वे अनुभव करते हैं कि यदि 20 आधार जिनाए जाते हैं और केवल एक कारण सही उतरता है और 19 को तुच्छ सिद्ध कर दिया जाता है तो भी नजरबन्दी आदेश लागू रहेगा ।

एक और मुद्दा है, जिसका कि उल्लेख नहीं किया गया है। नजरबन्दी की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।

अतः हर प्रकार से यह कानून अधिक दमनीय है। हमने मूल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विरोध किया था। अब इस संशोधी उपाय का विरोध करने के तो अनेक कारण हैं। इस लिए मैं इस स्वर पर भी मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापस ले लें। यदि मंत्री जी इसे पास पारित करा लेते हैं तो इतिहास में यह लिखा जायेगा कि यह गृह मंत्री मृदुवक्ता लेकिन नागरिक स्वतंत्रता के बारे में अत्यन्त कठोर खर्चे वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि इतिहास में उनके लिए ऐसा लिखा जाये। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह सभा की भावना को समझकर इसे वापस ले लें।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। प्रो० मधु दण्डवते ने बताया है कि जब इकटठे अनेक कारण दिये जाते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। आपको अच्छी तरह पता है कि रिट के रूप में जो भी मामले उच्च न्यायालय में जाते हैं वे वाद-योग्य नहीं होते क्योंकि उन कारणों की विधि मान्यता या उन कारणों की वस्तु परकता पर विचार नहीं किया जाता। उच्च न्यायालय आत्मपरक आधार पर किसी आदेश को रद्द करता है। वास्तव में वर्तमान संशोधन को इस लिए लाया गया है ताकि 1941 में विष्णु तालपड़े के मामले में हुए निर्णय को निष्प्रभावी किया जा सके। क्या आपको पता है, यह कैसे होगा ?

सारे कारणों के संयुक्त प्रभाव के आधार पर नजरबन्दी अधिकारी निर्णय लेगा। यदि उनमें से एक गलत है तो यह तर्क कैसे दिया जा सकता है कि शेष कारण नजरबंदी का आदेश देने हेतु पर्याप्त हैं। क्या आप हमें किसी तरह विश्वास दिला सकते हो कि बिना बिचार किये कोई आदेश कैसे दिया जा सकता है और इसका पता कैसे चले कि सारे कारणों को एक-साथ लेने का क्या प्रभाव होगा... (**व्यवधान**)... । इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर उन कारणों पर विचार नहीं कर सकता। आत्मपरकता द्वारा आप यह पता लगाने की अनुमति नहीं देते कि क्या उस पर भली भांति विचार किया गया है अथवा नहीं। न्यायालय द्वारा उस पर निर्णय लेने की भी अनुमति नहीं दी जाती। का यह न्याय पाने से वंचित करना नहीं है ? आप तो एक व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं।

आप उसे बचाव में कुछ कहने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मामले के गुण-दोष की बात तो छोड़िये आप तो आत्मपरक विचार की अनुमति भी नहीं देते। यह तो वास्तव में उसे न्यायालय में जाने देने से रोकना है और मेरे ख्याल के यह संविधान के विरुद्ध है मूल अधिकार और न्यायालय का कोई अस्तित्व तो है। मैं आपको बताऊं कि इस सभा के एक सदस्य की यू० एम० त्रिवेदी की नजरबंद करने का एक कारण यह भी दिया गया था कि वह टेलीफोन के खाने पर चढ़कर तार काट रहे थे। उस समय उनकी आयु 68 वर्ष थी और उनकी एक टांग खराब थी ऐसे कारणों से हमें कष्ट सहने पड़े।

मैंने स्वयं नजरबंदी के 200 मामले निबटाये हैं। एक मामले में यह कारण दिया गया था "कि यह आदमी मूछों पर ताव देता है।" क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितना नुकसान होता है।

मैं इसका विरोध करता हूं और यदि कोई सरकार देश की सामान्य विधि के आधार पर प्रशासन नहीं चला सकती और असाधारण शक्तियां...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या तब आपकी मूंछे थीं ?

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने उसका मुकदमा लड़ा था... ((**व्यवधान**) जो सरकार देश की सामान्य विधि के अनुसार देश का शासन नहीं चला सकती तो में कहूंगा कि वह असफल है। ये सभी विशेष विधियां अस्थायी हैं। विश्व के सभी देशों में अस्थायी विधियां हैं। जब चौधरी चरण सिंह दंड प्रकिया संहिता में संशोधन लाना चाहते थे तो मैंने उसका विरोध ही नहीं किया था बल्कि एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया और फलस्वरूप वह विधि नहीं लायी जा सकी। इसी प्रकार जब मध्यप्रदेश में नजरबंदी कानून लाया गया तो मैंने उसका विरोध किया था मैं उन थोड़े से व्यक्तियों में से था जो विरोध कर सकते थे।

मैं समझता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है जिस पर विचार किया जाये। अंत में मैं कहूंगा कि आप चाहे जितनी विधियां बना लें लेकिन जब तक उनके कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त तंत्र नहीं बनाया जाता तब तक आप सफल नहीं हो सकते। शक्ति प्राप्त करलो और लोगों को न्याय से वंचित करो। लोगों की आजादी छीन लो—क्योंकि एक चीज आपके पूर्ववर्ती ने तैयार कर ली है इस लिए आप उससे बच नहीं सकते। अब सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पता नहीं क्या चीज है मुझे समझ में नहीं आता इसका क्या लाभ है ? एक वर्ष हो या दो वर्ष, यह न्याय और मूल अधिकारों के बिल्कुल विरुद्ध है। अत: मैं इसका विरोध करना हूं।

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : यह सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय हम विधेयक के गुण-दोष पर विचार नहीं करते। अत: मैं समझता हूं कि पेश किये जाते समय विधेयक का सांकेतिक रूप में विरोध किया जा रहा है। इस लिए में विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं सर्वप्रथम यही कहता हूं कि यह विधेयक असंवैधानिक नहीं है जैसी कि इसकी आलोचना की गई है। इससे मैं बिल्कुल इन्कार करता हूं। यह संविधान के उपबन्धों के अधीन किया गया है यह संख्या। ...(**व्यवधान**)...क्योंकि इसे उठाया गया है, इसलिए मैं संक्षेप में उत्तर...

प्रो० मधु दण्डवते : यह संविधान की भावना के विरुद्ध है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : दूसरी बात यह है कि यह ऐसे विधान में संशोधन

है जो पहले ही विधान पुस्तक में है। इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया है जिसके कई कारण हैं और जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो बता देंगे।

मेरे विचार से यह एक तर्कसंगत संशोधन है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि यदि 10 में से 9 कारण अस्पष्ट हैं और केवल एक कारण वैध है तब यह विधेयक कहता है कि नजरबंदी अधिकारी को विश्वास है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद करने के पृष्ठ आधार हैं तो क्या एक ही कारण उस निर्णय को बदल सकता है। ...(**व्यवधान**)... किसी विशेष मामले में आत्मपरक रूप में निर्णय की उचितता पर विचार किया जा सकता है। इस विधि को लागू करने का आत्मपरक निर्णय लेने के बाद हम प्रक्रिया सम्बन्धी भाग पर आते हैं। वह है कि कारण देने होंगे। अब 20 कारणों में से 10 कारण उचित और 10 अनुचित हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि हर कारण की अपनी विधि मान्यता होनी चाहिये। यह समग्र रूप, से कारणों का का पुंज नहीं होना चाहिये।

श्री एन० के शेजवलकर : प्रश्न यह है कि नजरबंदी अधिकारी किस बात को वह कारण समझता है जिसके आधार पर नजरबंदी आदेश जारी किया गया है। यह कारणों की संख्या नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं यही कह रहा हूं। यदि अनेक कारण हैं और यदि हर एक कारण की अपनी विधि मान्यता है, अपनी स्टीकता है और तथ्यात्मकता है...(**व्यवधान**) यदि आप सिद्धान्त रूप से निवारक नजरबंदी के विरुद्ध हैं, तो बात दूसरी है। मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हम उस पर तब आयेंगे जब हम सभा में इसकी बांधनीयता या कतिपय परिस्थितियों में उसकी जरूरत पर चर्चा करेंगे। यह तथ्य कि इसे संविधान में रखा गया है, इस बात का पक्का सबूत है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी परिस्थितियों की कल्पना की थी जिनमें यह जरूरी हो जायेगा (**व्यवधान**)। हम केवल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे कारण अलग हो सकते हैं या नहीं। इन कारणों को निश्चित रूप से अलग करके देखा जा सकता है और यदि यह निर्णय लिया गया है कि किसी विशेष मामले में इस विधि को लागू किया जाना है तो केवल इस बात से कि कुछ कारण अस्पष्ट हैं, विधि को लागू करने की बात अवैध नहीं हो जाती। इसी बात के आधार पर यह संशोधन लाया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका अर्थ है कि आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहे। कोफेपोसा में इसी प्रकार की समानान्तर विधि है। हमारा प्रयास है कि यह विधान वास्तव में प्रभावी बने। इस बात में कोई सार नहीं कि विधि तो बने लेकिन वह निष्प्रभावी हो।

मेरा विचार है कि विधान नागरिक हथियार है। यदि यह निष्प्रभावी है तो विधान मण्डल का यह कर्त्तव्य है कि यह प्रभावी बने।

प्रो० मधु दण्डवते : 'कोफेपोसा' आर्थिक अपराधियों के लिए है। आप इसका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध कर रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह : यह अलग बात है कि इसका प्रयोग कैसे किया गया है। महोदय, विपक्षी सदस्यों ने मुझे सन्देह का लाभ दिया है क्योंकि मैं इस मंत्रालय में अभी आया हूं। मैं इस के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें बता दूं कि मैं पता लगा रहा हूं कि इसका प्रयोग कैसे किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने तो इसे एक भी मामले में लागू नहीं किया है। मैं जरूर इस बारे में देखूंगा...

एक माननीय सदस्य : यह तो एक बहाना है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह बहाना नहीं है। यह एक तथ्य है ; और

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप ने हथियार चला दिया है। आप ने इसे हथियार कहा है और मन चाहे दुरुपयोग के लिए अन्य लोगों को दे दिया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह वह हथियार है जो विशेष परिस्थितियों में जरूरी हो जाता है।

एक माननीय सदस्य : केन्द्र यह स्वयं न करके आप हमें राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार करा रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, यह संशोधन सीमित प्रयोजन के लिये है और इसलिए हमें इस विधेयक के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं।

सोमनाथ चटर्जी : इसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना है। कृपया इस बारे में विचार करें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं निश्चित रूप से कानून द्वारा निर्धारित तरीके को छोड़कर इसके प्रयोग किए जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा हूं। ऐसा प्रत्येक कानून के साथ होता है। प्रत्येक कानून का दुरुपयोग हो सकता है और उचित रूप से प्रयोग हो सकता है। यह सुनिश्चित करना विधान मंडल और कार्यपालिका का कार्य है कि प्रत्येक कानून का उचित रूप से प्रयोग हो। यह बिलकुल अलग पहलू है। महोदय, चूंकि इसके विरोध में सभी मुद्दों को मिला दिया गया है, अतः अपनी रक्षा करने को इसमें मिलाना संभव नहीं है।

जब हम संशोधित विधेयक पर विचार करेंगे तो इस पर मुद्देवार किया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 19 0 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, सांकेतिक विरोध के रूप में हम सभा से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात दंडवते और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

1.50 म० प०

राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या की ओर से मैं राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8534/84]

1.51 म० प०

आंतकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंतकवादी क्षेत्रों में कुछ अपराधों के शीघ्र विचारण के लिये और उससे संबंधित के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित की अनुमति दी जाये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को दो मिनट से अधिक नहीं दूंगा और

वे केवल इसके संवैधानिक औचित्य और कानूनी पहलू पर बोलेंगे। आपको इस चरण में ब्यौरे बताने की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि आंतकवादी क्षेत्रों में कुछ अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री चित्त बसु : महोदय, मेरा पहला मुद्दा यह है कि में इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ टिप्पणियां की हैं कि संसद के सत्र के पूर्व अध्यादेश जारी न किए जायें और मेरे विचार से आप माननीय अध्यक्ष महोदय की टिप्पणी को अस्वीकार कर रहे हैं। महोदय, यह विशेष अध्यादेश 13 जुलाई को जारी किया गया था और लोक सभा का अधिवेशन 23 जुलाई को बुलाया गया था। लोक सभा की बैठक के लिए केवल 9 दिन बाकी रह गये थे। अत: अध्यादेश के प्रख्यापन का उल्लंघन हुआ है और इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई टिप्पणियों का भारी असम्मान किया गया है। महोदय यह निर्विवाद तथ्य है कि यह परोक्ष रूप से लाया गया विधान है जिसे लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, यह अध्यादेश जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार का अनुमान है कि देश के सभी भागों में यहां तक की इस सदन में भी आतंकवादी विद्यमान हैं। यदि कुछ क्षेत्रों में थोड़ी सी सामान्य स्थिति है तो किसी सिद्धात पर इस विधेयक की मेरे द्वारा विरोध करने के बारे में कुछ संदेह हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस स्थिति को मानती है कि इस प्रकार के कठोर कानून को देश के सभी भागों में लागू किया जाये। ऐसा अनुमान नहीं है। अपराध सर्वव्यापी होते हैं। अपराध ऐसे हैं कि उनके लिए किसी व्यक्ति को फंसाया जा सकता है और एक आतंकवादी की परिभाषा के बारे में—आप मुझे चर्चा करने की अनुमति नहीं देंगे—कि इस समय आपको भी एक आतंकवादी कहा जा सकता है।

इस विधेयक के विरोध करने का एक कारण गुप्त मुकद्दमा चलाना है। गुप्त मुकद्दमा चलाना निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की आत्म-रक्षा के अधिकारों को नकारता है और यह मेरी वास्तविक आशंका है कि आत्म-रक्षा का अवसर दिए बिना गुप्त मुकद्दमा चलाये जाने पर मनमाने ढंग से आदेश पास किए जा सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है जिसमें कानून की समानता स्वीकार की गई है। लोगों के एक वर्ग पर खुले न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जाये और कुछ अपराध करने वाले व्यक्तियों के एक अन्य वर्ग को इस अधिकार से वंचित किया जाये जो कानून के सामने समानता का मूल अधिकार है।

इस विधेयक में एक अन्य हानिकर उपबंध मूल अधिकार से संबंधित है। यह अध्यादेश अपने को निरपराध प्रमाणित करने के लिये दोषी पर दायित्व डालता है जो अभियोग पक्ष पर डाले गए दायित्व के वर्तमान उपबन्धों के विपरीत है। आप किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अध्यादेश में उपबंध है कि इस बात को प्रमाणित करने का दायित्व दोषी पर होगा कि संबंधित व्यक्ति निरपराध है जो सभी अधिनियमों में सामान्य मामलों में अभियोग पक्ष पर है।

अत: यह विधेयक एक कठोर विधेयक है। यह संविधान के उपबंधों के विपरीत है यह संविधान के उपबन्धों के विपरीत है यह सर्वव्यापी और एक दमनकारी विधेयक है और इसका लक्ष्य जैसा कि मैं महसूस करता हूं मतभेद की आवाज को चुप कराना है। आप अनेक बहाने लेकर किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस विधेयक को लागू कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरुप देश के नागरिकों की निजी स्वतंत्रता को समाप्त कर सकते हैं। मैं महसूस करता कि इन अपराधों के लिए देश के विद्यमान कानूनों के अधीन मुकद्दमा चलाया जा सकता है। इसके लिए इस प्रकार के किसी असामान्य बिधान की आवश्यकता नहीं है।

अत: मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं और मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक का विरोध करने में सदन मेरा साथ देगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक नया विधेयक है। इस सदन में हम सभी आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों का स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं। इसका यह आशय नहीं है कि हम उस प्रत्येक विधान का समर्थन करें जो इन आतंकवादी गतिविधियों के दमन के नाम पर यहां पर लाया जाता है।

1.59 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

यहां पर एक प्रश्न है कि एक विशेष विधेयक किस प्रकार तैयार किया गया है कि यह थोड़े से संदेह और बिना किसी प्रमाण के किसी व्यक्ति के खिलाफ प्राधिकारियों द्वारा की जा रही अन्धाधुन्ध कार्यवाही की अनुमति दे सके। यहां पर मैं देखता हूं कि इस विधेयक की धारा 20 में वास्तव में एक अन्य अधिनियम का दूसरा संशोधन पुर:स्थापित किया

2.00 म० प० जा रहा है। धारा 20 का उद्देश्य 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम मे संशोधन करना है। मैं 1872 कह रहा हूं जब हम में से कोई भी यहां पर नहीं था, जब यहां पर यह सदन नहीं था, जब यहां पर ब्रिटिश शासन था। इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : क्या आपका यह तर्क है कि यह संशोधन अब असामयिक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निश्चित रूप से यह बुद्धिमतापूर्ण नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम अधिनियमों का संशोधन करते रहे हैं। हम 1842 के अधिनियम में भी संशोधन करते रहे है।

श्री इन्द्रजीत सिंह : बिलकुल ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए। आप बिहार के कोल्हन क्षेत्र में परेशान न होते जहां पर लोग कहते हैं कि स्वाधीनता के बाद भी वहां पर अभी तक ब्रिटिस नियम लागू हैं। आपने नियमों में परिवर्तन नहीं किया है। आपने इस बारे में कुछ नहीं किया है।

अब इसका प्रयोजन क्या ? इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए संशोधन का प्रभाव क्या है ? जैसा कि श्री चित्त बसु ने उल्लेख किया है इसका एकमात्र अभिप्राय गिरफ्तार किए व्यक्ति अथवा दोषी व्यक्ति पर अपने को निरपराध प्रमाणित करने का पूरा दायित्व सौंपना है। उसे दोषी माना जायेगा। महोदय, यह किस प्रकार तैयार किया गया है। इसमें कहा गया है—

> "यदि यह दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था जब किसी ऐसे सशस्त्र बल या बलों के, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है, ऐसे सदस्यों पर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने के लिए या उनके प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उससे अग्नायुधों या विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता यह उप धारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है।"

यह आश्चर्यजनक है ! इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन आतंकवादी विक्षुब्ध क्षेत्र के रूप में पूरा क्षेत्र परिभाषित किया गया है। पूरा राज्य हो सकता है। मेरे विचार से इस समय पूरे राज्य की परिभाषा की गई है अर्थात पंजाब राज्य की आतंकवादी विक्षुब्ध क्षेत्र के रूप में परिभाषा की गई है। वास्तव में इस क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थान हैं और मान लो इन स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियां जारी रखी गई हैं और यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि मैं उस क्षेत्र में हूं...

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादव) : उस क्षेत्र से होकर जा रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस समय, जब तक मैं प्रमाणित नहीं कर सकता कि मैं निरपराध हूं, यह मान लिया जाएगा कि मैं भी इन आतंकवादी गतिविधियों के लिए दोषी हूं। यह क्या है ?

इससे नौकरशाही और पुलिस को मनमर्जी करने की छूट मिल जाएगी। मैंने अभी-अभी

माननीय मंत्री को एक मामला भेजा है। हो सकता है कि उन्होंने इसे नहीं पढ़ा हो। वह बहुत व्यस्त हैं। वास्तव में, मैंने उन्हें ऐसे ही एक मामले के बारे में दो पत्र लिखे थे।

श्री मोहिन्द्र सिंह अमृतसर के पास काठानियां गांव में रहते थे। उनकी भूमि रक्षा प्राधिकारियों ने अपने किसी कार्य के लिए अपने कब्जे में कर ली है। पंजाब में हो रही गड़बड़ी के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है। उस भूमि पर लोगों की जो इमारतें थीं, जैसे कि, मवेशी घर, फार्म भवन आदि। उन्हें गिरा दिया गया है। उस सामान को कुछ लोग चोरी छिपे वहां से उठा रहे हैं। श्री मोहिन्द्र सिंह, जिन्होंने 18 वर्ष सेना में सेवा की है और अब सेवा-निवृत हैं, की एक अन्य व्यक्ति से उनके सामान की चोरी के बारे में कहा सुनी हो गई। उस व्यक्ति ने, जो सेना में सूबेदार है, मोहिन्द्र सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी। और जब यह घटना हो चुकी, तो यह कहा गया कि श्री मोहिन्द्र सिंह संदिग्ध आतंकवादी थे।

सच यह है कि उनका आतंकवादियों या आतंकवादी आंदोलन से कोई सरोकार नहीं था। उस गांव का कोई भी व्यक्ति इस बात की गवाही देगा कि वह काफी सम्मानित व्यक्ति थे। वह एक बूढ़े आदमी थे। लेकिन इस अपराध को छिपाने के लिए, जो कि सेना के सूबेदार ने किया है, अब यह कहा जा रहा है कि मोहिन्द्र सिंह एक संदिग्ध आतंकवादी थे। मात्र इस बात से कि वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, वह अपने आप आतंकवादी कहलाने लगते हैं, जब तक कि वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध न कर दें।

मैंने मंत्री महोदय से इस मामले की सही छानबीन करने के लिए कहा है। मैं इस प्रकार के घोर अन्याय का एक उदाहरण मात्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि हो सकता है। हम शक्ति के दुरुपयोग से डरते हैं, आपके द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को दबाने का हमें डर नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: इसका संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत सिंह: आप हमेशा की तरह यह कहेंगे कि हम लोग तो कानून बनाते हैं। इसका कार्यान्वयन और लोगों के हाथ में हैं। ये और लोग कौन हैं? वे नौकरशाह हैं। वे विभिन्न राज्यों के कार्यकारी अधिकारी हैं। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं, गम्भीर दुरुपयोग की सदैव सम्भावना रहती हैं। और यह समूचे देश पर लागू होता है। आप क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं। लेकिन इस विधेयक में कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: जब तक क्षेत्र विनिर्दिष्ट न किया जाए, कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसके लिए आपको अलग से एक अधिसूचना जारी करनी होगी। मेरे विचार में यह एक नए ढंग का विधान है जो इस देश में पहले कभी नहीं लाया गया। यह कुछ ऐसा कानून है जिसमें असीम शक्तियां दी गई हैं। अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं। ऐसी व्यापक परिभाषाएं दी गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस कानून के शिकंजे में लाया जा सकता है। सर्वप्रथम इसकी पंजाब में आजमाइश की जा रही है।

श्रीमन्, आप अध्यक्षपीठ पर आसीन हैं। मुझे खुशी है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप इसके प्रभाव की ओर गौर करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसके पास हो जाने बाद क्या होता है। मैंने केवल एक मामले का उद्धृत किया है, जो उस क्षेत्र से मेरे ध्यान में लाया गया था। अब बहुत से मामलों में निर्दोष लोगों को आतंकवादी करार दे दिया जाएगा। उन्हें पकड़कर विशेष न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। मुकद्दमा गुप्त रूप से चलेगा और उसके बाद उन्हें लम्बी सजाएं, आदि दे दी जाएंगी।

बेशक, जब संशोधनों आदि की बात आती है, जिन्हें हम प्रस्तावित करते हैं, हम इसे करेंगे, अर्थात् अगले चरण में। यह इस समय नहीं किया जा सकता। लेकिन इस विधेयक के पीछे समूचा सिद्धान्त यह है कि : क्या वे देश में इससे पहले बिना इस विधेयक के आतंकवाद को दबा पाने में सफल नहीं हो पाए ? अचानक यह विधेयक इतना अनिवार्य हो गया है, जिसके बिना वे आतंकवाद को नहीं दबा सकते। मेरी समझ में यह बात नहीं आती। उन्हें कोई युक्ति-संगत बात कहनी चाहिए, कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अब अचानक इस प्रकार का क्रूर कानून क्यों लाया जा रहा है। ये आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं हैं। विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां वर्षों से चल रही हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल देश में, और विशेषकर कुछ बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों में, ऐसी गतिविधियां चलती रहेंगी। लेकिन इससे पहले इसे कभी आवश्यक नहीं समझा गया।

और उसके बाद, कौन से अपराध हैं जो आपको इस अधिनियम के जाल में ला सकते हैं ? उन्होंने कहा है : उन सभी अपराधों को जो भारतीय दंड संहिता, बिस्फोटक अधिनियम, भारतीय तार अधिनियम, आयुध अधिनियम, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, सिविल विमानन सुरक्षा हेतु विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, यान हरण निवारण अधिनियम; लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम, आदि आदि के अनेक वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत परिभाषित किए हैं; इसमें लाया गया है। यदि मेरे पास समय होता, तो मैं इनमें से कुछ उपबन्धों, जो पहले से मौजूद हैं, कि शब्द योजना से दिखाता कि आप श्रमिकों की हड़ताल को भी इसके अन्तर्गत ला सकते हो। (**व्यवधान**) जी हां, आप ला सकते हैं। सेवाओं में व्यवधान का अर्थ है समुदाय के लिए अनिवार्य सेवाएं। इस वाक्य को इसमें से उठाकर उन श्रमिकों पर लागू किया जा सकता है जो अधिक वेतन या बोनस या किसी अन्य चीज के लिए हड़ताल पर हैं। क्या

यह आतंकवाद है ? जी नहीं। इसलिए, आप कृपया यहां प्रयुक्त किए गए अपने शब्दों के बारे में सावधान रहिए।

मैं केवल यह कह कर समाप्त करूंगा। "आतंकवादि" शब्द की परिभाषा में जो विधेयक के खन्ड 2(1) (ज) में दी गई है, यह कहा गया है :

"आतंकवादी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यक्तियों की निर्मम हत्या करता है.....

ठीक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है।

"या हिंसा करता है....."

यह 'और' नहीं बल्कि 'या' है। इन दोनों को अलग भी किया जा सकता है। इन सभी का एक साथ अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं हैं। इनमें कहा गया है :

"व्यक्तियों की निर्मम हत्या करता है, या हिंसा करता है या समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं या संचार साधनों को भंग करता है....."

इस 'या' शब्द से आप इसे इसके अन्तर्गत किसी भी हड़ताल पर लागू कर सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हड़ताल का उससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 'सेवाओं का भंग होना'— इसके अन्तर्गत किसी भी चीज को लाया जा सकता है : उदाहरण के लिए 'सप्लाइज'। आप कह सकते हैं कि किसी मिल के श्रमिकों ने कपड़े की सप्लाई भंग की।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : विभिन्न कानूनों में इसकी व्यवस्था है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, वे विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत आते हैं। लेकिन यह कानून भी उन पर लागू किया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आप विभिन्न नियमों के अन्तर्गत दमन कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसे सन्देहास्पद बनाने की बजाए इसे स्पष्ट क्यों नहीं कर देते और इनको बदल क्यों नहीं देते ? मैं नहीं जानता कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ऐसा किया जाने वाला है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नौकरशाही को असीम शक्तियां दी गई हैं। हम जानते हैं कि वे कैसा व्यवहार करते हैं, और हम जानते हैं कि उनका समूची जनता तथा देश के लोक तांत्रिक आन्दोलनों के प्रति क्या रवैया है। हम इसके विरुद्ध हैं, क्योंकि हम इसे इसके मौजूदा रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि हम आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध नही हैं, हम उसके विरुद्ध हैं। हम इस सदन में और सदन से बाहर कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि नौकरशाहों के हाथ में इस प्रकार का हथियार नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, यह सरकार कुछ देर पहले एन० एस० ए० की आड़ में और अब आतंकवादी एरिया विधेयक की आड़ में क्या-क्या करना चाहती है, उसका पता नहीं ? हमारे राव साहब उसको बाखूबी, विद्वत्तापूर्ण, कानून की आड़ में और संविधान की आड़ में उसको एक जैसी चीज समझते चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इसको लागू करने वाले रहें तो आप पर तो विश्वास किया जा सकता है।

लेकिन जब आपको ही मालूम नहीं कि आप कितनी देर रहेंगे, कितने दिन गद्दी पर रहेंगे तो भविष्य की गारन्टी लेना न आपके लिए उचित है और न मेरे लिए उचित है। एक्ट एक्ट होता है और फैक्ट फैक्ट होता है। लेकिन जब कोई एक्ट अफसरों के हाथों में जाता है तो वे उसका अपने तरीके से प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक्ट एक्ट के स्थान पर रह जाता है और फैक्ट फैक्ट के स्थान पर आ जाते हैं।

सभापति जी, मैं आपको बिहार का एक उदहरण देना चहता हूं। राम दुलारी सिन्हा जी बिहार से आती हैं, इनको मालूम होगा और हमारे कई साथी, दोनों पक्षों में बैठने वाले, वहां से आते हैं, उनको भी जानकारी होगी कि वहां की राजधानी पटना को पूरा आतंकवादी एरिया घोषित कर दिया गया है। आतंकवादी एरिया घोषित करने के पीछे सिर्फ कारण यही है कि वहां कुछ शैड्यूल्ड कास्टस के गरीब लोग सरकार से न्यूनतम मजदूरी देने की मांग कर रहे हैं, वहां के एग्रीकल्चर लेबरर मिनिमम वेजेज एक्ट की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग पर, किसी को नक्सलाइट के नाम पर मारा जा रहा है तो किसी को किसी दूसरे नाम पर। वहां पर बड़े बड़े लोगों, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सब की सांठ गांठ से पूरे एरिये को आतंकवादी एरिया घोषित किया गया है। उसका विस्तार किया गया और नालन्दा तक बढ़ता जा रहा है।

हमारे डूमर लाल बैठा जी पूर्णिया जिले से आते हैं, वहां भी यही हाल है। कोई जिला वहां ऐसा नहीं है जिसके किसी न किसी भाग को आतंकवादी क्षेत्र घोषित न किया गया हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बन्दर के हाथ में भाला देने का काम मत करिए, उसको आपने पहले से ही काफी हथियार दे रखे हैं। बन्दर को आप तोप चलाने का मौका मत दीजिए।

यहां हमारे साथियों ने बताया कि ऐसा बिल आना चाहिए और कब लाना चाहिए, लेकिन जब सरकार चाहती है, कोई भी बिल ले आती है। मैं इसीलिए इसका विरोध कर रहा हूं कि आतंकवाद के नाम पर आतंकवाद को फैलाने का मौका मत दीजिए।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप ईमानदारी से राव साहब अपनी छाती पर हाथ रख कर कहिए कि जब महाराष्ट्र में पुलिस रायट्स हुए, महाराष्ट्र में कम्यूनल रायट्स भी हुए, भोंसले साहब के जमाने में पुलिस रायट्स हुए, सेना में भी हुए तो वहां आपने आतंकवादी एरिया घोषित किया। लेकिन बिहार में जहां मजदूर अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, लैंडलैंड लेबरर अपने अधिकारों की मांग कर रहा है उस एरिया को आप आतंकवादी एरिया घोषित कर देते हैं। मेरा कहना सिर्फ यही है कि इस बिल का प्रहार समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर ही होगा और उनके खिलाफ ही इसे इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और बड़े लोगों की सांठगांठ होगी।

मैं जानता हूं कि आप यही जवाब देंगे कि हमारा इंटेंशन पंजाब से है। लेकिन पंजाब में 6 अक्तूबर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, जिसको अब एक साल पूरा होने वाला है, पहले पंजाब में चीफ मिनिस्टर फेल होते थे, अब गवर्नर भी फेल हो गए हैं। जबकि गवर्नर राष्ट्रपति के नौमिनी होते हैं। आपका राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में फेल हो चुका है। क्या आप अब वहां पर कोई नई लोकप्रिय सरकार बनाने की बात भी सोचेंगे या ऐसे ही टैररिस्टस एरिया के नाम पर सेना, फौज और पुलिस को ही वहां का शासन सुपुर्द करते जाएंगे। इस तरह से तो हिन्दुस्तान की आत्मा, हिन्दुस्तान के लोकतंत्र का लगातार ह्रास होता जा रहा है और जल्दी ही वह समय आ जाएगा कि जब इनको पावर का चस्का लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं फिर इस देश का क्या होगा। इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं और जमकर विरोध करता हूं क्योंकि फैक्टस के बारे में मैं जानता हूं।

मुझको इसका फेट मालूम है। और एन० एस० ए० में क्या हुआ वह अलग चीज है। लेकिन इस आतंकवाद एरिया की वजह से गरीब लोग मारे जायेंगे। कोलहन में कोई राज्य की मांग हो रही है। सैकड़ों साल से वहां के आदिवासी लड़ रहे हैं। पहले वह जंगल की लकड़ी काट सकते थे। लेकिन आज नहीं काट पा रहे हैं। उनकी जवान लड़कियां दातून बेचने पटना आती हैं, सन्थाल परगना से पटना आती हैं, उनके साथ छेड़ खानी की जाती है। अब जब उनको किसी प्रकार की लकड़ी नहीं मिलेंगी तो वह जब बेचारा भूखा मरेगा तो क्या करेगा ? जब भी कोई अपने अधिकार के लिए मांग करेगा तो आप पूरे सन्थाल परगना को टैररिस्ट एरिया घोषित करेंगे, समाज के कमजोर वर्ग के लोग, हरिजन, आदिवासी अपना अधिकार मांगेंगे तो आप उसको टेररिस्ट एरिया डिक्लेयर कर दें, यह कहां तक उचित होगा। मेरा निवेदन है कि ऐसा करना सरकार के लिए भी खतरनाक चीज है, और वह भी ऐसी सरकार के लिए जो अपने को जनप्रतिधि सरकार कहती हैं।

आप अपने अधिकार को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में न दीजिए वर्ना किसी दिन यह आपके गले का ही फंदा बन सकता है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बजाय कानूनी दांव पेंच में जाने के जो व्यावहारिक कठिनाई लोगों को होगी उसको आप समझें और इस बिल को वापस ले लें।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, इस सरकार ने संसद की बैठक से पूर्व अध्यादेश जारी करने की प्रथा बना ली है। 14 जुलाई को यह अध्यादेश जारी किया गया था। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार ने ऐसा क्यों किया ? सभा की बैठक 23 जुलाई को होने जा रही थी। उन्होंने इस सदन का अनादर, अनादर ही नहीं अपितु तिरस्कार करने का फैसला ही कर लिया है। यह केवल सदन के विपक्षी सदस्यों का ही नहीं अपितु सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का भी अपमान है। वास्तव में अध्यादेश किसी अति-आवश्यक परिस्थिति में ही जारी किए जाते हैं। क्या मंत्री महोदय यह सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि जिसमें सदन का सत्र आरम्भ होने से पूर्व अध्यादेश जारी करना जरूरी हो गया था। क्या आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आप संसद को महत्वपूर्ण नहीं समझते और वस्तुतः यह आपका काम करने का तरीका है। अन्यथा आप इसे उचित कैसे ठहरा सकते हैं ?

दूसरे इसके बारे में मुझे सरकार की निष्ठा रूप सदेह हैं। आपने आतंकवादी क्षेत्र विधेयक प्रस्तुत किया है। परन्तु क्या आप इसके विषय में गंभीर हैं, ईमानदार है ? मैं आपको ऐसा उदाहरण दे सकता हूं जिससे पता चलेगा कि आप जो कहते हैं वह करते नहीं हैं।

पंजाब में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया था। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। निहालसिंह हरिज्ञा बेलावाला शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया था। उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पास शस्त्र थे, क्योंकि वह आतंकवादी था। लेकिन उसे बाद में छोड़ दिया गया और अब वह स्वर्ण मंदिर में चल रही 'कार सेवा' का एक नेता है। कृपया इसका सत्यापन कीजिए। उसका नाम निहाल सिंह हरियां बेला वाला है। उसे पहले गिरफ्तार किया गया और फिर छोड़ दिया गया क्योंकि उसने कहा था कि वह 'कार सेवा' में भाग लेगा, और आपने इस आतंकवादी को भी छोड़ दिया।

इससे पहले, हम देख चुके हैं कि हाजी मस्तान को छोड़कर आपने अपराधियों के प्रति किस तरह अपनी उदारता दिखाई है और राजनैतिक विरोधियों पर आप किस तरह से कठोर नियम लागू करते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य आग बरसाना है। मेरा उत्तर है नहीं। पंजाब में सभी अधिनियम, हैं जैसे निवारक नजरबन्दी, राष्ट्रीय सुरक्षा, दंगा ग्रस्त क्षेत्र आदि---लेकिन ऐसा क्यों है कि आप स्थिति पर नियन्त्रण नहीं कर सके ? पंजाब में पूरी अवधि के दौरान आपने वास्तव में कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया ? आप देखेंगे कि आसाम तथा

पंजाब में भी केवल प्रशासन असफल ही नहीं हुआ अपितु यह प्रशासन की उदासीनता या अयोग्यता अथवा उनके सक्रिय सांठ-गांठ के कारण हुई । वास्तव में आज जो कुछ हो रहा है वह यह कि पंजाब तथा आसाम में सांप्रदायिक दंगों अथवा वहां व्याप्त अशांति में स्वयं पुलिस बल अन्तर्ग्रस्त हो रहा है । आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं ? क्या इन गतिविधियों को मात्र इन अधिनियमों से रोकना संभव है ? मैं समझता हूं यह सम्भव नहीं है । यदि ऐसा सम्भव नहीं है, तो इसका प्रयोजन क्या है ? ऐसा क्यों है कि समान्य विधि से प्रक्रिया से आप देश नहीं चला सकते ? हमारे गृह मंत्री विद्वान । कई बातों की जानकारी है । मैं उन्हें 'मगना कार्य' के दिनों की याद दिलाना चाहता हूं । बहुत समय पहले लोगों ने शासकों निरंकुश सत्ता के विरुद्ध लड़ाई की । तब से इतिहास निरंकुशवाद के विरुद्ध संघर्ष का गवाह है । मैं गृह मंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि सत्ता भ्रष्ट कर देती हैं । इसने आपको भ्रष्ट किया है । परमाधिकार दुश्चरित्र बना देता है । यह आपको पूर्णत: भ्रष्ट करने जा रहा है क्योंकि आपके पास इस बारे में भी कोई सूचना नहीं होगी कि एक आम पुलिस वाला क्या करेगा । स्थानीय थाना, जिसके पास असाधारण शक्ति होगी, उत्पीड़न का स्थल बन जाएगा ; प्रभारी अधिकारी निरंकुश होगा । इससे आप सभी पुलिस वालों को निरंकुश बना रहे हैं । यह वास्तव में हास्यास्पद है । यह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके मन में लोकतन्त्र की भावना है, यह कहना हास्यास्पद प्रतीत होगा कि दोष सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त का है । नहीं, यह सरकार का कर्त्तव्य हैं, यह उस व्यक्ति का कर्त्तव्य है जो दोष लगाता है । वही सभ्य शासन है । इस सरकार के शासन में हम पुन: आतंकवाद की ओर जा रहे हैं । यदि ऐसा हैं, तो यह बड़ा खतरा होगा । मैं समझता हूं कि यह सरकार जनता से अलग हो रही है । सरकार जनता से जितनी ही अलग होगी उसे उतना ही प्रशासन और अवपीक्क तन्त्र हर निर्भर रहना पड़ेगा । अवपीड़क तन्त्र, स्वैच्छिक और असाधारण शक्तियों का प्रयोग किसी राज्य द्वारा बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है । मुझे इसका विश्वास नहीं होता कि समूचे भारत में असाधारण परिस्थतियां है । मैं समझता हूं कि उन्हें भय है कि आपकी आर्थिक नीति से, जिस तरह से वे देश को चला रहे हैं, जनता से बिल्कुल अलग होने जा रहे हैं और वे जान बूझकर अवपीड़क तन्त्र तथा प्रशासन पर निर्भर है । यह खतरनाक है । मैं इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने का विरोध करता हूं । मैं गृह मंत्री को चेतावनी देता हूं क्योंकि दूसरे व्यक्तियों की गलतियों के रूप में, जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा वह विकृत विधेयक पेश कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि उन्हें एक सज्जन पुरुष, विद्वान और उदार राजनीतिज्ञ होने के नाते इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए । उन्हें स्वयं को इतिहास में सबसे बुरा विधेयक पेश करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए । मुझे आशा है कि अब भी वह सद्बुद्धि से काम लेंगे और इस विधेयक को वापिस ले लेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, पुर:स्थापन की अवस्था में हमें विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु मैं कुछ टिप्पणियां रिकार्ड करना चाहता हू । मुझे याद है एक

बार गांधी जी ने 'युधा भारत' में लिखते समय कहा था कि कोई भी सरकार या राज्य जो दमनकारी उपाय करना या कानून बनाना चाहता है वह लोकतांत्रिक दृष्टि से कमजोर है। जहां तक वर्तमान सरकार का सम्बन्ध है, हमें यही अनुभव हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि आतंकवाद रोका जाए, किन्तु जब कभी विभिन्न राज्यों में आतंकवाद या कोई अन्य हिंसात्मक गतिविधियां कुछ अन्य समस्याओं से मिल जाती हैं तब समस्या का राजनैतिक समाधान ही हिंसा अथवा आतंकवाद या संघर्ष के वातावरण को समाप्त कर सकता है। इस पर बल देना होगा। वे गलत रास्ता अपना रहे हैं और इसीलिए उन्हें ऐसे उपाय करने की जरूरत महसूस हो रही है।

जहां तक आतंकवाद का सम्बन्ध है, उन्होंने इतना चौड़ा जाल बिछा लिया है कि मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से पूर्णतः सहमत हूं कि हममें जो भी कार्मिक संघ आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन या विभिन्न संघर्षों-आदिवासी संघर्ष, विभिन्न वर्गों के संघर्ष से सम्बद्ध है, उन्हें किसी न किसी तरह इसके अन्तर्गत लाया जाएगा। वह कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य कानून भी हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती है कि विभिन्न अधिनियम या कानून बनाने के अवसर का लाभ उठाया जाए। आवश्यक सेवाएं अधिनियम हैं। अतः यदि संचार सेवा में बाधा डालने के आधार पर किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जाता है, तो उसके लिए विशेष उपाय किया गया है। लेकिन जैसे नजरबन्दी के विभिन्न तरीके हो सकते हैं और इसलिए उन्होंने आवश्यक सेवाएं अधिनियम के रूप में एक कानून बनाया हुआ है, आतंकवादियों के लिए भी एक कानून है। बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति मंडल आयोग के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन किए जाने के लिए आंदोलन करता है, अथवा भाषायी राज्य बनाए जाने के लिए संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई सदस्य थे, वे·····वापिस आ गए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आंध्र आन्दोलन भी।

प्रो० मधु दण्डवते : आंध्र में भी आंदोलन हुआ था, गुजरात में भी आंदोलन हुआ था इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंसा हुई यदि कोई यह निर्णय करता कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन अथवा आंध्र आंदोलन या गुजरात में हुए आंदोलन को वास्तव में आतंकवाद अधिनियम जैसे कानूनों का उपयोग कर रोका जा सकता है, तो यह उनका भ्रम है इसका राजनैतिक समाधान खोजा जाना चाहिए था, और जिस क्षण राजनैतिक समाधान खोजा गया, हिंसा का वातावरण बिल्कुल समाप्त हो गया। यहां तक कि जिन लोगों ने हिंसा भड़काने का प्रयत्न किया, वे भी उससे पृथक हो गए, उन्हें लोगों का समर्थन नहीं मिला। अतः राजनैतिक समाधान अधिक महत्वपूर्ण है।

अब इस विधेयक विशेष को देखते हुए, में महसूस करता हूं कि यदि आज गांधी जी जीवित होते, तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने इस बारे में क्या सोचा होता ?

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भी गांधी जी अहिंसात्मक माध्यम अपनाने के लिए वचनबद्ध थे किन्तु जब भी गांधी जी ने आंदोलन चलाया था तो इतिहास के छात्र होने के नाते आपको मालूम है कि चौरी-चौरा कांड हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं उन्होंने उसके बाद आंदोलन बन्द कर दिया था किन्तु फिर भी उसमें हिंसात्मक घटनायें घटी थीं। गांधी जी ने यह रवैया नहीं अपनाया था कि उस आंदोलन में जिन लोगों का हाथ था, उन्हें फांसी दे दी जाए अथवा गेल भेज दिया जाए। ऐसा करने से समस्या नहीं सुलझनी थी। उन्होंने राजनैतिक समाधान ढूंढने की चेष्टा की थी। उन्होंने एक अभियान चलाया था। उन्होंने एक अभियान चलाया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अहिंसा का तरीका बेहतर हैं। और आपको ध्यान होगा कि उसके बाद चौरा-चौरा की कहानी की पुनरावृत्ति बड़े पैमाने पर नहीं हुई। यहां यह बात मैं अवश्य स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं अपने कुछ मित्रों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इससे अधिकारी तन्त्र को फांसी लगा दो। जब मैं मंत्री था तब भी मैं इस बात का दोषी था। रेल मन्त्री के रूप में मैं यह स्पस्ट कर दिया था कि रेल प्रशासन की असफलता के प्रति मैं उतना ही उत्तरदाई हूं और अपना उत्तरदायित्व अधिकारी तन्त्र पर नहीं डालूंगा, जितना कि रेल विभाग की अच्छी उपलब्धि के प्रति में भी उत्तरदाई हूं। इसलिए, यह एक स्थिति विकसित हो रही है कि हर बात के लिए अधिकारी तन्त्र में दोषी ठहराना। मैं कहता हूं कि यदि अधिकारी तन्त्र को सरकार के रुख का और मंत्री के रुख का पता हो उन्हें लोगों को मनमाने ढंग से परेशान करने का साहस नहीं होगा। जब किसी विशेष अधिकारी तन्त्र को यह पता हो कि श्रम मंत्री श्रमिकों के प्रति कठोर नीतियां अपनाना चाहते हैं और तब यदि वह 500 व्यक्तियों को निकालना चाहते हैं, तो अधिकारी तन्त्र 600 व्यक्तियों को निकाल बाहर करने को तैयार रहेगा। ऐसे मामलों में निदेश सदा राजनैतिक नेतृत्व की ओर से दिये जाते हैं। इसलिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि इससे शक्ति अधिकारी तन्त्र के हाथों में केन्द्रित हो जाएगी। वास्तव में, जब ऐसे साधन उपलब्ध हैं, तब इससे गलत निदेश ही प्राप्त होंगे।

महोदय, आपको शायद याद होगा कि हमारी प्रधानमंत्री के पिता स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान एक बार यह नारा दिया था कि 'यदि आजादी खतरे में हो, तो अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी रक्षा करो।' आपातकाल के दौरान पंडित नेहरू के इस अभिलेख 'जब आजादी खतरे में हो तो अपनी पूरी ताकत के साथ उसको रक्षा करो' को नेशनल हैराल्ड ने प्रकाशित किया था। यह आदेश दिए गए थे कि इस अभिलेख को हटा दिया जाए क्योंकि उस समय आपात कालीन समय था और यह महसूस किया गया था कि यदि नेशनल हैराल्ड 'जब आजादी खतरे में हो तो अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी रक्षा

करो' जैसे नारे को प्रकाशित करता है तो हो सकता है कि जनता उसे आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए आवाहन समझे। इसलिए जब तक आपात स्थिति रही यह अभिलेख हटा दिया गया था।

मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई साधन हों तो आप सभी प्रकार के लोकप्रिय आंदलनों को दबाने के लिए उसका लाभ उठाया जाता जो लोग कर्मचारी संघ आंदोलन को चला रहे हैं, उनके विरुद्ध आतंकवाद की आड़ में यह दलील दीं जाएगी कि यद्यपि वे हिंसात्मक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तथापि उन्होंने ऐसा भाषण दिया था जिससे हिंसा भड़क सकती है और इसलिए उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए। यदि भाषायी आंदोलन किया जाता है, तब भी वे लोग यही बात करेंगे, यदि मंडल आयोग का प्रतिवेदन लागू करने के लिए आंदोलन किया जाता है, तब भी वे लोग यही बात कहते हैं, वही कार्य वाही की जाएगी। यदि आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग, जो अब पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं, अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं तो उनको यही कहा जाएगा कि 'आपने संघर्ष का जो रास्ता अपनाया है वह आतंकवादी रास्ता हो सकता है और इसलिए आपके हित में तथा प्रतिष्ठान के हित में यही बेहतर होगा कि आपको हिरासत में रखा जाए और कार्य वाही की जाए।

इस विधेयक के बारे में गृह मंत्रालय के एक कर्मचारी ने जो व्यवस्था की है उसे देख कर मुझे आश्चार्य और क्षोभ हुआ है इन्डियन एक्सप्रैस ने उसे शीघ्र प्रकाशित किया था। उस कर्मचारी का कहना है कि जब किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में बंदी बनाया जाता है और जब उसे इस कानून के दायरे में लाया जाता है तब जिस व्यक्ति पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति का यह दायित्व है कि इस बात को सिद्ध करे कि वह आतंकवादी नहीं है। मेरे लिए इतना ही समझ लेना पर्याप्त था। किन्तु उसके अनन्तर वह एक कदम आगे बढ़ गया और उसने कहा कि यह भी महिलाओं के साथ हिरासत में हुए ब्लात्कार से संबंधित कानून के समान ही है। हिरासत में रहते हुए यदि किसी महिला के साथ ब्लात्कार किया जाता है, ऐसी स्थिति में, महिला संगठनों द्वारा बराबर मांग किए जाने पर सरकार ने अन्ततः यह स्वीकार किया कि महिला जीवन की ऐसी अन्तर्बाधा है कि कुछ तथ्यों को अभिव्यक्त करने में वह असमर्थ होती है, और कुछ ऐसी ही स्वाभाषिक कठिनाइयां है, इसलिए किसी महिला के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति का और न कि उस महिला का, दायित्व होता वह यह सिद्ध करे। वही तर्क दिया गया था। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उस पर आतंकवादीं होने का आरोप लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दायित्व उस व्यक्ति का ही होता है। यह विचित्र तर्क है और पूरा विधेयक इसी तर्क पर आधारित है।

इसलिए देश में लोकतन्त्र का वातावरण बनाये रखने के हित में मेरे बिचार से इस

विधेयक को वापिस ले लिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि तर्क संगत बात हो और पुरः स्थापना की अवस्था में ही वह इस विधेयक को पुरःस्थापित करने पर जोर न दें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, पुनः यह एक क्रूर कानून है। अभी कुछ ही मिनट पहले हमने एक गैर लोक तांत्रिक विधेयक का विरोध किया था। सरकार द्वारा पुनः एक और गैर लोकतांत्रिक कानून बनाया जा रहा है।

यह विशेष विधेयक संविधान की धारणा के नितांत विरुद्ध है। यह राय लेट एक्ट से सौ गुणा अधिक खतरनाक है जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरम्भ किया था। मुझे नहीं मालूम कि हमारे माननीय मंत्री जी ने, जो गांधीवादी समझे जाते हैं, इस विधेयक को क्यों लाए हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : वह गांधीवादी है किन्तु उनका गांधी कोई और है।

श्री हरिकेश बहादुर : ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी वर्तमान सरकार ने कार्य करने का एक भिन्न रवैया अपनाया है। इसलिए उन्हें संविधान, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, आजादी और नागरिकों के मूल अधिकारों की कोई चिन्ता नहीं है। वे उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और इस संसद में एक-एक करके अनेक क्रूर कानून ला रहे है.

इस विधेयक के अनुसार केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श लिए बिना ही किसी भी क्षेत्र को आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकती है। अतः इस कानून को उन राज्य सरकारों के विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है जो केन्द्रीय सरकार की परेशानी का कारण हो सकती है जिससे कि उन राज्य सरकारों को अपने अनुरूप बनाया जा सके। मान लीजिए, किसी राज्य में कोई आन्दोलन होता है और यदि वह केवल एक संघर्ष मात्र है, तो उसका कोई राजनैतिक हल निकाले बिना ही उसे इस गलत बात अर्थात् एक आतंकवादी गतिविधि घोषित कर दिया जाएगा और इस प्रकार किसी भी विशेष राज्य पर प्रहार किया जा सकता है। इस विधेयक में जिस गुप्त विचारण बात का उल्लेख किया गया है वह अत्यधिक खतरनाक है। मेरे विचार से इसके कारण बहुत से निर्दोष लोगों को उत्पीड़ित किया जा सकता है।

अब महोदय, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को स्वयं सिद्ध करना होगा कि वह दोषी कहीं है। यह भी एक विचित्र बात है। जैसा कि प्रो० मधु दण्डवते पहले ही कह चुके हैं, कुछ मामलों में हम चाहते थे कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था किन्तु सरकार ने नहीं किया, और अब इस विशेष मामले में सरकार ने ऐसा करने का निर्णय लिया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधेयक का उपयोग कमजोर वर्ग के लोगों, सरकार के लिए सरदर्द बने

राजनैतिक लोगों और अपनी उचित मांगों के प्रति आवाज उठाने वाले श्रमिकों के संघर्ष के विरुद्ध किया जाएगा ।

अब जहां तक अधिकारी तन्त्र का सम्बन्ध है, यदि उन्हें यह अस्त्र दिया गया तो यह निश्चित है कि वे लोग इसका प्रयोग स्वयं सरकार के इशारे पर करेंगे क्योंकि यदि सरकार यह चाहेगी कि जो लोग सरकार के अनुकूल नहीं हैं उनको उत्पीड़ित किया जाए तो अधिकारी तन्त्र भी उसी प्रकार का रवैया अपनायेगा और वे लोग अपने तरीके से उनसे बदला भी लेंगे । इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं जो पूर्णत: लोकतन्त्र के विरुद्ध है और लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों के विपरीत है । यह विधेयक नागरिकों के मूल अधिकारों का विपरीत है । इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अपेक्षा माननीय गृह मंत्री जी ईस विधेयक को वापिस ले लें ।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) महोदय पुर: स्थापित करने की अवस्था में ही मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं प्रस्तावित कानून उन मौलिक अधिकारों की भावना के विपरीत है जिन्हें संविधान ने हमें प्रदान किया है । महोदय, मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य लोकतांत्रिक आंदोलनों, कर्मचारी संघों और श्रमिकों, किसानों तथा अन्य व्यक्तियों के आंदोलनों पर अंकुश लगाना है ।

महोदय, पिछले दिन मैं एक छोटी सी किताब पढ़ रहा था। उस पुस्तक में आतंकवाद का उल्लेख था । उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार बहुत से देशों में सत्तारूढ़ दल, आतंकवाद के इस अस्त्र का प्रयोग, उचित लोकतांत्रिक आंदोलनों, और लोगों के उचित आंदोलनों को दबाने के लिए कर रहे हैं यहां भी, महोदय, इस बात पर कोई भी विवाद नहीं है कि जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को देश के सामान्य नियमों द्वारा रोका जाये ।

महोदय, समस्या तो आतंकवाद की परिभाषा की है । आतंकवादी कौन है ? महोदय, हमने स्वयं अनुभव किया है और यहां भी देखा है कि यदि कोई व्यक्ति कर्मचारी संघ की बहुत ही उचित गतिविधियों में बराबर भाग लेता है तो उसे भी आतंकवादी कह दिया जाता है । यहां तक कि हम लोगों को भी आतंकवादी कहा गया था क्योंकि हम लोग अपने नियोक्ताओं से अपने उचित अधिकारों की मांग कर रहे थे । एक विशेष मांग को मनवाने के लिए जब हम लोग जलूस निकाल रहे थे तब नियोक्ताओं ने यह कहा था कि हम लोग बल प्रयोग कर रहे थे । वहां भी उसी मुद्दे का प्रयोग किया जा रहा है । नियोक्ता और निजी स्वार्थ वाले व्यक्ति किसी भी जलूस को, उचित मांग उठाने वाले किसी भी ग्रुप पर बल प्रयोग करने का आरोप लगा सकते हैं ।

आतंकवाद के नाम पर इस प्रकार के विधान नौकरशाहों द्वारा जनता, जनता की आकांक्षाओं तथा मांगों के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा।

अत: इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के समय में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस प्रकार की असाधारण, व्यापक एवं निरंकुश शक्तियां नहीं लेनी चाहिए।

वक्तव्य में यह कहा गया है कि देश के कतिपय भागों में विधि और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। क्या मैं मंत्री महोदय से आतंकवादियों की संख्या अथवा आतंकवाद की मात्रा के बारे में जान सकता हूं ? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पंजाब समस्या के दौरान यह मांग थी कि सरकार को आतंकवाद तथा आतंकवादियों की संख्या के बारे में एक श्वेत पत्र निकालना चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब यह बताया गया कि पंजाब में आतंकवादियों की संख्या 47 अथवा लगभग इतनी है। आतंकवाद के बारे में उन्होंने पूरा विवरण नहीं दिया था। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि वे यह बतायें कि देश में वह कौन से हिस्से हैं जहां विधि और व्यवस्था की स्थिति इस प्रकार है कि सरकार को इस तरह का विधान बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

दूसरी बात यह है कि क्या वे यह बता सकते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद किस हद तक फैला हुआ है ताकि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसे इस देश की जनता के समक्ष स्पष्ट कर सकें कि राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखंडता खतरे में हैं और इसलिए इस विधान को लाने की आवश्यकता पड़ी है। इस विधेयक को पुर:स्थापित की अवस्था में मंत्री महोदय के समक्ष में यह दलील पेश करता हूं। वह इस बात को स्पष्ट करें और हमारे द्वारा तथा जनता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करें और विधेयक को वापस लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, प्रधानमंत्री ने सैनिक कार्यवाही के पश्चात जख्मों पर मरहम लगाने की बात कही थी। यदि सरकार यह सोचती है कि इससे ज़ख्मों पर मलहम लगेगी तो मेरे विचार से वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।

(व्यवधान)

महोदय, मुझे याद है कि 1971 में जब आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इस सभा में प्रस्तुत किया गया था और सत्तारूढ़ दल ने उसे बड़े जोर शोर से पास किया था। मैं इस सदन में था बाद में सत्तारूढ़ दल के ही अनेक व्यक्ति उसके शिकार हुए थे। इसीलिए आप किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए। आज आप सत्ताधारकों के चहेते हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कल ऐसा न हो। इसीलिए मैं अपने मित्रों, विशेष रूप से युवा मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वह इन मामलों को उनके गुण दोष के आधार पर परखें। केवल सचेतक आदेशों

के आधार पर ही अपना निर्णय न करें। इन बातों का इस देश की जनता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये ऐसी बातें नहीं हैं जिन पर आप उक्त सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लें।

महोदय हम इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं ?, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि हमने हमेशा आतकवाद और आतंकवादी गतिविधियों का विरोध किया है। हमें इस बात का विश्वास है कि विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आतंकवाद अथवा आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला हो। क्या हम यह चाहते कि पंजाब हमारे देश की मुख्य धारा में वापिस आए। हम यह मांग करते रहे हैं कि वहां पर राजनीतिक कार्यवाही के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए। वर्षों से हम यह कहते रहे हैं कि, 'पंजाब में यह कार्यवाही करे'। इसीलिए हमने अप्रैल 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में विशेष संशोधन का विरोध किया था। श्री राव, आप उस वक्त गृह मन्त्री के पद पर नहीं थे। हम यह कहते हैं कि पंजाब के लिए अधिक कड़ा अथवा क्रूर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाने से पंजाब की समस्या का समाधान नहीं होगा। शायद आपको इसका समर्थन करने के लिए कहा गया होगा, इसलिए आप इसके समर्थन में बोले हैं किन्तु इससे पंजाब की समस्या का समाधान नहीं हुआ, इससे चण्डीगढ़ की समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब क्या किया जा रहा है ? स्थिति से निपटने के नाम पर, जिसका समाधान मुख्य रूप से राजनैतिक तथा प्रशासनिक कदम उठाकर ही किया जा सकता है, आज नई समस्यायें पैदा कर रहे हैं। देश में इस प्रकार की अवधारणा बनाना खतरनाक है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की शरारत करने की क्षमता असीमित है। यह विकृतियों की परमसीमा है। अब देश के किसी हिस्से को भी अशांत कहा जा सकता है। समूचे देश को भी अशांत कहा जा सकता है। महोदय, यह सरकार की केवल सापेक्ष सन्तुष्टि है। जिस प्रकार से धारा 3 बनाई गई है, अर्थात् 'यदि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि आतंकवादियों द्वारा इस पैमाने पर तथा इस ढंग से अपराध किए जा रहे हैं कि यह आवश्यक हो गया है 'इसे चुनौती नहीं दी जा सकती' यह एकदम सापेक्ष सन्तुष्टि का विषय हो जाता है।

अमुक-अमुक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों से निपटने के लिए यह आवश्यक.....। महोदय, 'आतंकवादी' की परिभाषा ऐसी बन गई है कि किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार की हत्या की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अन्य बातों का आलोपकर 'आतंकवादी' की परिभाषा का अध्ययन करें तो आतंकवादी से अभिप्राय है एक ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न जातियों अथवा समुदायों में सद्भाव बिगाड़ने की दृष्टि से समाज के लिए जो आवश्यक सेवाओं हैं उनमें बाधा डालता है।' यह तो आतंकवादी गतिविधि है। इस सम्बन्ध में हिंसा, हत्या आदि की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

क्या इस संसद की मंशा इस प्रकार का विधान बनाने की है जिसके अन्तर्गत इस देश में सभी का सामान्य कार्य एकदम रुक जाएंगा।

आपने इसे न्यायिक क्षेत्र घोषित कर दिया है। आपने एक विशेष अभियोजक की व्यवस्था की है। आपने विशेष न्यायधीशों की बात कही हैं। आपने कानून में परिवर्तन किया है। आपराधिक दण्ड संहिता-धारा 167 में न्यूनतम संरक्षण क्या है ? अभियुक्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की प्रथा को समाप्त किया जा रहा है। अब कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की व्यवस्था की जा रही है। अभियोजक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होगा। इस सम्बन्ध में यह उपलब्ध किया जा रहा है। धारा 167 में संशोधन किया जा रहा है। विचारण गुप्त होगी। देश में यह भावना पैदा की जा रही है कि उस क्षेत्र में जो भी रहता है वह मुख्य रूप से एक आतंकवादी है। उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर कालिक पोती जा रही है। वहां इस प्रकार की स्थिति पैदा की जा रही है कि एक भय का वातावरण बना रहे। क्या इस प्रकार से आप जनता के दिलों को जितना चाहते हैं ? आपने इस सम्बन्ध में दायित्व उन पर डाल दिया है। जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र में जाएगा अथवा वहां से गुजरेगा, उसके विषय में रिकार्ड किया जाएगा कि अमुक व्यक्ति उस क्षेत्र में उस स्थान पर उस समय गया था जब आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का प्रयोग किया गया था···ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। मान लीजिए सड़क के साथ-साथ कुछ विस्फोटक पदार्थ फेंके जाते हैं मैं उस सड़क से गुजरता हूं, मुझे यह कहकर पकड़ लिया जाता है कि आपको यह सिद्ध करना है कि आप दोषी नहीं है। यह तो जंगल का कानून है। मैं मन्त्री महोदय से प्रशासनिक दृष्टि से, न्यायिक दृष्टि से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे न्यूनतम संवैधानिक अधिकार बनाए रखे जायें। दुर्भाग्य से हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। किन्तु उन्हें न्यायसंगत प्रतिबन्धों की व्यवस्था करके हमसे छीन लिया गया है। मेरे विचार से यह हमारे संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है। दुर्भाग्य से, नजरबन्दी जैसे उपबन्ध भी हमारे संविधान मे हैं और उनका इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से उनका सहारा लिया जाता रहा है। इसीलिए आप यह कह सकते हैं कि आपके पास शक्ति है। किन्तु मुझे यह विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि इस बात का भी परीक्षण होगा। यह संविधान में समानता संबंधी उपबंध का उल्लंघन करता है। इसके माध्यम से तथाकथित आतंकवाद के आधार पर लोगों में फूट डाली जा रही है। इसका राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा और अच्छा होता कि वह स्वयं इन कानूनों के शिकार हो जाते। किन्तु अन्य लोगों को सरकार की दया पर आश्रित नहीं रखा जा सकता कि वे इन कानूनों से उनका दमन करें। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टस् गंज) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियम 72 देखिए :

> 'यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया जाता है तो अध्यक्ष, अनुमति देने के पश्चात यदि उचित समझे तो सदस्य से संक्षिप्त वक्तव्य के लिए कह सकते हैं·····

सभापति महोदय : मैं नियम जानता हूं। श्री सुनील मैत्रा।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं इन विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। यदि यह विधेयक केवल पंजाब के लिए होता तो मैं चाहे इसका समर्थन न भी करता, तो भी यह बात मेरी समझ में आ सकती थी। इस विधेयक के पहले ही खंड में यह कहा गया है कि यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होगा। इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां इस समय कहां पर हो रही हैं। सरकार ने हमें नहीं बताया और न हमें यह मालूम ही है कि इस प्रकार की तथाकथित आतंकवादी गतिविधियां पंजाब राज्य के बाहर भी हो रही है। पंजाब राज्य में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, मैं अपने अनुभव के अनुसार मैं मन्त्री महोदय का कुछ गंभीर तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, कोई भी तथ्यों की बात नहीं करता। सभी अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं।

मैं पश्चिम बंगाल राज्य का हूं। आतंकवादी गतिविधियों के बारे में मेरा अपना अनुभव है। वर्ष 1971-72 में क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों की आतंकवादी गतिविधियां माना था ? पंजाब राज्य में आतंकवादी गतिविधियां माना था ? पंजाब राज्य में आतंकवादियों ने कितने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है। इस सम्बन्ध में सही आंकड़े मेरे पास नहीं है। किन्तु यह संख्या 300 अथवा 400 हो सकती है। इसमें सैनिक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप हुई मौतों को शामिल नहीं किया है। किन्तु पश्चिम बंगाल राज्य में 1971-72 वर्ष में केवल मेरे दल के 2200 कामरेड मारे गए थे। उन्हें चाकू मारकर मारा गया था। उन्हें गोली मारकर मारा गया था और इसी तरह के घृणित ढंग से मारा गया था कि मेरे दल के 1200 सदस्यों का वध किया गया था। उस समय यह सरकार सत्ता में थी। उस समय इस सरकार ने इस प्रकार का विधेयक लाना आवश्यक नहीं समझा था। उस अनुभव के आधार पर हमें यह भी पता चला कि यह पश्चिम बंगाल में सभी तथाकथित आतंकवादी वास्तव में नक्सलवादी नहीं है। भारत सरकार के विशेष गुप्तचर विभाग ने जिसे रिसर्च एण्ड एनेलैसिस विंग कहा जाता हैं नक्सलवादियों में अपराधियों की घुसपैठ करवा दी थी और उनके माध्यम से हमारे सदस्यों की हत्यायें करवाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। इस बात की भी क्या गारन्टी है कि आप पंजाब में भी वही नहीं करने जा रहे। दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंकर पीता है इसलिए जब तक आप हमें कुछ ठोस प्रमाण नहीं देंगे कि उनके रिसर्च एण्ड एनेलैसिस विंग ने 1971-72 में पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं किया था, मैं पश्चिम बंगाल के अनुभव के आधार पर इस विधेयक का पूरी तरह से विरोधी हूं।

मेरा दूसरा निवेदक यह है कि मैं कोई वकील नहीं हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। बचपन से लेकर आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि एक गिरफ्तार व्यक्ति तब तक निर्दोष होता है जब तक वह दोषी सिद्ध न हो जाए। यह एक ऐसा कानून है जो यह कहता है कि

गिरफ्तार व्यक्ति को तब तक दोषी समझा जाए जब तक वह निर्दोष सिद्ध न हो जाए। ऐसा कानून केवल जंगल में बन और पनप सकता है और सरकार हमारे समाज को जंगल में ही परिवर्तित कर रही हैं। अतः इस आधार पर भी मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, इससे पूर्व कि माननीय गृह मन्त्री इससे पूर्व कि माननीय गृह मन्त्री इस विधेयक विशेष को पुरःस्थापित किए जाने के विरुद्ध उठाए गए मुद्दों का उत्तर दे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह विशेष अध्यादेश प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब में कतिपय अपराधों से सम्बन्धित मामलों पर विचारण के लिए 14 जुलाई, 1984 को जारी किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इसका सम्बन्ध पंजाब से है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 14 जुलाई से लेकर आज तक अर्थात 6 अगस्त तक लगभग 23 दिनों की अवधि में अथवा तीन सप्ताह में क्या प्रगति हुई है जिससे इस अध्यादेश का जारी किया जाना उचित ठहराया जा सके। क्या आपने न्यायालयों की स्थापना कर दी है, उन्हें कितने मामले सौंपे गए हैं ? एक या दो बातें हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं। परन्तु मैं तथ्य जानना चाहता हूं।

मैं उन लोगों में से हूं जिनका यह मत है कि यह अत्यन्त असामान्य ढंग से जारी किया गया है और इसे अध्यादेश द्वारा जारी नहीं किया जाना चाहिए था। सामान्यतः जब संसद के समक्ष कोई नया कानून लाया जाता है तो निरपवाद रूप से उसे प्रवर समिति को भेजा जाता है। उन्होंने पिछले सत्र के दौरान ऐसा कानून बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा ; मैं इस कानून का इस आधार पर भी विरोध करता हूं।

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, जब हम इस विधेयक के उपबन्धों पर चर्चा करेंगे तब मैं सदस्यों को नवीनतम स्थिति और इन न्यायालयों की स्थापना में हुई प्रगति से अवगत कराना चाहूंगा।

जैसा पहले कहा जा चुका है कि अब इस विधेयक के गुण-अवगुणों में जाने का समय तो नहीं। परन्तु ऐसा कोई नियम भी नहीं है जिसके अन्तर्गत असंगत भाषण देना मना हो। अतः मुझे कुछ भाषणों को इसी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा।

मैं इस समय केवल उन दो बातों को लूंगा जो बहुत स्पष्ट ढंग से रखी गई और जिन का उत्तर मेरे विचार में मुझे अभी देना चाहिए।

यह बताया गया है कि यह विधेयक स्वतः इसी रूप में सम्पूर्ण देश पर लागू नहीं होता है। कोई भी क्षेत्र इस कानून के अन्तर्गत तब पाएगा जब उसे 'आतंकवादी क्षेत्र' घोषित कर

दिया जाएगा। इसका अर्थ विक्षुब्ध नहीं है, विक्षुब्ध का अर्थ 'आतंकवादी' से अलग है। आतंकवादी से क्या अभिप्राय है इसके विस्तार में हम तब जाएंगे जब हम बिधेयक के इस भाग पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

एक अन्य मुद्दा जो उठाया गया है वह कुछ मामलों में प्रमाण देने का दायित्व सौंपने से है। यह महत्वपूर्ण है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कृपया इस दृश्य की कल्पना कीजिए यह मालूम है कि एक व्यक्ति विशेष वहां गया था परन्तु वह उस समय उस स्थान से नहीं गुजरा जब किसी सशस्त्र बल के सदस्य पर अथवा उन बलों पर, जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी और जो अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, आग्नेय अस्त्रों अथवा बिस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया अथवा उनका मुकाबला किया गया। यह दृश्य है। मुझे स्पष्ट रूप से यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार के दृश्य की कल्पना की जाए। उसके बारे में स्पष्ट रूप से पता है। इस संबंध में कोई गलत फहमी नहीं हो सकती।

अब एक स्थान विशेष से, सशस्त्र सेनाओं पर गोलियों की बौछार की जा रही है। हम मान लेते हैं कि वहां आधी रात के समय 50 या 60 या 100 या 200 व्यक्ति हैं सशस्त्र सेनाओं ने पहले बार-बार अपील की है कि जो बाहर आना चाहते हैं. बाहर आ सकते हैं, पुन: बार-बार अपील की जाती है कि हथियार समर्पित कर दिए जाएं।

आखिर, यह सब किया गया है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक स्थान विशेष से सशस्त्र सेनाओं पर गोलियों की वर्षा की। क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं यह सिद्ध करूं कि वहां जो 200 या 150 व्यक्ति मौजूद थे, उनमें से 'अ' 'ब' 'स' अथवा 'क' 'ख' अथवा 'ग' प्रत्येक ने एक अथवा तीन गोलियां चलाईं। क्या इस प्रकार की स्थिति में ऐसा करना संभव होगा ? दूसरी ओर एक व्यक्ति के लिए यह कहना आसान है कि "मैं अमुक काम से वहां गया था" और यदि न्यायालय यह महसूस करे कि वह निर्दोष है और वस्तुत: केवल वही व्यक्ति स्थिति स्पष्ट कर सकता है कि वह वहां क्यों गया था—तो वह बरी हो सकता है।

3.00 म० प०

यह स्थिति है। इस स्थिति से निपटने का अन्य कोई तरीका नहीं है। यह एक असाधारण स्थिति है और जिससे निपटने के लिए यह सीमित उपबन्ध किया जा रहा है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, प्रमाण देने का दायित्व दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाता हैं। ऐसी बात नहीं हैं कि प्रमाण देने का दायित्व अभियोग पक्ष अथवा वादी पक्ष का एक जैसा हैं। ऐसे अनेक मामले हैं जो अपवाद हैं और इसे भी एक अपवाद के रूप में लाया गया है।

श्री सुनील मैत्रा : मान लीजिए एक वालीबाल मैच हो रहा है, वहां दर्शकों की भीड़ है और नजदीकी सड़क से सैनिक दल गुजरता है और भीड़ में से कोई उन पर एक बम फेंक देता है और यह भी मान लीजिए कि मैं भी वहां भीड़ में एक शीर्षक के रूप में हूं। मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है और मुझे यह प्रमाणित करना होगा कि मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने बम फेंका है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वहां सशस्त्र सेना होने का प्रश्न नहीं है। यह वालीबाल मैच नहीं है। कृपया विवरण को बारीकी से देखिए। विवरण बिल्कुल स्पष्ट है। यह प्रतिदिन की घटना नहीं हो सकती। इस प्रकार की स्थिति से निपटने का और कोई तरीका नहीं हो सकता।

जब हम उपबन्धों पर विस्तार से चर्चा करेंगे तब मैं सभा को स्पष्ट करूंगा कि बन्द कमरे में विचारण का उपबन्ध क्यों किया गया है। यह विचारण ही है। यह मुकदमों को जल्दी निपटाने का तरीका नहीं है। वहां साक्ष्य नियम अथवा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कोई अपवाद नहीं होगी। बन्द कमरे में मुकदमा चलाने की व्यवस्था किन्हीं कारणों से की गई है। जिन्हें मैं चर्चा के दौरान स्पष्ट करूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या आप विधेयक वापस लेने के लिए तैयार नहीं है ? तो हम बहिर्गमन करेंगे। लोकतन्त्र में ऐसा होता है।

[तत्पश्चात् श्री सतीश अग्रवाल और कुछ अन्य माननी सदस्य सभा से बाहर चले गए]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आतंकवादी क्षेत्रों में कुछ अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

3.02 1/2 म० प०

आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश के बारे में विवरण

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, मैं आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4535/84]

3.03 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **चेतक एक्सप्रेस में डीजल इंजन लगाकर उसकी गति बढ़ाने तथा दिल्ली और उदयपुर के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चालू करने की आवश्यकता।**

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत रेल मंत्रालय का ध्यान राजस्थान की पिछड़ी हुई रेल व्यवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग रेल सेवा की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला रेल से जुड़ा हुआ ही नहीं है। चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर दोनों ही कोई तेज रफ्तार की गाड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं। चेतक एक्सप्रेस जिसमें डीजल इंजन भी नहीं लगता, धूल तथा कोयले से व्यक्ति परेशान हो जाता है। 20-22 घंटे की उबाने वाली यात्रा से झीलों की नगरी उदयपुर में पहुंचते हैं। इस ट्रेन में पूर्व में ए० सी० लगता था, अब वह भी नहीं। इससे पर्यटकों की संख्या भी प्रभावित हुई है। अतः चेतक एक्सप्रेस की गति बढ़ाने के लिए डीजल इंजन लगाया जाना अति आवश्यक है। एक ए० सी० स्लीपर भी लगाया जाए जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ सके। इसको उदयपुर से जल्दी रवाना करके दिल्ली 10 बजे प्रातः तक पहुंचा दिया जाए। यदि यह संभव नहीं है तो फिर झीलों की नगरी उदयपुर तथा शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ को पर्यटन के नक्शे में उभारने के लिए एक सुपर फास्ट ट्रेन दिल्ली से उदयपुर "मीरा एक्सप्रेस" के नाम से चलाई जाए।

कोटा राजस्थान के रामगंज मण्डी क्षेत्र जो औद्योगिक दृष्टि से काफी विकासशील है जहां मोड़ल सीमेंट फैक्ट्री तथा एशिया की सबसे बड़ी धनिये की मंडी है, जहां पत्थरों की मंडी है, विकसित नगर है। यहां फ्रंटियर भी नहीं रुकती। 15 अगस्त को आप जो "अवध एक्सप्रेस" ओखा तक बढ़ा रहे हैं, मैं मांग करती हूं कि इसका स्टापेज रामगंज मण्डी कोटा राजस्थान तक अवश्य किया जावे।

(दो) **पूर्णिया, किशनगंज और दालकोला (बिहार) स्थित एन० एच० पी० सी० के तीन उप केन्द्रों/उप-एककों का नियंत्रण मालदा एकक के प्रबन्धक के नियंत्रणाधीन रखने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता।**

श्री डूमरलाल बैठा (अररिया) : सितम्बर, 1983 में राष्ट्रीय पन बिजली निगम (एन० एच० पी० सी०) ने यह निर्णय लिया था कि बिहार राज्य में पूर्णिया किशनगंज तथा दालकोला स्थित तीन उप-केन्द्रों। एककों के नियंत्रण के लिए एक अलग ट्रांसमिशन एकक खोला जाएगा जिसका मुख्यालय पूर्णिया में होगा। तदनुसार, पूर्णिया के उस पृथक ट्रांसमिशन

यूनिट में एक प्रबन्धक की नियुक्ति की गई जिसने वहां 2 सितम्बर, 1983 को कार्यभार संभाला। बाद में, मुख्य परियोजना प्रबन्धक, सिलीगुड़ी ने इस प्रबन्धक को अपना मुख्यालय पूर्णया से सिलीगुड़ ले जाने का आदेश दिया।

अब इस बात का पता चला है कि पूर्णिया, किशनगंज तथा दालकोला स्थित तीन उप-केन्द्र उप-एकक अब मालदा एकक के प्रबन्धक के नियंत्रणाधीन कर दिए गए हैं। इससे पूर्णिया की जनता में भारी शेष पैदा हुआ है, क्योंकि उन्ही की निरंतर मांग के कारण प्रबंधक पूर्णिया (बिहार) के लिए अलग ट्रांसमिशन यूनिट बनाने के लिए राजी हुए थे।

अतएव, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा यह सुनिश्चित करें कि पूर्णिया की जनता उपेक्षित न किया जाए यह उचित ही होगा कि प्रबन्धकों द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखा जाए।

(तीन) **मध्य प्रदेश के विदिशा, रामसेन और सिहोर जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोलने की आवश्यकता**

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति जी, हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र में विदिशा जिले के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा एक नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। क्षेत्र की ग्रामीण जनता की ओर से मैं केन्द्र सरकार को इस कार्य हेतु धन्यवाद देता हूं। विदिशा संसदीय क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है परन्तु राष्ट्रीय कृत बैंकों की पर्याप्त शाखाओं के अभाव में कृषि एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन की गति धीमी है।

306 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय-कृत बैंकों की शाखायें कम हैं। अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि विदिशा रायसेन तथा सिहोर जिलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रत्येक 17,000 की आबादी पर एक ब्रांच की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त जिलों में राष्ट्रीय-कृत बैंकों की नवीन ब्रांचों की स्वीकृति दी जानी चाहिए।

क्षेत्र के दौरे के समय बुधनी तथा देवरी कस्बों मे भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं को खोलने की मांग क्षेत्रीय ग्रामवासियों द्वारा की गई है। इसी प्रकार गंज बासोदा में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की एक नई ब्रांच खोलने का प्रस्ताव पिछले एक वर्ष से भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। अत: मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थानों पर राष्ट्रीय-कृत बैंकों की नवीन शाखाओं को इसी वर्ष खोलने की स्वीकृति प्रदान करें।

(चार) **भेषजी अधिनियम की धारा 42 को लागू करने के प्रस्ताव पर देश भर में हुई औषध विक्रेताओं की हड़ताल**

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, भेषजी अधिनियम की धारा 42 को सितम्बर 1984 से किए जाने के प्रस्ताव से समस्त भारत के औषध विक्रेताओं में बहुत क्षोभ है तथा वे इससे बहुत चिंतित हैं। भेषजी अधिनियम, 1984 के उपबंधों के अनुसार औषध विक्रेता एक दुकान में एक से अधिक पंजीकृत भेषजज्ञ (फार्मेसिस्ट) रखे बिना अपने व्यापार गृह में किसी प्रकार का कारोबार चलाने के अधिकारी नहीं होंगे।

औषध विक्रेता, जिनकी सारे देश में संख्या 1,50,000 है, अपना कार्य मूल औषध नियम 65/15/ ग के उपवन्धों के अनुसार चलाते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले किसी भी मैट्रिक पास व्यक्ति को औषध विक्रेता की दुकान चलाने की अनुमति तथा अधिकार है।

भेषजी अधिनियम की धारा 42 को लागू किए जाने से वे सभी व्यक्ति धन्धे से बाहर हो जायेंगे जिनके पास औषध नियम 65/15/ग के अनुसार न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव है।

जब ये 1,50,000 औषध विक्रेता कुशलतापूर्वक अपनी दुकानें चला रहे हैं तो यह विवादास्पद प्रश्न है कि सरकार क्यों बेकार में जटिलताएं पैदा कर रही है।

नया उपबंध, जिसमें 1-9-84 से केवल पंजीकृत भेषजज्ञों (फार्मेसिस्टों) को ही चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे पर कोई औषध संयोजित करने, बनाने, मिश्रित करने या देने की अनुमति है, व्यवहारिक तथा संचालनीय नहीं है। इसके विपरीत समस्त औषध विक्रेताओं के व्यवसाय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्हें अपना कारोबार बन्द करना पड़ेगा क्योंकि देश में पर्याप्त, अर्थात् दो लाख पंजीकृत फार्मेसिस्ट, उपलब्ध नहीं है। पंजीकृत फार्मेसिस्ट तो विकासमान फार्मेसियूटिकल उद्योगों, अस्पतालों, औषधालयों तथा सम्बद्ध संस्थाओं में ही कार्य पा जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकतर औषध विक्रेता औषध संयोजन का कार्य नहीं करते।

इन परिस्थितियों में सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह औषध विक्रेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मुझे आशा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय समझदारी से काम लेगा तथा दवा-विक्रेताओं का व्यवसाय, जो बीमार जनता तथा आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, कुछ निहित स्वार्थों के हाथों में नहीं सौंपा जाएगा, जो बहुत अधिक लाभ कमाने पर तुले हुए हैं।

(पांच) **डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स के प्रबन्धकों द्वारा संविदागत श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन**

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) पिछले लगभग चार वर्षों से मैं डी० सी० एम० कैमिकल वर्कस, जिसे अब श्रीनाम फूड एण्ड फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीज कहा जाता है, के श्रमिकों की समस्याओं को इस सम्मान्य सदन के सम्मुख रखने का बार-बार प्रयास करता आ रहा हूं। यह डी० सी० एम० लिमिटेड नामक बहुमुखी विशाल काम्पलैक्स, अर्थात्, अकेले कैमिकल वर्क्स में ही लगभग 3,000 कामगार तथा लगभग सौ ठेकेदार हैं, लेकिन कागजों में केवल 1000 कामगार तथा लगभग 18 से 20 ठेकेदार दिखाए गए हैं।

इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 2,000 कामगार ऐसे हैं जिनका कागजों में नाम नहीं है। उनके कोई निश्चित कार्य-घंटे नहीं हैं, उन्हें कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती, कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं मिलती, उनके लिए भविष्य निधि की कोई सुविधा नहीं है, कोई उपदान नहीं है, कोई रुग्णता अवकाश नहीं है, कोई चिकित्सा सुविधा नही है, कर्मचारी राज्य बीमा सुविधा नही है और न ही बोनस है।

ठेका श्रम (उत्सादन एवं विनियमन) अधिनियम 1970 में बनाया गया था, लेकिन इस अधिनियम का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है। कैमिकल वर्कस में अब भी ठेके पर श्रमिक रखे जाते हैं और अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं हुआ है और ठेके पर मजदूरी विधायिका के ठीक नाक तले चल रही है।

अन्य अधिनियमों, जैसे कि कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 उपदान अधिनियम, 1972, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम- 1927, बोनस अधिनियम 1962, आदि, का भी उल्लंघन किया जा रहा है।

यह बहुत गम्भीर बात है। इन अधिनियमों को ऐसे अधिनियमों में परिवर्तित कर दिया गया है जिससे प्रबंधकों को लाभ हो तथा कामगारों को नुकसान।

अतएव, मैं इस सदन से तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री तथा श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि श्रमिकों के कल्याण के लिए बने अधिनियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

(छः) **जौनपुर से बम्बई और कलकत्ता तक की यात्रा के लिए सीधे जाने वाले डिब्बे जोड़ने और लखनऊ से फैजाबाद और जौनपुर होकर वाराणसी तक और रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता**

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) : सभापति महोदय, लखनऊ रेलवे स्टेशन से बनारस

रेलवे स्टेशन के बीच में फैजाबाद व जौनपुर के लोग इस रास्ते रेलवे के पिछड़ेपन की वजह से रेलवे के सफर के मामले में सख्त तकलीफ के शिकार हैं। अभी मालूम हुआ है कि इस रास्ते पर जनता की जरूरत से बहुत ही कम ट्रेनें होने के बावजूद रेलवे मिनिस्ट्री कुछ ट्रेनें कम करने का इरादा रखती है। जिसकी वजह से वहां के लोग सख्त बेचैनी में मुब्तला हैं और प्रोटैस्ट कर रहे हैं।

इसी तरह जौनपुर और शाहगंज से (आजमगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर के लाखों लोगों की तादाद में कलकत्ता और बम्बई में रहने की वजह से) कलकत्ता और बम्बई हजारों की तादाद में जाना आना लगा रहता है। 1978 में एक बोगी जौनपुर से बम्बई के लिए रिजर्व की गई थी जिसको एक पैसेन्जर ट्रेन जौनपुर से मुगलसराय ले जाती है और फिर वहां से एक मेल ट्रेन में लगकर बम्बई जाती है। जिसकी बर्थ की तादाद वहां के सफर करने वालों की तादाद के हिसाब से बहुत ही कम है। जिसकी वजह से वहां के लोगों सख्त परेशानी हैं और इलाहाबाद तथा मुगलसराय में भी सख्त परेशानी उठानी पड़ती है और वक्त बहुत काफी बर्बाद हो जाता है।

मैं ऐसी सूरत में देहरा-हावड़ा एक्सप्रेस और स्यालदा एक्सप्रेस में शाहगंज और जौनपुर से कम से कम 10-10 बर्थ के साथ-साथ वहां की जनता की तरफ से मुतालबा करता हूं कि जौनपुर से एक मेल ट्रेन बम्बई के लिए चलाई जाए जो शाहगंज से रवाना होकर जौनपुर जफराबाद, मंड पाहूं, जंगही मुन्दियांव, झंगई और इलाहाबाद होती हुई बम्बई जाए ताकि जौनपुर के लोग भी अपने को हिन्दुस्तान की और जगहों की तरफ रेलवे की सहूलियत में हिस्सेदार समझें और रोजाना की परेशानी से बच सकें।

3.13 म० प०

हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश के विनियमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 15 व 16 पर एक साथ विचार करते हैं।

श्री शेजवलकर अपना सांविधिक संकल्प पेश करें।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 1984 को प्रख्यापित हुगली डांकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1984/1985 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून 1984 को प्रख्यापित हुगली डांकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1984 (1985 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

श्री एन० के० शेजवलकर : अध्यादेशों का विरोध करने का काम हमेशा मुझे करना पड़ता है। मैं बार-बार सदन से यह निवेदन करता रहा हूं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का बहुत कम अवसरों पर प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। माननीय अध्यक्ष श्री मावलंकर, जिनका प्रधान मंत्री नेहरू के साथ पत्राचार पहले से ही रिकार्ड में है, के समय से ही इस पर बल दिया जाता रहा है कि इस अध्यादेश जारी करने की शक्ति का जिनका प्रयोग इतनी लापरवाही से नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष का अधुनातन निर्णय 13 नवम्बर, 1973 का है। तदुपरान्त, वर्तमान अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ ने भी मेरे साथ सहमत होते हुए निर्णय दिया है कि अध्यादेश बार-बार जारी नहीं किए जाने चाहिएं।

"स्वयं अध्यादेश कोई अधिक स्वागत योग्य कदम नहीं हैं, विशेषकर उस समय जब सत्र बुलाने की तिथि बहुत निकट हो। ऐसे मामलों में, जब तक कोई बहुत निकट हो। ऐसे मामलों में, जब तक कोई बहुत विशेष कारण न हो, अध्यादेशों से बचना चाहिए।"

यह निर्णय नवम्बर, 1971 में दिया गया था तथा ऐसे ही निर्णय उनके पूर्वाधिकारियों ने दिए हैं।

इस मामले विशेष में भी यह अध्यादेश 28 जून को जारी किया गया था, जबकि सत्र 23 जुलाई को आरम्भ होना था। सत्र के लिए आमंत्रण पत्र 29 जून को ही हस्ताक्षरित कर दिए गए थे। जब तक सदन बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि अध्यादेश जारी करने के क्या विशेष कारण थे, मेरे विचार में, उनकी अध्यादेश जारी करने की कार्यवाही न्यायोचित नहीं है। कही जा सकती।

महोदय, पिछले सत्र में भी यही हुआ था। सोसाइटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था। वे एक निकाय का गठन करना चाहते थे। (व्यवधान) मैंने इसका भी विरोध किया था। अन्ततः विधेयक पारित हो गया था और मेरा प्रस्ताव अस्वीकार हो गया था। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि अध्यादेश जारी करने तथा विधेयक पारित करने के बीच के समय में ऐसे किसी निकाय का गठन नहीं किया गया था। यह बताया गया था कि निकाय का गठन करने में छः मास लगेंगे। इसलिए, जब निकाय का गठन ही नहीं किया गया था तो अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी? इन्जीनियरिंग कम्पनी विशेष को 23 तारीख को ही अधिग्रहीत करने को प्राथमिकता देने की क्या आवश्यकता थी? क्या मैं यह कहूं कि 23 जून और इस तारीख के बीच की अवधि में क्या हुआ?

इसके अर्जन में सरकार को क्या लाभ हुआ है?

महोदय, यहां पर मैं सभा का ध्यान विधेयक के पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 की ओर दिलाना चाहूंगा और मैं उद्धृत करता हूं :—

"पोत-निर्माण और पोत मरम्मत के आधुनिकीकरण के लिए और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए...हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों के आधारभूत ढांचे का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अंतरण करने के लिए।"

पृष्ठ 2 पर ये सब बातें सविस्तर कही गई हैं :—

"कम्पनी के पास पोतों और जलयानों और यानों के विनिर्माण के लिए देश की क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्षमता और आधार भूत ढांचा है ;

ऐसे जलयानों के यानों के उत्पादन में वृद्धि से ऐसे जलयानों और यानों का आयात करने की देश की आवश्यकता कम हो जायेगी और इससे देश विदेशी मुद्रा की बचत कर सकेगा ;

कम्पनी धुसर लौह, अलौह और मिश्र धातु को ढालकर बनाई गई वस्तुओं के, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, उत्पादन में भी लगी हुई है।"

मुख्य रूप से नवीन निवेशों और आधुनिकी करण के अभाव के धारण कम्पनी कई वर्षों से नुकसान उठा रही है। अर्जन का यही आधार है। स्वयं विवरण में यह कहा गया है कि लम्बे समय से इस कम्पनी की हालत अच्छी नहीं थी और 1973 से ही वित्तीय स्थिति बिगड़ गई थी और वास्तव में इसे कुछ ऋणि दिए गए थे। उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 2 में कहा गया है :

"ये यूनिट छठे दशक के मध्य से ही रुग्ण हो गये थे और 1973 से इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी। तब से इसका प्रबन्ध भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा था। परन्तु ये यूनिट काम काज पूंजी, नए विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए धन के अभाव के कारण फिर भी रुग्ण बने रहे। संचित हानियों के कारण बढ़ते हुए ब्याज के बोझ से और भी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।"

1973 से पूर्व भी इस कम्पनी की स्वरूप कोई अच्छा नहीं थी। 1973 के बाद क्या किया जा रहा था ? उन्हें कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जो कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी क्या उसकी निगरानी रखने का कोई तरीका नहीं था ? 1973 के बाद आप ग्यारह वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। ऐसी कौन सी तात्कालिक आवश्यकता आ पड़ी थी जिससे आप लगभग एक मास तक प्रतीक्षा नहीं कर सके। अर्जन, चाहे यह अच्छा हो या बुरा, एक अलग बात है। एक अध्यादेश द्वारा कम्पनी का अर्जन करने का क्या कारण था ? जब आप इतनी लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा कर सकते थे तो एक मास तक प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सके ? कार्य-सूची की मद 17 में, कम्पनी के अर्जन के लिए एक और विधेयक, है, वे उस ढंग से भी कम्पनी के अर्जन हेतु विधेयक पुरः स्थापित कर सकते थे, वे कौन सा आधारत ढांचा प्रदान करने वाले हैं वे कितना धन प्रदान करने जा रहे हैं और कितना रूपया उन्होंने प्रदान किया है ?

और फिर, जिस उद्देश्य की उन्होंने घोषणा की है और वास्तव में वे क्या कुछ करने जा रहे हैं उसमें विरोधाभास है। विधेयक की धारा 8 में कहा गया है :

"केन्द्रीय सरकार, कंपनी के उपक्रमो का और कम्पनी के उपक्रमो के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरण करने और उन्हें उनमें निहित करने के लिए कम्पनी को छह सौ पचास लाख रुपये की रकम नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से देगी।"

यह राशि कैसे निश्चित की गई थी ? क्या यह सही रकम है या उसके लगभग ? इसके आकलन का क्या तरीका था ? वित्तीय ज्ञापन में, पृष्ठ 7 पर, कहा गया है :

"इस लेखे के दायित्व की ठीक-ठीक मात्रा केवल तभी मालूम होगी जब संदाय आयुक्त अपनी रिपोर्ट दे देगा।"

क्या इससे सारी बात मटियामेट नहीं हो जाती है ? एक बार तो आप कहते हैं छह सौ पचास लाख की आवश्यकता है और फिर आप कहते हैं कि आप नहीं जानते कि ठीक-ठीक रकम क्या होगी। कुछ भी हो, यह सही नहीं है, परन्तु आपने किस तरीके से 650 लाख

रुपये की यह राशि निश्चित की है ? यह आवश्यक राशि के लगभग कैसे हैं ? कम्पनी की आस्तियां क्या हैं ? आप किस आधार पर भुगतान करने जा रहे हैं ? निस्सन्देह आपने वह तरीका निश्चित कर लिया है, जिसमें आप भुगतान करेंगे, यह तो ठीक है परन्तु वास्तव में किसको क्या मिलेगा इसका किसी को कोई पता नहीं है। इस उपक्रम के महत्व त्व से कोई इंकार नहीं करता है। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि केवल कुछ थोड़ा सा और धन प्रदान करके ही और कुछ आधुनिकीकरण करके कम्पनी ठीक से काम करने लगेगी ? महोदय, यदि में असली बात कहूं तो, इस कम्पनी का अर्जन बहुत ही जोखिम पूर्ण होगा।

यदि सरकार उन कम्पनियों का अर्जन करती रही जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो कुछ टेक्साटाइल मिलों में अब जो कुछ हो रहा है, वह यहां भी होगा, और जनता का सारा धन बेकार चला जायेगा। यदि सरकार यह सारा रुपया कुछ लाभ प्राप्ति की किसी विशिष्ट आशा के बिना इन मृत कम्पनियों पर लगाने के अन्य अधिक महत्वपूर्ण कामों में लगाती तो, कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती थी। आप इन कम्पनियों को बन्द क्यों नहीं होने देते हैं ? यदि आप चाहते हैं तो नई कम्पनी खड़ी कीजिए। इतना सारा रुपया खर्च करने के बाद और इससे भी कहीं अधिक धन आप देना चाहते हैं। लगभग 14,800 लाख या कुछ ऐसी ही रकम, आप देना चाहते है तो आप कौन सी उपलब्धि प्राप्त करने जा रहे हैं ? पृष्ठ 2 पर जो उद्देश्य गिनाए गये हैं, वे मेरा विनम्र निवेदन है कि बेकार हैं।

यदि आप यह निश्चित किए बिना कि देनदारी क्या होगी, क्या आप इसे चला सकते हैं, भविष्य में कम्पनी कितना और धन गटक जाएगी, आदि, आप इस कम्पनी का अर्जन करते हैं तो यह सब बेकार जाएगा।

अतः अगर इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यदि सरकार इस बारे में स्पष्ट नहीं है तो इस प्रकार इस कम्पनी का अर्जन करने से कोई लाभ नहीं है। यह तो ऐसी बात हुई जैसे कोई को शैक्षिक या सिद्धान्त का अथवा नीति का मामला यहां उठता हो कि कोई भी कम्पनी जो काम नही करती है उसे सरकार वित्तीय सहायता देगी और उसका अर्जन करेगी। सरकार को किसी मृत चीज को क्यों सुरक्षित रखना चाहिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय को सभा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस सारे मामले से सम्बद्ध कोई प्रतिवेदन पहले भी तैयार किया गया था। निगरानी तो 1973 से लेकर रखी जा रही थी क्योंकि यह लम्बे समय से इसी प्रकार चली रही थी ? दूसरी बात यह है कि इस कम्पनी को जीवन क्षम बनाने और वांछित फल प्राप्त करने के लिए आपको और कितना अधिक धन देना है ? सभा को ये सभी बातें अनिवार्य रूप से बताई जानी चाहिए।

आपको सभा को यह विशिष्ट रूप से बताना होगा कि इस विधेयक को अब लाने की क्या आवश्यकता थी। आप बंगाल इम्यूनिटी विधेयक की तरह ही इस विधेयक को भी प्रथम या दूसरे क्रम पर ही सत्र आरम्भ होने के बाद क्यों नहीं ला सके ? आपने वैसा क्यों नहीं किया ?

मेरे विचार से, इस अध्यादेश का कोई औचित्य या कोई गुणवत्ता नहीं है। इसकी कतई आवश्यकता नहीं है और इसीलिए मैं इस संकल्प को पेश करता हूं तथा इस सभा से निवेदन करता हूं कि वह मेरे संकल्प को स्वीकार करें।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम (राम)) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि पोत-निर्माण और पोत मरम्मत के आधुनिकीकरण के लिए और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जिससे पोतों, जलयानों और यानों का आयात कम किया जा सके तथा उक्त उपक्रमों द्वारा धूसर लौह, अलौह और मिश्र-धातू की ढालकर बनाई गई वस्तुओं के उत्पदन में वृद्धि करने के लिए जिससे उक्त वस्तुओं का, जो देश की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रदान जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हित साधन के लिए हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के आधार-भूत ढांचे का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाए गये कुछ मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। वास्तव में, सरकार को इस प्रतिष्ठित उपक्रम का अर्जन करने के लिए बहुत पहले आगे आना चाहिए था।

महोदय आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वास्तव में, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपक्रम है। परन्तु सरकार ऐसा कोई तर्क जुटाई में असफल रही है कि वे ऐसा पहले क्यों नहीं कर सकी या फिर उन्हें ऐसा आध्यादेश द्वारा अन्त:-सत्र अवधि में क्यों करना पड़ा। मैं इस पहलू पर सरकार से सहमत नहीं हूं। परन्तु अब सरकार चूंकि उनके द्वारा उल्लिखित उद्देश्यों के आधार पर इस फैक्टरी का उत्तर दायित्व लेने के लिए आगे आई है तो मैं उनके इस कदम से सहमत नहीं हूं।

हम मानते हैं कि यह आप परिपाटी नहीं होनी चाहिए कि जब कभी भी कोई उद्योग रुग्ण हो जाता है तो सरकार आगे बढ़कर उसका अर्जन कर ले। यह कोई आम रीति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। परन्तु सामान्य रूप से बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक हुगली डॉकिंग और इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के बारे में है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है। वास्तव में इसका प्रबन्ध अध्यधस्थित हो गया था। मैं एक बार फिर कहता हूं कि सरकार को बहुत पहले यह विधेयक लाना चाहिए था जिससे कि शायद वे मामले को बेहतर तरीके से संभाल पाते। अन्यथा, बड़ी संख्या में श्रमिक भी बेकार हो गए होते। अतः सरकार ने अच्छा काम किया है।

परन्तु एक शंका है। मैं कहूंगा कि जिस किसी का भी सरकार अर्जन करती है, वह सदैव अच्छा काम नहीं करता है।

जो राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि सार्वजनिक क्षेत्र फले-फूलें और उन्नति करें। आपमें से ऐसे बहुत से लोग हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपकी तरफ।

श्री नारायण चौबे : आपके पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं। अतः आप श्री के० के० बिरला को सामने लाए हैं। वे ऐसा नहीं चाहते। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कार्य खराब होने के कारण ही उन्हें यह बहाना मिल जाता है।

जैसे पंडित नेहरू हमारे राष्ट्रीय नेताओं का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र प्रगति करेंगे सबसे आगे होंगें और दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? यही नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम गलत कार्य कर रहे हैं परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उपक्रम ऐसे हैं जो अत्याधिक खराब कार्य कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयां ऐसी हैं जो संतोषजनक कार्य नहीं करतीं। गैर सरकारी इकाइयों में प्रशासकों को प्रबंध करने साज-सामान देखभाल करेंगे और मजदूरों आदि के संबंध में कई खतरे उठाने पड़ते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में चाहे लाभ हो या हानि नौकरशाहों को महीने के पहले दिन ही अपनी तनख्वाह अवश्य मिल जाएगी। स्वभावतः वह परवाह नहीं करता। अतः जहां मैं आपके द्वारा इस उपक्रम को अधिग्रहण करने का स्वागत करता हूं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप देखें कि वहां का कार्य ठीक चले। इसका कुप्रबंध नहीं होना चाहिए। अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के शत्रु कहेंगें कि इसके कारण ही यह संकट में पड़ रहा है। यह खतरा आवश्यभावी है क्योंकि कई महत्वपूर्ण कारखानों में ऐसी बातें हुई हैं। उस कारण, वास्तव में गैर-सरकारी पूंजीपति आपको चुनौती देते हैं। उन्हें आपका पूरा समर्थन मिल रहा है। आप उन्हें पैसा देते हैं। यहां तक आपके महान नेता स्वराज पाल ने

कल कहा कि भारत के बड़े गैर सरकारी-गृह अपने पास से मात्र 14: करोड़ रुपए पूंजी निवेश करके सरकार के 28,000 करोड़ रुपये पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और ये लोग जो आपके 28000 करोड़ रुपए पर अपना अधिकार जमा लेते हैं ।

आपके सार्वजनिक क्षेत्र, आपके उद्योग पर संदेह प्रकट करते हैं । वे कहते हैं आप रेलवे, कोयला उद्योग हमें सौंप दीजिए । वे कहते हैं आप विद्युत उत्पादन करने में असफल रहे हैं, आपके सभी राज्य विद्युत बोर्ड असफल सिद्ध हो गए हैं आप उन्हें टाटा और बिरला को सौंप दीजिए फिर देखें कि वे किस तरह कार्य करेंगे । वे ये सब बातें किस कुप्रबन्ध तरह कर सकते हैं ? वे हमारे हुए कार्यों, चूंकि हम ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकते, के कारण ही उनके बारे में कहते हैं ।

यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, मैं अनाधिकार हस्तक्षेप करूंगा कि आप आगे आएं और देखें कि वहां का प्रबंध ठीक चले । अन्यथा इसे अधिग्रहण किए जाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा । इन शब्दों के साथ, मैं पुनः इसका समर्थन करता हूं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) । सभापति महोदय, हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक 1984 का मैं स्वागत करता हूं । सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी सरकार की नीति लोगों को एम्पलायमेंट देने की है । उसी के लिए यह इतना बड़ा काम किया जा रहा है । ढ़ाई हजार मजदूर मिसमैनेजमेन्ट की वजह से बेकार हो रहे थे जिनको वापिस काम पर लगाना आवश्यक है । इसके साथ साथ यह भी अत्यावश्यक है कि जिन इण्डस्ट्री की देश के लिए बड़ी आवश्यकता है उनका प्रोडक्शन बराबर होता रहे ताकि उन चीजों की कमी न होने पाए । सरकार दो कम्पनियों को एक साथ मिलाकर नेशनल करने की व्यवस्था करने जा रही है ।

सबसे पहले तो मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1973 में यह कम्पनी सिक हो गई और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मिसमैनेजमेन्ट की वजह से ही इंडस्ट्री सिक होती है । उनके द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से पैसा भी लिया गया और जो इंडस्ट्रियल री-कांस्ट्रक्शन कार्पोरेशन है, जोकि सिक इंडस्ट्रीज को रिवाइज करनेके लिए पैसा देती है, उसने भी मदद की । 1973 से यह इंडस्ट्री सिक होती जा रही है और आप उसको बराबर पैसा देते जा रहे हैं । बाद में आई० आर० सी० ने अपना हाथ खींच लिया और कहा कि अब हम पैसा नहीं दिला सकते ।

मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1973 के बाद तो जो पैसा वहा पर खराब हुआ है उसको बचाया ही जा सकता था और साथ ही साथ मजदूरों को

जो परेशानी उठानी पड़ी है वह भी उनको उठानी नहीं पड़ती और जितने प्रोडक्शन की अपेक्षा थी वह भी हो सकता था यदि आपकी देखरेख में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की देख रेख में कमी न होती। आपके नुमाइन्दे तो कोई परवाह ही नहीं करते हैं, स्पेक्टेटर्स की तरह से वहां पर बैठते हैं। कम्पनी की तरफ तो वे कोई ध्यान ही नहीं देते। खा पीकर वहां से चले आते हैं। इसीलिए आज हालत यह है कि जिन कम्पनियों की मदद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं या आई० आर० सी० जिनकी मदद करता है वह कम्पनियां डोल-ड्रम्स में चल रही हैं और सिक बनती जा रही हैं। उनके द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। वह पैसा दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है और नए नए असेट्स तैयार किए जा रहे हैं।

मिसमेनेजमेन्ट की वजह से कम्पनियां सिक बनती हैं लेकिन इसकी तरफ आपकी कोई तवज्जह नहीं है। बंगाल की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके सम्बन्ध में तीन चार दफा बिल यहां पर आए हैं। बंगाल के जितने भी इंजीनियरिंग वर्क्स है या इस प्रकार की दूसरी इण्डस्ट्रीज हैं वह 1970 के बाद सिक होती जा रही हैं और उनको आप नेशनलाइज करते जा रहे हैं।

इसी प्रकार दूसरे स्टेट्स में भी दूसरी कंपनीयां हैं, चाहे टैक्सटाइल इन्डस्ट्री हो, इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री हो, नाना प्रकार की इन्डस्ट्रीज हैं, उन सब में सिकनैस आ रही है, क्योंकि वहां का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आपके फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स और कारपोरेशन कोई तवज्जह नहीं देते हैं। इसी वजह से सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। हजारों करोड़ों रुपया सिकनैस की वजह से बर्बाद कर दिया और उसके बाद उसकी तरफ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार का नेशनलाइजेशन करने का ध्येय है। कांग्रेस ने इस बात में सदा विश्वास किया है कि नेशनलाइजेशन करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्पलायमेंट दिया जाए। लेकिन कुछ लोग हमारी इस पालिसी में विश्वास नहीं करते हैं और इसको बुरा बताते हैं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य, श्री चौबे से जो पहले बोल रहे थे, मैं चौबे जी के बारे में नहीं कह रहा हूं। उन्होंने नेशनलाइजेशन पर विश्वास नहीं किया है और वे बराबर जितनी भी आपकी नेशनलाइजेशन पालिसीज हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि आपने जो 105 सिक टैक्सटाइल मिल्स को नेशनलाइज किया उसमें 500 करोड़ रु० का नुकसान हो रहा है। एक बात उनके ध्यान में नहीं आती है कि इस 500 करोड़ रुपये से कितने लोगों को एम्पलायमेंट मिल रहा है। यदि एक हजार आदमियों को नौकरी देने में दस करोड़ रुपया खर्च होता है तो दस हजार आदमियों को नौकरी देने में सौ करोड़ रुपया खर्च होता है। जब 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो टैक्सटाइम इन्डस्ट्री में कम से कम ढाई-तीन लाख लोगों को एम्प्लायमेंट मिल रहा है। इस प्रकार से आपने एम्पलायमेंट का जो हिसाब

रखा है, उस हिसाब को आप देखें। 500 करोड़ रुपया खर्च करके लोगों को एम्पलायमेंट देने में कोई नुकसान नहीं है, मगर मैनेजमेंट को अच्छा करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, लेकिन यह कहना की 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, गलत हैं। मैं तो कहूंगा कि जितनी भी इस प्रकार की सिक इन्डस्ट्री है और जिनको सिक बनाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स का पैसा लेकर बर्बाद कर दिया, उनके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिए। लेकिन उन मजदूरों ने क्या किया, जिनको न पैसा मिलता है और न मजदूरी मिलती है, न प्रोवीडेंट फण्ड मिलता है, न ग्रेजुटी मिलती है। आपने इस बिल में कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया है। पहले जितने भी बिल आए हैं, उनमें आपने इस बात का प्रावधान किया है। सबसे पहला कोई चार्ज होगा, जो पैसा आपने कन्सोलिडेटे फण्ड में से इस कंपनी को चलाने के लिए, इस कम्पनी के एसैट्स को क्रिएट करने के लिए लिया है, तो पहला चार्ज लेबर का होगा। लेबर के इस चार्ज के संबंध में आपने इस बिल में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है। इसमें एक बात आपने जरूर कही है कि रूल मेंकिंग पावर है, लेकिन रूल बनाने के लिए इसका प्रावधान असली बिल में होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान इस बिल में नहीं किया है कि अगर किसी मजदूर का पेमेंट बकाया है, जो उन्होंने कमाया है, उस पैसे को कैसे दिया जाएगा, और किस तरह से दिया जाएगा। इस संबंध में कोई व्यवस्था आपने इस बिल में नहीं की है। यह व्यवस्था इस बिल में होनी चाहिए।

सभापति महोदय : आप बहुत बातें कह रहे हैं लेकिन हमारे पास समय की कमी है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो भी इन्डस्ट्री मिस-मैनेजमेंट की वजह से लास में आई हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जैसाकि मैंने निवेदन किया कि जो इन्डस्ट्री सिक हो रही है, नेशनलाइजेशन के बाद भी सिक हो रही है, उसके मैनेजमेंट को आपको निश्चित तरीके से संभालने की आवश्यकता है।

उनमें अच्छे मनेजर्ज या लोगों को नियुक्त करने की जरूरत है। आज बहुत सारे ऐसे लोग आकर बैठ जाते हैं जो मजा करने के लिए यहां आते हैं। नेशनलाइज्ड इण्डस्ट्रीज में बहुत से जैनरल मैनेजर्स और चेयरमैन इस प्रकार के हैं जैसे बहुत बड़े रईस हों। वे इस तरह से नहीं रहते हैं जैसे गवर्नमेंट आफ इंडिया के एम्लाई हैं, बादशाहों की तरह से रहते हैं, इतनी फिजूल-खर्ची करते हैं जिसकी वजह से इण्डस्ट्री पर बहुत बड़ा भार पड़ता है। इसलिए ऐसा मैनेजमेंट कीजिये जिसमें नेशनलाइजेशन की जो पालिसी है वह अच्छी तरह से चले, प्रोडक्शन ज्यादा हो, मजदूर और मालिकों के सम्बन्ध अच्छे हों।

मैं इस कम्पनी के नेशनलाजेशन का स्वागत करता हूं लेकिन जिन कमियों और विशेषकर मजदूरों के सम्बन्ध में जिन कमियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है उनके सम्बन्ध में निश्चित तरीके से कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे मजदूरों को परेशानी न हो । मैंने बार-बार बंगाल की इंडस्ट्रीज के अलावा दूसरे प्रान्तों में जो सिक इण्डस्ट्रीज पड़ी हुई हैं उनकी ओर भी ध्यान दिलाया है । मैं एक इन्डस्ट्री के बारे में बार-बार कहता हूं—मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्ज चार महिने से बन्द पड़ी है, ढाई हजार मजदूर बेकार हैं। सरकार उसको नेशनलाइज करे, उसका टेक-ओवर करे या फाइनेन्शियल इंस्टीचूशण्ज के जरिए उसका इन्तजाम करे जिससे मजदूरों को बेकारी का सामना न करना पड़े। नेशनलाइज करना बुरी बात नहीं है, जो इंडस्ट्रीज सिक होती हैं उनको निश्चित तरीके से नेशनलाइज करना चाहिए, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्पलायमेंट मिलता है, लेकिन उनका मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : निश्चय ही जहाज निर्माण और मरम्मत हमारे राष्ट्र की संपूर्ण उन्नति के लिए महत्वपूर्ण उद्योग है । लेकिन इस सदन में दो मूल सिद्धांतों की चर्चा करनी होगी । वे हैं— कि रुग्ण इकाइयों संबंधी नीति क्या है और राष्ट्रीयकरण संबंध हमारी नीति क्या है ? जब तक इन दो महत्वपूर्ण मामलों के बारे में स्पष्ट चित्रण नहीं किया जाता । मुझे भय है कि समूचे औद्योगिक विकास की ओर हमारा रुख कम हो जायेगा । इस संदर्भ में मेरे माननीय मित्र श्री शेजवलकर द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां विचारणीय हैं । आज हमें एल० के० झा आयोग की नवीनतम रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा 209 उद्यमों में 30029 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया है और औद्योगिक क्षेत्र के मंद विकास के दो मुख्य कारण ये हैं केन्द्रीयकरण और नौकरशाही नियन्त्रण यदि आप औद्योगिक रुग्णता का इतिहास देखें तो आपको इन दोनों में उसके कारण पता चल सकते हैं । अत: सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1982-83 में 13129 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया, 82 उद्यमों ने लाभ के रूप में 1517 करोड़ रुपए दिए जबकि शेष उद्यमों को 821 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ । 8वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 37 पर कहा है कि प्रत्यावर्तन दर 0·84 % है । क्या एक देश जो समाजवादी है, जहां निर्धनता और बेरोजगारी है, इस तरह से पूंजी निवेश कर सकता है ? 8 जून 1980 को दिए गए अपने भाषण में मैंने कुछ सुझाव रखे थे । उस भाषण में मैंने हड़तालों और तालाबंदी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए जाने का निवेदन किया था और बताया था कि हमारे देश की मूल दर्शन समाजवाद है । एक प्रसिद्ध कम्पनी आंफ कोचीन, जो बहुत लाभ कमा रही थी, मैं तालाबन्दी की गई और मैंने इस सदन में कम से कम छः बार निवेदन किया था कि उस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए । मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों नहीं किया गया ।

मैंने रुग्ण उद्योगों संबंधी तथ्य और आंकड़ों की जांच की और देखा कि अधिकतम रुग्ण उद्योग पश्चिम बंगाल में है। सरकार ने बहुत बार आगे बढ़कर उनमें से कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया है लेकिन मैं नहीं जानता की बैनी कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए।

मैं रुग्ण उपायों के अन्य पहलू से भी बहुत चिन्तित हूं। इन रुग्ण उद्योगों में 25,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का पूंजी निवेश किया गया है। वह धन किसका है? एक बार पूंजी निवेश होने के बाद, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या गैर सरकारी क्षेत्र में, वे सार्वजनिक न्यास बन जाते हैं और मैं इस सदन में अनुरोध करता रहा हूं कि उन्हें कुछ भी नकद राशि का भुगतान किए बिना उन रुग्ण उद्योगों का अधिग्रहण किया जाये और श्रमिकों को सरकार की सहायता से उन इकाइयों को चलाने में निर्णयात्मक भूमिका निभाने की अनुमति दी जाये। श्री साठे यहां उपस्थित हैं। अपनी हाल ही में लिखी पुस्तक में उन्होंने मजदूर की भूमिका के बारे में बहुत अच्छा उल्लेख किया है हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का जिक्र करते समय मैंने उन्हें मजदूर वर्ग पर और अधिक जिम्मेदारियां डालने और औद्योगिक उद्यमों के चलाने में मजदूरों को भागीदार बनाने का किया है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि श्री साठे ने उस दिशा में पहल की है। उन्होंने कुछ श्रमिक नेताओं को प्रबंध बोर्डों में रखा है जो कि बहुत अच्छा कदम है। यदि आप नियोजित आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि उसमें मजदूरों का पैसा लगा होना चाहिए, प्रबन्ध व्यवस्था से जुड़े होना चाहिए। यह चीज आज नहीं दिखाई देती। औद्योगिक रुग्णता का एक कारण इस क्षेत्र में मजदूरों को प्रबन्ध व्यवस्था से न जोड़ना अथवा उन्हें इसमें शामिल न करना है। अतः मेरा सुझाव है कि जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, प्रबन्ध व्यवस्था में अधिक मजदूर शामिल किए जाने चाहिए। तभी लोग इसमें शामिल होंगे। अन्यथा अपनी नियन्त्रत निपणन प्रणाली में हम बेरोजगारी तथा निर्धनता समाप्त करने के मामले में वांछित प्रगति नहीं कर सकते।

दूसरी दुःखद बात यह है कि अकेले बैंककारी क्षेत्र ने ही 3179 करोड़ रुपए से अधिक राशि का पूंजी निवेश किया हुआ है जो रुग्ण उद्योगों में लगा है। यह सरकार का पैसा है। आप इसे उत्पादक कैसे बनाने जा रहे हैं? यह वित्तीय संस्थानों का पैसा है। क्या आप इन उद्योगों को समाप्त हो जाने देंगे? संसाधनों का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए लेकिन आज इस बात की कमी है। जब तक सरकार सीमित संसाधनों को उत्पादक तरीके से प्रयोग में लाने पर विचार नहीं करती, कई उद्योग बन्द से हो जाएंगे।

मैं नहीं जानता कि इस विशेष राष्ट्रीयकरण विशेष राष्ट्रीयकरण विधेयक में दो श्रमिकों के साथ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान क्यों व्यवहार किया गया है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिए। इन कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के

कर्मचारियों के समान ही पेंशन तथा अन्य लाभ दिए जाते हैं जबकि कोचीन रिफाइनरी के मामले में ऐसी ही मांग स्वीकार नहीं की गई यद्यपि इसके लिए कई बार अनुरोध किया गया है। क्या सरकार ऐसे उद्योगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करेगी ?

पहले दी गई टिप्पणियों के आधार पर मैं इस विधेयक का अनुमोदन करता हूं। उद्योगों की रुग्णता व्यापक होती जा रही है। मैंने इस सदन में कोचीन शिपयार्ड के कारणों के बारे में बताया है जहां कुप्रबन्ध, अपर्याप्त प्रबंध, निष्क्रिय पर्यवेक्षी अधिकारियों तथा असहयोगी श्रमिक वर्ग के कारण वर्तमान स्थिति पैदा हो गई है। मैं इस सदन में अनुरोध करता रहा हूं कि उसके कारणों की जांच के लिए एक दल भेजा जाए जो उसके समाधान के लिए कुछ सुझाव दें।

कुल मिलाकर मैं सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का अनुमोदन करता हूं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं द्वारा कहा गया कि उचित तथा कार्यकुशल प्रबन्ध होना चाहिए ताकि राष्ट्रीयकरण असफल सिद्ध न हो। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : श्रीमन्, कभी-कभी यह सरकार अच्छे प्रस्ताव लाती है, हालांकि उनकी संख्या कम होती है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक संख्या में लघु क्षेत्र के इंजीनियरिंग एकक हैं, और केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों के कारण उनमें से अनेक खराब हालत में हैं। ... (**व्यवधान**) न केवल इस सरकार की गलत नीतियों के कारण जो कि 1980 में सत्ता में आई है, बल्कि पहले की कांग्रेसी सरकारों के कारण भी ऐसा हो रहा है।

श्री पट्टाभिराम राव : बीच में जनता सरकार भी थी।

प्रो० रूप चन्द पाल : नहीं, उन्हें इनको और रुग्ण बनाने का मौका ही नहीं मिला।

संसद का अधिवेशन शुरू होने से ठीक पहले अध्यादेश जारी करना एक आम बात हो गई है, जिस पर खेद व्यक्त किया जाना चाहिए। लेकिन मैं विधेयक का स्वागत करता हूं, हालांकि इसे कुछ देर से लाया गया है, फिर भी सरकार का यह कदम सराहनीय है।

हुगली डोकिंग के दोनों एककों में करीब 2,500 कर्मचारी कार्य करते हैं और वे गम्भीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हालांकि 1973 से इसे आई० आर० सी० आई० चला रही थी। लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार, कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय-के अलावा कोई और विकल्प नहीं था और अर्थव्यवस्था के हित में और खुद कम्पनी के अपने हित में भी यही सही था। जब श्रमिक स्वयं देश के हित में ऐसी मांग रखते हैं तो मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि चार श्रमिकों को, जोकि यूनियन नेता थे, पदच्युत कर दिया गया।

चूंकि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई है, मैं कहा चाहूंगा कि सरकार को इन कर्मचारियों को सजा नहीं देनी चाहिए।

4.00 म० प०

हालांकि आई० आर० सी० आई० ने प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है, परन्तु मशीनों का नवीकरण नहीं हुआ और इस एकक की पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया गया। किसी भी नये कर्मचारी को रोजगार नहीं दिया गया, लेकिन कई अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं हैं और जैसा कि आपने सही ही कहा है कि इनकी रुग्णता का एक मुख्य कारण कुप्रबन्ध है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की और अन्य रिपोर्टों में भी यही कहा गया है। अब, चूंकि आपने इसका हवाला दिया है, मैं इस पर पुन: कुछ नहीं कह रहा हूं। यहां भी कुप्रबन्ध है। लेकिन हमारे अनुभव के आधार पर कुप्रबन्ध के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी पनपता है। पहले भी कुछ मामलों का जिक्र किया गया था और संबंधित प्राधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया गया था कि प्रबन्ध के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार गतिविधियों में बुरी तरह ग्रस्त हैं। जब सरकार ने उपाय किए हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें और इस प्रकार के कुप्रबन्ध को हटायें और सही प्रबन्ध का इन्तजाम करें ताकि कम्पनी सही ढंग से चल सके। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाये, उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

प्रबन्धकों ने जनवरी, 1983 में जबरन छुट्टी घोषित कर दी और कर्मचारियों को उनकी मजूरी नहीं दी। हालांकि भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की राशि उनके वेतन से काटी गई थी, लेकिन जमा नहीं कराई गई हैं। यह एक गम्भीर मामला है, हालांकि हमारे देश में यह एक आम बात है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। मैं कहना चाहता हूं कि इन विशेष मामले में भी प्रबन्धकों ने पैसा जमा नहीं कराया।

श्रीमन्, कम्पनी को केवल वित्तीय सहायता देने से ही कार्य नहीं हो जायेगा, क्योंकि अपने अनुभव से हमने देखा है कि गम्भीर समस्याओं और रुग्णता को जड़ से खत्म करना होगा। इस उद्देश्य से एक कार्यक्रम बनाना होगा ताकि कम्पनी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रबन्ध में भागीदार नहीं बनाया जाता। इस तरफ इंगित भी किया गया है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और श्रमिकों, जो कि अपना सहयोग देने को उत्सुक हैं का सहयोग लेगी। उनके सहयोग का स्वागत किया जाना चाहिए और श्रमिकों के सुझावों पर ध्यान देकर उस पर विचार किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में, मैं विधेयक के एक विशेष उपबन्ध का उल्लेख करना चाहता हूं, जो कि

श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है। इस विधेयक का स्वागत करते हुए, श्रमिकों में विशेष तौर पर इस उपबंध के कारण रोष है। अध्याय पांच में सेवा-निवृत से सम्बन्धित उपबंध है, जिसमें यह कहा गया है कि जहां उसने नियत दिन से पूर्व या उससे तीन मास की अवधि के भीतर 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या कर लेता है, इसका मतलब है कि सेवा-निवृत आयु 58 वर्ष होने जा रही है। लेकिन श्रीमन्, श्रमिकों के साथ हुए करार में कहा गया है कि कम्पनी की सेवा से श्रमिकों को साठ वर्ष पूरे होने पर सेवा-निवृत किया जायेगा। लेकिन कम्पनी अपनी अनन्य विवेकाधीन किसी श्रमिक को इस आयु के बाद भी उसकी सेवा काल में वृद्धि कर सकती है। यहां श्रमिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है यह त्रिपक्षीय समझौते का यह परिणाम है। राष्ट्रीयकृत कम्पनी 'इंस्को' के बर्नपुर एकक में भी सेवा-निवृत की आयु सीमा 60 वर्ष है। यहां सेवा-निवृत की आयु निम्न क्यों है ? इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर पुनर्विचार करे और इसे 60 वर्ष कर दे।

अन्त में, श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि, जैसा कि मैंने पहले भी जोर देकर कहा है कि मात्र कुछ वित्तीय सहायता दे देने से ही कोई रुग्ण कम्पनी अर्थ क्षम नहीं हो जाती। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबन्ध कार्यकुशलता से हो और वह श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करे।

श्री राम प्यारे पांडेय (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैं, हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन अन्तकरण) विधेयक 1984 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल का दोनों तरफ के सदस्यों ने समर्थन किया है। जो भावनाएं यहां पर व्यक्त की गई हैं, वे करीब-करीब एक दूसरे से मेल खाती हैं। यह बात सही है कि प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइन्ट और को-आपरेटिव सैक्टर्स का महत्व इस मायने में कम हो जाता है क्योंकि चारों सैक्टरों में हमारे इंस्टीच्युशनल फाइनेंस का पैसा लगा हुआ है, इसलिए प्राइवेट सैक्टर का नाम देकर, मजदूरों का शोषण करना और उनको देश की पूंजी के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जा सकता। मैन-डेज लॉस का मतलब यह नहीं है कि स्ट्राइक मजदूरों ने की है बल्कि पचास परसेंट से ज्यादा मैन-डेज लास, मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण होते हैं। सिकनेस, लॉक आउट या ले-आफ वगैरह इसके कई कारण हैं। आज हमारे सैक्टर्स में पब्लिक मनी लगी हुई है, जिसकी चर्चा श्री शेजवालकर जी और दूसरे सदस्यों ने भी की है, निश्चित रूप से उसका ध्यान रखना चाहिए। शिप-बिल्डिंग के मामले में भी अभी हम आत्म-निर्भर नहीं हैं, विदेशों से मंगाते हैं। फौरन एक्सचेंज भी काफी इसमें लग जाता है। पिछले वर्ष जब हम लोग साऊथ कोरिया गए तो वहां की सरकार ने हमको शिप-बिल्डिंग यार्ड दिखाया। यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि तीन करोड़ अस्सी लाख लोगों का देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि प्राईवेट सैक्टर वाले ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मेरे क्षेत्र राबर्टसगंज में दस-बारह गवर्नमेंट सैक्टर्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे

हैं। हिन्डालकों और कनोड़िया केमिकल्स आदि भी हैं। प्राईवेट सैक्टर में पावर हाऊस है। कोयला भी अलग से लेते हैं जहां से इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के लोग लेते है। लेकिन, उनका उत्पादन करीब-करीब सौ परसेंट रहता है जबकि हमारे पावर हाऊसेज का केवल चालीस परसेंट है। कभी-कभी तो और भी नीचे चला जाता है। हम लोग निश्चित तौर से पब्लिक सैक्टर के हम, दर्द हैं। अगर हम उसको महत्व देते हैं तो रिजल्ट भी देना चाहिए। रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो जितना रुपया खर्च करते हैं, उससे देश को नुकसान होता है और भारत की अर्थ-व्यवस्था पर असर पड़ता है। इसका कारण यह है कि हमारे कारपोरेशन्स और अन्डरटेकिंग्स में सरकार की दखलन्दाजी बहुत कम है। हमारे मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं— उन पर कोई बाहर का दबाव नहीं पड़ने दिया जाता। लेकिन नतीजा क्या है ? व्यापक ढंग से आजकल अन्डरटेकिंग्स में भ्रष्टाचार चल रहा है। टेन्डर देने में इतनी भ्रष्टाचारी है कि कोई नया आदमी ठेका लेना चाहे तो वह नहीं ले सकता। उसका कम्पीटीशन होना चाहिए जिससे सबको मौका मिले।

कुछ लोग मेरे पास आए, भिर्जापुर से, कि हमें टेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। जब मैंने कारण पूछा तो कहा कि फलां सर्टिफिकेट मांगते हैं, अनुभव सर्टिफिकेट मांगते हैं। कभी-कभी अनुभव नहीं, किसी और रास्ते से अपने आदमियों को देते हैं और इस तरह से टेंडर देने में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यही नहीं अप्वाइन्ट-मैंटस में भी धांधली की जाती है। जितने भी पब्लिक सैक्टर के बड़े-बड़े आफिसर होते हैं, इंटरव्यू का बहाना करके अपने ही लोगों को वहां भरने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कोई कमेटी बना देंगे। जिस किसी पोस्ट पर अपने रिश्तेदारों को भरना होगा, उस कमेटी में वे स्वयं नहीं होंगे बल्कि एक नई कमेटी बना दी जाती है। हमारे जिले में कई कम्पनियां ऐसी है, जहां अप्वाइंट-मैंटस में, ठेकेदारी में या कार्य कराने में अथवा सामान परचेज करने में भारी गड़बड़ होती है। इसलिए मुझे उनका अनुभव है।

आज जरूरत इस बात की है कि ऐसी चीजों को कन्ट्रोल किया जाए। हमारे फाइनैन्शियल इंस्टीटयूशन्स की इज्जत कैसी होती है, जो उनको पैसा देते हैं, उसके बारे में कुछ मत पूछिए। इसलिए हमारे मंत्री जी को ऐसी तमाम चीजों पर नजर रखनी होगी। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने प्राइवेट सैक्टर को केवल इसलिए रखा था कि हमारी इन्फ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज पब्लिक सैक्टर में होनी चाहिएं। चूंकि उस समय हमारे पास संसाधनों की कमी थी। अब प्राइवेट सैक्टर का यह अर्थ नहीं होता है। जैसा हमारे एक साथी ने अभी बताया हमारे बैंकों का इसमें 28 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है जबकि उन कम्पनियों के द्वारा सिर्फ 1.45 करोड़ रुपए का निवेश है, जो उन्होंने अपने पास से लगाया है या किसी भी तरह मैनेज किया है। इसके माने क्या हैं ? अब यह मात्र एक टैक्निकल चर्ड रह गया है।

आज पब्लिक सैक्टर से देश के विकास में जो मदद मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। आजकल एक टैन्डेंसी यह हो गई है कि कोई उद्योगपति कोई एक इंडस्ट्री लगायेगा तो वह बैंक से रुपया लोन लेता है, या किसी फाइनैन्शयल इंसटीट्यूट से लोन लेता है। अभी उससे पूरे रिजल्ट मिले नहीं कि एक नई कम्पनी का निर्माण कर लिया जाता है और उसका धन दूसरी कम्पनी में इन्वैस्ट कर दिया जाता है। इस तरह वहां लेबर का भी एक्सप्लायटेशन होता है। यदि किसी कम्पनी में 10 हजार मजदूर काम करते हैं तो रजिस्टर में उनकी संख्या तीन हजार होगी, बाकी सब कान्ट्रेक्ट लेबर इधर उधर की होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार की मंशा मजदूरों का शोषण रोकने की है, फिर हमें तमाम लेबर-लॉज को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि प्राइवेट सैक्टर के लोग और पब्लिक सैक्टर के लोग उसका पूरी तरह से पालन करें। लेकिन आज तो गवर्नमेंट के अन्डरटेकिंग भी उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। इन दोनों में ये कुछ कमियां हैं, खामियां हैं।

मान्यवर, यहां हमारे साथियों की ओर से कुछ सुझाव आए हैं, मैं समझता हूं हमें उन को देखते हुए आगे चलना चाहिए ताकि हमारी ये इंडस्ट्रीज पनप सकें, उनकी कार्यविधि ठीक हो...

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपको पब्लिक सैक्टर की पौलिसी मालूम है पब्लिकली सपोर्ट दी पब्लिक सैक्टर, प्राइवेटली सपोर्ट दी प्राइवेट सैक्टर।

श्री राम प्यारे पांडेय : उनमें सारा गवर्नमैंट का रुपया लगा हुआ है, इसीलिए उनमें सुधार की जरूरत है, उनके मिस-मैनेजमैंट को ठीक करने की जरूरत है, और जब उनको टेक-ओवर किया जाए तो जिस मंशा से हम उनको टेक-ओवर करना चाहते हैं, वह पूरी होनी चाहिए। उनमें उत्पादन बढ़ायें, मजदूरों का शोषण बन्द हो, प्रौफिट भी उनमें होना चाहिए। मैं एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा कि वहां से जो टैक्निकल लोग चले गए हैं, हमें उनको फिर से बुलाना चाहिए, उनका बकाया वेतन दिया जाना चाहिए और लेबर को जो भी देय हो, प्रौविडेंट फण्ड का अथवा बोनस का या किसी दूसरी प्रकार का हमें नियम बनाते समय सभी व्यवस्थाओं का उसमें समावेश करना चाहिए। जिसमें तमाम प्रबन्ध ठीक हो सकेगा और जिस मंशा से हम उसको टेक-ओवर कर रहे हैं, वह भी पूरी हो सकेगी। इन शब्दों के साथ, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री पट्टाभि राम राव : मैंने उन सदस्यों को ध्यान से सुना है, जिन्होंने हुबली डोकिंग एण्ड इन्जिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश का निरनुमोदन करने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प का समर्थन किया है और उनको भी संकल्प के विरोध में और अध्यादेश के स्थान पर विधेयक रखे जाने के पक्ष में बोले हैं।

श्री शेजवलर ने अध्यादेश प्रस्ताव का विरोध किया है। 31-7-84 को रखे गए विवरण में उन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिनकी वजह से अध्यादेश को जारी किया जाना आवश्यक हो गया है।

कम्पनी घोर वित्तीय संकट में थी और वित्तीय संस्थान बिना सरकारी गारन्टी के इसे राशियां उपलब्ध नहीं करा रहे थे। देरी करने से कम्पनी के कार्यकरण और श्रमिकों के मजदूरी से संबंधित महत्वपूर्ण आदेशों को लागू करने पर विपरीत प्रभाव पड़ता। इसलिए 286-1984 को अध्यादेश जारी करके कम्पनी के उपक्रमों का अधिग्रहण करना आवश्यक समझा गया।

सरकार की राष्ट्रीयकरण के बारे में एक निश्चित नीति है। यह मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया है और कुछ लोगों ने इस रहम का विरोध किया है। मात्र राष्ट्रीयकरण के लिए ही राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। हमें सम्बद्ध लोक हित, एकक की सक्षमता रोजगार का संरक्षण और अर्थ-व्यवस्था की संगति को भी ध्यान में रखना होता है। विधेयक के साथ जोड़ी गई अनुसूची में कर्मचारियों को देय मजदूरी, वेतन बकाया आदि को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। हमारे अनुमान के अनुसार ये बकाया उस धन से देय हो जायेंगे जोकि भुगतान आयुक्त को उपलब्ध कराये जायेंगे और इस प्रकार कर्मचारियों को हानि नहीं होगी।

श्री एन० के० शेजवलकर : कुल देय राशि कितनी है ?

श्री पट्टाभि रामे राव : मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। मुझे अपने ढंग से बोलने दीजिए।

1973 से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम धन के द्वारा इस कम्पनी को मदद दे रहा है। तथापि इस कम्पनी को पर्याप्त रूप से आधुनिक बनाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि इस कम्पनी में विद्यमान सुविधाएं पुरानी हो गई है। कम्पनी से संबंधित सभी मामले पर एक विशेषज्ञ दल ने अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट में इसके राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की और उसके पश्चात् शीघ्र ही उसके आधुनिकीकरण की सिफारिश भी की। सरकार ने कुछ समय लिया, जिसके दौरान सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया और फैसला किया कि अध्यादेश द्वारा उपक्रमों का अधिग्रहण किया जायें जिससे, कम्पनी बन्द होने से बच गई है।

इन उपक्रमों के अंजन के एवज में 650 लाख रु० दिया जाना है। कम्पनी को ध्यान में रखकर ही इस राशि का निर्धारण किया गया है। इस कम्पनी की देन दारियां कहीं ज्यादा है। उपलब्ध राशि से इन देनदारियों को जहां तक सम्भव होगा चुराया जाएगा।

नई कम्पनी का आधुनिकीकरण शीघ्र ही किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप इसकी प्रगति की रफ्तार में तेजी आयेगी ।

सभी पांचों माननीय सदस्यों को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात्, जिन्होंने मुख्यत: हुगली डोकिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लि० (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश 1984 का निरनुमोदन करने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प के पक्ष में ही कहा है, और उन दो माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इसके विपक्ष में कहा है, सम्मानित सभा की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं ।

हुगली डोकिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता जोकि जहाजों के निर्माण, बरनकी मरम्मत और सामान्य इन्जीनियरिंग कार्यों में रत है, 1970 के दशक के आरम्भ में इसके बन्द होने का गम्भीर खतरा पैदा हो गया था, और इसने सहायता के लिए भारतीय ओद्योगिक पुनर्निर्माण निगम से अनुरोध किया । हालांकि इस निगम ने 1973 से सहायता प्रदान करनी आरम्भ कर दी थी लेकिन फिर भी कम्पनी रुग्ण ही रही क्योंकि इसके पास कार्यकारी पूंजी, आधुनिकीकरण के लिए और निवेश, ब्याज देनदारी जोकि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, के लिए पर्याप्त धन नहीं था और इन सबके परिमास्वरूप और मुश्किले पैदा होती गई और घाटे में भी वृद्धि होती गई । कर्मचारियों को देय राशि और अन्य भुगतान बकाया होती गई । कम्पनी के भविष्य की अनिश्चितता के कारण, कम्पनी के बहुत से तकनीकी और प्रबन्धकीय कर्मचारी इसे छोड़ गए । निगम (आई. आर. सी. आई.) के लिए कम्पनी को चलाए रखना मुश्किल हो गया और इसलिए निगम ने 1978 में सरकार से और धन दिए जाने के लिए अनुरोध किया ।

देश की अर्थ व्यवस्था के लिए आवश्यक उपकरणों का यह कम्पनी निर्माण कर रही थी । निगम के अनुरोध पर भारत सरकार ने कम्पनी के चालू रखे जाने के लिए और अग्रिम राशि दिए जाने की गारन्टी दी । मार्च, 1982 से आई. आर. सी. आई. से कर्ज के रूप में केन्द्रीय सरकार ने 5 करोड़ रु० से अधिक की गारन्टी दे चुकी है, हालांकि उस समय तक आई. आर. सी. आई. कम्पनी को दस करोड़ रु. से अधिक का कर्ज दे चुकी थी जब तक कम्पनी का राष्ट्रीयकरण न कर दिया जाता, तब तक इसे केन्द्रीय सरकार और ऋण दे पाना सम्भव न था । ऐसी कम्पनी के उपक्रमों, जो कि आवश्यक उपकरण बनाने में लगी हुई है, का अर्जन करने में और देरी करने से कम्पनी के लिए ही मुश्किलें पैदा होगी और सरकार पर भी इस का बोझ पड़ता । इन परिस्थितियों में और लोकहित में कम्पनी के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार द्वारा 8 जून, 1984 को जारी अध्यादेश की उद्घोषणा अर्जन किया गया । अगर यह अध्यादेश न किया जाता तो यह निश्चित था कि सरकार को वेतन और मजदूरी के एवज में अधिक भार सहना पड़ता, खासकर श्रमिकों को बिल्कुल भी अदायगी न की जा सकती ।

मुझे खुशी है कि राष्ट्रीयकरण के इस फैसले का सभी वर्गों, विशेषकर 2500 से अधिक कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया है। माननीय सदस्य श्री समर मुखर्जी और सुशील भट्टाचार्य ने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक ही रहने देने के बारे में संशोधन प्रस्ताव रखे थे, हालांकि इन्हें औपचारिक रूप से पेश नहीं किया गया। जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु 58 वर्ष है, इसलिए ऐसा करना न तो उचित ही था और न ही सही था कि इस विशेष उपक्रम के लिए उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु को 60 वर्ष रखा जाता, सभी संबंधित वर्गों के साथ मामले पर गम्भीरता से विचार किया। वास्तव में, मुश्किलों को कम करने के लिए जिन कर्मचारियों की 8 जून, 1984 से तीन माह के भीतर 58 वर्ष की आयु है अथवा हो जाएगी उन्हें 27 सितम्बर, 1984 को सेवा-निवृत्ति होने की छूट दी गई है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 210 है।

इस सन्दर्भ में, मैं आपका ध्यान विधेयक के साथ जुड़ी अनुसूची की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें कम्पनी के कर्मचारियों को वेतन और मजूरी तथा अन्य देय राशियों के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ये अदायगी नियुक्त किए जा रहे भुगतान आयोग के पास इस उद्देश्य से पड़ी राशि में से की जायेगी।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री शेजवलकर ने कर्मचारियों की बकाया राशि के बारे में पूछा है।

30-8-84 तक अनुमानतया कर्मचारियों का 165 करोड़ रु० बकाया था। भुगतान आयुक्त को दी जाने वाली राशि से इसका निपटान हो जाएगा।

माननीय सदस्य श्री समर मुखर्जी और श्री सुशील भट्टाचार्य ने औपचारिक रूप से अपने संशोधन पेश नहीं किए हैं। मैंने कहा था कि कम्पनी के चार कर्मचारियों को दुराचरण के कारण बर्खास्त कर दिया गया था मामला यह था कि जनवरी, 1983 में हुगली डोकिंग एण्ड कम्पनी लि० के एक एकक, पोर्ट इन्जीनियरिंग वर्क्स के कुछ कर्मचारियों ने यूनियन के नेताओं के भड़काने पर हिंसा में भाग लेकर अधिकारियों पर आक्रमण किया। उस स्थिति में 15 जनवरी, 1983 को तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी और इसे चरणों में 19 जून, 1983 और 3 जुलाई, 1983 को उठाया गया। कुल 28 कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिए गए। आन्तरिक जांच के बाद, मामूली दण्ड देकर, 23 कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया। प्रमुख दुराचरण के आरोप साबित हो जाने पर चार कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। जांच अधिकारी ने सहज न्याय के सिद्धांत को अपनाया और प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर दिया गया। अनुशासन बनाए रखने के लिए, प्रबन्धकों की यह कार्यवाही अपरिहार्य थी। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को पुन: नौकरी पर लिए जाने के तर्क का कोई औचित्य नहीं है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या राष्ट्रीयकरण से यह सद्भावना प्रदर्शित की गई है ।

श्री पट्टाभिराम राव : राष्ट्रीयकरण से सद्भावना प्रदर्शन की बात ही नहीं है । बंगाल में हम पाते हैं कि अधिकांश एकक इसी प्रकार बन्द है । मुझे खेद है कि यह मेरी टिप्पणी है ।

श्री नारायण चौबे : यह प्रेरित है ।

श्री पट्टाभिराम राव : यह प्रेरणा का प्रश्न नहीं है । जैसे ही हम पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हैं, आप सभी खड़े हो जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री पट्टाभिराम राव : मैं आपको तथ्य बता रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री पट्टाभिराम राव : बंगाल में ज्यादा उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया गया । लेकिन इन सबमें सबसे बड़ी समस्या श्रमिकों की है ।

प्रो० रूपचन्द पाल : मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा कि अन्य राज्यों में स्थिति इससे भी खराब है ।

श्री पट्टाभिराम राव : कुछ एकक यहां वहां हो सकते है । लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसे राष्ट्रीयकृत एककों की संख्या अधिक है । पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत एककों की संख्या अधिक है । इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह श्री एन० के० शेजवलकर द्वारा रखे गये प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दें और विधेयक पर विचार करें ।

श्री एन० के० शेजवलकर : इससे पहले कि मैं बोलूं मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न मैंने पूछा है उस पर माननीय मंत्री महोदय कुछ बोलें ।

सभापति महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने कुछ विशिष्ट मुद्दे उठाए थे । आपने 650 लाख का प्रावधान किया है । लेकिन कैसे ? आपने कहा है कि प्राथमिकता क्रम दिया गया है । मैं जानता हूं कि प्राथमिकता दी हुई है । अनुसूची में ऐसा दिया गया है । मैं बीच में पूछना चाहता था । लेकिन आपने कहा था कि 'मुझे बाधा मत डालिए ?'

आपने कृपा करके यह बताया कि 30 जून, तक 165 लाख रुपए की देनदारियां थीं। लेकिन बकाया और मुआवजे आदि के वर्गों के बारे में क्या प्रावधान है ? प्रश्न यह है कि आप बिना किसी आधार के 165 लाख रु० की गणना कर बैठे।

श्री पट्टाभिराम राव : नहीं।

श्री एन० के० शेजवलकर मेरे अनुसार ऐसा नहीं कह रहा।

जब तक आप खुलासे से अपना मामला नहीं रखेंगे और सभा को बतायेंगे कि आप 650 लाख रु० तक कैसे पहुंचे, मैं कह सकता हूं कि यह मेरे अनुसार है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

हमने कहा है कि अन्तत: आप इस प्रयोजनार्थ अध्यादेश को लाए। 28 जून, 1984 को जबसे आपने इस कम्पनी का अधिग्रहण किया है, क्या हुआ है ? आपने कितनी राशि प्रदान की है ? आपने क्या किया है ?

जब तक आप यह नहीं कह देते कि इस अवधि तक कुछ न कुछ करके दिखा दिया जाएगा, तब तक इस अध्यादेश का कोई औचित्य ही नहीं है।

मैं चाहता हूं कि आप सभा को यह बतायें कि औचित्य क्या था और वास्तव में क्या किया गया। श्री साठे यहां पर बैठे हैं। मैं, एक अन्य कम्पनी के अधिग्रहण के मामले के बारे में उल्लेख करूंगा। आप ऐसा क्यों नहीं ? एक महीने में क्या हो जाता ? आपके अनुसार भी 1973 के बाद अथवा उससे पहले भी कम्पनी की हालत अच्छी नहीं थी। आई० आर० सी० आई. को पैसा देना पड़ा था। आपने कहा कि 1978 में ही 10 करोड़ रुपए का घाटा था। 1982 में फिर आपने कुछ ऋण दिया। आपने यह भी कहा कि इस कम्पनी के बारे में एक रिपोर्ट थी। वह रिपोर्ट आप को कब प्रस्तुत की गई ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह रिपोर्ट पहले ही से विद्यमान थी कि आप कम्पनी का अधिग्रहण करें और यह रिपोर्ट दो वर्ष पहले प्रस्तुत की गई थी। सरकार पिछले 2 वर्षों में क्या कर रही थी ? इस प्रकार अध्यादेश को लाने की बजाए आप विधेयक पहले क्यों नहीं सामने लाये ? यही मेरे प्रश्न हैं। इन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दिए बिना, केवल एक सामान्य वक्तव्य देना, मैं नहीं जानता, किस प्रकार सभा को संतुष्ट करेगा ? इस स्थिति को स्पष्ट करना आपका काम है। यदि आप तथ्य और आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं यह मान लूंगा कि आपके पास कोई औचित्य नहीं था। जब तक आप मेरे इन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर नही देते, मैं इससे आगे भाषण कैसे दे सकता हूं ? यदि आपको कुछ कहना है तो आपका स्वागत है।

पट्टाभिराम राव : मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अध्यादेश क्यों जारी करना पड़ा।

सभापति महोदय : उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप इस बात को नहीं मान रहे हैं जो मैंने कही है···

सभापति महोदय : आपने पहले ही सभी मुद्दों पर प्रश्न पूछ लिए हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : फिर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। लम्बे भाषण देने की मेरी आदत नहीं है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : आप अपना संकल्प वापस ले सकते हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप यह कहिए कि एक अध्यादेश लाकर आपने गलती की है, तब मैं इसे वापस ले लूंगा।

श्री पट्टाभिराम राव : हमें यह अध्यादेश क्यों लाना पड़ा, इसके बारे में मैंने औचित्य दे दिया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : फिर भी संक्षेप में मैं जो कहना चाहता चाहता हूं वह हत है मेरा तर्क यह नहीं है कि अन्ततः प्रत्येक राष्ट्रीयकरण बुरा होता है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पहला जो कपड़ा उद्योग के प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने ने भी उस समय यह कहा था कि सभी रुग्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है।

श्री व्यास ने यह कारण बताया था कि ऐसा रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था। रोजगार प्रदान करनें के लिये बहुत से अन्य तरीके हैं। यह हास्यास्पद बात है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए वहां खर्च किये जाएं जहां से प्राप्ति केवल 0.84 प्रतिशत की है। यह औचित्य नहीं हो सकता। अतः जो मैं अनुरोध कर रहा हूं वह यह है कि राष्ट्रीयकरण अन्तिम ध्येय नहीं हो सकता। यह केवल कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करनें का माध्यम है। यदि माध्यम लाभदायक है तो हमें इसे अपनाना चाहिए। यदि माध्यम से कोई लाभ नहीं होता तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हमें इन बातों के बारे में स्पष्ट होना चाहिये। एक नारे का सहारा लेकर हमें कोई लाभ नहीं होगा। मुझे राष्ट्रीयकरण के बारे में यही सब कुछ कहना है।

आप सभा को कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं। आप इन बातों को अत्यन्त सहज रूप से

ले रहे हैं। इस प्रकार का उपाय एक अध्यादेश द्वारा नहीं करना चाहिए। सभापति ने कई विनिर्णयों द्वारा यह लगातार स्वीकार किया है। आप यह स्पष्ट करना आवश्यक नहीं समझते की अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी। आप केवल "लोक हित" की संज्ञा देकर यह कहते चले जा रहे हैं कि इसकी आवश्यकता थी। इससे लाभ नहीं होगा अतः मुझे अपने संकल्प पर दृढ़ रहना होगा और मैं अपने संकल्प पर दृढ़ हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 1984 को प्रख्यापित हुगली डॉकिंग एंड इंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्ज और अंतरण) अध्यादेश 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पोत-निर्माण और पोत मरम्मत के आधुनिकीकटण के लिए और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जिससे पोतों, जलयानों और यानों का आयात कम किया जा सके तथा उक्त उपक्रमों द्वारा घूसर, लोह अलौह और मिश्र-धातु की ढालकर वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जिससे उक्त वस्तुओं का, जो देश की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, प्रदाय जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण का हित सुनिश्चित करके जनसाधारण के हित साधन के लिए हुगली डॉकिंग एंड एंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के आधार-भूत ढांचे का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक बिषयों का उपलंघन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

जोड़ खंड 13

सभापति महोदय : श्री समर मुखर्जी तथा श्री सुशील भट्टाचार्य द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है । परन्तु वे यहां पर नहीं हैं । अतः प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 14 से 33 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में दिए गये ।

श्री पट्टाभि राम राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जनसाधारण के हित में मैसर्स बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड, के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे संबधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि जनसाधारण के हित में मैसर्स बंगाल इम्यूनिती कम्पनी लिमिटेड, के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उस संबंधित था उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

4.37 म० प०

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

श्री वसन्त साठे : इस विधेयक को विचारर्थ प्रस्तुत करते हुए मुझे ज्यादा नहीं कहना है। बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड के इस राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन को उद्देश्यों के विवरण में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। मेरे विचार से किसी भी विधेयक पर यह सबसे छोटी चर्चा होनी चाहिए।

अत:, मैं महसूस करता हूं कि मुश्किल से शायद ही कोई विपक्षी दल इस विधेयक का किसी प्रकार का विरोध करेगा। इस सभा में एक लम्बे अरसे से यह मांग की जा रही थी और अन्त में मैं इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने वाले विधेयक को सामने लाया हूं, जो जनता के लिए आवश्यक औषधियां निर्मित करती है।

इस कम्पनी का एक इतिहास है। इसे बी० सी० राय और उनके साथियों द्वारा स्थापित किया गया था। और जब से यह 1919 में स्थापित की गई थी, तब से यह मुख्यत: जीवन-रक्षक औषधियां ही निर्मित कर रही थी। दुर्भाग्य से - मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता—यह कम्पनी कर्मचारियों और प्रबन्धकों की समस्यों से घिर गई थी।

अत:, इसको पहले तो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 18 क के अधीन 18 मई, 1978 को अधिग्रहण किया गया था। तब से, सरकार ने इस कम्पनी में 16.70 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश किया है और यह राशि नकद घाटे तथा कार्यकारी पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिये ही प्रयोग में नहीं लाई गयी है, अपितु इसका उपयोग उत्पादन सुविधाओं को आधुनिक बनाने और नई उत्पादन सुविधाओं के लिए भी किया है। इसके बावजूद भी मुझे यह कहना पड़ेगा पूर्व बाधा के कारण, जो उस समय थी जब कि हमने कम्पनी को हाथ में लिया था, घाटा बढ़ता जा रहा था, हांलाकि कम्पनी के अधिग्रहण के बाद उत्पादन बढ़ गया है। 1977-78 में यह 259 लाख रुपए था।

1983-84 में यह एकदम 815 लाख रु० बढ़ गया। यही हाल बिक्री का है। परन्तु

दोबारा कई कारणों की वजह से घाटे को शायद रोका नहीं जा सका हालांकि यह आशा की जाती है कि 1984-85 में यह घाटा अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीयकरण हो जाने से प्रबन्ध और प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी में सुधार हो जाने से बंगाल एम्यूनिटी कम्पनी औषधीय क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र की एक आदर्श कम्पनी बन जाएगी।

इसी आशा के साथ मैं यह विधेयक लाया हूं मैं सभा के सभी वर्गों से समर्थन के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए मुझे इस कम्पनी के कार्य संचालन के कुछ पहलुओं के बारे में कहना है कि ताकि माननीय मंत्री उन पर विचार कर सकें और कुछ समय के बाद उन सुझावों के बारे में, जो मैं अपने भाषण के दौरान दूंगा, कुछ करें।

महोदय, बंगाल राज्य देश के औषधीय उद्योग में कभी सबसे आगे था। वास्तव में आचार्य पी० सी० राय जैसे बंगाल के महान् सुपुत्रों बंगाल में औषधीय उद्योग के संस्थापक थे। परन्तु विभाजन के बाद किसी न किसी तरह पश्चिम बंगाल राज्य का पूर्ण औषधीय उद्योग समस्याओं में घिर गया और आज शायद इस उद्योग की अन्तिम लौ जल रही है और देश के उस भाग में जो अन्तिम लौ जल रही है उसे भी एक तेज हवा बुझा देगी।

महोदय, जहां तक बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी का प्रश्न है, इसे बंगाल के कुछ विख्यात सुपुत्रों अर्थात् श्री नीलरत्न सरकार, श्री कैलाशचन्द्र बोस और डा० बी० सी० राय द्वारा स्थापित किया गया था। थे वे व्यक्ति थे जिन्होंने इस कम्पनी को चौंसठ वर्ष पूर्व स्थापित किया था और जैसा कि माननीय मंत्री ने ठीक ही बताया है, यह बहुत सी महत्वपूर्ण जीवन-रक्षक औषधियां निर्मित किया करती थीं और मुझे आशा है यह औषधियां अब भी बना रही है। उदाहरण के लिए वे औषधियां, टेटनसरोधी औषधियां, डिपथीरियारोधी टीके, गैस गेंगरीन, टाक्सिन रोधी और सेरा टीके एवं टाक्साईडज आदि।

किसी समय यह कम्पनी उत्पादन करती और सम्पूर्ण देश में तथा विदेश में भी अपना माल बेचती थी। कम्पनी का प्रबन्ध मई, 1978 में हाथ में लिया गया था। प्रबन्ध का अधिग्रहण लगभग 6 वर्ष पहले किया गया था। छह वर्षों के पश्चात् सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि कम्पनी का राष्ट्रीयकरण का समय आ गया है।

मंत्री जी ने विधेयक के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए शायद यह नहीं बताया कि

राष्ट्रीयकरण करना क्यों आवश्यक समझा गया था। परन्तु संकेत किया है और उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में भी यह बताया गया है कि कुछ बन्द आदि जैसी अन्य बातों के साथ-साथ श्रमिक अशांति भी कम्पनी का अधिग्रहण करने का एक कारण था। मैं नहीं जानता क्या सरकार तथा सरकार के माननीय मंत्रीगण उद्योगों के क्षेत्र में भी गुट निरपेक्षता का अनुसरण कर रहे हैं। जब कभी भी इकाई की बुराइयों के लिए प्रबन्धकों पर आरोप लगाते हैं और इसी तरीके से जैसे तैसे वे श्रमिकों पर भी आरोप लगाते हैं मानो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों को समान रूप में आरोप की जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए।

मंत्री जी से मेरा यह नम्र निवेदन है कि विधेयक में यह बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि कम्पनी का अधिग्रहण करने का एक कारण श्रमिक अशांति थी। सच तो यह है कि, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी ने रिजर्व बैंक प्रतिवेदन, उद्योगों की रुग्णता प्रश्न का सर्वेक्षण अवश्य पढ़ा होगा। पिछले वर्ष सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। अगर आप आंकड़ों को देखे तो आप पाएंगे कि दिसम्बर 1979 में देश में रुग्ण उद्योगों की संख्या 22,366 थी और जून, 1982 में रुग्ण इकाइयों की संख्या बढ़कर 28,360 हो गई। अतः उद्योगों की रुग्णता किसी एक राज्य विशेष की बात नहीं है। यह समूचे भारत में हैं।

उद्योगों में रुग्णता क्यों इतनी अधिक मात्रा में एक इतनी गति से बढ़ रही है ? रुग्ण इकाइयों के बारे में यह विश्लेषण रिजर्व बैंक ने किया था। हमने पाया कि 52 प्रतिशत तो कुप्रबन्ध धन अन्य कामों में उपयोग लाने आदि के कारण समझी जा सकती है 19 प्रतिशत त्रुटिपूर्ण प्रारम्भिक योजना आदि के कारण है, 3 प्रतिशत बाजार मन्दी और 9 प्रतिशत अन्य कारणों जैसे कि बिजली की कटौती, सामग्री की कमी, आदि के कारण। माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए सिर्फ दो प्रतिशत उद्योगों को श्रमिक अशांति की वजह से रुग्ण समझा जा सकता है। परन्तु माननीय मन्त्री जी, जिन्होंने हुगली डॉकिंग एवं इन्जीनियरिंग कम्पनी विधेयक को प्रस्तुत किया जो कि उपस्थिति भी हैं ने श्रमिक अशांति के बारे में बताया मानो कि पश्चिम बंगाल में यह सबसे अधिक हो। जब वह पश्चिम बंगाल के बारे में बता रहे थे तो मैंने सोचा कि वह दत्ता सामंत तथा दिल्ली और अन्य जगहों पर उनके जैसे लोगों का नाम भूल गये हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि उद्योग की रुग्णता का मुख्य कारण श्रमिक अशांति है। ऐसा नहीं है। दूसरी और कुप्रन्ध, धन का अन्य कामों में प्रयोग करना, आदि उद्योग की रुग्णता के मुख्य कारण हैं।

इस मामले में भी, बंगाल इम्यूनिटि कम्पनी की रुग्णत का कारण कुप्रबन्ध ही समझा जा सकता।

हांलाकि इस कम्पनी की शानदार परम्परा इसका अतीत गौरवपूर्ण था तथापि यह अत्यन्त अकुशल प्रबन्धकों के हाथों में आ गई थी। पूरे मामले में गड़बड़ी थी, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी रूग्ण हो गई। महोदय, अन्ततः अब सरकार इसका राष्ट्रीयकरण कर रही है और मंत्री महोदय बता चुके हैं कि वह प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार मैंने इस विधेयक को जल्दी-जल्दी पढ़ा था और मेरे विचार से इस विधेयक को लागू करके तथा नियमों और अन्य बातों के जरिए वे ऐसा कर सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि प्रबन्ध में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देना है तो यह प्रबन्ध केवल बोर्ड स्तर तक ही न हो अपितु यह निम्नतम स्तर (फ्लोर लेवल) तक भी हो और प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी उपयोगी तथा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। यदि श्रमिकों के प्रतिनिधियों के पास प्रबन्धकों को सुझाव देने के लिए कोई रचनात्मक सुझाव हैं तो इन्हें यूं ही नहीं ठुकरा देना चाहिए, क्योंकि इन्हें श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने दिया है। जहां तक अन्य कम्पनियों का सम्बन्ध है, जिनमें श्रमिकों को बोर्ड में आमन्त्रित किया गया है, इनके सुझाव चाहे कुछ भी हों, सीधे ही ठुकरा दिए जाते हैं।

प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के दौरान, अर्थात् 1978 और 1984 के बीच जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं नहीं जानता कि प्रबन्धकों द्वारा इस कम्पनी के कितने करोड़ रुपयों का दुरुपयोग किया गया है अथवा बर्बाद किया गया है। लेकिन क्या भारत सरकार ने कोई तंत्र बनाया है जो इस धनराशि का पता लगाये जो उन कम्पनियों में, जिनके प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है, बर्बाद की जा रही है? क्या आप खर्च पर निगरानी रख रहे हैं? क्या विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जा रही धनराशि के खर्च करने पर निगरानी रखने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय में अथवा सरकारी स्तर पर कहीं अन्यत्र कोई तंत्र है? मैं हाल ही का एक उदाहरण दे रहा हूं। कलकत्ता स्थित बंगाल पाटरीज को भारत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया है और वहां के श्रमिक गत दो अथवा तीन वर्षों से शिकायत कर रहे हैं कि धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। अब एक वित्तीय संस्था जो सर्वाधिक ऋणदाता थी, को धन्यवाद दें जिसकी वजह से थोड़ी सी जांच-पड़ताल की गई थी। महोदय, अब माननीय मंत्री की जानकारी के लिए जो मुझे सुन नहीं रहे हैं अपितु जो अपने अन्य सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वह मांग करते हैं कि मंत्री महोदय ध्यान दें। वह आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं।

श्री बसन्त साठे : श्री डागा मेरा ध्यान भंग कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वह आपकी ही पार्टी के शरारती व्यक्ति हैं।

श्री सुनील मैत्रा : उस कम्पनी के आधा दर्जन वरिष्ठ अधिकारी, जिसके प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। ये अधिकारी लेखा विभाग से सम्बन्धित हैं। हम सरकार के आभारी हैं, क्योंकि यह पुनः सरकार का कार्य था अर्थात् एक ऐसी वित्तीय संस्था, जो सर्वाधिक ऋणदाता थी, ने यह कार्यवाही की थी। गत दो अथवा तीन वर्षों

से श्रमिक क्या कह रहे थे ? बंगाल पाट्रीज को दी गई राशि का गबन किया गया है तथा इस राशि का दुरुपयोग किया गया है। इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया था। मैंने स्वयं कई बार अनुरोध किया। हर बार मुझे आश्वासन दिया गया—"जी हां, इसकी जांच की जाएगी।" दो वर्षों के बाद जब वास्तव में किसी ने इसकी जांच करने का साहस किया तो उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और हाल ही मैं जब मैं कलकत्ता से रवाना हुआ तो जांच-पड़ताल होने तक वे अभी भी जेल में थे। क्या आपका कोई निगरानी सैल है ? यहां पर अब लेखा-जोखा देने के लिए आपके लिए सम्भव नहीं है। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद क्या आप कृपया यह देखने के लिए जांच-पड़ताल करेंगे कि इस कम्पनी को कितनी राशि दी गई थी, इस राशि का क्या उपयोग किया गया था और क्या यह उपयोगी है और वास्त में कम्पनी के विकास के लिए है और क्या इस आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ दोषारोपण करते जाना मेरी ओर से उपयुक्त होगा ? लेकिन मैं मंत्री महोदय से केवल एक बात के लिए अनुरोध कर सकता हूं और वह है : कृपया सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि और इसका किस प्रकार उपयोग किया गया इस बारे में जांच करायें।

जब इस कम्पनी को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया, तो इसके कर्मचारियों की संख्या 1900 थी। अब यह संख्या घटकर 1799 रह गई है, जबकि मई, 1978 में अधिकारियों की संख्या 150 थी जो बढ़कर 207 हो गई है। 57 और अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अधिकारियों के संवर्ग में 57 की वृद्धि हुई है। जबकि श्रमिकों के संवर्ग में 101 की कमी हुई है। क्या सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिए गये लगभग सभी उपक्रमों में जिनका बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया है, प्रायः यह एक आम बात नहीं है ? श्रमिकों की संख्या में कमी हो रही है और अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है : यदि आप वास्तव में कम्पनी को अर्थक्षम बनाना चाहते हैं तो कोई अन्य विकल्प नहीं है कि सिवाए इसके कि श्रमिकों को विश्वास में लिया जाये। आखिरकार यदि श्रमिकों को प्रेरित किया जाता है तो कम्पनी न केवल जीवित रह सकती है अपितु यह समृद्ध भी होगी। किसी कम्पनी में सर्वाधिक खतरा श्रमिकों को होता है। प्रबन्धकीय संवर्गों के पास अपने को बनाए रखने के लिए अन्य साधन हैं। एक कम्पनी में श्रमिक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अन्ततः स्वयं को जीवित रखने के लिए कोई अन्य साधन नहीं होता है। एक कारखाने के बन्द होने का आशय श्रमिक तथा उनके परिवार के लिए भुखमरी है। अतः उसका खतरा सबसे ड़बा है। अतः प्रबन्धकों की कार्य-कुशलता की भी जांच की जानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या श्रमिकों को प्रेरित करना प्रबन्धकों के लिए संभव है।

इस प्रयोजन के लिए श्रमिकों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही, कम्पनी सम्पन्न होगी। दुर्भाग्यवश, श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। इसका आशय यह है कि इनकी छंटनी की गई है। इससे श्रमिकों में विश्वास की भावना आएगी। अतः मैं माननीय मंत्री

से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि यदि छंटनी की गई है तो वह श्रमिकों को पुनः बहाल करें।

अन्त में, मेरे पास एक रिपोर्ट है—जो सच है अथवा नहीं, यह जांच-पड़ताल करना माननीय मंत्री महोदय का कार्य है और यदि यह ठीक है तो वह उपचारात्मक कार्यवाही करें। मुझे बताया गया है कि ऐसी औषधियां और दवाइयां जिनकी बाजार में भारी मांग है, अर्थात् बंगाल इम्यूनिटी द्वारा निर्मित की जाने वाली ये औषधियां या तो निर्मित ही नहीं की जा रही हैं अथवा उस सीमा तक निर्मित नहीं की जा रही हैं उनकी बाजार में मांग है और कम्पनी की क्षमता तक निर्मित नहीं की जा रही है। यदि यह रिपोर्ट ठीक है तो मेरा निष्कर्ष है कि यह कम्पनी, जिसका आज राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, दोबारा संकट में आ जायेगी। वे ये बातें तभी कर सकते हैं यदि एक प्रतिद्वन्द्वी बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी, जो उसी प्रकार के ब्रांडों अथवा फार्मुलेशनों का निर्माण कर रही है जो कि बंगाल इम्यूनिटी कर रही है, के बीच किसी प्रकार का समझौता हो जिससे कि इस बड़ी एकाधिकार कम्पनी अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा पूरी तरह से बाजार पर कब्जा किया जा सके। अतः हम कुछ औषधियों और दवाइयों के लिए फार्मुलेशनों के बारे में बंगाल इम्यूनिटी में अधिष्ठापित की गई क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध

5.00 म० प० करूंगा कि वह इस पर विचार करें। यदि यह सच और ठीक है तो वह उपचारात्मक उपाय करें ताकि इस प्रकार की बातें दोबारा न हों। मेरे विचार से श्री साठे अत्यन्त ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं। यदि यह ठीक है तो मेरे विचार से वह न केवल उपचारात्मक कार्यवाही करेंगे अपितु यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर कार्यवाही करेंगे कि इस तरीके से सरकारी क्षेत्र की राष्ट्रीयकृत कम्पनियों का कार्यस्तर बिल्कुल ही नीचे न गिर जाये।

देश में बहुत सी शक्तियां हैं जो सिद्धान्त रूप से राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं। मेरी पार्टी राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत से प्रतिबद्ध है। यदि राष्ट्रीयकरण सफल होता है तो राष्ट्रीयकरण के लिए हमारा नारा लोगों को आकर्षित करेगा और यदि राष्ट्रीयकरण असफल होता है तो लोग स्वयं इसका विरोध करेंगे। यह हमारे हित में है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इन टिप्पणियों और अनुरोधों को गम्भीरता से लें और इन पर जांच-पड़ताल करें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बिल 1984 का समर्थन करता हूं। यह जो कंपनी 1978 से टेक-ओवर की गई और अभी माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन के वक्त बताया है कि यह कंपनी बराबर लास में जा रही है। हिन्दुस्तान में जितनी कंपनीज पब्लिक सेक्टर में हैं, उनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि मुनाफे में जा रही है? अभी जिस तरह से वहां पर इंप्लीमेंटेशन होता है, उससे यह लास हो रहा है। अभी माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक ही बता रहे थे कि अधिकारियों का खर्चा बहुत बढ़ गया है। उससे बहुत नुकसान होता है। इन कंपनियों में बड़े-बड़े अधिकार बैठ जाते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा इन पर होता है। अगर किसी कम्पनी को ठीक तरह से चलाना है तो सारी व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से चलाना होगा।

दूसरी बात यह है कि प्रोड्क्शन किस तरह से हो रहा है । इसमें बराबर लासेस हो रहे हैं। इसके लिए आपको देखना होगा कि इसमें कितना प्रोड्क्शन ड्रग्स का होना चाहिए था और कितना हुआ है ? अगर पूरा उत्पादन नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ? किस वजह से लासेस बराबर बढ़ रहे हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी को देखना चाहिए । इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि जिन जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पैसा लिया गया है, उसका उपयोग किस तरीके से किया गया है । ठीक हुआ है या नहीं । उसको लाभदायक स्थिति में लाने के लिए मैनेजमेंट ने ठीक तरीके से काम किया है या नहीं । अगर इन सारी चीजों को ठीक तरह से देखा जाए तो निश्चित तौर से कंपनी लाभ में आ सकती है ।

जो सुधार करने का प्रावधान किया गया है, खास तौर से मार्डनाइजेशन के सम्बन्ध में आपने 50 लाख रुपए देने की बात की है। क्या पचास लाख रुपये से इसके माड्र्नाइजेश की व्यवस्था ठीक हो जायेगी जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन बढ़ सके और यह लाभ की स्थिति में आ सके । यह रुपया किस बेसिस पर अलाट किया है ? इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की आवश्यकता है । सन् 1978 से जबसे आपने इस कम्पनी का टेक-ओवर किया है तब से इसकी प्रापर्टीज के सम्बन्ध में आपने क्या व्यवस्था की है ? क्या मशीनरी को ठीक प्रकार से मनटेन किया गया ? किसी प्रकार से उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। इसकी प्रापर्टीज के सम्बन्ध में अगर कोई आदमी मिस-मैनेज, डैस्ट्राय या अपनी बताने की कोशिश करेगा तो उसको आपने पैनेलाइज करने की बात इसमें कही है। इन सात-आठ वर्षों में आपके सामने कितने मामले आए जिसमें आपने मशीनरी या प्रापर्टीज का दुरुपयोग करने वाले के सम्बन्ध में एक्शन लिया है। इतनी बड़ी कम्पनी, जिसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हो चुका है, कोई भी आदमी मिस-मैनेज करने की कोशिश करता है तो उसके सम्बन्ध में जो आपने सजा मुकर्रर की है, वह बहुत ही मामूली है । क्लाज 27 में आपने दिया है :

> "वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

इस प्रकार का प्रावधान आपने किया है कि या तो आप सजा दे सकते हैं या जुर्माना कर सकते हैं। कितने लोगों को आपने सजा दिलाई है, जिन्होंने इसकी प्रापर्टी के सम्बन्ध में आफेंसेस किए हैं ? लोगों को पता चलना चाहिए कि जिन्होंने कम्पनी का सामान इधर-उधर किया है, उनको सजा मिल रही है । मैं, नेशनलाइजेशन के पक्ष में हूं । नेशनलाइजेशन में भी अगर मिस-मैनेजमेंट होता है तो सारी व्यवस्था विगड़ जाती है। हमारे लाइनेंस मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हुए हैं । चेयरमैन साहब, आप वहां बैठे हुए हैं। आपने भी मेरी बातों का खण्डन करने की कोशिश की कि···(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : यस एलीगेशन है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह एलीगेशन नहीं है । ···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे तो कहने का मौका ही नहीं मिलेगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : नेशनलाइज करके अगर एम्पलायमेंट दिया जाता है तो वह

नेशनलाइजेशन की शर्त को पूरा करता है। इसलिए यह जरुरी है मैंने कहा था कि 105 के टैक्सटाइल मिलों को आपने नेशनलाइज किया है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं कि पांच सौ करोड़ रुपये का लाभ है। लेकिन, तीन-चार लाख मजदूरों को रोजगार मिलता है। तो कोई बुरा नहीं है। एक हजार करोड़ रुपये की इंडस्ट्री में एक हजार आदमियों को रोजगार मिलता है तो कोई बुरा नहीं है। फाइनेंशियल बरडन सरकार को लेना चाहिए ताकि रोजगार की समस्या साल्व हो सके। नेशनलाइजेशन की वजह से अगर सरकार को रोजगार देने में नुकसान होता है, जिसके लिए उसका कर्तव्य है, तो निश्चित रुप से उसको भुगतान की व्यव्यथा होनी चाहिए। हमारे राजस्थान में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल चार महीने से बन्द पड़ी हुई है। चार महीने से बन्द पड़ी हुई है, उसको टेक-ओवर कर लिया जाए क्योंकि वह एक वायबल यूनिट है। लेकिन पिछले चार सालों से लगातार चिल्लाते रहने के बावजूद मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैंने कई बार कहा कि उसकी हालत फाइनेन्शियली खराब है, उससे हमारा नुकसान हो जायेगा, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि अब वे अपने दृष्टिकोण में बदल लायेंगे कि फर्दर कोई इंडस्ट्री नेशनेलाइज नहीं की जाएगी। क्योंकि नेशनेलाइजेशन के बिना काम नहीं चलेगा। नेशनेलाइज करके उसके मैनेजमैंट में सुधार की जरुरत है जिससे उसके लासेज को मेक-अप किया जा सके। उसके कारण एम्पलायमेंट की प्रौब्लम हल की जा सके जो कि आज हमारे देश में सबसे बड़ी प्रौब्लम बन गई है। इस प्रकार की व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, स्वागत योग्य हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए और जिस मकसद से इसका अर्जन किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उन मकसद को पूरा करने की दिशा में भी उचित पग उठायें जिससे इस देश में लाइफ सेविंग ड्रग्स, भेषज तथा जन साधारण के लिए आवश्यक दवाइयों का निर्माण और उत्पादन बढ़ाया जा सके और हमारे देश के लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। वे ड्रग्स आसानी के साथ हमें अवैलेबल होनी चाहिए।

अभी हमारे कम्युनिस्ट साथी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि मल्टी नेशनल कम्पनीज के साथ मिलकर यहां का मैनेजमैंट प्रोडक्शन कम कर रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये लोग तो इस तरह के आरोप लगाते ही रहते हैं। हमारे मंत्री महोदय, ने बिल्कुल सही कहा है कि बंगाल में आज जो ट्रबल पैदा हुई है, वह इनकी पार्टी की नीतियों की वजह से है। ये तो हमेशा वहां की स्थिति को खराब करने की कोशिश करते हैं। माननीय चेयरमैन साहब, हमारे यहां जितने यूनिटस बंद पड़े हैं, उन सबके पीछे मिस-मैनेजमैंट मुख्य कारण है, लेकिन इनके यहां बंगाल में जितने यूनिटस बंद पड़े हैं, वह इन लोगों की वजह से। वहां की सरकार ने उन इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया है। इसलिए उन दोनों में अलग अलग स्थितियां हैं। हमारे मंत्री महोदय को उनके अलग-अलग तरीके से देखना चाहिए। ये लोग वहां पर लेबर ट्रबल पैदा करते हैं और बाद में यहां आकर बातें करते हैं कि उनको नेशनेलाइज कर दो। लेकिन हमारे इलाके में जहां लेबर ट्रबल नहीं है, लेकिन मिस-मैनेजमैंट की वजह से इंडस्ट्री सिक हो रही है, जब हम उनको नेशनेलाइज करने की बात करते हैं तो कहा जाता है कि नहीं किया

जायगा। इसलिए मंत्री महोदय इन दोनों व्यवस्थाओं को अलग करके देखिए, उनको आपस में उल्टा-सीधा करके मत देखिए। (व्यवधान)

मैंने आपके संबंध में भी निवेदन करना है क्योंकि आपके मध्य-प्रदेश में भी कई यूनिटस बंद पड़े हुए हैं, ऐसे ही बिहार और राजस्थान में भी बंद पड़े हुए हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन सब के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर महोदय विचार करके, उनकी व्यवस्था बदलने की कोशिश करें जिससे वहां जितनी लेबर प्रौब्लम खड़ी हो रही हैं, वे सौल्व हो सकें तथा उन गरीबों को रोजी रोटी मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर सभापति जी, बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1984 का मैं पहले से ही समर्थन कर रहा हूं। लेकिन आपने उसको टेक-ओवर करने में काफी वक्त लगा लिया। बंगाल में तीन ऐसी कंपनियां हैं—एक स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड है, दूसरी बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड है और इन दोनों कंपनियों को क्रमशः 1972 और 1977 में टेकन-ओवर कर लिया गया।

मान्यवर आप देखेंगे कि 1919 से लेकर 1971 तक यह कम्पनी मुनाफे में चलती रही और ठीक 1972 में, जब से इसमें घाटे का क्रम शुरु हुआ, इसकी इन्वेस्टीगेशन के लिए एक कमेटी बैठी हैडिड बाई एस पी भट्टाचार्य जो कि डी० टी० डी० से सम्बन्धित थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया कि यह कम्पनी घाटे में चल रही है और उस समय तक इसमें एक करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है।

मान्यवर, हम जो भी इंडस्ट्री लेते हैं उसकी हालत पहले से ही खस्ता होती है, वह सिक होती है और उसको ऐसी अव्यवस्था में चलते-चलते काफी दिन गुजर गए होते हैं। उसके पश्चात् ही हमें ध्यान आता है। इस कम्पनी के अर्जन के संबंध में बंगाल सरकार और वहां के मजदूरों ने काफी समय पहले मांग की थी कि इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार 1972 से 1984, आज तक, इतने लम्बे अर्से तक ऐसे ही देखती और कम्पनी को वैसे ही चलने दिया।

मान्यवर मैं आपके माध्यस से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा···

5.15 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कि जीवन रक्षक औषधियां और रसायन बनाने वाली जो आवश्यक चीजें हैं, जिनकी मांग है, ऐसी औषधि कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। योग कहते हैं कि लाइफ सैविंग ड्रग्स नहीं हैं, और दूसरी तरफ हमें सब स्टैन्डर्ड दवायें मिलती हैं। इस बारे में सरकार की पहल होनी चाहिए कि जो भी नितांत आवश्यक औषधियां बनाने वाली कम्पनियां हैं। उनका राष्ट्रीयकरण

करना चाहिए क्योंकि वह जनता के लिए बहुत ही उपयोगी है और यह काम प्रोफिट और लौस का ध्यान रखे वगैर करना चाहिए ।

राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । सिद्धान्तिक पहलू है । राष्ट्रीयकरण अच्छी चीज है । लेकिन उसके बाद भी यदि सही उपयोग न हो तो एक तो आम जनता का पैसा व्यर्थ जाता है, साथ ही लोगों में राष्ट्रीयकरण के बारे में तरह तरह की बातें कही जाने लगती हैं । इसीलिये हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करें वह सही माने में चले क्योंकि उसमें जनता का पैसा लगता है । इसलिये गम्भीरता से इस प्रश्न को लेना चाहिए । अन्यथा आम जनता कभी कभी कहने लगती है कि जिसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है उसका मामला ही गड़बड़ हो जाता है । अतः इस कार्य को व्यवस्थित रूप से करना चाहिए । मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं हमारे यहां आगरा में एक बिजली कम्पनी थी जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो जहां जहां उसके तांबे के तार थे वह तार खोल दिये गये और उसकी जगह अल्मुनियम के तार लग गये । ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि तांबा महंगा मिलता है तो राष्ट्रीयकरण के साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ मिले ही नहीं ।

मजदूरों को मैनेजमैंट में भागीदारी का मौका दिया जायगा, यह अच्छी बात है और स्वागत योग्य है । इससे उनमें विश्वास पैदा होगा कि जो हम पैदा कर रहे हैं उसमें हम भी हिस्सेदार हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल तो यह है कि आज भी इस देश के अन्दर 100 से भी ज्यादा ऐसी दवायें बिक रही हैं जो नहीं बिकनी चाहिए । आसपास के छोटे-छोटे देशों ने जैसे बंगलादेश इत्यादि ने उन दवाओं को अपने यहां मना कर दिया है क्योंकि वह दवायें स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद हैं । लेकिन हमारे यहां बिकती हैं ।

जहां तक लाइफ सैविन्ग ड्रग्स का सवाल है, माननीय साठे जी ने कहा कि इसके अन्दर हमें अच्छी ड्रग्स मिलेंगी । देश के अन्दर इतने अनभिज्ञ डाक्टर हैं कि लोगों को आउटडेटड दवायें देते हैं और आज हजारों की संख्या में लोग गांवों में इसलिये बीमार पड़ते हैं क्योंकि दवाओं में मिलावट है, स्पूरियस दवायें मिलती हैं । लाइफ सैविन्ग ड्रग्स के अलावा जो दवायें बाजार में नहीं बिकनी चाहिए वह बिक रही हैं । दवाओं के दाम भी ज्यादा हैं । आज देश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रही है । एक आपने हैल्थ वर्कर्स खड़े कर दिये जो लोगों को अनालजिन की गोलियां दे रहे हैं । तो ड्रग पोलिसी में चैंज होना चाहिए ।

दि० 22 फरवरी, 1983 फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में लिखा है—

"निजी उत्पादक ऐसी दवाइयों का उत्पादन करने लगते हैं जो उन्हें अधिक लाभ देती हैं··· सरकार के विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस दृष्टिकोण पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि भारत इतना पैसा खर्च कर केवल 2,000 दावइयां ही ले सकता है ।"

अगर आप इसके आर्टिकल को डिटेल में पढ़े तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में ये मल्टी-परपज कम्पनियां अपनी दवाएं बेचती हैं और उनके आधार पर आप इस काम को कर रहे हैं ।

उसकी सराहना विरोधी दल के हमारे श्री सुनील मैत्रा जी ने की है इसलिए इस पर बोलने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसी कंपनी को लेते हैं तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, वह यहां मेम्बरों के सामने क्यों नहीं रखते ? हमारे मन्त्री महोदय बड़े भारी लोकतन्त्र के विचारों के हिमायती हैं, हम भी उस रिपोर्ट की देखना चाहते हैं कि वह क्या है और कैसे आप कम्पनी का विकास करेंगे ?

आपने फाइनेन्शियल मैमोरेंडम दिया है, क्या आपने बताया है कि उसमें कितनी मशीनरी थी, क्या कास्ट थी ? कोई नहीं जान सकता कि कितना सामान था, कितना कर्जा था कुछ पता नहीं लगता। आपने कह दिया कि 9 करोड़ देंगे, आप दे दें, लेकिन हमें मालूम नहीं कि किस ने इंक्वायरी की ? आपने कहा कि एक्ट के अंतर्गत इंक्वायरी करवा दी और इसे हमारे सामने ला रहे हैं बतायें कि इसमें कितना ब्याज का है, कितना सर्विसेज का है। आप सदन के सामने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखें और बतायें कि कितनी इम्मूवेबल प्रापर्टी है, कितनी मशीनरी है, कितनी आउट-डेटेड है और कितना जंक है। हमें फैक्ट का मालूम नहीं है।

हम पब्लिक अंडरटेकिंग चाहते हैं, सरकारीकरण नहीं चाहते हैं। आपने जो शुरु किया है, उस पर ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं कि आजकल राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है, सरकारीकरण हो रहा है। वहां गवर्नमेंट सर्वेन्ट जाकर बैठते हैं, वह मैनेजमैंट करते हैं। यह हो गया कि मैनेजमैंट जो काम करेगा उसमें पार्टनरशिप होगी। कांस्टीट्यूशन के मुताबिक विल दी पार्टनर। आप बतायेंगे कि क्या लेबर की उसमें पार्टीसिपेशन होगी या लेबर भी डायरेक्टर बनेगा ? जब आप राष्ट्रीयकरण चाहते हैं तो राष्ट्रीयकरण कीजिए।

यह बताइये कि 1978 के बाद आज तक घाटा क्यों है ? आप अब इसे 6 साल के बाद लाये, कब इसकी रिपोर्ट सदन के सामने आई थी। कौन देखता है ? इसको कोई देखने वाला नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि क्या बनने वाला है।

जब कभी इस कम्पनी का मामला आता है तो एक बड़ा सवाल है, इस पर स्पीकर साहब की गाइडलाइन होनी चाहिए कि उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूरी हालत सदन के सामने आनी चाहिए। सदन को पता होना चाहिए कि किसलिए यह दिया जा रहा है ?

हमारे एक सदस्य ने कहा कि राजस्थान में 1000 आदमी बेकार हैं, उनको नहीं लिया जा रहा है। कारण यह था कि हमारे सामने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है। किसी को मालूम नहीं है कि कितनी इम्मूवेबल प्रापर्टी है, कितनी बेच दी गई है, कितनी सरकार ले रही है। बस इतना कह दिया गया है कि एक्ट के अन्तर्गत एनक्वायरी कराई गई थी। हम नहीं जानते कि एनक्वायरी करने वाला कौन था और उसकी रिपोर्ट क्या है। स्पीकर महोदय जिस तरह और मामलों में गाइड-लाइन देते हैं, उसी तरह वह यह भी गाइडलाइन दें कि कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का बिल रखते हुए उसके साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रखी जाए।

अगर यह कम्पनी ठीक तरह से काम करे, तो देश के गरीब लोगों को लाइफ-सेविंग ड्रग्ज कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगी।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। मन्त्री जी बहुत योग्य हैं। उन्होंने सामाजिक क्रान्ति पर एक पुस्तक लिखी है। क्या आपने उसे पढ़ा है ? कम से कम वह सामाजिक क्रान्ति के बारे में सोचते तो हैं।

जैसा हमें पता है, महोदय, बंगाल में सभी उद्योग जैसे बंगाल कैमिकल्स तथा अन्य बहुत से उद्योग विदेशी प्रभुत्व के विरोध में राष्ट्रीय संघर्ष के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आये। बम्बई, बंगाल, मद्रास और कानपुर में भी कपड़ा उद्योगों की स्थापना ब्रिटेन के एकाधिकार के विरोध में भारतीय जनता के संघर्ष के रूप में हुई। यह कम्पनी भी बंगाल के प्रतिष्ठित पुत्रों द्वारा स्थापित की गई जिन्होंने यह भी सोचा कि हमारा देश चिकित्सा और औषधियों के मामले में भी आत्म-निर्भर बने। अतः इसके राष्ट्रीयकरण का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन, महोदय, जैसा मैं कह चुका हूं कि राष्ट्रीयकरण सभी रोगों का उपचार नहीं है। यदि इसमें कुप्रबन्ध है तो यह ऐसे लोगों का हथियार बन जाता है जो राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते। अतः इसकी ओर पूरा ध्यान दिया जाये।

इस सभा में हमारे जैसे लोग राष्ट्रीयकरण चाहते हैं लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रीकरण नहीं चाहते। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारे उद्योग सुव्यवस्थित हों। हमारे उद्योग लगातार हानि नहीं सह सकते। यदि प्रबन्ध-ग्रहण के बाद भी हानि होती रहती है तो यह खेद का विषय है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। जैसा कामरेड सुनील मैत्रा ने बंगला में कहा है, एक कहावत है—

सब बैटा के घिड़े दिये
बड़े बैटा के घर

बाकी सबको छोड़कर छोटे आदमी को पकड़ लो। अतः जब भी कुछ होता है, हम श्रमिकों को दोष देने लगते हैं। ऐसा बुरा काम क्यों हो रहा है ? श्रमिकों ने ऐसा किया है और अच्छे काम का सेहरा हमेशा अधिकारियों के सिर बांधा जाता है। यह उचित नहीं है। आशा है मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। चित्त भी मेरी पट भी मेरी वाली बात नहीं होनी चाहिये। बंगला में एक गीत है—

मोरी हाय कलकत्ता
केवल भूले भरा
बुद्धिमान करे चोरी
बीकाय पड़े धरा।

कलकत्ता तो भूल-भुलैया है। यहां चोर बच जाते हैं और गरीब आदमी पकड़े जाते हैं। अतः जो लोग सरकारी खजाने से अपनी जेबे भरते हैं, वही इसका पूरा विरोध करते हैं। वे हमेशा विमान से दिल्ली आते हैं। यह कार्यकारी वर्ग है। सारे काम तो वे खुद करते हैं लेकिन दोष श्रमिकों को देते हैं।

मेरा श्री साठे से अनुरोध है कि मामले की ठीक प्रकार से जांच होनी चाहिए।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। शायद श्री साठे मुझ से सहमत होंगे। हमने सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया है। लेकिन औषधि उद्योगों का बना ? वह अन्य लोगों से अधिक अच्छी तरह जानते हैं कि देश में इस उद्योग की वास्तविक स्थिति क्या है।

महोदय, वास्तव में आजभी विदेशी बहुराष्ट्रिकों का इस क्षेत्र में वर्चस्व है। उन्हें पता है; मेरा अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दें। इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रिकों द्वारा कब तक मेरे देश को लूटा जाता रहेगा ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : हमारा देश

श्री नारायण चौबे : हमार देश, क्या आपका देश नहीं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आपने कहा था 'मेरा देश'।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौबे जब अपना देश कहते हैं उसका अपना अर्थ है और जब वह उसका देश कहते हैं तो उसका अर्थ अलग निकलता है।

श्री नारायण चौबे : अर्थ किस प्रकार भिन्न है, मुझे समझ में नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह भेद खोलना नहीं चाहता। (**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : ऐसे समाचार कई बार प्राप्त हुए हैं कि इस देश को एवं तीसरे विश्व के अन्य देशों को ऐसी दवाइयों का भण्डार गृह बना दिया गया है जो उन देशों के महानगरों में, जहां वे बनाई जाती हैं, नहीं खप सकतीं। यह खबरें अखबारों में भी छपीं हैं। हमारे देश के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। मैं पूछता हूं ऐसा कब तक चलेगा।

महोदय, जब श्री शिव शंकर पेट्रोलियम और रसायन मंत्री थे—अब तो साठे हैं—तो उन्होंने 8.3.1982 को लोक सभा में बताया कि ग्लैक्सो को 32 औषधियां निर्माण करने का लाइसेंस दिया गया है लेकिन यह उनमें से 21 दवाइयों का उत्पादन नहीं करती। उन्होंने —सभी ने कहा है कि वे जीवन रक्षक दवाइयां बनाने के पक्ष में नहीं। वे केवल ऐसी दवाइयां बनाते हैं जिन में भारी मुनाफा होता है। श्री शिव शंकर ने राज्य सभा में बताया था कि ग्लैक्सो, फाइजर तथा सैंडोज अधिक लाभ देने वाली और कम आवश्यक दवाइयां ही बनाते हैं। वे अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन करते हैं। बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी तो अपनी क्षमता से कम उत्पादन करती है लेकिन इन्हें क्षमता से अधिक उत्पादन करने की अनुमति है। फाइजर, अमरीकन साइनाइड कम्पनी ब्रिस्टल-मेयर कम्पनी, ओलिन कारपोरेशन आदि सात बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हमारे देश को 383.15 लाख डालर का धोखा दिया है। भारत सरकार ने न्यायलय का द्वार खटखटाया, लेकिन अमरीका की सरकार इन कम्पनियों की मदद को आ गई और उन्होंने अपने नियम तक बदल डाले और सरकार को न्यायालय के बाहर समझौता करना पड़ा। सरकार को इन कम्पनियों से 383.15 लाख डालर मिले थे लेकिन मिले केवल 8 लाख डालर। हमारे देश को बहुराष्ट्रिकों द्वारा लूटा जा रहा है। वर्ष 1974-75 में फाइजर ने 18 लाख रु०, 1976-77 में 94 लाख रु० और

1977-78 में 169 लाख रु० भेजे। एक ही देश से यह लगभग 15 गुणा राशि भेजी गई। वे हमारे राष्ट्रीय नियमों तक को तोड़ रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब तक वह मन्त्री हैं तब तक तो उन पर नियंत्रण रखें।

महोदय, श्री साठे ने 7.5.1983 को बम्बई में कहा था कि औषधि निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रिक कम्पनियां अवश्य ही भारत विरोधी हैं। अतः उन्होंने यह कदम उठाकर अच्छा कार्य किया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भारत में इस उद्योग की हालत क्या हो जायेगी। वह इस बारे में क्या कोई नई रीति अपनायेंगे।

इस कम्पनी ने एक ऐसा द्रव तैयार किया है जो इंजेक्शन लगाने, आदि के लिए बहुत प्रयोग होता है। लेकिन अब इस कम्पनी के लाइसेंस के अन्तर्गत मद्रास में एक अन्य कम्पनी इसे तैयार कर रही है। मुझे मद्रास की कम्पनी के बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन प्रश्न यह है कि बड़ी कम्पनी इसे तैयार क्यों नहीं कर सकती।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि श्री वंसत साठे को भारतीयों की गरीबी के बारे में बखूबी पता है। उन्होंने स्वयं कहा है कि हमारे देश के 50% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। अतः हमें सस्ती, उचित और जीवन रक्षक दवाइयों की जरुरत है जो आम आदमी की पहुंच के अंदर हों। सामान्यतया आम आदमी बहुराष्ट्रिकों की दवाइयां नहीं खरीद पाता। हमारे राष्ट्रीयकृत उद्योगों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम आम आदमी के लिए दवाइयां तैयार कर सकें और इसके लिए बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। अतः मेरी मांग है कि वह नीति में परिवर्तन करें।

इस विधेयक का समर्थन तो मैं करता हूं लेकिन मुझे आशा है कि प्रबन्ध व्यवस्था में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जायेगा। आशा है कि चोरी और उठाईगीरी को टोका जायेगा और ऐसा करने वालों को सजा दी जायेगी।

उन्होंने अन्य कारखानों का भी प्रबन्ध किया है वह एक कारखाना देखने दुर्गापुर गए थे। वहां कुछ गड़बड़ थी और उन्होंने उसे ठीक कर दिया। इस गड़बड़ का कारण श्रमिक ही नहीं थे। आशा है कि बंगाल इम्युनिटी में भी वह कठिनाई को दूर कर देंगे।

कृपया देश में सभी औषधि निर्माण करने वाले कारखानों के राष्ट्रीयकरण हेतु एक विधेयक लाइये। उन सभी का राष्ट्रीयेकरण करके उन पर नियंत्रण रखना होगा। इन बहुराष्ट्रिकों को हमारे देश को तथा लोगों को लूटने की और अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मुझे आशा है कि यह निर्भीक मंत्री जी ऐसा विधेयक अवश्य लायेंगे जिसके द्वारा देश के समूचे औषधि उद्योग का राष्ट्रीकरण किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जटिया।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक इसको सरकार कम्पनी के

संचालन के सम्बन्ध में जो चिन्ता थी उसके दूर करने और उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए लाई है। औषधियों का निर्माण होना और उसके लिए उपाय करना यह नितान्त आवश्यक है। इसकी पूर्ति के लिए जो भी उपाय किए जा रहे हैं वह पर्याप्त और समुचित होने चाहिए। देश में ड्रग्ज की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने यहां पर यह भी नहीं बताया है कि इस कम्पनी में कौन सी ड्रग्ज बनती थी, उनका विवरण क्या है। उस विवरण से पता लग सकता था कि वहां पर बनने वाली औषधियां कितनी उपयोगी हैं। फिर भी हम समझते हैं कि जो ड्रग्ज बनाई जा रही हैं, उनकी उपयोगिता है।

जैसा कि और माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है कि राष्ट्रीयकरण के नाम पर यदि केवल सरकारीकरण ही करना हो तो कोई लाभ नहीं होगा। राष्ट्रीयकरण के साथ साथ यदि उपयोगी सुधार भी किए जायें तो सराहनीय होगा। यह देखने की बात है कि सरकार जो भी उपाय कर रही है वह कारगर हैं या नहीं। श्रमिकों को रोजगार मिले—यह तो आवश्यक है ही। साथ ही साथ जो पूंजी लगाई जा रही है वह देश की पूंजी है, उसका ठीक प्रकार से और न्यायोचित रूप में उपयोग होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी औषधियां वहां पर तैयार की जायें उनकी क्वालिटी मेनटेन होनी चाहिए। इन सभी बातों की पूर्ति के बाद ही देशवासियों के मन में जो राष्ट्रीयकरण के प्रति एक आशंका रहती है वह दूर हो सकेगी। माननीय मन्त्री जी अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से इस कम्पनी की बिगड़ती हुई स्थिति को सम्हालें ताकि वहां पर अच्छा उत्पादन हो सके, जिसका लाभ राष्ट्र की प्रगति और चिकित्सा सुविधाओं में हो सके।

इसके साथ साथ वहां पर वर्किंग कंडीशन्स को भी सुधारा जाना चाहिए क्योंकि वर्किंग कंडीशन्स पर भी उत्पादन निर्भर करता है। जैसा आपने कहा कि श्रमिक की मैनेजमेंट भागीदारी होगी—यह अच्छी बात है। सही भागदारी का मतलब यह है कि उत्पादन के लाभ में श्रमिकों को भी हिस्सा मिले। यदि श्रमिकों की मनोवृत्ति अच्छी रहेगी तो उत्पादन भी अधिक हो सकेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। और आज जो नुकसान है वह दूर हो सकेगा। इसी आधार पर आप इस उपक्रम को अच्छी तरह से चलाने का प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मुझे मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने के लिए केवल एक मिनट चाहिए कि सरकार ने बंगाल इम्यूनिटी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। किन्तु मुझे पता चला है कि इस कम्पनी से सम्बद्ध एक छापाखाना भी है और वास्तव में इस छापेखाने के श्रमिक इस कम्पनी पर निर्भर हैं। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में भी जांच करें और इस छापेखाने का राष्ट्रीयकरण करें, क्योंकि यह कम्पनी का ही एक हिस्सा है। और यदि इस छापेखाने का भी राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो इससे न केवल उन श्रमिकों की रोजी-रोटी बनी रहेगी, अपितु इससे भी अधिक कुछ किया जा सकेगा, क्योंकि कुछ लोग इन श्रमिकों के कल्याण के बारे में भी कह रहे हैं। हमारी गतिविधियों का लक्ष्य 'मनुष्य' है। अन्यथा इन गतिविधियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कुछ लोग आपके विचारों से असहमत हों। जब आप यह कहते हैं कि लक्ष्य मानव है, तो कोई कहेगा कि यह लक्ष्य परमात्मा है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस भारत भुमि के सन्तों ने भी यह कहा है कि मानव-मात्र की सेवा भगवान की पूजा है। श्री कर्मचन्द गांधी ने भी कहा था कि भारत में गरीब आदमी के लिए भोजन ही भगवान है ।

इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करुगा कि इस छापेखाने का राष्ट्रीकरण किया जाय, ताकि इससे श्रमिकों के लिए रोजी-रोटी सुनिश्चित की जा सके। इससे कम्पनी को भी मदद मिलेगी।

श्री बसंत साठे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय, सनस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस वादविवाद में भाग लिया है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह शायद एक अनुपम अवसर है जबकि इस वादविवाद में भाग लेने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य ने इस विधेयक का तथा हमारे द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन किया है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : हमने भी उसका समर्थन किया है।

श्री बसन्त साठे : जी हां, इस विधेयक का उन्होंने भी समर्थन किया है जिन्होंने इस बहस में भाग नहीं लिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन सदस्यों का नाम न लीजिए जिन्होंने इसका समर्थन किया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जान मिल्टन ने अपने अन्धेपन के बारे में कहा था, जो प्रतीक्षा करते हैं, वे भी सेवा करते हैं। अनेक सदस्यों ने जिन्होंने इस बहस में भाग नहीं लिया है, इस विधेयक का समर्थन किया है ।

श्री बसंत साठे : जान मिल्टन से क्षमा मांगते हुए मैं कहूंगा कि वे यहां खामोश रहते हैं और नुकसान उठाते हैं।

महोदय, मैं अब श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती द्वारा छापेखाने के बारे में सुझाई गयी अन्तिम बात पर आता हूं। मैंने इस मामले की जांच की है। इस सम्बन्ध में तथ्य तो यह है कि यह छापाखाना, जोकि कंपनी का एक सहायक एकक था, बन्द हो गया है और मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में चल रहा है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है एक बार बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद यदि यह छापाखाना स्वंय अर्थ सक्षम हो जाता है, क्योंकि हम इसका संचालन करेंगे, तो यह समस्या पैदा नहीं होगी। इसका सीधा राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु जब तक कानूनी मामलों पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इम मामले में शीघ्र कार्यवाही करना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

श्री नारायण चौबे जी द्वारा दिया गया सुझाव आम तौर पर समूचे औषधि उद्योग के बारे में यह कहा गया है कि हम इस सम्बन्ध में एक नई नीति का निर्माण करें।

हम वास्तव में समूची औषधि नीति पर विचार करके इसकी समीक्षा कर रहे हैं और पिछली नीति के आधार पर पिछले पांच वर्षों के अपने अनुभवों के अनुसार उसमें सुधार कर रहे हैं।

इस उद्देश्य से हमने "काउंसिल फार ड्रग्स फार्मास्युटिअल्स" की स्थापना की है। इसमें उद्योग के सभी वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं। अब स्थिति यह है कि कार्य दलों ने अब प्रतिदिन प्रस्तुत कर दिये हैं और संचालन समिति शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाली है। वे इसके प्राप्त होते ही इसे राष्ट्रीय परिषद तथा सलाहाकार समिति के समक्ष रखा जाएगा। मैं इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित पक्षों से परामर्श करूंगा। तभी सरकार इस सभा, इस संसद के समक्ष आ सकेगी।

हमारी परिकल्पना के अनुसार एवं कुछ माननीय सदस्यों के कहने के अनुसार नई नीति का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के लिए औषधियां उपलब्ध करना होगा। आवश्यक एवं जीवन-दायनी औषधियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना चाहिए। इस समय हमारी जनता की औषधियों सम्बन्धी आवश्यकता बहुत ही कम पूरी हो पाती हैं।

आपको यह जानकर बड़ा दुःख होगा कि 70 करोड़ से भी अधिक हमारी जनसंख्या के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक औषधियों की वार्षिक उपलब्धता प्रति व्यक्ति लगभग 10 रुपये है। शहरी क्षेत्रों में यह लगभग 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप इस बात की सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक रुपये से कम की कितनी औषधि वह भी आधुनिक औषधि मिल सकती है इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप औषधियों की आवश्यकता को देखें तो इस में औषधि उद्योग के विकास की विपुल संभावनाएं हैं। किन्तु यदि आप केवल बाजार एवं क्रय शक्ति धारकों के बारे में सोचें तब आप देखेंगे कि अनेक लोग केवल गैर-जरुरी दवाइयों का निर्माण कर रहे हैं और उन पर लाभ कमा रहे हैं और जरुरी दवाईयां नहीं बना रहे हैं। ऐसा क्रय शक्ति धारकों की सीमित संख्या एक मांग और पूर्ति के नियम आदि के कारण हो रहा है मुझे इस सम्बन्ध में विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस देश में सरकारी क्षेत्र द्वारा औषधि निर्माण करने का उद्देश्य आवश्यक एवं जीवन-दायनी औषधियों का निर्माण करना था और यह उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो गया है।

चूंकि सरकारी क्षेत्र के एकक केवल आवश्यक एवं जीवन दायनी औषधियों का ही निर्माण करते रहे हैं, इनमें लाभ की अधिक गुंजायश नहीं थी, इसलिए हम सरकारी क्षेत्र में लाभ नहीं कमा सके। लाभ न कमाने का एक यह भी कारण है। जब आप किसी आधारभूत ढांचे के विकास का प्रयास करते हैं और इस प्रकार का उत्पादन करते हैं जिसमें अधिक लाभ की संभावना नहीं होती किन्तु आप जनता की आवश्यकता पूरी करने के लिये उत्पादन करते हैं, तो प्रायः आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हानि उठानी पड़ती है। यहां मैं क्षमा याचना किए बिना कह सकता हूं कि सरकारी क्षेत्र को भी अपनी क्षमता सिद्ध करनी चाहिए। जैसा कि मेरे सहयोगी वित्त मंत्री महोदय बार बार कह रहे हैं कि सरकारी उपक्रमों में लगाये गये सार्वजनिक धन पर भी कुछ लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उस पर कम से कम

10 प्रतिशत का प्रति लाभ तो मिलना ही चाहिए। यदि ऐसा करना है, तो कुछ कार्य किये जाने होंगे।

सर्वप्रथम, जहां सार्वजनिक धन का निवेश किया गया है, उन संयन्त्रों की क्षमता का सही उपयोग किया जाना चाहिए। प्रबन्ध सही होना चाहिए। इसमें उचित लागत-उत्पादन और लागत लाभ अनुपात होना चाहिए।

आपको अपनी पूंजी लंबी-चौड़े साजसमान एकत्रित करने में ही अवरुद्ध नहीं कर देनी चाहिए सरकारी क्षेत्र के एकाकों में प्रबन्ध सम्बन्धी सभी प्रकार की नयी तकनीकें भी लागू की जानी चाहिए। सरकारी क्षेत्रों में एककों को केवल सम्मान का विषय ही नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीयकरण सभी बुराइयों का हल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रीयकरण कर देने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाते हैं। इस प्रकार की धारणा नहीं बनने दी जानी चाहिए। वास्तव में राष्ट्रीयकरण का अर्थ यह है कि इन एककों का प्रबन्ध अपेक्षाकृत अधिक दायित्व से किया जाये, ताकि वे शेष एककों के लिए उदाहरण बन सकें। आप कहते हैं कि श्रमिकों की भागीदारी हो सब-कुछ है और इससे हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जायगा। किन्तु यदि निम्नस्तर से उच्चस्तर तक तथा बोर्डस्तर तक भागीदारी होती है और एकक को बिल्कुल अपना समझने की पूरी तरह से भावना आ जाती है तो जैसा श्री सुनील मैत्रा और श्री नारायण चौबे ने कहा है सबसे अधिक सरोकार श्रमिक का ही होगा। यदि उद्योग में कुछ कठिनाई आ जाती है तो वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठता है। इसीलिये ही उसकी उसमें रुचि होती है और इसलिए उसमें उन्हें अपना समझने की भावना पैदा होती है, यदि आप श्रमिक को विश्वास में लेते हैं तो कंपनी को सही ढ़ग से चलाया जा सकता है। तब श्रमिक यह बता सकेगा कि कहां पर गलती है और यह भी स्पष्ट करेगा कि कंपन घाटे में क्यों चल रही है। इसीलिए श्रमिक यह चाहेंगे कि कंपनी लाभ कमाये और उसकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये। यद्यपि मैं सभी श्रमिकों के बारे में नहीं कहता। ऐसा हो सकता है किन्हीं स्थानों पर श्रमिक गुमराह हो जाते हों। किन्तु मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वह इस संबंध में अपना दायित्व निभा सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : श्रमिक ही ऐसा कर सकते हैं।

श्री बसन्त साठे : हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि यदि आप ईमानदारी से कार्य करेंगे तो यह सभी के लिए अच्छा होगा। मैं यह बातें मात्र कहने के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को सभी समस्याओं का समाधान नहीं माना जाना चाहिए। यदि इसका कार्यान्वयन सही ढंग से किया जाता है और सरकार प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में एक नयी नीति बनती है और यदि उसका कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों दोनों और से सही कार्यान्वयन होता है तो इससे निश्चय ही उत्पादन बढ़ेगा और लाभ अर्जन भी होगा।

मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे प्रबन्धक हैं जो अपने मन से श्रमिक भागीदारी के पक्ष में नहीं हैं। किन्तु ऐसे कार्मिक संघ भी हैं जो वास्तव में श्रमिक भागी-

दारी नहीं चाहते। क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो जायगा। अतः यदि दोनों ओर से इस संबंध में सहमति हो और हम इस सिद्धांत का सही रूप से कार्यान्वयन करें तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं, जैसा कि हमने दुर्गापुर में देखा है कि इसका उत्पादन पर तथा विशेष रूप से सरकारी उपक्रमों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।

अतः मैं सभी सदस्यों का वास्तव में धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जो बातें कही हैं मैं उसका एक विस्तृत नोट तैयार करूंगा। कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी औषधि का निर्माण कर रही हैं। मेरे विचार से वास्तव में ऐसी नहीं है।

इसमें कोई कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत, यदि आप डिप्थेरिया एंटी टोक्सिन का उल्लेख कर रहे हों तो मैं यह कहूंगा कि बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी में, इसके अधिग्रहण के बाद इस औषधि का उत्पादन भी बढ़ गया है। इस प्रकार का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी ने किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ कोई संपर्क या समझौता किया हुआ है और इसलिए वह इसका उत्पादन नहीं···

श्री सुनील मैत्रा : मैं आपको लिखूंगा।

श्री बसंत साठे : कृपया अवश्य लिखें। हम ऐसी किसी बात को सहन नहीं करेंगे।

सत्यसाधन चक्रवर्ती : अधिकारी-बोझिल प्रशासन।

श्री बसन्त साठे : वह भी ठीक नहीं है। किसी ने कहा है कि अधिग्रहण के बाद अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह ठीक नहीं है। वास्तव में हुआ यह है कि हमारे द्वारा चलाई गई पदोन्नति नीति के अन्तर्गत बहुत से कर्मचारी 60 या 70 से अधिक कर्मचारी कनिष्ट अधिकारी से वर्ग में पदोन्नत हो गये। वे अधिकारी संवर्ग में आ गए। इस कारण आपको यह लगता है कि अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। हमने छटनी की किसी नीति का पालन नहीं किया है। इसके विपरीत, हमने क्षेत्रीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है। यहीं पर वास्तविक विपणन और विक्रय होता है। बिक्री बढ़ गई है। परन्तु बिक्री और उत्पादन में भी तो कोई संबंध होना चाहिए। मैं इस सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

कुछ सदस्यों ने पूछा है कि उन्हें हानि क्यों हो रही है। इन छः वर्षों में हुआ यह कि हमने इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया था। इसलिए इसे दी गई सारी राशि को ऋण मानना पड़ा और इस पर ब्याज देना पड़ा। इसे अंश पूंजी नहीं समझा जा सकता था इसलिए आप ब्याज को शुद्ध हानि के रूप में देखते हैं।

ये सब कारण हैं। इनकी वजह से उद्योग के हित में, कर्मचारियों के हित में, और इस देश के हित में हमारे लिये इसका राष्ट्रीयकरण अनिवार्य हो गया। जिन सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, मैं उन सबका अत्यन्त आभारी हूं

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसाधारण के हित में मैसर्स बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव प्राप्त हुआ

उपसभाध्यक्ष महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपसभाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर कुमार गिरि उपस्थित नहीं है। प्रश्न यह है:—

"कि खण्ड 9 से 32 और और अनुसूची विधेयक अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 से 32 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमनसूत्र, प्रस्तावना और विधेयक के नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री वसन्त साठे : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.59 म० प०

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना और औद्योगिक पुनरुज्जीवन के लिए प्रत्यय और पुनर्निर्माण अधिकरण के रूप में कृत्य करने और उसमें लगी हुई अन्य संस्थाओं के वैसे ही कार्य का समन्वय करने और औद्योगिक विकास में सहायता तथा उसका संप्रवर्तन करने और औद्योगिक समुत्थानों का पुररुद्धार करने के लिए उक्त पुनर्निर्माण बैंक को समर्थ बनाने की दृष्टि में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के नाम से ज्ञात निगम के उपक्रम का उक्त पुनर्निर्माण बैंक को अन्तरण करने और उसमें निहित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

क्या आप चाहते हैं कि मैं बोलना जारी रखूं ? मेरे विचार में मैं पुर:स्थापित करने संबंधी अंश को पूरा कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं क्योंकि वह विधेयक विवादास्पद नहीं है...

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को जानते हैं कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का गठन कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अप्रैल, 197। में किया गया था। इस निगम की स्थापना देश में रुग्ण और बन्द पड़ी औद्योगिक ईकाइयों पुन: चालू करने और पुनर्निर्माण में सहायता करने के स्पष्ट उद्देश्य से की गई थी। यहां तक कि जब निगम की स्थापना की गई थी तब यह कल्पना की गई थी कि 3 से सांविधिक निगम में परिवर्तित करने के प्रश्न पर इसके कार्यचालन से प्राप्त होने वाले अनुभव के बाद किया जाएगा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम 13 वर्ष के कार्यचालन के दौरान इस निगम को रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा।

चूंकि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई एक कम्पनी भी इसलिए इसके पास रुग्ण औद्योगिक ईकाइयों को प्रभावी ढंग से पुन: स्थापित करने के लिए जो लोच और अधिकार होने चाहिए, वे नहीं थे। यह अनुभव रहा है कि वित्तीय पुनर्निर्माण, प्रबंध परिवर्तन आदि जैसे मामलों में, जो पुनरुज्जीवित कार्यक्रम के आवश्यक तत्व होते हैं भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के पास प्रभावी शक्तियां नहीं थी और इसलिए उन उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकी जिसके लिए उसकी स्थापना की गई थी। कम्पनी के रूप में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को कई कठिनाईयों का और बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसके कारण भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के कार्यचालन में रुकावटें आई और उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को मौजूदा ढांचे में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें दूर करने के लिए इस निगम को रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त अधिकार देकर और रुग्ण औद्योगिक ईकाइयों को पुन: स्थापित करने से जुड़े सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बना कर एक सांविधिक निकाय में परिवर्तित करके पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित पुनर्निर्माण बैंक के वित्तीय अधिकार सुदृढ़ करने के लिए इसकी प्राधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए निर्धारित की जा रही है और इसकी चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपए होगी। प्रस्तावित सांविधिक निकाय की वित्तीय स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, आयकर ब्याज कर जैसी कतिपय छूटें दी जा रही हैं। पुनर्निर्माण बैंक को ऋण प्राप्त करने के वही अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को प्राप्त है। यह आशा की जानी है कि इस प्रकार से सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और पर्याप्त अधिकारों वाला पुनर्निर्माण बैंक देश में एक प्रमुख पुनर्निर्माण अभिकरण के रूप में अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर पाएगा।

इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस कानून को सभा के समक्ष लाने के उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं। देश में औद्योगिक रुग्णता का आकार और भावी वृद्धि सभी के लिए विशेष रूप से उद्यमियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, श्रमिकों और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लिए और सारे समाज के लिए चिन्ता का विषय है।

देश उत्पादन अथवा रोजगार का नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। यह स्वीकार किया जाएगा कि सरकार द्वारा संभावित रुग्ण ईकाइयों को पुनःस्थापित करने के लिए किए गए प्रयास सही दिशा में कदम हैं। अतः मैं यह आशा करता हूं कि यह सभा प्रगतिशील कानून को अपना समर्थन प्रदान करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के विचारार्थ रखता हूं।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : यद्यपि यह विधेयक दिन के अन्त में विचारार्थ आया है फिर भी यह सरकार द्वारा किया जा रहा है, एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के कार्यकरण से संबंधित विषय को उठाने का प्रयास करते रहे हैं और कई अवसरों पर हमने स्वयं सुझाव दिया है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम में परिवर्तन करने के लिए और कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल जारी रख सकते हैं।

6.05 म० प०

सदस्य की गिरफ्तारी और उसे जेल में रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष के नाम 4 अगस्त 1984 के निम्न आशय के बेतार संदेश आज प्राप्त हुए हैं :—

(एक)

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान) से प्राप्त बेतार संदेश

"आपको सादर सूचित किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, कोटा द्वारा चलाए गए 'रेल रोको' आन्दोलन के दौरान श्री कृष्ण कुमार गोयल, भारतीय रेल अधिनियम की धारा 100ख/120/126 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/332/188/353 के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के लिए थाना प्रभारी, पुलिस थाना, जी० आर० पी० कोटा, द्वारा 4-8-1984 को 11-35 बजे कोटा रेल जंक्सन पर गिरफ्तार किया गया।

(दो)

जेल अधीक्षक कोटा से प्राप्त बेतार संदेश

श्री कृष्ण कुमार गोयल, संसद सदस्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/332/188/149/333/353 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 100ख/120/126 के अन्तर्गत जेल में रखा गया।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, प्रक्रिया नियमों के अनुसार सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना 24 घन्टों के अन्दर देनी होती है। उन्हें 4 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अध्यक्ष के कार्यालय को आज संदेश प्राप्त हुआ है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप इस विलम्ब के बारे में प्रशासन को लिखेंगे। मैं आपसे इस मामले में उचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता हुं क्योंकि इसका संबंध एक संसद सदस्य के विशेषाधिकार से है।

उप. **महोदय** : कल रविवार था परन्तु फिर भी हम इसे देखेंगे।

कार्य मन्त्रणा समिति

पैंसठवां प्रतिवेदन

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : [illegible] मैं कार्य मंत्रणा समिति का 65वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.07

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 अगस्त, 1984/ 16 श्रावण 1906 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।